Wednesday, 2nd December, 1987

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 33, नौवां सत्र, 1987/1909 (शक)

अंक 19 बुधवार, 2 दिसम्बर, 1987/11 अग्रहायण, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 372 से 378	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 379 से 393	22—131
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3790 से 3831, 3833 से 3855, 3857 से 3898 और 3900 से 3948	
पटल पर रखे गए पत्र	131—133
सभा से संदेश	133
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	134—142
32वां प्रतिवेदन	
समिति के लिए निर्वाचन	142
बोफोर्स ठेके की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति	142
रेल से सम्बन्धित निधि का समेकन और संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति	
प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाया जाना	
कार्य-मंत्रणा समिति	143
45वां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	143—147
(एक) कोटा, राजस्थान में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री जुझार सिंह	143
(दो) डाकुओं के आतंक से ग्रस्त आगरा की बाह और फतेहाबाद तहसीलों तथा मैनपुरी जिले की शिकोहाबाद तहसील को पिछड़े क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता	
श्री गंगा राम	144
(तीन) बीकानेर के सूखा प्रभावित लोगों को चारा तथा अन्य सहायता प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री मनफूलसिंह चौधरी	144—145

+किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(चार)	पश्चिम एशिया में शांति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता	
	श्री अजीज कुरेशी	145
(पाँच)	महाराष्ट्र के कपास उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता	
	श्रीमती ऊषा चौधरी	145—146
(छः)	नायुडूपेट से चित्तूर तक सड़क का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 से जोड़ने की आवश्यकता	
	डा० चिन्ता मोहन	146
(सात)	नवम्बर, 1984 के दंगा-पीड़ितों को शीघ्र राहत प्रदान करने की आवश्यकता	
	श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	146
(आठ)	खांसी के शरबत की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता	
	श्री राज कुमार राय	146—147
प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से सूखा, बाढ़ तथा तूफान से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा		147—188
	श्री वृद्धि चन्द्र जैन	147—149
	श्री पीयूष तिरकी	149—151
	डा० गौरी शंकर राजहंस	151—153
	श्री काली प्रसाद पांडेय	153—154
	श्री भरत सिंह	154—156
	श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	156—157
	श्री उत्तम राठौड	157—159
	श्री मोहम्मद अयूब खां	159—161
	श्री आशुतोष लाहा	161—162
	श्री एस० जयपाल रेड्डी	162—163
	श्रीमती ऊषा ठक्कर	163—165
	श्री डी० बी० पाटिल	165—168
	श्री हरीश रावत	168—169
	श्री शांति धारीवाल	169—171
	श्री मोहम्मद महफूज अली खां	171—172

विषय		पृष्ठ
	श्री विष्णु मोदी	172—173
	श्री पी० नामग्याल	173
	डा० जी० एस० ढिल्लों	173—188
सदस्य द्वारा त्यागपत्र		188
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)— 1987-88		188—193
	श्री भट्टम श्री राममूर्ति	190—193
आधे घंटे की चर्चा		193—200
कोटा परमाणु विद्युत केन्द्र का कार्यकरण		
	श्री वृद्धि चन्द्र जैन	193—194
	श्री के० आर० नारायणन	194—197
	डा० गौरीशंकर राजहंस	197
	डा० चिन्ता मोहन	197
	डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी	198—200

लोक-सभा

बुधवार, 2 दिसम्बर, 1987/11 अग्रहायण 1909 (शक)

लोक-सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

*372. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1984 तक शरणार्थियों को वितरित किए गए लगभग 100 करोड़ रुपये की धनराशि के ऋण सरकार द्वारा बट्टे खाते डाले गये हैं;

(ख) क्या ये ऋण केवल तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को ही दिये गये थे अथवा अन्य श्रेणियों के शरणार्थियों को भी दिये गये थे; और

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान इस छूट अथवा ऋण माफी के बारे में कोई औपचारिक घोषणा की गई थी; और यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) 31-3-1974 तक दिये गये सभी ऋणों में से 1-4-1985 को 131·33 करोड़ रुपये की बकाया रकम और विस्थापित/प्रत्यावासियों के उन राज्यों में पुनर्वास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को 1-4-1974 से 31-3-1984 के दौरान आगे उधार पर दिए जाने वाले ऋण को बट्टे खाते डाल दिया गया है।

(ख) ये ऋण भूतपूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों सहित सभी श्रेणी के विस्थापित व्यक्तियों/प्रत्यावासियों को दिया गया था।

(ग) मार्च, 1987 में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी थी और इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। (विवरण) प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के बाद 108 करोड़ रुपये का शेष ऋण बट्टे ।

विवरण

प्रेस-टिप्पणी

1. भारत सरकार ने स्वतन्त्रता के समय से भारत आ रहे शरणार्थियों और प्रत्यावासियों को राहत और पुनर्वास पर बड़ी मात्रा में धन व्यय किया है। उक्त सहायता अनुदानों और ऋणों के रूप में दी गई। राहत सहायता अनुदान के तौर पर तथा पुनर्वास सहायता आंशिक रूप से अनुदान तथा

आंशिक रूप से ऋण के रूप में दी गई है। पुनर्वास अनुदान रख-रखाव के लिए और ऋण आवास निर्माण, लघु व्यापार आरम्भ करने, बैल तथा अन्य कृषि उपकरण खरीदने आदि के लिए दिया जाता है।

2. भारत सरकार को समय-समय पर शरणार्थियों/प्रत्यावासियों द्वारा मंजूरियों की शर्तों के अनुसार ऋणों की राशि लौटाने के लिए पर्याप्त आय न कर पाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। सहानुभूति पूर्ण रूप अपनाते हुए भारत सरकार राज्य सरकारों को सलाह देती रही है कि वे ऋणों की वसूली के लिए कड़े कदम न उठाएं। लावसूल ऋण माह करने/बट्टे खाते डालने की शक्तियां राज्य सरकारों को भी दी गई थीं। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकारों ने 31-3-1985 तक 34·79 करोड़ रुपये की राशि माफ की। पुनरीक्षा करने पर संघ सरकार ने यह महसूस किया कि शरणार्थियों/प्रत्यावासियों को यदि ऋण के भार से पूर्णतया निर्मुक्त कर दिया जाए तो वे सम्भवत: बेहतर आर्थिक आधार बनाने में सक्षम हो सकेंगे। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि 31-3-1974 तक दिए गए 1-4-1985 को बकाया तथा सभी प्रकार के ऋणों और 1-4-1974 से 31-3-1984 तक दिये गए और 1-4-1985 को बकाया आगे उधार पर दिए जाने वाले ऋणों को बट्टे खाते डाल दिया जाए। इस निर्णय के साथ यह शर्त रखी गई है कि राज्य सरकारें उक्त लाभ शरणार्थियों/प्रत्यावासियों को देंगी। 1986 में विभिन्न राज्य सरकारों से वसूली योग्य 130·25 करोड़ रुपये की राशि बट्टे खाते डाल दी गई है।

ब्यौरा इस प्रकार है :

राज्य सरकार का नाम	बट्टे खाते डाली गई राशि
1. आन्ध्र प्रदेश	6,03,08,575·47
2. असम	8,87,17,947·36
3. बिहार	3,66,30,750·52
4. गुजरात	2,67,72,059·58
5. हिमाचल प्रदेश	60,146·57
6. हरियाणा	11,23,011·56
7. जम्मू और कश्मीर	3,35,37.547·96
8. कर्नाटक	3,56,58,594·40
9. केरल	74,74,703·01
10. मेघालय	41,67,235·86
11. मणिपुर	8,75,010·00
12. मध्य प्रदेश	5,51,03,017·10
13. महाराष्ट्र	2,46,95,754·45
14. उड़ीसा	2,06,86,498·31
15. पंजाब	41,35,285·49
16. राजस्थान	4,35,74,138·23

17. त्रिपुरा	29,41,941·00
18. तमिलनाडु	46,64,03,703·73
19. उत्तर प्रदेश	1,97,64,506·50
20. पश्चिम बंगाल	36,99,16,391·29
	130,25,46,818·39

शरणार्थियों/प्रत्यावासियों तक लाभ पहुंचाने के लिए इस निर्णय का प्रचार करने तथा उपर्युक्त कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

गृह मन्त्रालय, आन्तरिक सुरक्षा विभाग,
पुनर्वास, नई दिल्ली।
दिनांक 9 मार्च, 1987

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष महोदय, जो पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी आये हैं, उनको पुनर्वास अनुदान, आवास निर्माण की सहायता, लघु व्यापार आरम्भ करने की सहायता, रबरखाब सम्बन्धी सहायता और उपकरण आदि खरीदने के लिए ऋण दिए गए थे। इन सभी ऋणों को गवर्नमेंट ने माफ भी किया है। हमको यह मालूम है कि ये लोन उन बस्तियों के नजदीक दूसरी जो आदिवासी वस्तियां थीं, उनको भी दिये गये थे। लेकिन देखने में यह आया है कि उन आदिवासी लोगों के अभी तक ऋण माफ नहीं किए गए हैं। इन ऋणों को माफ करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आदिवासियों के बारे में नहीं है। यह तो डिसप्लेस्ड पर्सन्स के बारे में है। जो रिफ्यूजी ईस्ट पाकिस्तान और वैस्ट पाकिस्तान से आये थे इनके ऋण रिटर्न-आफ कर दिए गए हैं।

श्री अनादि चरण दास : इनको इस बारे में पता नहीं है। जो कुछ सहायता उन शरणार्थियों को दी गई थी, वही सहायता इन आदिवासियों को भी दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : दोनों में से एक को दी गई थी।

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष महोदय, इनको इस बारे में पता नहीं है। मुझ को ज्यादा पता है। इनको अपने डिपार्टमेंट से पता लगा कर यह सब देखना चाहिए कि कितना रुपया दिया गया था। मैंने इन एरियाज में काम किया है इसलिए यह कह रहा हूं। उन आदिवासियों को उस समय जो भी ऋण दिए गए थे, उसका रिटर्न आफ नहीं हुआ है। यह रिटर्न आफ आपको अब तक अवश्य कर देना चाहिए था। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वैस्ट पाकिस्तान से आए थे, उन पर भी क्या यह लागू है ? अगर लागू है तो मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उनको कितना लोन दिया गया था ?

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, मैंने कुल 131·33 करोड़ रुपए के आंकड़े दिए हैं।

[हिन्दी]

इसमें वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी भी शामिल हैं और ईस्ट पाकिस्तान के भी शामिल हैं। दास जी ने बाकी जो कुछ पूछा है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि :

[अनुवाद]

दण्डकारण्य के इन जनजातियों के लिए हम 9·13 करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते डालने के बारे में विचार कर रहे हैं और इससे दण्डकारण्य में बसे लोगों और वहां के जनजातियों को लाभ पहुंचेगा।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने शरणार्थियों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है और यहां तक कि उनका लोन भी रिटर्न-आफ कर दिया है। लेकिन देखने में यह आया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के कई इंस्ट्रक्शन नहीं पहुंचे हैं। अत: मैं माननीय मन्त्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगी कि वह कृपया सब जगह इंस्ट्रक्शन भेज दें।

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) महोदय, सुझाव स्वीकार है।

[हिन्दी]

श्री जनक राज गुप्त : मोहतरम स्पीकर साहब, आपकी इजाजत से मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में 3 करोड़ 35 लाख रुपए के जो लोन इन्होंने माफ किए हैं, वहां पर दो किस्म के रिफ्यूजीज हैं। दो कैटेगरीज में से एक तो वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए हैं और एक वह हैं जो 1947 में आक्यूपाइड एरिया जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आये हुए थे, तो कौन-कौन सी कैटेगरी में रुपया दिया गया और लोन कौन सी कैटेगरी में है, क्या यह आक्यूपाइड एरिया वाले रिफ्यूजीज के लिए है या वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज के लिए है।

दूसरी बात यह है कि सरकार के जेरे गौर आक्यूपाइड एरिया से आये हुए जो रिफ्यूजीज हैं, पूरी तरह से उनके क्लेम्स सैटल करने के लिए कुछ बातचीत कर रहे थे और गौर कर रहे थे लेकिन अभी तक उनके क्लेम्स सैटल नहीं हुए तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके अलावा जो क्लेम्स हैं उनको सैटल करने के लिए बाकी रकम देनी है वह सरकार देने के लिए तैयार है? यदि हां, तो कब तक उनके क्लेम्स सैटल कर दिए जाएंगे?

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, जम्मू और कश्मीर के लिए हमने 3,35,37,547·96 रुपये माफ किए हैं (व्यवधान)। महोदय, इसमें वह विस्थापित लोग शामिल हैं जो पश्चिमी पाकिस्तान से आए अब माननीय सदस्य उनके बारे में जानना चाहते हैं जो विभाजन के पश्चात जम्मू और कश्मीर आए। महोदय, राज्य सरकार द्वारा पृथक-पृथक खाते रखे जाते हैं। विवरण में हमने अनुदान और कारण के रूप में दी गई कुल सहायता का उल्लेख किया है। इसलिए जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने हमें जो बताया, हमने माफ कर दिया।

डा० सुधीर राय : महोदय, जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वास का सम्बन्ध है भारत सरकार का रिकार्ड निराशाजनक है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त समर मुखर्जी समिति की सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित करेंगे ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, इस प्रश्न का हमने इस सदन में बार-बार उत्तर दिया है क्योंकि हमने निर्णय ले लिया है इसलिए समिति की सिफारिशें स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(व्यवधान)

विदेशी स्रोतों से वित्तपोषित परियोजनाओं को प्राथमिकता

+

*373. **श्री एस० बी० सिबनाल** :

श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1987-88 में विदेशी स्रोतों से वित्तपोषित परियोजनाओं को स्वीकृति देने में उच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी परियोजनाएं सरकार की स्वीकृत के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए किन विदेशी स्रोतों से वित्त प्रदान किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) वर्ष 1988-98 में कितनी परियोजनाओं के शुरू किये जाने की संभावना है;

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) तक अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सिद्धनाल···कोई पूरक प्रश्न नहीं ?

श्री जगन्नाथ पटनायक····· अनुपस्थित

अगला प्रश्न

इलेक्ट्रोनिकी और दूरसंचार विभागों के बीच समन्वय

*374 **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने और दूसरी ओर विश्व में इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार के क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगति के साथ-साथ प्रगति करने हेतु एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए इलेक्ट्रोनिक विभाग और दूरसंचार विभाग के बीच समुचित समन्वय स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और इस सम्बन्ध में उठाये गये कदमों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार का समन्वय स्थापित किया जायेगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए हाल ही में स्थापित किए गए संगत मिशनों की क्या भूमिका है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायण) : (क) (ख) (ग) तथा (घ) एक विवरण पत्र लोक सभा के पटल पर दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) इलेक्ट्रोनिकी विभाग तथा दूरसंचार विभाग के घनिष्ठ समन्वय से टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी० डौट) की स्थापना की गई है, जिसके लिए धनराशि दोनों विभागों द्वारा बराबर-बराबर उपलब्ध कराई जाती है । सी-डौट ने इलेक्ट्रोनिक ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज (ई० आर० ए० एक्स) का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है तथा अद्यतन तकनीकी जानकारी की प्रौद्योगिकी के आधार पर इलेक्ट्रोनिक स्विचन प्रणाली के विकास कार्य को पूरा करने जा रहा है । इलेक्ट्रोनिकी आयोग में तथा साथ ही विभिन्न स्तरों पर गठित विभिन्न संयुक्त समितियों में आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से इलेक्ट्रोनिकी विभाग और दूरसंचार विभाग के बीच नियमित रूप से समन्वय होता रहता है । दूर-संचार उपस्करों के स्वदेशी उत्पादन के कार्यान्वयन तथा उसकी प्रगति पर निगरानी रखने के लिए हाल ही में सचिव, दूरसंचार विभाग की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी-समिति का गठन किया गया है जिसमें सचिव, इलेक्ट्रोनिकी विभाग का भी एक सदस्य है ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) 'बेहतर संचार' नामक एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत दूर-संचार के क्षेत्र में निम्नलिखित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दूरसंचार विभाग केन्द्रीय अभिकरण के रूप में कार्य करेगा;

(i) सेवाओं की गुणवत्ता (क्वालिटी) में सुधार ।

(ii) वर्तमान नेटवर्क के अन्दर ही सभी सुविधाएं सुलभ कराने की प्रक्रिया में सुधार ।

(iii) चुन्दिा प्रौद्योगिकियों तथा उत्पादों का स्वदेश में ही विकास करने पर ध्यान केन्द्रित करना ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान विवरण के खण्ड (घ) के भाग (दो) की ओर आकर्षित कर सकता हूं ? यह है वर्तमान नेटवर्क के अन्दर ही सभी सुविधाएं सुलभ कराने की प्रक्रिया में सुधार"

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान नेटवर्क इतना कार्यकुशल और स्पष्ट नहीं है जितना कि महानगरों में है । इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, हम जब कभी भी दूरसंचार विभाग से बात करते हैं, तो वह हमें बताते हैं कि सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें उन्नत कराने की व्यवस्था साधनों पर निर्भर करती है । इसलिए, क्या मन्त्री महोदय हमें बतायेंगे कि संसाधनों की किसी भी कमी को वर्तमान नेटवर्क के अन्दर ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में सुधार के मार्ग में नहीं आने दिया जाएगा, जैसाकि वक्तव्य में बताया गया है ?

श्री के० आर० नारायणन : संसाधनों की हमेशा ही कमी रहती है। किन्तु प्रश्न का यह भाग दूरसंचार मन्त्रालय से संबंधित है। किन्तु जहां तक के विकास के लिए टेलीफोन एक्सचेंज और टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रौद्योगिकी के विकास का संबंध है, हमने कमाबेश रूप से अपना मिशन पूरा कर लिया है जो हमें सी-डाट के माध्यम से सौंपा गया है। और आई० टी० आई० के प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयास ने इस समस्या से निपटने के लिए एक टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली और कनेक्शन विकसित किये हैं।

जहां तक संसाधनों का सम्बन्ध है, हमारे लिए संसाधन जुटा पाना होगा तथा योजना आयोग और दूरसंचार मन्त्रालय के बीच खुले बाजार से धन जुटाने के लिए बातचीत चल रही है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : सी-डाट प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टीग्रेटिड डिजिटल नेटवर्क आरम्भ करना संभव होगा, जैसा कि यह अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध है ?

श्री के० आर० नारायणन : जी हां, यह सम्भव है। सी-डाट ने पहले ही इलैक्ट्रानिक रूरल आटोमेटिक एक्सचेंज विकसित किया है। यह उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को दिया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन एक इ० आर० ए० एक्स उपलब्ध कराने की उनकी अति उत्सादी योजना है। इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, के अनुसंधान प्रभाग, टी० आर० सी० ने भी एक एक्सचेंज तैयार किया है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिये उपयुक्त है। मेरे विचार से इस एक्सचेंज तथा बड़े एक्सचेंज, जिनका परीक्षण किया जा रहा की मदद से सीमित साधनों के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में जिसकी जरूरत है उपलब्ध कराया जाना संभव होगा।

श्री मुरली देवरा : माननीय मंत्री ने कहा है कि सी डॉट ने सफलतापूर्वक इलेक्ट्रानिक ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज बनाया है और इस समय ई० एस० एस० के विकास का कार्य पूरा कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि वह इसकी किस्म-वार तथा लागतवार तुलना किस प्रकार करती हैं। यदि यह सस्ती है जैसा कि कहा गया है, फिर हम इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली का आयात (क्यों) करने जा रहे हैं ?

श्री के० आर० नारायणन : जहां तक लागतों का सम्बन्ध है, सी० डाट प्रणाली निस्सन्देह आयातित प्रणाली से सस्ती है। किन्तु जैसा कि उत्तर में कहा गया है हमने इसका विकास किया है और इस प्रणाली में इस समय क्षेत्र परीक्षण हो रहा है। अन्तरिम अवधि में हमें कुछ आयात करने की जरूरत है। वास्तव में आई० टी० आई० के मनखापुर कारखाने में पहले से ही आयातित प्रौद्योगिकी है। फ्रांस की प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत हम इस स्विचिंग प्रणाली का विकास कर रहे हैं। सी० डॉट प्रणाली इससे सस्ती होगी। और हमारी तात्कालिक आवश्यकताओं और योजना लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम कुछ लाइनों का विदेश से आयात करने के लिए विवश हुए हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : सबसे पहले मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जहां तक देशीकरण का सम्बन्ध है और आयात जो कि दूर संचार में सदा होता रहता है को कम करने का सम्बन्ध है सी० डाट ने सबसे अच्छा काम किया है।

किन्तु जहां तक संचार और इलैक्ट्रानिकी मंत्रालय के साथ सम्बन्धों के प्रश्न है मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वही अधिकारी होने चाहिए जिन्होंने इसे इलैक्ट्रानिकी मंत्रालय में आरम्भ किया, जो आज भी वहां होना चाहिए था ? क्या यह अन्य मंत्रालयों के साथ संचार को सुधारने का एक ढंग है।

प्रश्न के भाग (स) के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्भाग्य से बिजली की भारी कमी है और वातानुकूल जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। कुछ इलैक्ट्रानिक केन्द्रों के लिए वातानुकूलन अनिवार्य है। क्या सरकार इन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली की रुक-रुककर सप्लाई होती है वहां ऊर्जा के पुनः नवीकरणीय रूपों की ओर ध्यान देगी।

श्री के० आर० नारायणन : जहां तक अफसरों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में सामान्य रूप से पुनर्गठन किया जाता है और परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि प्रत्येक विभाग में पुराने और नए लोग है और यह उनके अनुभव पर निर्भर करता है और हमें किस नए विशेषज्ञ की आवश्यकता है। इसमें कोई सख्त कानून नहीं है। किन्तु हम पुनर्गठन में विश्वास करते है और समय-समय पर कर्मचारियों को बदलने पर विश्वास करते हैं।

माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया दूसरा प्रश्न ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों का प्रयोग करने से सम्बन्धित है। यह चल रहा है। सौर ऊर्जा के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। किन्तु इसे अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं किया गया है।

माननीय सदस्य ने एक और मुद्दा उठाया है।

प्रो० मधु दण्डवते : फिर तो बधाई हो।

श्री के० आर० नारायणन : धन्यवाद।

श्री कमल नाथ : इलैक्ट्रानिकी विभाग और इलैक्ट्रानिकी आयोग की स्थापना उस समय हुई जब इलैक्ट्रानिकी का अभी विकास हो रहा था इस दौरान ऐसा हुआ है कि हर चीज में इलैक्ट्रानिक्स आ गया है चाहे वह हीटर हो या जूसर।

अत: क्या सरकार अब इस बात का पता लगाएगी कि इलैक्ट्रानिकी आयोग और इलैक्ट्रानिकी विभाग को अब इसके बनने के 20 या 10 वर्ष पश्चात् क्या भूमिका निभानी है? अब सरकार के प्रत्येक विभाग को इस एपेक्स निकाय को अथवा इलैक्ट्रानिकी आयोग से पूछ-ताछ करनी है। उनके विभाग में अपना एक इलैक्ट्रानिक विशेषज्ञ होना चाहिए जो यह देख सके कि इस दिशा में उन्हें क्या करने की आवश्यकता है न कि वह हर समय इलैक्ट्रानिक आयोग अथवा इलैक्ट्रानिकी विभाग से ही पूछते रहे जो यह प्रमाणित करेंगे कि यह चालू है, और यह बन्द है।

क्या इलैक्ट्रानिक्स की चीजों की दिन-प्रतिदिन की व्यावहारिकता की दृष्टि से अथवा उनकी हर समय की उपदेयता के आधार पर इसकी पुनरीक्षा की जाएगी?

श्री के० आर० नारायणन : इलैक्ट्रानिक्स एक उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी है। मेरे विचार में प्रत्येक मंत्रालय में एक ऐसे इलैक्ट्रानिक्स कक्ष अथवा विशेषज्ञ की व्यवस्था करना सम्भव नहीं होगा जो इस मामले को निपट सके। मेरे विचार में हम अपने संसाधनों को व्यर्थ बरबाद करेंगे और यदि हम ऐसा करते हैं तो कोई विशेष परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। यह अत्यन्त आवश्यक है कि एक ऐसा विशेषज्ञ निकाय होना चाहिए जिन्हें पूरी-पूरी जानकारी हो। इन विभागों की आवश्यकताओं को समझने के लिए समितियां और निकाय स्थापित किए गए हैं।

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इलैक्ट्रानिक्स जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पहुंच चुका है। किन्तु जीवन अथवा विभाग के प्रत्येक क्षेत्र में विकास करने के लिए हम इलैक्ट्रानिक्स विशेषज्ञ की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अत: इलैक्ट्रानिकी विभाग, और इलैक्ट्रानिकी आयोग की एक केन्द्रीय प्रणाली के

होते हुए दूर-संचार मंत्रालय और अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थाओं का होना इस क्षेत्र की सफलता के लिए अत्यन्त अनिवार्य आवश्यकता है ।

भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना

+

*375. **श्री रामस्वरूप राम :**

श्री ए० चार्ल्स : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग की नवीनतम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वे वर्ष 1985-86 में साक्षात्कार द्वारा भरे जाने वाले अनेक पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसी उम्मीदवार के नाम की सिफारिश इसलिये नहीं कर सके, क्योंकि संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों से कोई भी आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में भी ऐसी स्थिति पैदा हुई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में कौन से सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री कार्मिक, लोक तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प्रश्न के भाग (क), (ख), (ग) और (घ) के उत्तर

(क) और (ख) 3022 पदों में से, जिनके लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1985-86 के दौरान साक्षात्कार के आधार पर भर्ती की गई थी, 521 पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए थे । इनमें से केवल 69 पद ऐसे थे जिनके लिये इन समुदायों के उम्मीदवारों से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए थे । जिन क्षेत्रों में उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल सके थे, वे मुख्यतः इन्जीनियरी चिकित्सा और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में उच्च विशेषज्ञता से सम्बद्ध थे ।

(ग) जी, हां । तदनुरूपी आंकड़े 1982-83 के लिए 123, 1983-84 के लिए 106 और 1984-85 के लिए 98 थे जिनसे यह पता चलता है कि आंकड़े घटते रहे हैं ।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर उन्हीं समुदायों के यथा संभव अधिक से अधिक उम्मीदवार भर्ती करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय करता रहा है :

— देश भर में, विभिन्न भाषाओं के 17। समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करना ।

— परिचालन के लिए इन विज्ञापनों की प्रतियां भारतीय दूतावासों/मिशनों को भेजा जाना ।

— अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम प्रायोजित

करने के प्रयोजन से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय सहित, इस क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न प्राधिकारियों और संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना ।

प्रत्येक भर्ती नियम में इस आशय का एक प्रावधान होता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार इन समुदायों के उम्मीदवारों के मामले में नियमों में निर्धारित अनुभव में ढील दी जा सकती है । इसके अतिरिक्त जहां भी आवश्यक हो, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए चयन के मानदण्ड में ढील दी जा सकती है ।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष जी, हरिजन आदिवासियों के लिए सुरक्षित 69 पदों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, उनमें कितने पद शैड्यूल्ड कास्ट के लिए थे, कितने पद शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए थे, कितने पद टैक्नीकल थे और कितने पद नॉन-टैक्नीकल थे ? माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 1985-86 की कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई है, जबकि 1982-83 में 123 आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, लेकिन 123 नहीं आए । इसी प्रकार मैं मानता हूं कि 1983-84 में डिक्रिसिंग ट्रेंड है । लेकिन इसका प्रचार अखबारों के माध्यम से पूरे रूप से होना चाहिए । जो लोकल अखबार होते हैं, उनमें आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनको पता नहीं है । मैं यह मानता हूं कि टैक्नीकल पद के लिए आवेदन पत्र नहीं आए थे । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या नॉन-टैक्नीकल पद के लिए भी इस तरह की कोई बात हुई है ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, वर्ष 1985-86 में आयोग ने 3022 पदों पर भर्ती की थी । इनमें से 326 पद अनुसूचित जातियों के, 167 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 28 दोनों अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए थे जो कुल मिलाकर 521 पद बनते हैं इन 521 पद में से जिनके लिए नियुक्ति की गई है, उनमें से 69 पदों के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए । अपने विवरण में मैंने कहा है कि इनकी संख्या 1982-83 के लिए 123; 1983-84 के लिए 106; और 1984-85 के लिए 98 और 1985-86 के लिए 69 है, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इन पदों का प्रचार करने का विशेष उपाय सफल रहा है । किंतु मैं कहना चाहूंगा कि हम यह देखने के लिए अपने प्रयासों को और तेज करेंगे ताकि 69 की यह संख्या घट कर शून्य हो जाए ।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, हरिजन, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी काफी चिन्तित हैं और काफी सीरियस कमिटमेंट प्रधान मंत्री जी का इन वीकर सेक्शन्स के लिए है । तो इसी को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय जी से जानना चाहूँगा कि हरिजन, आदिवासी एवं अन्य कमजोर वर्गों की विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में रुचि बढ़े, उनके बीच में विशेष तरह की शिक्षा का प्रसार हो, इसके लिए किसी कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया है, जिससे यह जो बेकलोग आ रहा है, उसको हम घटा सकें और हर क्षेत्र में जो इन वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की बात है, उस के लायक लोग तैयार हो सकें और प्रधान मंत्री जी की चिन्ता भी दूर हो ।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, मैं उत्तर पढ़ कर प्रसन्न हुआ हूं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बात की ओर ध्यान दिया गया है, कि जहां तक संभव हो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरा जा रहा है और भरने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां भी अनुभव निर्धारित किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग ने अनुभव और योग्यता में भी छूट देने के लिए नियम निर्धारित किए हैं। किन्तु इसके साथ मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा। उत्तर में यह भी कहा गया है : "जिन क्षेत्रों में उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिल पाए विशेष कर इन्जीनियरी और चिकित्सा में उच्च विशेषता के सम्बन्ध में···।" जैसा आप सभी जानते हैं, यह विशेष विषय के ज्ञान और उस क्षेत्र में उच्च ज्ञान की बात है। अतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के ऐसे उम्मीदवार मिल सकते हैं जिनकी आधारभूत योग्यता—उदाहरणत. चिकित्सा में स्नातकोत्तर और इन्जीनियरी में स्नातकोत्तर। किन्तु इससे अधिक विशेष विशेषताओं वाले उम्मीदवार मिलने की कठिनाई है। ऐसी स्थिति में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार संघ लोक सेवा आयोग की प्रत्याशियों के चयन में उनकी आधारभूत योग्यता पर चयन करके परीक्षण अवधि के दौरान अति विशेषज्ञता के लिए भेज दिया जाएगा। यह इन दलित वर्गों के लिए एक और प्रोत्साहन होगा।

श्री पी० चिदम्बरम : समूह 'ए' और समूह "बी" के संवर्गों में नियुक्ति पूर्णतः संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में आती है। संघ लोक सेवा आयोग को उपयुक्त मामलों में योग्यताओं में छूट देने का अधिकार प्राप्त है। अतः मैं समझता हूं कि सरकार के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह एक ऐसा निदेश जारी करें कि उन्हें स्नातकोत्तर योग्यता अथवा ··से छूट दी जानी चाहिए···।

श्री ए० चार्ल्स : क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूं ? यह परामर्श के रूप में हो सकता है।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं माननीय सदस्यों के विचार संघ लोक सेवा आयोग तक पहुंचा दूंगा। यह अधिकार वास्तव में केवल संघ लोक सेवा आयोग को ही प्राप्त है कि उपयुक्त मामलों में योग्यताओं में छूट दे।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि इंजीनियरिंग, चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में आदिवासी और हरिजनों के कैंडीडेट्स बहुत कम मिलते हैं। मंत्री जी ने तीन माध्यम बताए हैं विज्ञापन के और प्रचार के। एक तो समाचार पत्र है और दूसरे भारतीय दूतावासों को भेजा जाता है। और यह जो कमिश्नर आफ शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स है, इनको भेजा जाता है। अभी अध्यक्ष जी हमने दौरा किया था नार्थ ईस्ट का वहां हमने देखा कि इन क्षेत्रों के अलावा जो दूसरे सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं वे भी शेड्युल्ड ट्राइब्स में नहीं मिलते। क्लास थ्री, क्लास फोर के उम्मीदवार नहीं मिलते। मुझे ऐसा लगता है कि इसका ठीक से प्रचार-प्रसार नहीं हो पाता। इसको थोड़ा टाइम मिलता है। क्या मंत्री जी इसका प्रचार करने के लिए ज्यादा टाईम देंगे और कोई दूसरी एजेन्सी इवोल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आदिवासी क्षेत्रों में इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो और हम लोगों तक भी यह पहुंचे और हम लोग भी कोशिश कर सकें।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : यह देखने के लिए कि देश के दूरस्थ स्थानों पर भी जानकारी पहुंचे लोक सेवा आयोग कई कदम उठाता रहा है। मैंने अपने वक्तव्य में 171 समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाने, विदेशों में दूतावासों और मिशनों में विज्ञापनों की प्रतियां भेजने और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय सहित इस क्षेत्र में विभिन्न अधिकारियों और संस्थाओं से संपर्क करने का उल्लेख किया है। हाल ही के वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग ने एक दूसरा तरीका अपनाया है अर्थात् प्रत्येक विषय और स्तर के लिए हम एक सूची तैयार करते हैं जिसे 'व्यक्तिगत संपर्क सूची' कहते हैं और इस सूची में दर्ज व्यक्तियों को आवेदकों को आवेदन करने का प्रोत्साहन देने और भेजने के लिए लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर रसायन शास्त्र की योग्यता वाले एक पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों रसायन शास्त्र के प्रोफेसरों एवं विभिन्न प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की एक सूची तैयार की है और वह अभ्यार्थियों को भेजने के लिए इनको लिख देता है। मेरे विचार से इससे तथा उठाये जाने वाले और कदमों से हम इस प्रवृत्ति में कमी ला सकेंगे। इसमें कमी आ रही है और हमें आशा है कि अगले कुछ वर्षों में बकाया खाली पद नहीं रहेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : पंडित जवाहर लाल नेहरू के शासन काल में सरकार ने ऐसे उन व्यक्तियों को जो उन पदों के लिए आवेदन करने और प्रतियोगिता में बैठने के इच्छुक ये विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने का वायदा किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उसी नीति का अनुसरण कर रही है और यदि हां तो क्या इस दिशा में उन्होंने कोई प्रगति की है ?

श्री पी० चिदम्बरम : सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले व्यक्तियों के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या अन्य परीक्षाओं के लिए इस प्रकार के केन्द्र हैं मैं पता लगाऊंगा और माननीय सदस्य को सूचित करूंगा।

महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद

*376 **डा० दत्ता सामंत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों को बैठकें आयोजित कराकर दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद हल करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अब तक ऐसी कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं; और

(ग) क्या सरकार इस मामले को हल करने के लिए रायशुमारी कराने पर विचार कर रही है ?

गृह मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) भारत सरकार का सदैव यह विचार रहा है कि यह विवाद केवल संबंधित राज्य सरकारों के ऐच्छिक सहयोग से हल किया जा सकता है। केन्द्र सरकार उनके द्विपक्षीय विचार-विमर्श के संबंध में दोनों राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए रखती है। समस्या का कोई परस्पर स्वीकार्य हल निकालने में यथा अपेक्षित केन्द्रीय सहायता दी जायेगी।

डा० दत्ता सामंत : मैं इस सभा में इस उत्तर को पिछले कई वर्षों से सुन रहा हूं। समस्या इस प्रकार है। कर्नाटक में 814 मराठी-भाषी गांवों और कस्बों को महाराष्ट्र में 250 कन्नड़ भाषी गांवों और कस्बों को शामिल कर दिया गया है। हम तो सिर्फ संतुलित समायोजन के लिए कह रहे हैं।

इसके सिवाय हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र के प्रति अन्याय किया गया है। अब तक, इस सभा ने महाजन आयोग की शिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है और पहले भी सभी प्रधानमन्त्रियों ने इस बात को दोहराया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस बात पर जब भी चर्चा हुई है ऐसा कहा गया है कि इसे दो मुख्य मन्त्रियों के बीच चर्चा के लिए छोड़ देना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने तीन अथवा चार बार बात करने का कष्ट उठाया है। अब कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने साफ इन्कार कर दिया है और एक वक्तव्य जारी किया है कि आपसी बैठकों से कुछ भी हल नहीं निकलेगा, वह महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के साथ इस समस्या पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। यहां तक कि माननीय गृह मन्त्री ने इस मामले के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री से मिलने का प्रयास किया है। जहां तक मुझे पता है उन्होंने इस मामले के संबंध में मिलने से इन्कार कर दिया है। इस प्रकार, बेलगांव और धारवाड़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भावनाओं के साथ क्या गुजरता होगा ? कब तक सरकार प्रतीक्षा करेगी ? मेरा तो यह सुझाव है कि आपकी इस तथाकथित पवित्र विचार धारा पर कुछ समय की पाबन्दी लगाए कि कुछ न कुछ हल तो निकल ही आएगा। दो मुख्य मंत्रियों के बीच चर्चा के सम्बन्ध में क्या आप कुछ समय सीमा रखने जा रहे हैं ? यदि नहीं तो क्या आप सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों को महाजन समिति प्रतिवेदन का अध्ययन करने के लिए नियुक्त करेंगे और गांव को एक इकाई मान कर सीमा की समीपता तथा जनमत को ध्यान में रखते हुए नई सिफारिशें देंगे ? क्या आप इस तरह की किसी बात पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह एक पवित्र प्रश्न है अथवा अपवित्र प्रश्न हैं ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, श्री दत्ता सामंत एक विख्यात सदस्य हैं और जब इस सभा में हम उनके भाषण पर कोई रोक नहीं लगा सकते तो आप दो मुख्य मंत्रियों पर समय सीमा कैसे लगा सकते हैं ? हम अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री दोनों मुख्य मंत्रियों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक अच्छी बात है कि हमारे माननीय सदस्य चाहते हैं कि जो कई झगड़े वर्षों से यहां पर हैं, उन सभी का इस वर्ष के दौरान समाधान हो जाये।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : परन्तु वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : परन्तु महोदय, हमारे प्रयास जारी हैं और हमारे गृह मंत्री पहले से ही इन दो मुख्य मंत्रियों से सम्पर्क बनाये हुए हैं। उनको मनाने का प्रयास जारी है। जैसे भी संभव हो इनमें आपस में समझौता होना चाहिए।

डा० दत्ता सामंत : महोदय, तीन वर्ष गुजर गये हैं, परन्तु फिर भी ये दो मुख्य मंत्री आपस में नहीं मिल रहे हैं। अब भी, माननीय मंत्री से वही उत्तर दे रहे हैं। मेरी बात सिर्फ यह है कि सीमा वर्ती लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या आप इस एक समय सीमा निर्धारित करते हुए अथवा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हुए, समाधान करने जा रहे हैं ? सारा झगड़ा बेलगांव शहर से सम्बन्धित है। दूसरे गांवों के सम्बन्ध में कोई भी विवाद नहीं है। मराठी भाषी लोग पुराने बेलगांव तथा नये बेलगांव में हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या आप ऐसे समाधान पर विचार करने जा रहे हैं ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह सच नहीं है कि मुख्य मंत्री नहीं मिल रहे हैं। दोनों मुख्य

मन्त्री 30 जुलाई, 1983 से मिल रहे हैं। इसके पश्चात् वे 14 अप्रैल, 1984 और 9 दिसम्बर, 1984 को मिले।

(व्यवधान)

उनकी चर्चा जारी है। उनकी समस्यायें भी साथ की साथ चल रही है। जैसे कि श्री दत्ता सामन्त चाहते हैं, हमारे गृह मन्त्री उनको एक बार फिर इकट्ठे बैठ कर चर्चा करने के लिए कहेंगे।

श्री मधु सूदन वैराले : महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछली बारी प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमन्त्री से मिला था और उनको यह आश्वासन दिया गया था कि इस सम्बन्ध में विभिन्न कदम उठाए जायेंगे। अब महोदय, यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि कर्नाटक के मुख्य मन्त्री विरोध पक्ष के हैं इसलिए केन्द्र अधिक ढील देकर उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। हम गृह मंत्रालय से अनुरोध करते हैं कि वह कर्नाटक के मुख्य मंत्री को विवाद को यथाशीघ्र निपटाने के लिए और अधिक उचित दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी करें। क्या माननीय मंत्री इस पर गौर करेंगे ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया, शांति बनाये रखें।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी भी माननीय सदस्य को कुछ कहने के लिए अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, एक प्रतिनिधि मण्डल प्रधान मंत्री से मिला है। काफी चर्चा के बाद प्रधानमन्त्री ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि एक व्यवहार्य समाधान की जरूरत है न कि थोपे गये समाधान की। इसलिए, हम एक व्यवहार्य समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य वही प्रश्न बार-बार क्यों पूछते हैं। हम अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न करेंगे।

श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या मैं इस बारे में जान सकता हूं कि किसके कहने पर महाजन आयोग नियुक्त किया गया था, महाजन आयोग की रिपोर्ट कब आयी थी, किसने इसका बिलकुल भी आदर नहीं किया और अब महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमावर्ती जिले में गड़बड़ी पैदा करने का प्रयास कौन कर रहा है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : आप फिर पुराने महाजन आयोग रिपोर्ट पर जा रहे हैं जबकि हम एक समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री एस० एम० गुरड्डी : मैंने तो सिर्फ यह पूछा था कि किस के कहने पर महाजन आयोग का गठन किया गया था। मैं एक सीधा उत्तर चाहता हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महाजन आयोग की नियुक्ति का एक लंबा इतिहास है···(व्यवधान)

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्योंकि विचारों का मतभेद है इसलिए हम एक व्यवहार्य समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं।

(व्यवधान)

डा० डी० एन० रेड्डी : देश के विभिन्न राज्यों के बीच कोई भी विवाद—चाहे सीमा विवाद अथवा नदी विवाद अथवा भाषा विवाद हो—यह राष्ट्रीय अखंडता की धारणा के विरुद्ध एक बहुत बड़ी रुकावट है। क्या सरकार मतभेदों को समाप्त करने और एक ऐसा नियम बनाने के लिए जो दोनों राज्यों के लिए बाध्य हो सर्वोच्च न्यायाधीशों की अध्यक्षता में स्थायी समितियां नियुक्त करने पर विचार करेगी ? इनमें से अधिकतर मामलों से मद्दी हिंसा होती है। इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। क्या सरकार इस तरह विचार करेगी ताकि ये विवाद वर्षों तक लटके न रहें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यद्यपि यह पूर्णतया इस प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है परन्तु यह एक सुझाव है जिस पर विचार किया जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, कोई भी विवादास्पद मामला उठाये बिना, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि—क्योंकि यह एक बहुत नाजुक मामला है, मैं कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी तो आपको अनुमति मिल जाएगी।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : जो कुछ मैं कह रहा हूं वह उनको सुनने दीजिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात पर बल देने में दिलचस्पी रखते हैं और वह अपनी बात पर। (व्यवधान)। आपको भी अवसर मिलेगा, चिंता मत कीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : बिना किसी विवाद के मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह वास्तविक है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोग यह अनुभव करते हैं कि इस मामले को इसीलिए नहीं निपटाया जा रहा है क्योंकि यह केन्द्र का वैधानिक उत्तरदायित्व है जिसने स्थिति को बिगाड़ दिया है। इसलिए क्या केन्द्र मामले को निपटाकर अपना वैधानिक उत्तरदायित्व पूरा करेगा ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : जहां तक केन्द्र के वैधानिक उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है हम इस बारे में अपने उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे। हम कर्नाटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को स्वतन्त्र रूप से और पूरा अवसर प्रदान करना चाहते हैं जिससे कि कोई व्यवहार्य हल निकल सके। यदि कोई व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व से जी चुरा रहा है, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो वह हैं जनता पार्टी के मुख्य मंत्री जो वहां शासन कर रहे हैं और जिनकी एक विचित्र स्थिति है। अखिल भारतीय पार्टी के अध्यक्ष, सदन में उनके नेता और राज्य के मुख्यमंत्री के विचारों में एकरूपता नहीं है। मैं माननीय सदस्य से अपील करता हूं·····

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राज्य कांग्रेस आई के अध्यक्ष का अभी भी यही मत है ? (**व्यवधान**) जनता पार्टी के अध्यक्ष इस सदन के सदस्य नहीं है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं यही बात कहना चाहता हूं ।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री दण्डवते इस मुद्दे के बारे में मुझसे कई बार मुलाकात कर चुके हैं । मैं चाहूंगा कि वे मुझसे मुलाकात करना जारी रखें । उनके लिए सदैव दरवाजे खुले हैं परन्तु साथ ही मैं उनसे यह भी अनुरोध करूंगा कि वे अपने साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कर्नाटक में जनता पार्टी के मुख्य मंत्री को भी अपने साथ लाएं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य हमें किसी अन्य बात का उल्लेख करने से बचना चाहिए । (**व्यवधान**)

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, महाराष्ट्र राज्य के आग्रह पर ही महाजन आयोग की नियुक्ति की गई थी और सम्बन्धित सभी तीनों राज्यों अर्थात् कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल ने यह उत्तरदायित्व लिया था कि वे महाजन आयोग के निर्णय से बाध्य रहेंगे । मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि उनके उत्तरदायित्व लेने के बावजूद भारत सरकार ने अभी तक महाजन आयोग के निर्णय को क्रियान्वित क्यों नहीं किया है ? भारत सरकार के पास इसके अलावा दूसरा चारा नहीं है कि सभी सम्बन्धित राज्यों को महाजन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने के निर्देश दिए जाएं । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार सभी सम्बधित राज्यों को महाजन आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए निर्देश देने के लिए तैयार है ?

श्री सरदार बूटा सिंह : महोदय, मेरे माननीय मित्र ने प्रश्न का उत्तर देते समय भारत सरकार की स्थिति को जोरदार शब्दों में स्पष्ट कर दिया है ।

दमण और दीव के लिए कर्मचारियों की भर्ती

*377. **श्री शांताराम नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमण और दीव के सरकारी कर्मचारियों को गोआ सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव को सरकार दोनों में से किसी एक के अधीन सेवा करने का विकल्प दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय गोआ सरकार के कुछ कर्मचारी संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव की सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ङ) क्या इन्हें गोआ में शीघ्र स्थानांतरित करने के अनुरोध को संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव में कर्मचारियों की कमी होने के कारण लम्बिक रखा गया है; और

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में आवश्यक संख्या में कर्मचारी नियुक्त करने के लिए किए गए प्रबन्ध का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (च) तक एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (च) तक : गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का सं० 18) के भाग VIII में निहित धारा 59 से 62, नये राज्य गोवा और नये संघ शासित क्षेत्र दमण और दीव के सेवा मामलों में प्रयुक्त होता है उक्त अधिनियम में ऐसा कोई विशेष उपबन्ध नहीं है जिनके अनुसार कर्मचारियों से नये राज्य गोवा अथवा संघ शासित क्षेत्र दमण और दीव में उनको अंतिम रूप से आबंटित किए जाने के लिए कोई विकल्प मांगना अपेक्षित हो। तथापि, निर्धारित दिवस से पहले, तत्कालीन संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमण और दीव ने कर्मचारियों से उनकी तरजीह प्राप्त कर ली थी ताकि उन कर्मचारियों की संख्या मालूम हो जाए जो दमण और दीव से नये राज्य गोवा और विलोमतः स्थानान्तरित होना चाहते थे। इसके अनुसरण में लगभग 52 कर्मचारियों जिन्होंने गोवा का विकल्प दिया था, को दमण और दीव संघ शासित क्षेत्र से गोवा में स्थानान्तरित कर दिया गया है। उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन से कर्मचारियों का सम्बन्धित राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में अन्तिम रूप से आबंटन करते समय उनकी तरजीह को ध्यान में रखा जाता है। यदि आवश्यकता हुई तो एक सलाहकार समिति भी गठित की जाएगी जो अन्तिम आबंटनों के बारे में निर्णय करेगी तथा इससे सम्बन्धित अभ्यावेदनों पर विचार करेगी। इस कार्य के पूरा होने के बाद यदि कुछ रिक्तियां हुई तो उन्हें भरने के लिए भर्ती नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

श्री शान्ताराम नायक : गोवा, दमण और द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 की धारा 59 (2) में व्यवस्था है :

> "गोवा राज्य काडर की संख्या और संरचना नियत दिन से ही ऐसी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से आधारित की जाए।"

गोवा के सेवा सम्बन्धी मामलों की देखरेख के लिए मन्त्रणा समिति के गठन का भी प्रावधान है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन मन्त्रणा समितियों की नियुक्ति कब की जायेगी, इनका गठन कैसा होगा और यह क्या कार्य करेंगी ?

श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही : महोदय माननीय सदस्य श्री शान्ताराम नायक अपने पूरक प्रश्नों में सदैव सकारात्मक रवैया अपनाते हैं। उस आदेश के अनुसार ही हम जल्दी ही मन्त्रणा समिति का गठन कर रहे हैं। शीघ्र ही इसकी सदस्यता और गठन के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

श्री शान्ता राम नायक : महोदय जब गोवा राज्य संवर्ग का निर्माण किया जाएगा तो यह स्वाभाविक है कि सम्बन्धित क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारियों का उस संवर्ग में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सम्पूर्ण भारत में हमारे केवल तीन आई० ए० एस० अधिकारी है। दो आई० ए० एल० अधिकारी महाराष्ट्र सरकार में है और एक तमिलनाडु सरकार की सेवा में है। संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग में केवल एक ही अधिकारी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि यदि वे गोवा संवर्ग में सेवा करने के इच्छुक हों तो उनकी सेवाएं, चाहें वे प्रतिनियुक्ति आधार पर ही ऐसा किया जाए, क्या गोआ सरकार के लिए उपलब्ध होंगी ?

अध्यक्ष महोदय : नायक महोदय, मैं इस बारे में आपसे सहमत नहीं हूं। परस्पर आदान-प्रदान किया जाना चाहिए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : श्री नायक, आप गोवा में नए आई० ए० एस० अधिकारी क्यों नहीं चाहते ?

श्री सीताराम जे० गावली : महोदय गृह मंत्री की दादरा और नगर हवेली के लिए मंत्रणा समिति की 20 अक्तूबर 1987 को आयोजित सभा में यह निर्णय लिया गया था कि क्योंकि दादरा और नगर हवेली तथा दमण और द्वीव छोटे और पड़ौसी संघ राज्य क्षेत्र हैं, अतः वचत और कुशलता के लिए सरकारी कर्मचारी एक संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे में परस्पर स्थानान्तरणीय होने चाहिए।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है और इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा।

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही : इस बारे में विचार किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री की श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ वार्ता

*378. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा और विदेश नीति सम्बन्धी प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौते के बारे में वार्ता की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : महोदय, नि:संदेह यह सरकार का विशेषाधिकार है कि यदि वह चाहे तो सदन को कोई जानकारी न दे। पपिछले मास जब श्रीलंका के राष्ट्रपति दिल्ली से गुजरे तो उन्होंने सरकार के साथ सर्वोच्च स्तर पर कुछ बातचीत की। इस बात को व्यापक रूप से प्रभावित किया गया कि द्विपक्षीय सन्धि के लिये श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा लाये गये किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया। अब यह जानकारी सही भी हो सकती है और नहीं भी कि क्या वह अपने साथ कोई प्रस्ताव लाए जिन किन्हीं कारणों से विचार नहीं किया गया था इस पर इसलिये विचार नहीं किया गया कि हमारी सरकार ने इसे विचार करने योग्य नहीं समझा या इसके लिये पर्याप्त समय नहीं था। किन्तु, मैं तत्कालिक मुद्दों, जिनमें हम इस समय बुरी तरह से फंसे हुए हैं—श्रीलंका में तमिल अधिकारों का प्रश्न, वहां पर लड़ाई रोकने का प्रश्न, जिनका मैं अभी जिक्र नहीं करूगा, मैं देश के दीर्घकालिक सुरक्षा हितों के बारे में जानना चाहता हूं। मेरा सवाल मुख्यत: देश के दीर्घविधिक सुरक्षा हितों के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्री लंका के एक मन्त्री—मैं इस समय उनका नाम भूल गया हूं—ने एक वक्तव्य जारी किया है जिसमें कहा गया है कि काफी बातचीत हुई है, हमने भारत सरकार को यह आश्वासन दिया है कि यह जो विदेशी तत्व श्रीलंका में लाए गये हैं, इन्हे बाहर निकाला जायेगा और बाद में उन्होंने कहा कि यह सब गलत है। यह लोग, चाहे भाड़े के ब्रिटिश टट्टू हो या इजरायली, यहीं पर रहेंगे। यह एक प्रकार से अवज्ञापूर्ण वक्तव्य था। अब हम यह नहीं जानते यह सदन नहीं जानता कि किस प्रकार के आश्वासन यदि कोई दिया गया भी था भविष्य में श्रीलंका द्वारा विदेशी तत्वों और ताकतों, जो निश्चित रूप से हमारे प्रति आक्रामक हैं और जिनकी उपस्थिति इस क्षेत्र की दीर्घविधिक सुरक्षा और शान्ति में सहायक नहीं है के साथ मेल जोल न रखने के बारे में दोनों सरकारी के बीच हुई विभिन्न वार्ताओं के दौरान मौखिक रूप से व्यक्त किये गये।

इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस दीर्घविधि सन्धि के बारे में सही स्थिति क्या है। क्या

हमारी सरकार यह वांछनीय समझती है कि श्री लंका के साथ एक द्विपक्षीय दीर्घावधि सन्धि की जाये जिसके अन्तर्गत रक्षा तथा विदेशी मामलों को लिया जाये। यदि हां, तो क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री के० नटवर सिंह : माननीय सदस्य की ही तरह मैं शब्दों का प्रयोग बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहता हूँ। एक राजनयिक के रूप में कार्य करने के कारण, मैं कहूंगा कि एक राजनयिक सही-सही परिभाषा यह है : राजनयिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कुछ भी न कहने से पहले दो बार सोचता है।

मैं आपकी बात का उत्तर अत्यन्त सावधानी पूर्वक दूंगा। आपने जिस सन्धि का उल्लेख किया है उसके संबंध में श्रीलंका के माननीय राष्ट्रपति द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया। श्री जैमिनी दिसनायके के वक्तव्य के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि यह एक काफी लम्बा साक्षात्कार था। श्रीलंका समझौते, जिसके वह प्रमुख निर्माताओं में से एक थे, को उन्हें पूरा समर्थन दिया है। जब एक समाचार विशेष के संवाददाता ने उनसे श्रीलंका में बाहरी तत्वों की उपस्थिति के बारे में जोर देकर प्रश्न किया तो उन्होंने कुछ टिप्पणियां कीं। हमने सोचा कि शायद यह टिप्पणियां न की गई हों। हमने उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया, किन्तु इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। मैं यही कहने का प्रयत्न कर रहा हूं। यदि आप समझौते के साथ संलग्न पत्रों को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि उसमें इस बात का उल्लेख है कि इन बाहरी तत्वों को श्रीलंका से बाहर निकलना होगा। हम इस विषय में श्रीलंका से सम्पर्क बनाये हुए है। जहां तक सन्धि के प्रमुख प्रश्न का सम्बन्ध है यह एक परिकल्पनात्मक मामला है। मैं इस बारे में आपके द्वारा आश्वासन मांगे जाने की केन्द्र करता हूं किन्तु मैं एक कल्पित विषय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता ?

श्री इन्द्र जीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रकार भी द्विपक्षीय सन्धि के लिये कार्य करने की संभावना या वांछनीयता से बिल्कुल इन्कार कर दिया है या वह वर्तमान स्थिति और समय को इसके लिये उपयुक्त नहीं समझते क्योंकि हम और समस्याओं में उलझे हैं और फिलहाल वहां की समस्या हल होती प्रतीत नहीं होती। यह कारण है या सिद्धान्त रूप से इन दोनों देशों जो गुट निरपेक्ष है, पड़ौसी है, एक दूसरे के बहुत निकट है, ने किसी भी दीर्घावधिक रक्षा और मित्रता या सहयोग सन्धि की परिकल्पना से इन्कार कर दिया है ?

श्री के० नटवर सिंह : मैं जितनी सावधानीपूर्वक उत्तर दे सकता हूँ, दूंगा। श्री लंका सरकार के साथ इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है हालांकि समाचार पत्रों ने इसका अनुमान लगाया है। माननीय सदस्य के इस प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है कि क्या भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था है या नहीं, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता यह एक काल्पनिक प्रश्न है। जब भी इस प्रकार का प्रस्ताव होगा हम इस पर सावधानीपूर्वक विचार करेंगे और अपने क्षेत्रों के हिता को ध्यान में रखेंगे।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : श्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति श्री जयवर्धन के बीच जो समझौता हुआ वह दूसरों के लिए आदर्श था क्योंकि पहली बार दो गुट-निरपेक्ष देशों ने युद्ध का मार्ग अपनाये बिना, बातचीत द्वारा यह समझौता किया। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मन्त्री तथा राष्ट्रपति श्री जयवर्धन के बीच तो बातचीत हुई क्या वह हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों

को सुधारने और एक ऐसा आधार तैयार करने के लिये जारी है जो एक लम्बे समय तक अन्य देशों के लिये आदर्श होगी।

श्री के० नटवर सिंह : मैं केवल यही कह सकता हूं कि मैं श्री भाटिया से पूरी तरह सहमत हूं। यह समझौता बहुद्देशीय है। यह समझौता द्विपक्षीय था किन्तु इसमें श्रीलंका की स्वतंत्रता, एकता, प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता की गारंटी दी गई है। इस समझौते का उद्देश्य हमारे तमिल भाइयों और बहनों को उचित स्थान दिलाना है जो उन्हें नहीं दिया गया था। इसमें हमारी सुरक्षा और पर्यावरण की समस्याओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसीलिए हमने यह समझौता किया है और इसीलिए इसे अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ है। यह दो गुट निरपेक्ष, प्रभुसत्ता सम्पन्न, स्वतंत्र देशों के बीच एक विशेष प्रकार का समझौता है।

श्री डी० जी० स्वैल : इस बात पर ध्यान दिए बिना कि राष्ट्रपति अपने साथ कोई प्रस्ताव लाए हैं या नहीं, इस प्रकार के समझौते के लिए प्रधानमन्त्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच पत्रों का आदान-प्रदान हुआ होगा जिससे 29 जुलाई के समझौते का आधार तैयार हुआ होगा। आप एक राजनयिक हैं। आपको कुछ अंग्रेजी आनी चाहिए? आप समझते क्यों नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसे दोनों देशों के बीच सम्पूर्ण विदेश नीति और रक्षा समझौते का रूप दिये जाने में कोई आधारभूत आपत्ति थी।

श्री के० नटवर सिंह : आप एक राजदूत रह चुके हैं और आप इसका उत्तर जानते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम उत्तर चाहते हैं। उत्तर क्या है? सदन को उत्तर जानने का अधिकार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शोर क्यों करते हैं? गर्म होने की कौन सी बात होती है, आप कहते तो वैसे ही हो जाता।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, उनका प्रश्न अत्यंत विशिष्ट है और मंत्री जी को इसका उत्तर देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री के० नटवर सिंह : मैंने माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में पहले ही कहा है कि यह एक काल्पनिक प्रश्न है। यह सीधे पूछा जाता है तो हम अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करेंगे। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता।

श्री पी० कुलनदेई बेलु : महोदय, राष्ट्रपति जयवर्धन ने 'दक्षेस' की बैठक में भाग लेने के लिए आने से पूर्व श्रीलंका में कहा था कि वह और हमारे प्रधानमन्त्री 29 जुलाई, 1987 के समझौते में एक अनुबन्ध जोड़ने जा रहे हैं। किन्तु, भारत सरकार द्वारा यह कह कर इन्कार किया गया कि समझौते में कोई अनुबंध नहीं जोड़ा जा रहा। किन्तु उन्होंने बाद में कहा कि वास्तव में, जहां तक

रक्षा और विदेश नीतियों का सम्बन्ध है श्रीलंका सरकार अनुबंध जोड़ने के लिए कह रही है। तत्पश्चात् जब वह 5 नवम्बर, 1987 को दिल्ली आए उन्होंने समाचार पत्रों को स्वयं बताया कि वास्तव में श्रीलंका सरकार, भारत सरकार के साथ यदि द्विपक्षीय नहीं, तो एक त्रिपक्षीय समझौता करना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सच है या नहीं।

श्रीलंका के प्रधानमन्त्री श्री प्रेमदास और सुरक्षा मंत्री ललितमुदाली द्वारा 29 जुलाई, 1987 के समझौते की आलोचना की गई है। यह आज के समाचार पत्र में भी है। मैं इसे यहां उद्धृत करता हूं :

"यह कहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है समझौता समाप्त हो गया है" आगे कहा गया है

"भारतीय शांति सेना जिसे जाफना के लोगों की रक्षा के लिए भेजा गया था, उसकी जाफना के ही लोगों द्वारा आलोचना की जा रही है।"

इस प्रकार न केवल प्रेमदास ने बल्कि अथुलारमुदाल ने भी इस समझौते की आलोचना की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार यह देखने के लिए कोई कदम उठा रही है कि 29 तारीख का समझौता कार्यान्वित किया गया है या नहीं ?

एक माननीय सदस्य : वह राजदूत नहीं है, इसलिए कृपया उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री के० नटवर सिंह : आपके प्रश्न का अन्तिम भाग भारत श्रीलंका समझौते के बारे में है। हम जिस प्रश्न पर बहस कर रहे हैं वह श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा भारत-श्रीलंका रक्षा सन्धि के बारे में उठाया गया है।

आपके पहले प्रश्न के बारे में, जैसा कि मैंने पहले कहा है भारत और श्री लंका के बीच रक्षा-संधि पर हस्ताक्षर करने का प्रश्न राष्ट्रपति जयवर्धन के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत के दौरान नहीं उठाया गया, जब वह काठमांडू से लौटते हुए दिल्ली रुके थे।

अब आपने जो वक्तव्य समाचार पत्रों में पढ़ा है, वह एक अलग प्रश्न के बारे में है और मैं नहीं समझता कि मुझे इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। इस पर हमारा अपना दृष्टिकोण है, किंतु रक्षा संधि के जिस प्रश्न पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, वह इससे संबंधित नहीं है।

श्री सुरेश कुरुप : समझौते के उपबन्धों के अनुसार श्रीलंका सरकार ने हाल ही में प्रशासनिक परिषद् विधेयक पारित किया। जहां तक मैं समझता हूं भारत सरकार ने इस विधेयक के कुछ उपबंधों पर अपना असंतोष व्यक्त किया हैं। उदार तमिल जनमत भी इस विधेयक के उपबंधों के विरुद्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार का विचार इस विधेयक में निहित उपबंधों के संबंध में श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत रखने का है ?

श्री के० नटवर सिंह : प्रश्न संख्या 378 बिल्कुल स्पष्ट है :

(क) "क्या प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा और विदेश नीति संबंधी प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौते के बारे में वार्ता की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

और मेरा उत्तर है :

"(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।"

अब आपने जो प्रश्न पूछा है, वह भारत-श्रीलंका समझौते के बारे में है। आप मुझसे अगली बार यह प्रश्न पूछें, मैं पूरा ब्यौरा दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पश्चिम राजस्थान में भूमिगत जल भंडार

*379. **श्री तम्पन्न थामस** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर के निकटवर्ती शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल भंडार का पता लगाया गया है;

(ख) क्या इन जल संसाधनों का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले सहित बहुत से जिलों में सक्षम भूजल क्षेत्रों का निरूपण किया गया है।

(ग) जी, हां। जैसलमेर जिले की आपूरणीय भूजल संसाधन क्षमता 143.2 मिलियन घन मीटर प्रति वर्ष आंकी गई है। पश्चिमी राजस्थान के शेष जिलों नामशः जालोर, बाड़मेर बीकानेर, सीकर, चुरू, झुन्झुनु, जोधपुर, नागौर, पाली, तथा श्री गंगानगर की कुल मिलाकर भूजल क्षमता लगभग 4400 मिलियन घन मीटर प्रति वर्ष होने का अनुमान है।

पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ चीन की सड़कें

*380. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** :

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान की सीमा के साथ-साथ चीन की सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सरकार को चीन पाक सीमा के निकट चीन की ओर से होने वाले सड़क-निर्माण की कार्यवाही की जानकारी है।

(ख) सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका देश की सुरक्षा पर असर पड़ सकता हो। काराकोरम राजमार्ग के निर्माण और खुंजेराब दर्रा खुल जाने पर सरकार ने चीन और पाकिस्तान की सरकारों से बार-बार विरोध प्रकट किया है। पाकिस्तान के गैर-कानूनी कब्जे वाले भारतीय इलाके के किसी हिस्से में पाकिस्तान द्वारा सड़क-निर्माण में चीन की सहायता के सवाल पर भारत की स्थिति को इन विरोधों के द्वारा बहुत ही स्पष्ट किया जा चुका है।

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत "अभिहित न्यायालयों की स्थापना

*381. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 9 के अन्तर्गत अपेक्षित "अभिहित न्यायालयों की स्थापना की दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार अभिहित न्यायालयों की स्थापना की स्थिति निम्न प्रकार से है।

उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के नाम जिन्होंने अभिहित न्यायालयों की स्थापना के बारे में सूचित किया है।	
1. आन्ध्र प्रदेश	टी० ए० डी० ए० अधिनियम 1987 के अधीन जिला मुख्यालय में सभी सत्र न्यायालयों को अभिहित न्यायालय घोषित किया गया है।
2. जम्मू और कश्मीर	2
3. गोवा	1
4. हरियाणा	4
5. मणिपुर	1
6. पंजाब	4
7। राजस्थान	1
8. उत्तर प्रदेश	3
9. चण्डीगढ़ प्रशासन	1
10. दिल्ली प्रशासन	3

उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के नाम जिन्होंने यह सूचित किया है कि अभिहित न्यायालयों की स्थापना नहीं की गई है।

1. बिहार
2. तमिलनाडु
3. त्रिपुरा
4. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
5. लक्षद्वीप
6. पांडिचेरी

शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना की प्रतीक्षा है।

दूतावासों के माध्यम से की गई खरीद की पुनरीक्षा

*382. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेश में दूतावासों के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों के लिए प्राप्त की गई वस्तुओं की खरीद और निरीक्षण की वर्तमान व्यवस्था की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या वर्तमान व्यवस्था को असंतोषजनक पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो यदि सरकार का इस व्यवस्था में फेर-बदल करने का कोई प्रस्ताव है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार से विचाराधीन नहीं है ।

(ख) जी, नहीं । मौजूदा व्यवस्था से संतोषजनक ढंग से काम चल रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

असम में विदेशियों का पता लगाना

*383. **श्री सुवर्तन दास :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कितने विदेशियों का पता लगाया है और कितनों को उनके देश वापिस भेज दिया गया है;

(ख) कितने मामले न्यायाधिकरण को सौंपे गए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि असम में विदेशियों का पता लगाने की प्रक्रिया के दौरान भारतीय नागरिकों को तंग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में भारतीय नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) विदेशियों के नाम पर कितने व्यक्तियों को बंगलादेश वापिस भेजा गया और क्या वापिस भेजे गये व्यक्तियों को बंगलादेश की सरकार को सौंपा गया था अथवा नहीं; और

(च) यदि नहीं, तो उन व्यक्तियों की स्थिति क्या है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटासिंह) : राज्य सरकार के अनुसार असम से असम समझौते से सितम्बर, 1987 तक 3637 विदेशियों को निष्कासित किया गया है ।

(ख) सितम्बर, 1987 तक 15292 मामले विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण को तथा 8094 मामले अवैध आप्रवासी (निर्धारण) न्यायाधिकरण को भेजे गए हैं ।

(ग) और (घ) असम में विदेशियों का पता लगाने की प्रक्रिया में भारतीय नागरिकों को तंग करने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इन शिकायतों को उपयुक्त उपचारी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है । भारतीय नागरिकों के अधिकारों को रक्षा और किसी प्रकार के उत्पीड़न को रोकने की आवश्यकता के लिए राज्य सरकार पर जोर दिया गया है ।

(ङ) और (च) उक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विदेशियों को सीमा पार वापस भेज दिया गया ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

*384. **श्री मानकूराम सोढी** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की उन माध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम और संख्या क्या हैं जो स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में पृथकत: इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश से प्राप्त 10 बृहद तथा 5 मध्यम परियोजनाओं पर टिप्पणियां उनकी अनुपालना हेतु भेज दी गई हैं । ये परियोजनाएं निम्नवत् हैं :

बृहद परियोजनाएं

1. अर्पा
2. बारगी बहुप्रयोजनी
3. कोलार
4. ओमकेश्वर
5. धनवर टैंक
6. पेंच दयस्यवर्तन
7. राजघाट नहर
8. नर्मदा सागर
9. महान
10. मान

मध्यम परियोजनाएं

1. बाह
2. सुतीपात
3. गेज
4. बरखर
5. महुजर

[अनुवाद]

धर्म को राजनीति से अलग रखना

*385. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धर्म को राजनीति से अलग रखने के लिये एक विधेयक पुर: स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्री (सरदार बूटासिंह) : (क) तथा (ख) राजनीति से धर्म को अलग करने का प्रश्न एक संवेदनशील मामला है। सरकार इस मामले पर विभिन्न दृष्टिकोणों से गहराई से विचार कर रही है।

कृत्रिम वर्षा

386. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम वर्षा के सम्बन्ध में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 1975 में तैयार की गई महत्वाकांक्षी परियोजना अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई है;

(ख) क्या 10 करोड़ के वित्तीय परिव्यय से कृत्रिम वर्षा सम्बन्धी परियोजना के समाचारों से यह आशा बंधी थी कि अमरीका और सोवियत संघ की भांति कृत्रिम वर्षा से पीने का पानी प्राप्त हो सकेगा और पन बिजली का उत्पादन हो सकेगा; और

(ग) इस समाचार की मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में कौन से कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

पर्यटन और नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा वर्षा कराने के प्रयोग के सम्बन्ध में स्थापित कार्यकारी दल की अगस्त, 1974 में एक रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि 5वीं और छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 10.5 करोड़ रुपये के वित्तीय व्यय से 9 वर्षों में एक भारतीय मौसम संशोधन संगठन स्थापित किया जाए।

(ख) और (ग) मौसम संशोधन के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं।

रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें हवाई मेघ बीजन, गतिकीय मेघ बीजन, ओला दाब, कुहरा परिक्षेपण, आदि द्वारा वर्षावृष्टि बढ़ाने के लिए प्रोटोटाइप तकनीक का विकास करने हेतु एक भारतीय मौसम संशोधन एजेंसी की स्थापना करना है। इसमें अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों में मेघ भौतिकी और माडलिंग में मूल-अनुसंधान के संवर्धन की भी सिफारिश की गयी।

महाराष्ट्र के सिरूर और बारामती क्षेत्रों में पिछले लगभग 10 वर्षों में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए परीक्षणों के समीक्षात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है।

दिल्ली में गोलीकांड

*387. **कुमारी ममता बनर्जी** :

श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 अक्तूबर, 1987 को दक्षिण दिल्ली में हुए गोलीकांड में कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए;

(ख) इस गोलीकांड में शामिल आतंकवादियों में से कितने पुलिस की गोली से मारे गये और कितने गिरफ्तार किए गए;

(ग) क्या ईस घटना को जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए कौन से कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ङ) 20 अक्तूबर, 1987 को सायं को दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में 3 आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध गोली चलाए जाने की घटना में 11 व्यक्ति मारे गए और 8 व्यक्ति घायल हुए। एक आतंकवादी भी मारा गया। 3 मामले दर्ज किए गए है और दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा को जांच पड़ताल सौंपी गई है।

2. दिल्ली में आतंकवाद के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस नियंत्रण कक्ष के लिए 104 अतिरिक्त पुलिस नियन्त्रण कक्ष जीपें और 310 मोटर साईकलों को स्वीकृति दी गई है। हाल ही में चितरंजन पार्क में एक पुलिस स्टेशन सहित 25 और पुलिस स्टेशन, 12 और पुलिस सब-डिवीजन और 3 और पुलिस जिले बनाने की स्वीकृति भी दी गई है इन स्वीकृतियों में लगभग 12 हजार और पदों का सृजन करना और दिल्ली पुलिस के लिए लगभग 668 और वाहनों का खरीदना सम्मिलित हैं।

3. दिल्ली पुलिस ने सामरिक महत्व के स्थानों पर मजबूत अवरोधकों और स्वचालित हथियारों तथा वायरलैस सैटों से लैस कार्मिकों की 100 टुकड़ियां तैनात की हैं। आतंकवादियों से निपटने के लिए एक संचालानात्मक कक्ष पहले ही स्थापित कर दिया गया है। आतंकवादियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए पड़ोसी राज्यों के प्राधिकारियों और आसूचना एजेंसियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें की जाती हैं। दिल्ली पुलिस कार्मिकों को आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने के लिये भी प्रशिक्षित किया गया है और गोलीबारी का नियमित अभ्यास किया जाता है।

फिजी से भारतीयों का पलायन

*388. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**

श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिजी में हुई हाल की घटनाओं के कारण वहाँ रह रहे भारतीय उस देश को छोड़ कर जा रहे हैं जैसा कि 4 नवम्बर, 1987 के स्टेट्समैन में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के सामने एक और शरणार्थी समस्या उत्पन्न होने की आशा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संकट से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सरकार ने इस आशा की खबरें देखी हैं कि फिजी के भारतीय दूसरे देशों को जा रहे हैं।

(ख) और (ग) ऐसी कोई बात देखने में नहीं आई है जिससे यह लगता हो कि फिजी के भारतीय भारत आना चाहते हैं।

सिंचाई सम्बन्धी कार्यकारी दल की बैठक में भाग लेने हेतु भारतीय शिष्टमंडल की मास्को यात्रा

*389. **डा० कृपासिंधु भोई :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय शिष्टमंडल ने सिंचाई और जल प्रबन्ध के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी कार्यकारी दल की बैठक में भाग लेने हेतु हाल ही में मास्को की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा): (क) और (ख) कार्यकारी दल की प्रथम बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने अक्तूबर, 1987 में मास्को का दौरा किया। बैठक के अन्त में जल संसाधन क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों को अभिज्ञात करते हुए एक नया चार पर हस्ताक्षर किए गए। तकनीकी कार्मिकों के आदान-प्रदान तथा संयुक्त अनुसंधान कार्यों के लिए वर्ष 1988 और 1989 के लिए एक कार्य योजना भी तैयार की गई है।

[हिन्दी]

बिना लाइसेंस वाले हथियार

*390. **श्रीमती अनोरमा सिंह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से बिना लाइसेंस के हथियारों की बिक्री करने तथा ऐसे हथियार रखने पर रोक लगाने हेतु कड़े उपाय करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने गैर-कानूनी ढंग से हथियारों को बेचने और रखने सहित उनसे संबंधित गुप्त गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर कई उपायों के सुझाव दिए हैं। उनसे निम्नलिखित उपाय करने को कहा गया था :

1. लाइसेन्स धारक निर्माताओं और व्यापारियों की अचानक आकस्मिक जांच करना,
2. विभिन्न स्रोतों से हथियारों और गोला-बारूद की चोरी/हानि की जांच-पड़ताल करना,
3. जहां अधिक अपराध होते हैं वहां विशिष्ट जांच-पड़ताल इकाइयां स्थापित करना,
4. गंभीर प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपना,
5. हथियारों और गोलाबारूद के अवैध निर्माताओं और अवैध व्यापार के संबंध में आसूचना एकत्र करने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करना, और
6. ऐसे आंकड़ों का मूल्यांकन करने और उचित निवारक कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो और गृह मन्त्रालय को सार्वधिक विवरणियां प्रस्तुत करना।

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति

*391. **श्री रामभगत पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारियों की क्रमशः कुल संख्या कितनी है और प्रत्येक सेवा में, अलग-अलग अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या में यदि कोई कमी आयी है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए कौन से विशेष कदम उठाये गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के सम्बन्ध में 1-10-1987 की तथा भारतीय पुलिस सेवा के बारे में 1-1-1987 की स्थिति निम्न प्रकार है :

भारतीय प्रशासनिक सेवा			भारतीय पुलिस सेवा		
अधिकारियों की कुल सं०	अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या	अनु० जनजाति के अधिकारियों की संख्या	अधिकारियों की कुल सं०	अनु० जाति के अधिकारियों की संख्या	अनु० जनजाति के अधिकारियों की संख्या
4707	528	273	2439	289	106

(ख) जहां तक आरक्षण का सम्बन्ध है, कमी केवल सीधी भर्ती कोटे की रिक्तियों के सम्बन्ध में हो सकती है जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होता है। जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा का सम्बन्ध है, कोई कमी नहीं हुई है। भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं हुई है किन्तु कुछ कमी इस कारण से हुई है क्योंकि जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव किया गया था, उन्होंने उसका कार्यग्रहण नहीं किया।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के और अधिक उम्मीदवारों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से विभिन्न रियायतें दी जाती हैं जैसे कि ऊपरी आयु सीमा में छूट, अवसरों की संख्या में छूट तथा फीस देने से माफी। भर्ती पूर्व शिक्षण केन्द्रों के माध्यम से भी इन उम्मीदवारों की परीक्षा देने में सहायता की जाती है। यदि व्यक्तित्व परीक्षा के लिए ऐसे उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो लिखित परीक्षा में रियायती मानदण्ड अपनाए जाते हैं। इन उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग से लिया जाता है ताकि उनका मूल्यांकन सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्रयुक्त कड़े मानदण्डों के आधार पर न किया जाए। इसके अतिरिक्त, यदि किसी भर्ती वर्ष में आरक्षित रिक्तियां खाली रह जाती हैं तो उन्हें तीन अनुवर्ती भर्ती वर्षों तक अग्रनीत किया जाता है।

[अनुवाद]

सौफ्टवेयर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

*392. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री जी० एस० बसवराजू : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सौफ्टवेयर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का विचार है जो उपग्रह से जुड़े होंगे; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं और ये यूनिट कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। उपग्रह-सम्पर्कों का प्रयोग करते हुए सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए सरकार का विचार प्रौद्योगिकी-पार्क स्थापित करने का है।

(ख) प्रौद्योगिकी-पार्कों की स्थापना करने के लिए, आरम्भत: 5 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश करने का अनुमान है, जिसमें भू-केन्द्र की लागत भी शामिल है। प्रथम चरण में भुवनेश्वर, पुणे तथा बंगलौर में तीन प्रौद्योगिकी-पार्क तथा दूसरे चरण में चंडीगढ़ में एक प्रौद्योगिकी-पार्क स्थापित करने का विचार है। ऐसे केन्द्र शत-प्रतिशत निर्यात के लिए सौफ्टवेयर-विकास की इकाइयों की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे।

भारत अमरीका सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम

*393. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रधान मन्त्री की हाल की अमरीका यात्रा के दौरान उनके और अमरीका के राष्ट्रपति के बीच दोनों देशों के आपसी संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए जिन नौ सूत्रों पर सहमति हुई है, वे सूत्र कौन-कौन से हैं; और

(ख) उनको कारगर रूप देने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

विदेशी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) प्रधानमन्त्री की वाशिंगटन यात्रा के दौरान निम्नलिखित पर द्विपक्षीय पहल हुई :

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग की अवधि 1988 के बाद तीन वर्ष के लिए और बढ़ाई जाए; द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार को बढ़ावा दिया जाए; यह सुनिश्चिय करने के लिए नियमित आधार पर द्विपक्षीय परामर्श किया जाए कि भारत को अमरीका सुपर कम्प्यूटरों के निर्यात से उन्नत प्रौद्योगिकी की गति परिलक्षित हो; औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार तथा दुरुपयोग को रोकने के लिए द्विपक्षीय आधार पर कार्यवाही की जाए; प्रतिरक्षा से संबद्ध प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के नये क्षेत्रों का पता लगाया जाए; कृषि के क्षेत्र में सहकारी अनुसंधान किया जाए; एक-दूसरे के देश के बारे में शैक्षिक संसाधन बढ़ाए जाएं; संसदीय आदान-प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाए तथा दोनों देशों के अनुसंधान संस्थानों में शिक्षावृत्ति कार्यक्रम चलाया जाए।

(ख) इन पर अनुवर्ती कार्यवाही दोनों देशों के अधिकारी स्तर पर की जा रही है।

पाकिस्तान से बंगलादेशी घुसपैठिए

3790. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से भारी संख्या में बंगलादेश के राष्ट्रिक लगातार भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और उनमें से काफी घुसपैठिये अमृतसर, दिल्ली, बम्बई और मध्य प्रदेश में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) ऐतिहासिक और सामाजिक-आर्थिक कारणों से पाकिस्तान की सीमा से भारत में कुछ घुसपैठ होती है। जनवरी से सितम्बर, 1987 तक की अवधि के दौरान, सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान सीमा पर 2879 अवैध घुसपैठियों को पकड़ा जिनमें से 2174 को वापस भेजा गया और शेष 705 को कानून के अधीन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित राज्य पुलिस को सौंपा गया। यह संभव हो सकता है कि कुछ बंगलादेशी राष्ट्रिक अमृतसर, दिल्ली, बम्बई और मध्यप्रदेश में अवैध रूप से रह रहे हों। फिर भी इन स्थानों में रह रहे बंगलादेशी राष्ट्रिकों के बड़ी संख्या में रहने के समाचार नहीं हैं।

(ग) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अवैध बंगलादेशी राष्ट्रिकों को पकड़ने और उन्हें बंगलादेश वापस भेजने के लिए महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल कलकत्ता को सौंपने के लिए स्थाई निर्देश पहले से ही विद्यमान हैं।

किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के लिए आबंटित धनराशि में कटौती

3791. **श्री अनिल बसु** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन हेतु आबंटित की गई धनराशि में कटौती करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्रालय के उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगी) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

21वीं सेंट्रल इन्डिया होर्स कोर के सिख स्क्वाड्रन के जवानों को पेन्शन

3792. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21वीं सेंट्रल इण्डिया होर्स कोर के सिख स्क्वाड्रन के एक सौ से अधिक जवानों ने अंग्रेजों की ओर से लड़ाई न लड़ने के लिए 1940 में जहाज पर सवार होने सम्बन्धी आदेशों का पालन करने से इन्कार कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन लगभग एक सौ जवानों को जिनको वर्ष 1946 तक, जब उन्हें स्वतन्त्रता के अवसर पर रिहा किया गया था, कोर कारावास में रखा गया था, और उन्हें वर्ष 1972 में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मंजूर की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1975 में उनकी पेंशन एकाएक रोक दी गई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या प्रभावित पेंशन भोगियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ङ) 1940 में 21वीं सेंट्रल इंडिया होर्स के सिख स्क्वाड्रन के विद्रोह को मान्यता देने के प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया है और यह तय किया गया है कि इस विद्रोह को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन देने के प्रयोजन के लिए मान्यता न दी जाए। 21वीं केन्द्रीय सेंट्रल इण्डिया होर्स से सम्बन्धित केवल 31 व्यक्तियों ने पहले पेंशन देने के लिए आवेदन दिया था और गलती से उन्हें पेंशन दे दी गई थी। चूंकि इस विद्रोह को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन देने के प्रयोजन के लिए मान्यता नहीं दी गई है इसलिए इन सभी मामलों में, जब यह गलती ध्यान में आई, पेंशन निलम्बित कर दी गयी। इन प्रभावित व्यक्तियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक संयुक्त रिट याचिका दायर की है और इस समय मामला निर्णयाधीन है।

विकिरण स्तर की आवधिक जांच

3793. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकिरण के स्तरों में संभावित वृद्धि का पता लगाने के लिए परमाणु विद्युत केन्द्रों के आस पास की वनस्पति की नियमित/आवधिक जांच करती है;

(ख) यदि हां, तो जांच अवधि और विकिरण स्तरों में वृद्धि दर से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : जी, हां।

(ख) बिजयीघरों से 1·6 किलोमीटर से लेकर 3 किलो मीटर तक की दूरी तक स्थित क्षेत्रों में जांच प्रति सप्ताह की जाती है। 3 किलोमीटर से 10 किलो मीटर तक की दूरी वाले क्षेत्रों में जांच 2 बार और 10 किलो मीटर से 30 किलो मीटर तक की दूरी वाले क्षेत्रों में जांच हर 3 महीने बाद की जाती है। बिजली घरों के भीतर तथा उनके इर्द-गिर्द के क्षेत्रों में की गयी जांच के परिणामों से इस बात की पुष्टि हुई है कि बिजलीघर के आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति, दूध, मछली, मांस तथा अन्य कृषि-जन्य उत्पादों आदि में रेडियो-धर्मिता की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई।

अफ्रीका कोष में अंशदान करना

3794. **डा० वी० एल० शैलेश** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीका कोष में अब तक कुल कितनी धनराशि जमा की गई है और चन्दा देने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ख) इसमें से अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इस सम्बन्ध में विशेष समिति, जिसे विश्व भर में संगीत संध्यायें आयोजित करने का दायित्व सौंपा गया है, के क्रियाकलापों से इस उद्देश्य के लिए धनराशि जुटाने में कितनी सहायता मिली है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) उन देशों की एक सूची विवरण

के रूप में संलग्न है जिन्होंने अभी तक अफ्रीका कोष में अंशदान दिया है।

(ख) अफ्रीका कोष में अधिकतर अंशदान वस्तु रूप में मिला है। इसलिए दाता देश कार्रवाई योजना से तथा अग्ररेखी राज्यों और मुक्ति आंदोलनों की ओर से प्राप्त परियोजना सूची में ऐसी परियोजनाएं तय करने की प्रक्रिया में हैं जिनका प्राप्तकर्ता देशों के परामर्श से द्विपक्षीय आधार पर क्रियान्वयन किया जा सके। दाता देशों से कोष समिति को सूचित करने का अनुरोध किया गया है।

जहां तक भारत में 50 करोड़ रु० के अंशदान का प्रश्न है, भारत ने तंजानियों को लगभग 4 करोड़ रु० मूल्य के कुछ परिवहन उपकरणों और औषधियों की आपूर्ति करने की व्यवस्था की है। अफ्रीकी राष्ट्रीय सम्मेलन को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति किए जाने के लिए राज्य व्यापार निगम को 1·5 करोड़ रुपये के आर्डर दिए गए हैं। अन्य परियोजनाएं प्राप्तकर्ता देशों के साथ परामर्श से क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) विदेश मन्त्रालय ने कोई विशेष समिति स्थापित नहीं की है।

विवरण

अफ्रीका कोष में अंशदान देने के लिए वचन बद्धता

भारत	500 मिलियन रुपये	(वस्तुओं में)
नाइजीरिया	15 मिलियन अमरीकी डालर	(वस्तुओं में)
पेरू	10 मिलियन अमरीकी डालर	(वस्तुओं में)
अल्जीरिया	10 मिलियन अमरीकी डालर	(वस्तुओं में)
युगोस्लाविया	12 मिलियन अमरीकी डालर	(वस्तुओं में)
अर्जेनतीना	3 मिलियन अमरीकी डालर	(वस्तुओं में)
कांगो	100 मिलियन सी० एफ० ए०	(वस्तुओं में)
फ्रांस	20 मिलियन एफ० एफ०	(वस्तुओं में)
बारबडोस	100,000 बी० डी० डालर	(नकद रूप में)
जिबूती	10,000 अमरीकी डालर	(वस्तुओं में)
इटली	4 मिलियन लिरा	(वस्तुओं में)
लिबिया	10 मिलियन अमरीकी डालर	(50 प्रतिशत नकद रूप में 50 प्रतिशत वस्तुओं में)
गयाना	5000 अमरीकी डालर	(नकद रूप में)
यू० एस० एस० आर०	65 मिलियन रूबल	(वस्तुओं में)
अफगानिस्तान	5,000 अमरीकी डालर	(नकद रूप में)
निकारागुआ	50,000 अमरीकी डालर	(नकद रूप में)
नौरू	10,000 आस्ट्रेलिया डालर	(नकद रूप में)
बंगलादेश	10,000 अमरीकी डालर	(नकद रूप मे)
मारिशस	500,000 मारिशस रुपए	(नकद रूप में)

1	2	3
मालदीव	1,000 अमरीकी डालर	(नकद रूप में)
नार्वे	10 मिलियन एन० के०	(वस्तुओं में)
उगांडा	100,000 अमरीकी डालर	(नकद रूप में)
फिलीपाइन्स	500 अमरीकी डालर	(नकद रूप में)
पाकिस्तान	50 मिलियन पाकिस्तान रुपये	(वस्तुओं में)
स्वीडन	140 मिलियन एस० के०	(वस्तुओं में)
साइप्रस	100,000 अमरीकी डालर	(वस्तुओं में)
ब्रुनी	100,000 अमरीकी डालक	(नकद रूप में)
मिश्र	2 मिलियन अमरीकी डालर	(वस्तुओं में)
नेपाल	25,000 अमरीकी डालर	(नकद रूप में)
मलेशिया	2 मिलियन अमरीकी डालर	(वस्तुओं में)
पी०डी०आर० यमन	150,000 अमरीकी डालर	(नकद रूप में)
लाओस	7,000 अमरीकी डालर	(नकद रूप में)
वियतनाम	10,000 अमरीकी डालर	(वस्तुओं में)
लोर्डन	5,000 अमरीकी डालर	(नकद रूप में)
चैकोस्लोवाकिया	5 मिलियन के० एस० सी०	(वस्तुओं में)

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश

3795. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उच्च न्यायालयों के नाम क्या हैं जिनके मुख्य न्यायाधीश उसी राज्य के हैं अथवा उसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) प्रत्येक उच्च न्यायालय में राज्य से बाहर अथवा अधिकार क्षेत्र से बाहर के कितने न्यायाधीश हैं; और

(ग) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) तारीख 1-12-87 को दिल्ली, गुवाहाटी और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयों में उनके ही उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति हैं।

(ख) तारीख 1-12-87 को प्रत्येक उच्च न्यायालय में पदासीन बाहर के न्यायाधीशों (जिनमें मुख्य न्यायमूर्ति भी हैं) की संख्या दर्शित करने वाला एक **विवरण** संलग्न है।

(ग) एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से संविधान के अनुच्छेद 222 के निबंधनों के अनुसार किया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	उच्च न्यायालय का नाम	बाहर के न्यायाधीश (1-12-87 को)
1.	इलाहाबाद	1
2.	आंध्र प्रदेश	1
3.	मुम्बई	1
4.	कलकत्ता	2
5.	दिल्ली	1
6.	गुवाहाटी	—
7.	गुजरात	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू कश्मीर	1
10.	कर्नाटक	1
11.	केरल	1
12.	मध्य प्रदेश	2
13.	मद्रास	1
14.	उड़ीसा	1
15.	पटना	2
16.	पंजाब और हरियाणा	1
17.	राजस्थान	1
18.	सिक्किम	2
	योग	21

आदिवासियों के लिए विकास कार्यक्रम

3796. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए कितने विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरार इन कार्यक्रमों की उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगी) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से आदिवासी कल्याण के लिए निष्पादित विकास कार्यक्रमों में, आदिवासी विकास के सभी क्षेत्र आते हैं तथा पेयजल व्यवस्था, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा पोषाहार सुविधाएं, ऋण तथा विपणन, मृदा-

संरक्षण उपाय तथा भूमि-सुधार, कुटीर तथा लघु उद्योग, बागवानी, डेयरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमगत आई० आर० डी० पी० जैसी अन्य स्कीमें तथा एन० आर० ई० पी० व आर० एल० ई० जी० पी० जैसे रोजगार सम्बन्धित कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों को, अभी तक 184 आइ० टी० डी० पी०, माडागत 284 पाकेटों, 17 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के 47 आदिम समूहों तथा 73 परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है;

(ख) 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान विकास कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त आदिवासी परिवारों की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

राज्य केन्द्रशासित प्रदेश	सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या		
	1984-85	1985-86	1986-87
1. आन्ध्र प्रदेश	69865	74400	107907
2. असम	75954	21151	20431
3 बिहार	166548	122753	110352
4. गुजरात	78904	66995	759858
5. हिमाचल प्रदेश	5218	3804	5274
6. कर्नाटक	9113	12145	10954
7. केरल	6157	3433	6711
8. मध्य प्रदेश	244515	196490	241862
9. महाराष्ट्र	93269	89009	81940
10. मणिपुर	10429	4539	4500
11. उड़ीसा	134239	133299	143000
12. राजस्थान	67372	61726	86616
13. सिक्किम	1938	2800	3809
14. तमिलनाडु	11235	10059	11845
15. त्रिपुरा	18750	9730	11800
16. उत्तर प्रदेश	3155	4496	3370
17. पश्चिम बंगाल	72555	74228	80677
18. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	896	1059	918
19. गोवा दमन और द्वीव	976	741	598
	1081088	872857	1028422

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों का आर्थिक उत्थान

3797. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11 (क) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु वर्ष 1986-87 के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य क्या थे;

(ख) उस वर्ष कितनी उपलब्धि हुई;

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं; और

(घ) वर्ष 1987-88 के लिए बीस सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र 11 (क) के अन्तर्गत निर्धारित वास्तविक लक्ष्य क्या हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) तथा (ख) 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11 (क) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजातियों के परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु वर्ष 1986-87 के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य तथा उस वर्ष के दौरान हुई उपलब्धि इस प्रकार है :—

	लक्ष्य	उपलब्धि
अनुसूचित जातियां	19,32,115	23,50,753
अनुसूचित जनजातियां	8,34,537	10,27,953

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु अपनाई गयी मुख्य नीतियां हैं—(i) अनुसूचित जातियों हेतु राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष-संघटक योजनाएं (ii) अनुसूचित जनजातियों हेतु राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों (दोनों) की आदिवासी उप योजनायें। विशेष संघटक योजनाओं तथा आदिवासी उपयोजनाओं (दोनों) में वृद्धि की एक विशेष केन्द्रीय सहायता योजना भी है। अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगमों (जहां भी वे विद्यमान हैं) को संस्थागत संसाधन जुटाने में उपयोग किया जा रहा है। जहां तक अनुसूचित जातियों की आर्थिक सहायता का संबंध है, उक्त दृष्टिकोण पनिवारानुसारी है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में भी परिवार पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है किन्तु काफी हद तक क्षेत्र विकास दृष्टिकोण के माध्यम से। दोनों वर्गों के लिए प्रारम्भ किए गए आर्थिक सहायता कार्यक्रमों में कृषि, बागवानी, पशु पालन, ग्राम तथा लघु उद्योग, रेशम उत्पादन तथा लघु व्यवसाय शामिल हैं।

(घ) बीस-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11 (क) अन्तर्गत वर्ष 1987-88 के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य ये हैं :—

अनुसूचित जातियां	20,43,181 परिवार
अनुसूचित जनजातियां	8,05,791 परिवार

आदिवासी सलाहकार परिषदों द्वारा मतदाता सूचियों से गैर-आदिवासी लोगों के नाम हटाना

3798. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान की पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत बनाई गई राज्य आदिवासी सलाहकार

परिषदें गैर-आदिवासी लोगों द्वारा गैर-कानूनी ढंग से वृक्षों को काटने तथा आदिवासी लोगों में असन्तोष को रोकने के लिए आदिवासी क्षेत्रों की मतदाता सूचियों से गैर-आदिवासी लोगों के नाम हटाने की सिफारिशें कर सकती हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में उपयुक्त अनुदेश जारी करने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) संविधान की पांचवीं सूची के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति सलाह परिषद का कर्तव्य है कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्लाण और उत्थान से संबंधित ऐसे सभी मामलों के संबंध में परामर्श दे जो उन्हें राज्यपाल द्वारा भेजे जाते हैं।

पूर्वी और पश्चिमी सीमा से घुसपैठ

3799. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पूर्वी और पश्चिमी सीमा से अलग-अलग कुल कितने घुसपैटिए आए;

(ख) उनमें से कितने घुसपैठिये बंगलादेश से आए तथा उन्हें उनके देश भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान उनमें से कितने घुसपैठियों को निर्वासित किया गया ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक कारणों से भारत में पाकिस्तान तथा बंगलादेश की सीमाओं से घुसपैठ होती है। सीमा सुरक्षा बल अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश करने वालों को पकड़ता है। पकड़े हुए व्यक्तियों में से जिन पर तस्करी, पशु, चोरी, जासूसी इत्यादि का संदेह होता है संबंधित राज्य पुलिस प्राधिकारियों को सौंपा जाता है और शेष को वापस भेज दिया जाता है। यह संबंधित राज्य सरकार, जिसे सीमा सुरक्षा बल पकड़े गए व्यक्तियों को सौंपता है, का काम है कि वह घुसपैठियों की जांच-पड़ताल करे, उनकी पहचान करे और राष्ट्रीयता मालूम करें और कानून के अधीन आवश्यक कार्यवाही करें और अन्ततः उनको कैद की सजा पूरी होने के बाद उन्हें निर्वासित करे। वर्ष 1985 तथा 1986 के दौरान पकड़े गए, राज्य पुलिस को सौंपे गए और वापस भेजे गए घुसपैठियों की संख्या की सूचना का **विवरण** संलग्न है।

विवरण

राज्य	1985 सीमा पर पकड़े गये	1985 वापस भेजे गये	1985 आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य पुलिस को सौंपे गये	1986 सीमा पर पकड़े गये	1986 वापस भेजे गये	1986 आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य पुलिस को सौंपे गये
1	2	3	4	5	6	7
1. जम्मू और कश्मीर	92	4	88	98	3	95
2. पंजाब	3420	2962	458	2324	1827	497
3. राजस्थान	1077	891	286	1899	1509	390
4. गुजरात	28	—	28	16	1	15
5. असम	33	33	—	135	61	74
6. मेघालय	64	64	—	120	31	89
7. त्रिपुरा	200	200	—	1689	1398	291
8. पश्चिम बंगाल	12678	12678	—	23334	20539	2795
9. मिजोरम	500	500	—	3121	3063	58

अल्पसंख्यक आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव

3800. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान अल्पसंख्यक आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) और (ख) अल्पसंख्यक आयोग जिसका गठन दिनांक 12-1-1978 के संकल्प द्वारा किया गया था, जो कोई सीमित कार्यकाल नहीं है । फिर भी, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल सामान्य: तीन वर्षों से अधिक नहीं होगा ।

[हिन्दी]

विदर्भ में घोसीखुर्द सिंचाई परियोजना में सिंचाई करना

3801. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदर्भ की इन्दिरा सागर (घोसी-खुर्द) सिंचाई परियोजना से सिंचाई के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या इस परियोजना से चन्द्रापुर, भण्डारा और नागपुर के सूखा पीड़ित क्षेत्रों को जल की पूर्ति की जाएगी;

(ग) क्या सरकार का उक्त क्षेत्रों में अकाल की स्थिति को देखते हुए इस परियोजना को शीघ्र पूरी करने के लिए विशेष ध्यान देने के लिए कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) राज्य सरकार के प्रस्ताव में चन्द्रापुर, भण्डारा तथा नागपुर जिले के क्षेत्र में 1·9 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना है ।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए सातवीं पंच वर्षीय योजना में एक करोड़ रुपये का टोकन प्रावधान किया है ।

[अनुवाद]

भारी जल संयंत्र

3802. **श्री आर० एम० भोये** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु बिजली के उत्पादन के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी मात्रा में भारी जल की आवश्यकता होगी;

(ग) भारी जल संयंत्र तुरन्त स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) इन कदमों से देश में बिजली की आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूरा किया जा सकेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सन 2000 तक 10,000 मेगावाट परमाणु बिजली पैदा करने की क्षमता वाले परमाणु बिजलीघर स्थापित कर देने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) तक नांगल, बड़ौदा, तूतीकोरिन, कोटा, तलचर तथा थाल में लगे हुए जो 6 संयंत्र उत्पादन कर रहे हैं और भानुगुरु तथा हजीरा में जो दो संयंत्र निर्माणाधीन हैं उनकी उत्पादन क्षमता इस कार्यक्रम की भारी पानी सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

[हिन्दी]

पश्चिमी कोसी नहर को पूरा करना

3803. **श्री रामश्रय प्रसाद सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पश्चिमी कोसी नहर की खुदाई का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है और इसको पूरा करने के लिए क्या समय अवधि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या नहर को कमला पार करने के लिए साइफन प्रणाली का निर्माण कार्य चालू हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसको पूरा करने का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) क्या इस नहर को शाहर घाट तक पक्का करने और पकरी नहर होकर बेनी पट्टी पश्चिम और जाले होकर दक्षिण ले जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गृहस्थलों का आवंटन

3804. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तहसीलवार कितने व्यक्तियों को गृह स्थल आवंटित किये गये;

(ख) क्या सभी आवंटितियों को इन स्थलों का वास्तविक कब्जा दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तहसील वार आवंटित किए गए गृह स्थलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) कुछ मामलों में इस प्रकार के आवंटनों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिससे इन शिकायतों की जांच पड़ताल करने तक गृह स्थलों का कब्जा देना/लेना रुक जाता है।

	तहसील का नाम	वर्ष	आवंटित गृह स्थलों की सं०
1.	डिगलीपुर	1984-85	25
		1985-86	49
		1986-87	Nil
			74
2.	मायाबन्दर	1984-85	269
		1985-86	187
		1986-87	45
			501
3.	रानघाट	1984-85	764
		1985-86	392
		1986-87	363
			1519
4.	फेरागंज	1984-85	177
		1985-86	144
		1986-87	1043
			1364
5.	पोर्ट ब्लेयर	1984-85	70
		1985-86	19
		1986-87	183
			272

सैंटर फार सेल्यूलर मोलिक्यूलर बायोलोजी में प्रोटीनों की खोज

3805. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्टर फार सेल्यूलर मोलिक्यूलर बायोलोजी, हैदराबाद सेमिनल फलुड (प्रजनक द्रव) में दो प्रोटीनों की खोज के प्रति विश्व भर में उत्सुकता पैदा हुई है जैसा कि इस संस्थान के निदेशक ने दावा किया है;

(ख) क्या इन उपलब्धियों की जांच करने के लिए छह नोबल पुरस्कार विजेताओं को भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर नारायणन) : (क) जी, हां। कोशकीय और अणुजीव विज्ञान केन्द्र (सी० सी० एम० बी०) द्वारा गतिहीन प्रजनक द्रव (बोवाइन) सेमिनल फ्लुड में की गई प्रोटीन की खोज से अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक क्षेत्रों में विशिष्ट सक्रियता पैदा हुई है।

(ख) और (ग) जी नहीं। प्रधान मन्त्री द्वारा कोशकीय अणुजीव विज्ञान केन्द्र भवन संकुल (काम्प्लेक्स) के औपचारिक समर्पण के समय पर बुलाई गई वैज्ञानिक बैठकों में भाग लेने के लिए आए नोबल पुरस्कार विजेताओं सहित बहुत से लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया था।

"तंगमी" जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

3806. **श्री सुदर्शन दास** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में बोरक घाटी के आदिवासी समुदाय द्वारा "तंगमी" जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग पर अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 34 (2) और 342 (2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में ब्यौरा जनहित में नहीं बताया जा सकता।

अस्पृश्यता सम्बन्धी अपराध

3807. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्पृश्यता सम्बन्धी अपराधों पर शीघ्र मुकदमे चलाने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) क्या राज्यों को सिविल अधिकार सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मामलों पर मुकदमों के लिए विशेष एकक/स्कवैड बनाने की सलाह दी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों ने वर्ष 1986-87 और 1987-88 में अब अब तक क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) इन राज्यों में उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने मामले निपटा लिए गए हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय दिलाया गया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां। अस्पृश्यता अपराध मामलों पर शीघ्र मुकदमे चलाने तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत मुकदमों पर निगरानी रखने को सुनिश्चित करने हेतु सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को विशेष सैल/दल और विशेष न्यायालय स्थापित करने की सलाह दी गई है। अभी तक अनुसूचित जाति की पर्याप्त जनसंख्या वाले 19 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने पहले ही ऐसे सैलों की स्थापना की हुई है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों ने विशेष न्यायालयों की स्थापना की हुई है।

(ग) और (घ) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15 (4) के अन्तर्गत अपेक्षित, इस अधिनियम के कार्यकरण तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए उपायों पर एक रिपोर्ट प्रति वर्ष सदन के दोनों पटलों पर रखी जाती है। कैलंडर वर्ष 1985 की पिछली रिपोर्ट लोक सभा में 18-3-87 को रखी गई थी जिसमें वर्ष 1985 तक की जानकारी अन्तर्विष्ट है। 1986-87 और 1987-88 की अवधि की इसी तरह की रिपोर्ट समय होने पर, प्रस्तुत कर दी जाएगी।

परिवार अदालतें

3808. **श्री एन० डेनिस** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में परिवार अदालतें स्थापित की गई हैं; और

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रकार की परिवार अदालतें स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

(ख) दिल्ली, पांडिचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों पर अधिनियम का विस्तार करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कुटुम्ब न्यायायल अधिनियम की धारा। (3) के अधीन अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना शीघ्र करें।

जल सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन में दिए गए सुझावों का कार्यान्वयन

3809. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में जल सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए उठाए गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जल स्रोतों के विकास तथा प्रबन्ध पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए सम्बन्धित विषयों में विशेषज्ञों के वास्ते साझे मंच की व्यवस्था करने हेतु नवम्बर, 1987 में नई दिल्ली में पहला राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया था जो सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा व्यावसायिक संस्थाओं और संघों का एक सहकारी प्रयास था। इस सम्मेलन द्वारा दिए

गए सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारें तथा अन्य सम्बन्धित अभिकरण विचार करेंगे।

सोवियत संघ और फ्रांस के सहयोग से परमाणु ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम

3810. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ और फ्रांस ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रमों के क्षेत्र में भारत को वित्तीय और तकनीकी सहयोग देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) (क) जी, हां।

(ख) सोवियत संघ द्वारा की गई पेशकश के तकनीकी, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। फ्रांस द्वारा परमाणु बिजलीघरों के बारे में की गई पेशकश प्रारम्भिक किस्म की है तथा अभी वह किसी औपचारिक प्रस्ताव के चरण तक नहीं पहुंची है।

[हिन्दी]

पंचेश्वर परियोजना के निर्माण के लिए नेपाल क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने के लिए किए गए प्रयास

3811. **श्री हरीश रावत** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंचेश्वर परियोजना के निर्माण तथा भारत और नेपाल द्वारा जल संसाधनों के नियुक्त उपयोग हेतु नेपाल क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने सम्बन्धी समस्या को हल करने के लिए राजनयिक स्तर पर प्रयास करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) नेपाल की महामहिम सरकार के साथ सितम्बर 1984 में हुए विचार-विमर्श में नेपाल ने यह बताया कि परियोजना के व्यवहार्यता अध्ययन को शीघ्र करने के लिए उन्होंने सुनिश्चत कदम उठाए हैं। शीघ्र ही होने वाली अगली बैठक में यह मुद्दा फिर उठाया जाएगा।

[अनुवाद]

दवेश के लिए विदेशी सहायता

3812. **श्री तारिक अनवर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दवेस के लिए किसी प्रकार की विदेशी सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में कड़ा विरोध व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) भारत "सार्क" को

विदेशी सहायता के विरुद्ध नहीं है बल्कि उसका कहना यह है कि "सार्क" जो भी परियोजना हाथ में लें प्रत्येक परियोजना के लिए वे पहले अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें। उन मामलों में जहां किसी विशिष्ट परियोजना के लिए क्षेत्र के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध न हो तब ही स्वयं "सार्क" की पहल पर बाहर की वित्तीय सहायता पर विचार किया जाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांगों को रोजगार

3813. **श्री पी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विशेष भत्ता देने के लिए, भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त बड़े अस्पतालों के सर्जन फिजीशियनों द्वारा विकलांग कर्मचारियों को जारी किये गये प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं करते; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विकलांगों को किसी भी प्रकार की रियायतें देने के प्रयोजन से सरकारी सिविल अस्पताल के सम्बन्धित विभाग द्वारा किये गये प्रमाणपत्रों को स्वीकार किया जाता है। यदि सरकार सिविल अस्पताल तैनाती स्थान से बाहर है तो अधिकतम ग्राह्य यात्रा भत्ते की सीमा तक वास्तविक यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाती है। ऐसे अस्पताल में यात्रा तथा प्रवास की अवधि को ड्यूटी के रूप में माना जाता है। किसी गैर-सरकारी अस्पताल द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए जारी किये गये प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाता है।

स्वीडन से पिस्तोलों का आयात

3814. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुलिस बलों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए स्वीडन से पिस्तौलें खरीदने का कोई सौदा तय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

डी-डॉट उपग्रह

3815. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलिमेटिक्स विकास केन्द्र की स्थापना का क्या उद्देश्य था और कब स्थापित किया गया था;

(ख) इसकी स्थापना से लेकर अब तक इस पर खर्च की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संस्थान के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में इसकी उपलब्धियां क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) की स्थापना आरम्भत: इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणाली प्रौद्योगिकी और उसके बाद टेलीमैटिक्स प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए अगस्त, 1984 में एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था के रूप में की गई ।

(ख) सी-डॉट के पहले मिशन के लिए 35 करोड़ रु० का वित्तीय प्रावधान किया गया था । सितम्बर, 1987 तक परियोजना का वर्षवार व्यय नीचे दिये अनुसार है :—

वर्ष	वास्तविक व्यय	
1984-85	1·50 करोड़ रु०	कुल
1985-86	12·61 करोड़ रु०	
1986-87	10·94 करोड़ रु०	30·67 करोड़ रु०
1987-88	5·62 करोड़ रु०	

(ग) सी-डॉट ने वस्तुत: अंकीय इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के नीचे दिए अनुसार समूह के विकास का कार्य निर्धारित समय-सीमा तथा धनराशि के अन्दर पूरा करके अपने लक्ष्य को हासिल किया है :—

1. 128 पोर्ट ई० पी० ए० बी० एक्स —प्रौद्योगिकी को 30 से भी अधिक विनिर्माताओं को अन्तरित किया जा चुका है, जिनमें से 15 से भी अधिक विनिर्माताओं द्वारा इनका उत्पादन किया जा रहा है।

2. 128 पोर्ट आर० ए० एक्स० —प्रौद्योगिकी 10 विनिर्माताओं को अन्तरित की जा रही है और भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर द्वारा उत्पादन किया जा रहा है।

3. 312 पोर्ट एम० ए० एक्स —प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया गया है तथा क्षेत्रीय माडलों का क्रमश: दिल्ली कैंट और उत्सूर बंगलौर के एक्सचेंजों में परीक्षण किया जा रहा है।

4. 16000 पोर्ट एम० ए० एक्स० प्रणाली (4000 लाइनों के लिए आरम्भिक उपस्कर)

उत्पाद के विकास के अलावा, सी-डॉट को सूक्ष्म तथा जटिल किस्म की अनुसंधान तथा विकास संबंधी मूल संरचनात्मक सुविधायें स्थापित करने, मानव संसाधन के विकास, विक्रयी-विकास, प्रौद्योगिकी के अन्तरण तथा उत्पादन के क्षेत्र में भारी सफलता मिली है ।

[अनुवाद]

केरल में 'सी-डॉट' द्वारा ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों की स्थापना

3816. **श्री वक्कम पुरुषोत्तम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में परीक्षण के तौर पर कुछ ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज सी-डॉट द्वारा स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या इन एक्सचेंजों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के एक्सचेंज स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) तथा (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) के ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज (आर० ए० एक्स) प्रतिष्ठापित करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

मैट्रिकोत्तर वजीफों के लिए राज्यों को धनराशि देना

3817. **श्री मोहनलाल झिकराम** :

श्री अरविंद नेताम : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार मैट्रिकोत्तर वजीफों के लिए राज्यों को धनराशि देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्यों को इस धनराशि का कुछ भाग वजीफे से संबंधित वजीफा प्रशासन पर खर्च करने की भी अनुमति देती है;

(ग) यदि हां, तो इस पर कितनी प्रतिशत धनराशि खर्च करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) चूंकि योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसके प्रशासन का व्यय, उनके अपने कोष में से पूरा किया जाता है।

शहरी और ग्रामीण जनता की आय में असमानता

3818. **डा० ए० के० पटेल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की आलोचना शहरी और ग्रामीण जनता की आय में असमानता को कम करने के लिए की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो जब 20-सूत्री कार्यक्रम आरम्भ किया था, उस समय ग्रामीण और शहरी जनता की प्रति व्यक्ति आय का अनुपात क्या था और अब यह कितना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 20-सूत्री कार्यक्रम, जो मूलत: वर्ष 1975 में शुरू किया गया और बाद में वर्ष 1982 में इसे परिशोधित किया गया तथा 1986 में इसका पुनर्निर्माण किया गया, का मुख्य अभियान गरीबी उन्मूलन, उत्पादकता में वृद्धि करना, आय में असमानता को दूर करना और सामाजिक तथा आर्थिक असमानता को दूर करना और जीवन-स्तर में सुधार करना है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों का ग्रामीण क्षेत्रों में स्वत: रोजगार के अवसर और मजदूरी रोजगार के अवसर सृजित करने तथा उच्च आय सृजन में ग्रामीण गरीबों की सहायता करने का भी उद्देश्य है। सातवीं योजना में ये कार्यक्रम त्वरित गति से जारी किये गये हैं। त्वरित कृषि उपज, बारानी खेती की क्षमता में विकास, छोटे और सीमान्तिक किसानों की आय और उत्पादकता में वृद्धि करने के वास्ते विशेष उपाय अपनाने पर भी बल दिया जाता है। ग्रामीण और शहरी लोगों की आय में असमानताओं को कम करने में ये कार्यक्रम सहायक होंगे ।

(ख) वर्ष 1970-71 में संकलित अनुमानों के अनुसार ग्रामीण शहरी प्रति व्यक्ति आय का अनुपात 1 : 2 : 4 था । बाद के वर्षों के लिये कोई तदनुरूप अनुपात उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि

3819. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्राही) : (क) से (ग) सरकार को स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन को 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 750 रुपए प्रतिमाह तथा भूतपूर्व अण्डमान के राजनैतिक पीड़ितों की पेंशन 800 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह करने के बारे में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं।

मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों में आयोजित लोक अदालतें

*3820. **चौधरी अख्तर हसन :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों में किन-किन स्थानों पर लोक अदालतें आयोजित की गई हैं और कितनी बार आयोजित की गई;

(ख) इन अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) किसी स्थान पर जहां पहले लोक अदालत आयोजित की जा चुकी हो वहां कितने समय बाद फिर लोक अदालत आयोजित की जाती है; और

(घ) कैराना (मुजफ्फरनगर) में अब तक एक भी लोक अदालत आयोजित न करने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार :

(क) मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों में आयोजित लोक अदालतों/विधिक सहायता शिविरों की स्थिति निम्नानुसार है :

(क) विधिक सहायता शिविर

क्र० सं०	जिला	स्थान	तारीख
1.	मुजफ्फरनगर	कुकरहा	25.2.84
		रोहाना	8.9.85
		शामली	5.1.86
		मुख्यालय मुजफ्फरनगर और कैराना	24-5-87
	(ख) लोक अदालत		
		मुजफ्फरनगर	28-9-86
	(क) विधिक सहायता शिविर		
2.	बिजनौर	नजीबाबाद	31-1-82
			15-9-85
			19-1-86
		नगीना	28-2-82
		बिजनौर मुख्यालय	29-7-84
		कुदराबाद	10-2-85
		चांदपुर	19-10-86
	(ख) लोक अदालत		
		बिजनौर मुख्यालय	22-12-85
			29-3-87

(ख) विधिक सहायता शिविरों और लोक अदालतों ने मुजफ्फरनगर में 6534 मामले और बिजनौर में 1887 मामले निपटाए हैं।

(ग) इसके लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है। जिला विधिक सहायता समिति, जिले की परिस्थितियों और अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए लोक अदालतें आयोजित करने की व्यवस्था करती है।

(घ) यद्यपि कैराना में कोई लोक अदालत आयोजित नहीं की गई है तो भी तहसील कैराना

(मुजफ्फरनगर) के ग्राम शामली में तारीख 5-1-86 को एक चिकित्सा सहायता शिविर और तारीख 24-5-87 को कैराना के मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय में दूसरा शिविर आयोजित किया गया था।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बजट में धनराशि का नियतन

3821. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बजट में विज्ञान सम्बन्धी कार्यों के लिए नियत की गई धनराशि में से सातवीं योजना में अब तक कितने-कितने प्रतिशत धनराशि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, अन्तरिक्ष कार्यक्रम और विज्ञान की उच्च शिक्षा पर खर्च की गई है;

(ख) बजट में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए नियत की गई धनराशि में से कितने प्रतिशत धनराशि विकिरण से पर्यावरण की सुरक्षा पर खर्च की गई है; और

(ग) परमाणु ऊर्जा संयन्त्रों में इस समय कितनी बिजली तैयार की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री० के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

बिहार की सिंचाई परियोजनाएं

3822. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार राज्य में कितनी सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ करने का विचार है;

(ख) कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, कितनी पूरी की जा रही हैं और कितनी छोड़ी गई हैं; और

(ग) अर्ध निर्मित परियोजनाओं को छोड़ने के मुख्य कारण क्या हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) 5 बृहद तथा 15 मध्यम नई सिंचाई स्कीमों के लिए सातवीं योजना में परिव्ययों की व्यवस्था की गई है तथा इन स्कीमों पर कार्य प्रगति पर है।

घुसपैठ

3823. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ौसी देशों से भारी संख्या में घुसपैठिये चोरी-छिपे देश के विभिन्न भागों में प्रवेश कर रहे हैं;

(ख) क्या इन घुसपैठियों के विभिन्न प्रकार के आपराधिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) ऐतिहासिक तथा सामाजिक-आर्थिक कारणों से भारत पाकिस्तान तथा बंगलादेश की सीमाओं से कुछ घुसपैठ होती है किन्तु, इन देशों से भारत में बड़े पैमाने पर घुसपैठ का होना प्रतीत नहीं होता।

(ख) और (ग) जनवरी से सितम्बर, 1987 की अवधि के दौरान, सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत-पाकिस्तान सीमा पर 2879 घुसपैठिये पकड़े गए जिनमें से 2174 को वापस भेजा गया और शेष 705 को कानून के अधीन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य पुलिस को सौंपा गया। इसी प्रकार इस अवधि के दौरान, भारत-बंगलादेश सीमा पर 23103 घुसपैठिये पकड़े गये जिनमें से 21961 को वापस भेजा गया और शेष 1142 को राज्य पुलिस को सौंपा गया। सीमा सुरक्षा बल अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश करने वालों को पकड़ती है। पकड़े गए व्यक्तियों में से जिन पर तस्करी, पशु-चोरी, जासूसी इत्यादि का संदेह होता है, उन्हें सम्बन्धित राज्य पुलिस प्राधिकारियों को सौंपा जाता है और शेष को वापस भेज दिया जाता है। यह सम्बन्धित राज्य सरकार जिसे सीमा सुरक्षा बल पकड़े गए व्यक्तियों को सौंपता है, का काम है कि वह घुसपैठियों की जांच-पड़ताल करे, पहचाने और उनकी राष्ट्रीयता मालूम करे और कानून के अधीन आवश्यक कार्रवाई करे और अन्ततः उनकी कैद की सजा पूरी होने के बाद उन्हें निर्वासित करें।

इलैक्ट्रोनिकी वस्तुओं का आयात

3824. **श्री पी० एम० सईद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सभी प्रकार के इलैक्ट्रोनिकी सामान का उत्पादन कब तक होने लगेगा; और

(ख) तैयार माल और उपकरण दोनों प्रकार के इलैक्ट्रोनिकी सामान के आयात पर प्रति वर्ष अनुमानित कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रोनिकी और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) भारत में सभी इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं का उत्पादन करने का कोई नहीं विचार नहीं है। लक्ष्य यह होगा कि स्वदेशी जरूरतों तथा निर्यात दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं के लिए और तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता की दृष्टि से यथासम्भव अधिकतम उत्पादन किया जाएगा। कुछ इलैक्ट्रोनिकी वस्तुओं का आयात तो हमेशा ही करना होगा।

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान इलैक्ट्रोनिक संघटक-पुर्जों का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के आधार पर आयात अनुमानतः 235 करोड़ रुपए का होगा। तथा कच्ची-सामग्रियों का लागत बीमा-भाड़ा मूल्य के आधार पर आयात लगभग 175 करोड़ रु० का होगा।

असम में दिहांग, सुबनसिरी पर बांध

3825. **श्री सामाजी राव ककाड़े** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में दिहांग सुबनसिरी पर बांध के निर्माण हेतु मंजूरी दी है;

(ख) क्या निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है और निर्माण के प्रथम चरण के लिए कितनी धन राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में मन्जूर की गई; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के प्रेक्षणों पर कार्यवाही कर रहा है। बेसिन राज्यों द्वारा जलमग्नता तथा लागत एवं लाभ के बंटवारे से संबंधित अन्तर्राज्यीय मामलों को हल किया जाना है। इसके साथ, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पर्यावणिक दृष्टि से इन परियोजनाओं की स्वीकृति अभी प्राप्त की जानी है।

राजघाट अन्तर्राज्यीय परियोजना

3826. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट अन्तर्राज्यीय परियोजना की कुल लागत कितनी हैं और इसमें मध्य प्रदेश का अंश कितना है;

(ख) क्या राजघाट परियोजना को निर्धारण कार्यक्रम के अनुसार पूरा किये जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस परियोजना से नहरों के नेटवर्क द्वारा मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा; और

(ङ) नहरों का ब्यौरा क्या है और इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) अन्तर्राज्यीय राजघाट बांध परियोजनाओं की अनुमोदित लागत लगभग 123 करोड़ रुपए है। इसको मार्च 1992 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश को लागत का 50% हिस्सा वहन करना है।

(घ) और (ङ) अगली योजना में उपलब्ध संसाधनों के अध्यधीन 1·1 लाख हेक्टे० से अधिक क्षेत्र को सिंचाई लाभ मिलेंगे।

फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा श्रीनगर में विचार गोष्ठी का आयोजन

3827. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड फाउण्डेशन ने हाल ही में श्रीनगर में अमरीकी संविधान और प्रजातांत्रिक प्रणाली पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या विचार-गोष्ठी में भारत के मुख्य न्यायधीश जैसे विख्यात व्यक्तियों ने भाग लिया था; और

(ग) यदि हां, तो एक विदेशी एजेन्सी को इस प्रकार की विचार गोष्ठियों का आयोजन करने के लिए अनुमति देने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, जिन गोष्ठियों का ऐसी स्वयं सेवी एजेंसियों के कार्यों के साथ कोई संबंध नहीं है, जिनकी वे सहायता कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) फोर्ड फाउण्डेशन ने "अमरीका के संविधान और लोकतांत्रिक प्रणाली" पर हाल ही में श्रीनगर में कोई संगोष्ठी नहीं की थी। तथापि, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की जम्मू और काश्मीर की क्षेत्रीय शाखा ने संयुक्त

राज्य अमरीका सूचना सेवा के सहयोग से 26-29 सितम्बर, 1987 तक भोवमर में "अमरीका का संविधान : स्वतन्त्रता के गारण्टीदाता" पर एक संगोष्ठी आयोजित की थी। 26 सितम्बर, 1987 को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया था।

तेलुगु-गंगा परियोजना को स्वीकृति

3828. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या जल संसाधन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तेलुगु-गंगा परियोजना को स्वीकृति देने के लिये मांगी गई आवश्यक जानकारी अब राज्य सरकार से प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तेलुगु-गंगा परियोजना के लिये कितनी अवधि में स्वीकृति दे दी जायेगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीलंका द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जाफना भेजने के लिये अनुरोध

3829. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार द्वारा प्रशासनिक मामले में सहायता के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जाफना भेजे जाने का कोई अनुरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों को भेजा गया है और कितने अधिकारियों को भेजा जाना है; और

(घ) ये अधिकारी वहां कब तक रहेंगे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) राहत सामग्री, पुनर्वास आदि जैसे मामलों में भारतीय शांति सेना की सहायता करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारी भेजे गए हैं। जब तक भारतीय शांति सेना को उनकी सहायता की जरूरत होगी तब तक वे वहीं रहेंगे।

विदेशों से धन प्राप्त करने वाले श्रमिक यूनियन तथा स्वयंसेवी कल्याण संगठन

3830. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशों से धन प्राप्त करने वाले श्रमिक यूनियनों तथा प्रमुख स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ख) उपर्युक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मामले में प्राप्त की गई धन-राशि दानकर्ता, देश का नाम तथा दान का प्रयोजन संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) तथा (ख) ट्रेड यूनियनों के बारे में सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि ट्रेड यूनियन-वार सूचना नहीं रखी जाती है।

31-10-1987 को 11660 एशोसियेशन विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत दर्ज है। वर्ष 1984 और 1986 के दौरान उनके द्वारा प्राप्त राशि नीचे दी गई है :—

1984— 253·98 करोड़ रुपए

1986—434·10 करोड़ रुपए (18-8-87 तक)

"प्रमुख" स्वयं सेवी कल्याण संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करना संभव नहीं है क्योंकि "प्रमुख" शब्द को परिभाषित करना आवश्यक है।

नेपाल के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए समझौता

3831. **श्री भद्रेश्वर तांती :**

डा० वी० वेंकटेश :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल ने संयुक्त उद्यमों और परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक और व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या दोनों पक्ष नेपाल में विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं में भारत की अधिक भागीदारी की गुंजाइश का पता लगाने पर सहमत हुए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां। भारत नेपाल संयुक्त आयोग के गठन के सम्बन्ध में 20 जून, 1987 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इसमें पारस्परिक सद्भाव और सहयोग को मजबूत करने और इस सहयोग पर निगाह रखने के लिए एक छत्र-निकाय स्थापित करने का प्रावधान है।

(ग) जी, हां।

आदिवासियों के उत्थान के लिए व्यापक कार्यक्रम

3833. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में आदिवासियों के उत्थान के लिए एक व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना से अपनाई गई आदिवासी उपयोजना नीति के अन्तर्गत कार्यक्रम पूर्ण रूप से व्यापक है और आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी लोगों के विकास के लिए उनका कार्यान्वयन जारी रखा जायेगा।

आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का दर्जा बढ़ाने हेतु कार्यक्रम

3834. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का दर्जा बढ़ाने हेतु कोई कार्यक्रम है;

(ख) प्रशासन का दर्जा बढ़ाने के लिए क्या पद्धति अपनाई गई है; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) (ख) और (ग) सरकार ने 1978 में एक दल का गठन किया गया था जिसकी सिफारिशों में आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था और कार्मिक नीतियों के लिए आधार तैयार किया गया है। समिति ने अनेक उपायों की सिफारिश की है जिनकी आवश्यकता इनके लिए होगी :—(क) सही प्रकार के कार्मिकों की प्राप्ति तथा (ख) प्रयोजनास्तरीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए इनमें आदिवासी क्षेत्रों में तैनात कार्मिको के उपसंवर्ग का सृजन, भौतिक सुविधाओं का निर्माण वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन, इन क्षेत्रों आदि में तैनात स्टाफ को प्रशिक्षण देना शामिल है। इनकी क्रियान्विती के बारे में राज्यों से सिफारिश की गई थी और उनके साथ आगे विचार विमर्श किया जा रहा है।

आदिवासी क्षेत्र प्रशासन का दर्जा बढ़ाने के लिए वित्त आयोग भी इन क्षेत्रों में तैनात कार्मिकों को प्रतिपूर्ति भत्ता देने तथा अवसंरचानात्मक सुविधाओं के लिए विशेष धनराशि प्रदान कर रहे हैं। 1985-89 की अवधि के लिए 88·70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

लद्दाख में प्रतिबन्धित आन्तरिक रेखा

3835. **श्री पी० नामग्याल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंगयांग में चंगला दर्रा के उस पार, ऊषि से आगे केरे-न्योमा की ओर का क्षेत्र और लद्दाख की समूची घाटी प्रतिबंधित "आन्तरिक रेखा" के अन्तर्गत आती है तथा इस क्षेत्र में जब तक सरकार से उपयुक्त अनुमति नहीं ली जाती तब तक लद्दाख के निवासियों के सिवाय विदेशी नागरिकों तथा भारतीय राष्ट्रिकों के लिये प्रवेश वर्जित है;

(ख) क्या डिफेन्स सप्लाई मिशन में लगे अनेक गैर-सरकारी ट्रकों के मालिक तथा चालक अपने वाहनों को सक्षम प्राधिकारी की किसी उपयुक्त अनुमति के बिना लद्दाख के प्रतिबंधित क्षेत्र के अनुभाग में संचलित करते रहते हैं;

(ग) क्या बिना जांच-पड़ताल किये इस प्रकार के व्यक्तियों का संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में कार्य करना सुरक्षा की दृष्टि से खतरे के रूप में नहीं माना जाता; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का प्रतिबंधित आन्तरिक रेखा के अन्तर्गत अवांछित तत्वों के प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क), (ख), (ग) और (घ) :—

सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण

3836. **श्री एन० डेनिस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जनार्धन बनाम केन्द्रीय सरकार के मामले में 26 अप्रैल, 1983 को उच्चतम न्यायालय की डिवीजन बेंच की टिप्पणियों के अनुसरण में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण करने के बारे में आदेश जारी करने लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के संबंधित निर्णय को ध्यान में रखते हुए सीधी भर्ती तथा विभागीय पदोन्नत व्यक्तियों के बीच परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये आवश्यक संशोधित आदेश दिनांक 7 फरवरी, 1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35014/2/80 स्थापना (ड) के अधीन जारी किए गए थे जिनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5460/87]

[हिन्दी]

बिहार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आबंटित धनराशि

3837. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या कल्याणमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार को वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) बिहार सरकार ने शीर्ष-वार कितनी खर्च की है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

रुपये करोड़ में

	1985-86		1986-87	
	आबंटन (केन्द्रीय	व्यय अंशदान)	आबंटन (केन्द्रीय	व्यय अंशदान)
1. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं				
1. विशेष कम्पोनेंट योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	17·88	7·86	16·11	14·16
2. आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	19·64	18·62	20·66	14.40
3. अनुसूचित जाति विकास निगम	0·96	0·96	0·96	0·96
4. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	0·95	0·95	0·94	0·94
5. अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिये होस्टल	0·98	0·20	0·08	0·16*
6. मेडिकल और इंजीनियरिंग कालिजों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये पुस्तक बैंक योजना	0·03	0·10	0·03	0·06*

1	2	3	4	5
7. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना	0·03	0·05	0 03	0·06*
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये कोचिंग और सहायक योजना	— (ऐसी कोई योजनाएं राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई)	—	0 03	0 06*
9. अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिये होस्टल	— प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ		0·18	0·18

[अनुवाद]

लैटिन अमरीका के देशों से संबंध

3838. **श्री दौलत सिंह जी जवेजा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय दूतावासों द्वारा लैटिन अमरीका के देशों से बेहतर संबंध बनाने के लिये कौन से उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) बेहतर संबंध बनाने हेतु इन देशों के साथ शैक्षिक और व्यापारिक सम्बन्धों को सुधारने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) सरकार की यह नीति है कि लातिनी अमरीका के सभी देशों के साथ सचि सभी क्षेत्रों में निकट सम्बन्ध बनाए जाएं जिनमें संस्कृति और व्यापार भी शामिल हैं। हमारे मिशन द्विपक्षीय व्यापार संबंध बढ़ाने के लिये व्यापार और वाणिज्य से सम्बद्ध आवश्यक सूचना, जिसमें व्यापार और निविदा संबंधी पूछताछ भी शामिल है, देशर, भारत आने वाले प्रतिनिधिमंडलों को उचित सहायता देकर तथा समय-समय पर संगत विपणन सूचना देकर आवश्यक उपाय करते हैं।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान करारों में द्विपक्षीय शैक्षिक आदान-प्रदान भी शामिल किये जाते हैं। अर्जेंटिना, ब्राजील, कोलम्बिया, क्यूबा, ग्याना, मैक्सिको, निकारागुआ, पेरु और वेनीजुएला के साथ इस प्रकार के करार किये गये हैं।

हमारे मिशन अपने प्रत्यायन के देशों की सरकारों, वाणिज्य तथा उद्योगमंडलों, व्यापारिक घरानों आदि और शैक्षिक संस्थाओं एवं शिक्षा और संस्कृति से संबद्ध विभागों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करके इस सम्बन्ध में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

*इसमें राज्य सरकारों का अंशदान भी शामिल है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन

3839. **श्री उत्तम राठौर :**

श्री गंगाराम : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ जातियों को शामिल करने और कुछ को हटाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस दिशा में कोई कदम न उठाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में जातियों को हटाने के क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) से (ग) प्राप्त हुए प्रस्तावों पर संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई भी संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है।

कैंडी में भारतीय उच्चायुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय में बम विस्फोट

3840. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री वी० तुलसीराम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो में कैंडी स्थित भारतीय उच्चायुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के भवन में 25 अक्तूबर, 1987 को एक उच्च शक्ति का बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इसमें किसी की जान तो नहीं गई लेकिन सहायक हाई कमीशन की इमारत को भारी नुकसान हुआ।

(ग) और (घ) श्रीलंका की सरकार ने इस वारदात की जांच-पड़ताल की है, लेकिन किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंची है।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए आबंटन

3841. **श्री अमल दत्ता** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिये कितनी धन-राशि का नियतन किया गया है तथा कार्यक्रमों के विभिन्न भागों के लिये सातवीं योजना अवधि में आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन कार्यक्रमों को कब से शुरू किया गया है और अब तक इन प्राप्त सफलता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय आबंटन सम्पूर्ण कार्यक्रम के लिये किये जाते हैं. इस कार्यक्रम के लिये सातवीं योजना में परिकल्पित आबंटन विवरण में दिये गये हैं। यह कार्यक्रम पांचवीं योजनावधि के दौरान शुरू किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य घटक के अन्तर्गत हुई प्रगति के राज्यवार आंकड़े विवरण-II में दिये गये हैं।

विवरण-I

सातवीं योजनावधि के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर परिव्यय

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(करोड़ रुपये में) सातवीं योजना परिव्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	110·50
2.	असम	10·00
3.	बिहार	35·00
4.	गुजरात	60·67
5.	हरियाणा	86·25
6.	हिमाचल प्रदेश	3·00
7.	जम्मू व कश्मीर	5·50
8.	कर्नाटक	47·00
9.	केरल	29·00
10	मध्य प्रदेश	161·96
11.	महाराष्ट्र	319·91
12.	मणिपुर	3·00
13.	उड़ीसा	19·00
14.	पंजाब	16·00
15.	राजस्थान	99·12
16.	तमिलनाडु	40·00
17.	उत्तर प्रदेश	107·00
18.	पश्चिम बंगाल	9·00
19.	दादरा व नागर हवेली	2·15
20.	गोवा, दमन व दीव	6·65
	कुल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1170·71
	केन्द्रीय क्षेत्र	500·00
	कुल योग	1670.71

विवरण-II

मार्च 1987 तक कमान क्षेत्र कार्यक्रम के मुख्य घटकों के अन्तर्गत संचित उपलब्धियां

(हजार हैक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मार्च 1987 तक उपलब्धियां		
		खेत नालियों का निर्माण	भूमि समकरण/ रूप देना	वाराबन्दी का कार्यान्वयन
1.	आन्ध्र प्रदेश	697·65	309 40	1009·20
2.	असम	17·14	—	17 83
3.	बिहार	1182·78	1·78	62·35
4.	गुजरात	630·17	176·04	373·13
5.	हरियाणा	47·13	24·50	105·09
6.	हिमाचल प्रदेश	1·89	—	1·15
7.	जम्मू व कश्मीर	20·49	19·76	19·00
8.	कर्नाटक	834·15	541·33	113·04
9.	केरल	11·515	—	6·54
10.	मध्य प्रदेश	678·74	44·13	180·65
11.	महाराष्ट्र	684·09	555·62	168·80
12.	मणिपुर	11·35	2·15	6·60
13.	उड़ीसा	203·17	11·19	50·99
14.	राजस्थान	464·62	71.90	167·40
15.	तमिलनाडु	203·95	---	14 68
16.	उत्तर प्रदेश	3722·46	8·80	932·29
17.	पश्चिम बंगाल	27·65	2·97	—
18.	गोवा	1·23	0·04	0·23
19.	दादरा व नागर हवेली	4·80	—	—
	कुल	9444·97	1769 61	3229·2

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चेयरमैन और प्रबन्धक निदेशक के पदों का भरा जाना

3842. **श्री अरुण कुमार नेहरू** : क्या प्रधान मंत्री चैयरमैन के पद रहित सरकारी क्षेत्र के बारे में 11 नवम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 741 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की

कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र की 20 कम्पनियों में कितनी अवधि से चेयरमैन और प्रबन्धक निदेशक नहीं हैं और प्रत्येक कम्पनी में समय पर इन पदों को भरे जाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की रिक्तियां :

क्रम सं०	पद/उद्यम का नाम	रिक्त की तारीख (मन्त्रालय से एकत्रित की गई सूचना के अनुसार)
1.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत लैदर कारपोरेशन	01-12-86
2.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि०	01-08-86
3.	प्रबन्धक निदेशक, भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि०	19-06-87
4.	प्रबन्ध निदेशक, स्कूटर्स इंडिया लि०	26-12-86
5.	प्रबन्ध निदेशक, भारत बैंगन एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लि०	01-08-86
6.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०	01-01-87
7.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एन० टी० सी० (यू० पी०) लि०	28-11-85
8.	अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक एन० टी० सी० (एम० एस०) लि०	24-11-86
9.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन० टी० सी० (एम० एन०) लि०	28-02-86
10.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक हास्पिटल सर्विसिज कंसलटेशन कार्पोरेशन ।	नया पद
11.	प्रबन्ध निदेशक, नागालैंड पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०	21-04-87
12.	प्रबन्ध निदेशक, भारतीय पर्यटन विकास निगम	18-03-87
13.	प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक एण्टीबायटिक्स लि०	08-09-87
14.	अध्यक्ष, मिनरल्स एण्ड मेटल्ज ट्रेडिंग कार्पोरेशन	18-09-87
15.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०	25-09-87
16.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, काटन कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०	24-09-87
17.	अध्यक्ष, स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन	08-10-87
18.	प्रबन्ध निदेशक, माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि०	29-09-87
19.	प्रबन्ध निदेशक, भारत ब्रेक्स एण्ड वल्ब्ज लि०	16-04-87
20.	प्रबन्ध निदेशक, भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लि०	31-1-85

सरकारी क्षेत्र की यूनिटों में अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति करने में विलम्ब के कारण ये हैं कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा ऐसे पदों के लिये चयन निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद किया जाना होता है और सार्वजनिक उद्यमों से सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा बोर्ड की सिफारिशों पर कार्रवाई की जानी होती है और अन्ततः नियुक्तियां केवल मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से ही की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसी नियुक्तियां सम्बन्धित अधिकारियों की नियुक्तियां होने से पहले, उनके मामले में सतर्कता सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र, चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापन तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही की जा सकती हैं। कुछेक मामलों में विशिष्ट कार्य-कुशल व्यक्तियों को अखबारों के विज्ञापनों के माध्यम से ढूंढना पड़ता है, जिसमें समय लग जाता है। ऐसे मामलों में भी विलम्ब हो जाता है, जहां चुने गए व्यक्ति कार्यभार देर से सम्भालते हैं अथवा आते ही नहीं।

विद्यमान रिक्तियों के सम्बन्ध में स्थानापन्न व्यवस्थाएं पहले ही कर दी गई हैं ताकि इन उद्यमों के काम-काज में बाधा न पड़े और इन रिक्तियों को भरे जाने संबंधी प्रक्रिया भी पूरे जोरों पर है।

दिल्ली पुलिस के महिला सैल द्वारा मामलों का दर्ज किया जाना

3843. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के महिला सैल द्वारा प्रारम्भ से सितम्बर, 1987 तक दहेज के बारे में कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(ख) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सैल के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 1883 में महिला सैल के गठन के बाद 30 सितम्बर, 1987 तक इस सैल को 9392 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) लगभग 2074 मामलों में राजीनामा कराया गया और 3788 शिकायतें पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण फाइल कर दी गई। 824 मामलों में भा० द० सं० की धारा 498क/406 और दहेज निषेध अधिनियम के अधीन मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई थी।

(ग) पुलिस मुख्यालय में महिला सैल के अतिरिक्त जिला स्तर पर भी इसी प्रकार के सैलों का गठन किया गया है। सैल महिलाओं के प्रति अहराध के मामलों की जांच/मुकदमों की प्रगति का प्रबोधन करता है।

[हिन्दी]

मिश्र आयोग की रिपोर्ट के अनुसरण में समिति की नियुक्ति

3844. **डा० चिन्ता मोहन :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) :—

न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जांच आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में दिल्ली प्रशासन के भूतपूर्व गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित 3 में से एक समिति ने पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; समिति के निष्कर्ष/सिफारिशें विवरण में दी गई हैं ।

(ग) 429 विधवाओं को आयु और शैक्षिक अहर्ताओं में छूट देकर दिल्ली के विभिन्न सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों में नियुक्ति के लिए पत्र भेजे गए हैं ।

दंगा पीड़ित ऐसी विधवाओं को जिनको कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका अथवा जो कोई कार्य करने में असमर्थ है और 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे दंगा प्रभावित व्यक्ति जिनकी आजीविका के साधन/आजीविका कमाने वाले भावी सदस्य की क्षति हुई है को 400/-रुपये प्रतिमाह की दर से तदर्थ राहत देने का हाल ही में निर्णय किया गया है । कुल 490 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 19 मामलों में तदर्थ राहत पहले स्वीकृत की जा चुकी है ।

विवरण

समिति के निष्कर्ष/सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

1. नवम्बर, 1984 के दंगों में मृतकों की संख्या 2733 है ।
2. अन्य लाभों के अतिरिक्त पात्र विधवाओं को यह प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को उचित सरकारी रोजगार दिया जाए तथा आयु, शैक्षिक अर्हताएं और कार्य-अनुभव सम्बन्धित नियमों में छूट दी जाए ।
3. ऐसे मामलों में जहां विधवा की आयु 55 वर्ष से अधिक हो चुकी है और विधवा या उसके किसी एक पुत्र को कोई रोजगार नहीं दिया गया है, प्रत्येक विधवा को 500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन दी जाए ।
4. दंगों में मारे गये व्यक्तियों के स्कूल और कालेज में पढ़ रहे प्रत्ये बच्चे को 50 रुपये छात्रवृत्ति दी जाए ।
5. राहत आयुक्त का कार्य जारी रखा जाए ।

[अनुवाद]

लघु सिंचाई निर्माण कार्यों की गणना

3845. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश मे पहली बार लघु सिंचाई निर्माण कार्यों की पूरी गणना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस गणना के लक्ष्य क्या हैं;

(ग) इस योजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) यह गणना कब पूरी होगी ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) समर्थ आंकड़ा आधार प्रदान करने की दृष्टि से स्कीम में लघु सिंचाई के स्रोतों की व्यापक गणना तथा सिंचित क्षेत्रों के मूल्यांकन की परिकल्पना की गई है।

(ग) 3·5 करोड़ रुपये।

(घ) जनगणना 1988 में पूरी की जानी है।

प्रयोक्ता राज्यों के बीच जल का तर्कसंगत वितरण

3846. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में बार-बार सूखे की स्थिति के कारण जल व्यवस्था नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रयोक्ता राज्यों के बीच जल के तर्कसंगत वितरण और वाष्पीकरण से होने वाली क्षति को रोकने तथा पानी की पूर्ति को बढ़ाने के लिए जल शोधों संबंधी विकास का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था सूखा-सह्यकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय पाया गया है और सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से कुछ अभिज्ञात परियोजनाओं को पूरा करने के लिए योजना में अतिरिक्त सूखा राहत सहायता प्रदान की गई है।

(ग) प्रयोक्ता राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय जल का वितरण पंचाटों और अन्तर्राज्यीय करारों तथा समझौतों द्वारा शासित किया जाता है। देश में मृदा संरक्षण और वनरोपण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और पुनर्भरण क्षमताओं में वृद्धि की संभावना है। छोटे जलाशयों से वाष्पीकरण हानियां कम करने के लिए कुछ स्थानों पर रसायनिक विलम्बनों के प्रयोग के प्रयास किए जा रहे हैं।

वृद्ध नागरिकों के लिए यात्रा संबंधी सुविधायें

3847. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विकसित और विकासशील देशों में और भारत में भी कुछ स्थानों पर वृद्ध नागरिकों को रेलगाड़ियों और बसों में रियायती दरों पर यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाती है;

(ख) क्या सरकार का देश में वृद्धजनों को वही रियायतें देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय के उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) यद्यपि इस विषय पर कोई सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी कुछ विकसित देशों में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कुछ प्रकार की यात्रा संबंधी रियायतें दी जाती हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में नहरों के निर्माण के लिए सहायता

3848. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में नहरों के निर्माण के लिए कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) उड़ीसा में उक्त अवधि के दौरान कितनी नहरों का निर्माण किया गया और उनसे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में उड़ीसा सरकार को और नहरों का निर्माण करने के लिए निर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : सिंचाई स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और केंद्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों तथा ऋणों के रूप में दी जाती है और यह किसी स्कीम अथवा सेक्टर से जुड़ी नहीं होती है ।

(ख) निर्माणाधीन वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें, जो आंशिक रूप से पूरी हो गई हैं, ने वर्ष 1985-87 के दौरान 29,000 हेक्टेयर (प्रत्याशित) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की है और वर्ष 1987-88 के लिए 34,000 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ग) और (घ) योजना के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कुछ निर्माणाधीन सिंचाई कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए सूखा सहायता के अन्तर्गत 22 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

सब्जियों, अण्डों, फलों आदि की प्रति व्यक्ति खपत

3849. **डी० के० तारा देवी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटे अनाजों, सब्जियों, फलों, अंडों, मछलियों, रेड मीट और ह्वाइट मीट की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है; और

(ख) इन खाद्य पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

योजना मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान (आई० सी० एम० आर०) हैदराबाद द्वारा प्रकाशित "डाइट एटलस आफ इण्डिया" (1971) के अनुसार, अखिल भारत स्तर पर मोटे अनाज, सब्जियां, फल, अंडे, मछली आदि का प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपभोग का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है :—

बाजरा और अन्य अनाज (चावल और गेहूं को छोड़कर)	109 ग्राम
पत्तेदार हरी सब्जियां	21 ग्राम
अन्य सब्जियां	71 ग्राम
फल	10 ग्राम
मीट, मछली और अंडे	14 ग्राम

(ख) छठी और सातवीं योजना अवधियों में मोटे अनाज, सब्जी, फल, अंडे, मछली, रेड मीट और ह्वाइट मीट के उपभोग में सुधार लाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में योजना कार्यक्रम फसल उत्पादन के गुणात्मक और परमाणात्मक पहलुओं में सुधार लाने पर विचार सकेंद्रित किये जा रहे हैं बाजरा और अन्य मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुष्क/वर्षा सिंचित खेती पर बल दिया जा रहा है। रबी के मौसम में मक्का और सोरगम उगाने के लिए उपयुक्त किस्में और उचित प्रबंध कार्य शुरू किए जा रहे हैं। फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के शुष्क भूमि और अन्य कृषि जलवायु संबंधी क्षेत्रों और पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में कृषि के साथ बागवानी एकीकरण का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। आम, सेव, नींबू-वंश अमरूद, सब्जियां आदि से संबंधित पुरानी बीमारियों पर नियंत्रण से संबंधित कार्य मिशन उन्मुख आधार पर शुरू करने का प्रस्ताव है। अंडे और मीट का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुर्गीपालन कार्यक्रम पर मुख्य बल दिया जा रहा है। किसानों को कुकुट की पूर्ति और अधिकतम उत्पादन करने के लिए अंडे में अधिक तापमान द्वारा वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रकों द्वारा चलाए जा रहे राज्य मुर्गी पालन केन्द्रों को सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है। पशु-पालन और भेड़ पालन के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। चुने हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहां सुअर के मीट का अधिक उपभोग होता है, सुअर उत्पादन स्कीमों को गहन तरीके से शुरू करने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्यवर्धक मीट के उत्पादन के के लिए महानगरीय और अन्य शहरों में बूचड़खाने आधुनिक और उन्नत किस्म के बनाये जा रहे हैं। प्रभावी पशु स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए, बीमारी की निगरानी, रोग विषयक जांच सुविधाएं और प्रबोधन कार्य को उन्नत किया जा रहा है।

इसके अलावा, नुकसान को कम करने और उपभोक्ताओं को उचित और ताजा पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण, प्रक्रमण और विपणन में पोस्ट हारवेस्ट टेक्नालाजी की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। कमजोर वर्गों को सामान्य रूप से अनाज और अन्य खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए लोक वितरण व्यवस्था का त्वरित विस्तार किया जा रहा है। साथ ही साथ, ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रकों के अंतर्गत विभिन्न रोजगार और आय सृजन कार्यक्रमों द्वारा क्रय शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पेरिस और म्युनिख में हुई इलेक्ट्रानिक सामान की प्रदर्शनी

3850. **श्री प्रतापराव वी० भोंसले :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की कुछ इलेक्ट्रोनिकी उपकरण निर्माता कम्पनियों ने पेरिस और म्युनिख में आयोजित की गई इलेक्ट्रा सामान की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रदर्शनी में भाग लेने से देश में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने में और उनके उत्पादन में वृद्धि करने में किसी प्रकार से कोई सहायता मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने और प्रौद्योगिकी अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा,

इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायण) : (क) जी, हां।

(ख) नवम्बर, 1986 के दौरान म्यूनिख में आयोजित 'इलेक्ट्रानिका 86' प्रदर्शनी तथा नवम्बर, 1987 में पेरिस में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा प्रदर्शनी में भारत के इलेक्ट्रानिकी उद्योग ने भाग लिया था जिसका समन्वय-कार्य भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने किया था।

इन दो प्रदर्शनियों में निम्नलिखित इलेक्ट्रानिक कम्पनियों/संगठनों ने भाग लिया :

(क) इलेक्ट्रानिका '86' म्यूनिख

1. सप्लाइड इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, ठाणे
2. कांटिनेंटल डिवाइस इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
3. विकास आयुक्त का कार्यालय, सीप्ज, बम्बई।
4. अप्ट्रान इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा प्रदर्शनी, पेरिस।

1. जागरण माइक्रो मोटर्स लिमिटेड, कानपुर
2. सैमटेल (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली
3. विकास आयुक्त का कार्यालय, सीप्ज, बम्बई
4. पुनसुमी इण्डिया लिमिटेड, जयपुर

'एक्सिना' के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां

5. एल्कौन इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लिमिटेड, नासिक
6. कांटिनेन्टल डिवाइस इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
7. एलकाम्पो इलैक्ट्रानिक इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड, मद्रास
8. हिन्दुस्तान कण्डक्टर्स प्रा० लिमिटेड, बम्बई
9. ज्योति सिरेमिक इंडस्ट्रीज प्रा० लिमिटेड, नासिक
10. एम० सी० इंजीनियरिंग कं० प्रा० लिमिटेड, नई दिल्ली
11. मित्तल इंटरनेशनल, नई दिल्ली
12. पी० एल० ए० काम्पोनेंट्स, बम्बई
13. सुचित्रा इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लिमिटेड, हैदराबाद
14. वेस्टर्न इण्डिया एन्टरप्राइज लिमिटेड (इलेक्ट्रानिक प्रभाग), पूना
15. विकास हाई ब्रिड एण्ड इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली।

(ग) तथा (घ) अन्तर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक प्रदर्शनियों में भाग लेने का उद्देश्य यह था कि भारतीय विनिर्माताओं को केवल पश्चिम जर्मनी और फ्रांस के आयातकर्ताओं, खरीदारों तथा विक्रेताओं को ही नहीं अपितु पश्चिम योरुप के देशों को भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने तथा प्रचार-प्रसार करने का अवसर प्राप्त हो। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों तथा उपस्करों का भी उत्पादन बढ़ेगा और देश से निर्यात की मात्रा में वृद्धि होगी।

(ङ) उद्योग को आधुनिक बनाने तथा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए इलेक्ट्रानिकी से संबंधित नीतियों को उदार बनाया गया है। देश की इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए अनुसार हैं :

(i) निर्यात के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों की निरन्तर समीक्षा।

(ii) एक अलग इलेक्ट्रानिकी एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद का गठन

(iii) वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने तथा इलेक्ट्रानिकी के निर्यात के विकास के लिए उपाय सुझाने तथा संभावित निर्यातकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए एक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक कार्यदल तथा एक स्थायी समिति का गठन।

सरकार महत्वपूर्ण उत्पादों का पता लगाने की नीति का भी अनुसरण कर रही तथा जिन कम्पनियों की निर्यात की संभावनाएं अधिक हैं उन्हें अपने निर्यात की मात्रा बढ़ाने में मदद करने के उद्देश्य से उनके साथ निरन्तर बातचीत करती रहती है।

चम्बल सिंचाई परियोजना के कारण जल का एकत्र होना

3851. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल और ताबा की विद्यमान वृहत् भूजल सिंचाई परियोजनाओं के कमान के अन्तर्गत आने वाले बड़े क्षेत्रों में पानी जमा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और ऐसे क्षेत्रों को सुधारने के लिए क्या कार्यनीति तैयार की गई है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) चम्बल तथा ताबा परियोजनाओं के कमान में कुछ क्षेत्रों में जल-जमाव होने की सूचना प्राप्त हुई है। क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक उपाय प्रारम्भ किए हैं।

पश्चिम बंगाल से स्वतन्त्रता सेनानियों के मामले

3852. **डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल से स्वतंत्रता सेनानियों के पेन्शन सम्बन्धी कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ख) लंबित मामलों को अविलम्ब निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्त्रामणि पाणिग्रही) : (क) पिछले वर्ष चलाए गए विशेष अभियान और तब से किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल के 42 लंबित मामलों को छोड़कर सभी मामले निपटाये जा चुके हैं।

(ख) राज्य सरकार को उनकी रिपोर्ट/सिफारिशों को भेजने के लिए समय-समय पर अनुस्मरण कराया जा रहा है। इन मामलों पर राज्य रिपोर्टें प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

लोधी कालोनी में चोरी के मामले

3853. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या गृह मन्त्री लोदी कालोनी, नई दिल्ली में चोरी के मामलों

के बारे में 14 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2906 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस अधिकारियों ने चोरी के शेष मामलों में अपराधियों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) 10 मामलों में से 3 मामलों को हल कर लिया गया है उनमें से 2 मामले न्यायालय में विचारण के लिए लंबित हैं। शेष 7 मामलों को लापता के रूप में दिखाया गया क्योंकि कोई सुराग नहीं मिला। जब कभी कोई सुराग ध्यान में आएगा तो इन मामलों को दुबारा चालू किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

3854. **श्री सलीम आई० शेखानी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन मझोली और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की संख्या और नाम क्या हैं जिन्हें छटी और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में स्वीकृति प्रदान की गई;

(ख) वह सिंचाई परियोजनायें कौन सी हैं जिन पर निर्माण कार्य आरम्भ हो गया हैं और उन पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) अनुमोदित सिंचाई परियोजनाएं, केवल बृहद निम्नवत् हैं :—

1. लचुरा बांध का आधुनिकीकरण
2. भीमगौडा परियोजना
3. सजनाम बांध परियोजना

(ख) छठी योजना के अन्त तक उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं पर 1500 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।

(ग) और (घ) चालू योजना में 39 से अधिक परियोजनाओं के पूरा हो जाने की सम्भावना है।

गोवा के राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान द्वारा अनुसंधान के दौरान की गई खोजें

3855. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान गोवा राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान द्वारा अनुसंधान के जरिए की गई खोजों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आ० नारायणन) : राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान

संस्थान (एन० आइ० ओ०), गोवा ने समुद्र से भौतिक, रासायनिक, जैविक, भूवैज्ञानिक व भुभौतिकीय, समुद्र विज्ञान, समुद्री यंत्रीकरण, महासागर इंजीनियरी तथा ऊर्जा के क्षेत्रों में कई योगदान दिये हैं। पिछले 3 वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

1. बहुधात्विक ग्रन्थिकायें

मध्य हिन्द महासागर बेसिन में बहुधात्विक ग्रन्थिकाओं हेतु किये गये सर्वेक्षणों के परिणामों ने भारत को एकमात्र खनन अधिकार प्राप्त करने हेतु उसकी "पायनियर इन्वेस्टर" (अग्रणी पूंजी निवेशक) के रूप में पंजीकृत होने वाले प्रथम देश के रूप में पहचान स्थापित की।

2. भारत के पश्चिमी महाद्वीपीय उपतट *Al, *Fe, *Ti, *Mn, व *Ni सहित अवसाद के वितरक को दर्शाने वाले भूरासायनिक मानचित्र तैयार किये गये।

3. रतनगिरि की 13 खाड़ियों में टाइटेनियम व वैनेनियम युक्त इल्मेनाइट प्लेसर हेतु किये गये सर्वेक्षणों से 12·5 मैट्रिक टन के अनुमानित निचय (इनभरड् रिजर्वस) का पत लगा है।

4. फ्लोटिंग रैफ्ट पर रज्जु पर हरे शंबु (ग्रीन म्यूसैल्स) में संबर्धन हेतु एक नई तकनीक का विकास किया गया है, इससे 480 टन/हेक्टेयर/प्रतिवर्ष के हिसाब से फसल प्राप्त होती है और पूंजी निवेश पर 181% के लाभ सहित एक वर्ष में 3 फसलों की संभावना होती है। इस प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रदर्शन किया गया है।

5. आर्टेमिया जो खाने योग्य एक लवणजल चिंगट होता है, के वाणिज्यिक उत्पादन हेतु प्रौद्योगिक किफायती सुसंगत विधि का विकास किया गया है। परीक्षणों से पता चला है कि इससे निवेश (61%) पर अत्याधिक लाभ की प्राप्ति होती है और इसके संचालन में कम लागत आती है।

6. कच्छ की खाड़ी के अध्ययनों से तेज ज्वारीय धाराओं से संवद्ध डाइनेमिक बैरियर इफैक्ट फेनोमेना (गतिक रोधिका प्रभाव वृत्त) की खोज की गई, जो ज्वारीय विद्युत के विकास हेतु महत्व-पूर्ण हो सकती है।

7. विकसित किये गये समुद्री औजार यथा धारामापी, तरंग व ज्वार अभिलेखी, स्वचालित मौसम स्टेशन, महासागर आंकड़ा उत्प्लब व निमज्जन तापलेखी (बैथीथर्मोग्राफ) का इस संस्थान व अन्य अभिकरणों (एजेन्सियों) द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

8. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के कार्य से अनेक संगठनों को लाभ मिला है। इनमें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, पोर्ट ट्रस्ट्स, भारतीय नौ सेना, तट के किनारे स्थित उद्योग, बम्बई नगर-पालिका निगम तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के विभाग प्रमुख हैं। इस अवधि में राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, गोवा को प्रायोजित/परामर्श कार्य से 2·6 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई।

*Al एल्यूमिनियम
Fe आयर
Ti टाइटेनियम
Mn मैंग्नीज
Ni निकिल

बम्बई का नाम बदल कर मुम्बई रखने सम्बन्धी प्रस्ताव

3857. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा बम्बई का नाम बदल कर 'मुंबई" रखने के लिए मंजूरी मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : जी हां, श्रीमान् ।

(ख) नीति के रूप में भारत सरकार गांव, कस्बों, शहरों का नाम केवल स्थानीय देशभक्ति अथवा भाषायी कारणों अथवा स्थानीय भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए बदलने के प्रस्तावों पर सहमत नहीं होती रही है ।

भारतीय न्यायिक सेवा

3858. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) सेवा का प्रस्तावित स्वरूप क्या है;

(ग) सेवा के प्रत्येक ग्रेड में कितने पदों को संवर्ग में लिए जाने का विचार है; और

(घ) उक्त सेवा के किस तारीख से बन जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा से संबधित ठीक-ठीक ब्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) कोई निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है ।

विदेशी सहयोग सम्बन्धी समझौते

3859. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन-कौन से देश हैं जिनके साथ हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौते किये हैं;

(ख) उदत्त समझौतों के अन्तर्गत उन देशों को कितने भारतीय तथा प्रौद्योगिकी कर्मचारी भेजे गये हैं और विदेशों के कितने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी कर्मचारी हमारे देश में भेजे गये हैं ।

(ग) उक्त समझौतों के अन्तर्गत कितने मूल्य के वैज्ञानिक उपकरण उन देशों को तथा कितने मूल्य के वैज्ञानिक उपकरण विदेशों से हमारे देश को सप्लाई किये गये हैं; और

(घ) उक्त समझौतों के अन्तर्गत प्रत्येक देश में कितने भारतीय प्रशिक्षणार्थी भेजे गये तथा कितने प्रशिक्षणार्थी उन देशों से हमारे देश में आये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी, और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० नारायणन) : (क) जिन देशों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के करार किए गए हैं, उनकी सूची विवरण में दी गई है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में अंतरिक्ष को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 1081 भारतीय कार्मिकों को विदेशों में भेजा गया, जब कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित 1219 कार्मिक विदेशों से भारत आये । अन्तरिक्ष के क्षेत्र में किये गये विभिन्न करारों के समय से इस क्षेत्र में 243 भारतीय कार्मिक विदेशों को भेजे गये और 63 विदेशी कार्मिक भारत आये । इन आंकड़ों में भारत

और संयुक्त राज्य अमरीका तथा भारत और सोवियत संघ के बीच हर वर्ष होने वाले आपसी दौरे शामिल नहीं हैं।

(ग) भारतीय संस्थाओं ने 7 करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य के उपकरण खरीदे हैं। भारत की ओर से कोई उपकरण सप्लाई नहीं किया गया है।

(घ) अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों को छोड़ कर अन्य क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों में विभिन्न देशों में भेजे गये भारतीय प्रशिक्षणार्थियों की संख्या विवरण 2(क) में दी गई सूची के अनुसार है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उक्त भाग (ख) में दिये गये आंकड़े अधिकांशत: प्रशिक्षणार्थियों के ही हैं, जिनका विभिन्न देशों के लिए विवरण 2(ख) में दिया गया है।

विवरण-1

देशों की सूची, जिनके साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था विद्यमान है

1. अर्जेंटीना
2. आस्ट्रेलिया
3. बांग्लादेश
4. ब्राजील
5. बल्गारिया
6. कनाडा
7. क्यूबा
8. चेकोस्लोवाकिया
9. डेनमार्क
10. कोरिया समाजवादी गणराज्य
11. यूरोपीय आर्थिक समुदाय
12. मिश्र
13. फ्रांस
14. जर्मन संघीय गणराज्य
15. जर्मन जनवादी गणराज्य
16. हंगरी
17. इण्डोनेशिया
18. इराक
19. इटली
20. जापान
21. जोर्डन
22. मैक्सिको

23. मंगोलिया
24. नीदरलैंड्स
25. न्यूजीलैंड
26. नाइजीरिया
27. नार्वे
28. पाकिस्तान
29. पेरू
30. पोलैंड
31. कोरिया गणराज्य
32. रोमानिया
33. सार्क
34. सऊदी अरब
35. श्रीलंका
36. सूडान
37. स्वीडन
38. ट्रिनीडाड व टोबैगो
39. थाईलैंड
40. तुर्की
41. यू० के०
42. संयुक्त राज्य अमरीका
43. सोवियत संघ
44. वियतनाम
45. यूगोस्लाविया
46. जाम्बिया
47. जिम्बाब्वे
48. मारीशस

विवरण-2 (क)

विदेशों में भेजे गए भारतीय प्रशिक्षणार्थियों की संख्या

कनाडा	11
फ्रांस	65
जर्मन संघीय गणराज्य	35
हंगरी	1

नीदरलैंड	16
नार्वे	13
यू० के०	49
संयुक्त राज्य अमरीका	55
सोवियत संघ	2

भारत आये विदेशी प्रशिक्षणार्थियों की संख्या

सोवियत संघ	4

विवरण-2(ख)

विदेशों में भेजे गए भारतीय प्रशिक्षणार्थियों की संख्या

फ्रांस	88
जर्मन संघीय गणराज्य	150
यू० के०	5

भारत आए विदेशी प्रशिक्षणार्थियों की संख्या

फ्रांस	8
जर्मन संघीय गणराज्य	50
यू० के०	5

विदेशी राजनयिक मिशनों में स्थानीय कर्मचारी

3860. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी राजनयिक मिशनों में स्थानीय कर्मचारियों की संख्या का मिशनवार तथा श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए कोई मानक शर्तें और माडल समझौता निर्धारित किया है;

(ग) क्या ऐसे समझौते के उल्लंघन की कोई घटना सरकार की जानकारी में आई है;

(घ) क्या ऐसे समझौते के बिना किसी नियुक्ति का मामला सरकार की जानकारी में आया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन सी उपचारात्मक कार्यवाही की गई ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) नई दिल्ली स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों में काम करने वाले स्थानीय कर्मचारियों की कुल संख्या 3, 258 है । मिशनवार और वर्गवार इन स्थानीय कर्मचारियों का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5461/87]

जहां तक दिल्ली के बाहर स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों में काम करने वाले स्थानीय

कर्मचारियों का सवाल है इनके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकार ने 1975 में ही कुछ मार्ग-निर्देश तैयार किये थे और उन्हें भारत स्थित राजनयिक मिशनों को भेजा था। इसका ब्यौरा सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए, संख्या एल० टी० 5461/87]

(ग) ऐसे कोई करार सम्पन्न नहीं हुए अतः इनके उल्लंघन का सवाल नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

शाह नहर परियोजना से पानी

3861. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सिंचाई के लिए शाह नहर परियोजना के निर्माण हेतु पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों के बीच समझौते को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ताकि शाह नहर के निर्माण के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित कांगरा जिले के इन क्षेत्रों को 228 क्यूसेक पानी प्राप्त हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी तथा नहरों/वितरण मार्गों का कब तक निर्माण किया जायेगा और परियोजना को कब तक मंजूरी दी जायेगी तथा इसका निर्माण कार्य कब शुरू किया जायेगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रों की सिंचाई के लिए शाह नहर परियोजना से 228 क्यूसेक जल के उपयोग के लिए 49·3 करोड़ रुपये की परियोजना रिपोर्ट भेजी है। तथापि, यह अनुमान पंजाब सरकार के परामर्श से तैयार नहीं किए गए हैं जैसा कि 4-8-1983 के अन्तर्राज्यीय समझौते में अपेक्षित है। परियोजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने से पहले पंजाब सरकार की टिप्पणियां अपेक्षित हैं। भारत सरकार ने हाल ही में पंजाब सरकार को अधिशेष रावी-व्यास जल में पंजाब के हिस्से में से 228 क्यूसेक हिमाचल प्रदेश में उपयोग के लिए अलग रखने की अत्यन्त आवश्यकता के सम्बन्ध में लिखा है।

स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना को उदार बनाना

3862. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना को इसके आरम्भ से लेकर अब तक कई बार उदार बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बार इसको कितना उदार बनाया गया और प्रत्येक बार उदारीकरण किये जाने की तिथि क्या थी तथा उसको कितना उदार बनाया गया;

(ग) क्या उन स्वतन्त्रता सैनानियों को भी जो संघर्ष के दौरान भूमिगत हो गये थे और उन्हें किसी जेल में नजरबन्द नहीं रखा गया था इस प्रकार के किसी एक उदारीकरण द्वारा पेंशन पाने का पात्र माना गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी तिथि क्या है;

(घ) इस प्रकार के कितने भूमिगत स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन दी गई है और उनके द्वारा किस प्रकार के प्रमाण पेश किये गये; और

(ङ) हिमाचल प्रदेश से जिलावार ऐसे स्वतन्त्रता सैनानियों की संख्या कितनी है जिनके मामलों में राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई है लेकिन वे अभी तक केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिये विचाराधीन पड़े हैं और उन मामलों के कब तक निपटाये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) स्वतन्त्रता सैनानी पेंशन योजना 1972 में स्वतन्त्रता की रजत जंयती के अवसर पर शुरू की गयी थी। योजना को 1980 में उदार बनाया गया और इसका नाम बदलकर स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना रखा गया। समय-समय पर किए गये कुछ मुख्य उदारीकरण निम्न प्रकार हैं :—

(i) केन्द्रीय पेंशन में से राज्य पेंशन की राशि की कटौती 1-10-76 से स्थगित कर दी गयी।

(ii) पेंशन की पवित्रा के लिये 5000 रुपये की प्रतिवर्ष की अधिकतम आय सीमा 1-8-80 से हटा दी गयी थी।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला स्वतन्त्रता सैनानियों के मामलों में पेंशन की पात्रता के लिए कारावास की अवधि को 1-8-80 से 6 महीने से घटाकर 3 माह कर दिया गया।

(iv) जिन मामलों में सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं उन मामलों में सह-कैदी प्रमाण पत्र (भूमिगत यातना/नजरबन्दी/निष्कासन के मामले में) द्वारा गौण साक्ष्य प्रस्तुत करने की शर्त को सरल बनाया गया है।

(v) बेंत की मार/कोड़ों की मार की सजा 1983 में, पेंशन के उद्देश्य से पात्र यातना मानी गयी।

(vi) 1-8-80 से पेंशन की राशि को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया था और 1-6-85 से इसे और बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किया गया। यह निर्णय किया गया कि स्वतन्त्रता सैनानियों की विधवाएं 1-6-85 से 500 रुपये की उसी दर से प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करेंगी।

(vii) 24-7-1986 से सरकार के अस्पतालों में और 25-2-1987 से सार्वजनिक उपक्रमों के अस्पतालों में स्वतन्त्रता सनानियों को भारत सरकार के ग्रुप—क अधिकारियों के समकक्ष मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।

(viii) 1-2-1985 से स्वतन्त्रता सैनानी और उसके एक सहयोगी को रेलवे द्वारा मुफ्त यात्रा सुविधा/प्रारम्भ में किन्हीं दो स्टेशनों के मध्य यात्रा के लिए वैक-पास जारी किए गये थे। तथापि 19-11-1986 से 18-11-87 तक, पति-पत्नी/एक सहयोगी सहित स्वतन्त्रता सैनानी के लिए पास जारी होने की तारीख से एक साल की अवधि के लिए प्रथम श्रेणी से यात्रा करने के लिए कम्पलिमेंटरी कार्ड पास जारी किए गए थे।

(ix) हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि अपनी पत्नि/पति/एक सहयोगी सहित स्वतंत्रता सैनानी को समुद्र द्वारा अण्डमान की यात्रा करने की सुविधा दी जाए।

(घ) और (ङ) श्रेणीवार और जिला-वार रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है। पिछले वर्ष चलाए

गए विशेष अभियान के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश के सभी लम्बित मामलों को निपटा दिया गया है। तथापि, कुछ मामलों में जिन्हें रद्द कर दिया गया था, पुनरीक्षा याचिका दायर की गयी है।

आणुविक ऊर्जा का शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग

3863. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

श्री मानिक रेड्डी : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु/आणुविक ऊर्जा का शान्तिपूर्ण उपयोग करने की नीति अपना ली है;

(ख) यदि हां, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किये जाने से अब तक इस ऊर्जा का वस्तुत: किस-किस प्रकार शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग किया गया है;

(ग) पांचवीं, छठी और सातवीं योजना के दौरान तेल, गैस खनिज आदि की खोज के क्षेत्र में परमाणु/आणविक ऊर्जा की वस्तुत: क्या भूमिका रही है;

(घ) क्या सातवीं योजना के शेष वर्षों के लिए इस प्रयोजन हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या भारत में समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागरपर माणु ऊर्जा, के अंतरिक्ष विभागों में इलेक्ट्रानिकी तथा राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग न्यूक्लियर ऊर्जा की सहायता से बिजली पैदा करने और कृषि, चिकित्सा तथा उद्योगों में रेडियो-ऐक्टिव आइसोटोपों और आयतकारी विकिरण के बहुत तरह के अनुप्रयोगों से सम्बन्ध रखते हैं।

(ग) तथा (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग ने ऐसे खनिजों के दोहन तथा उनके नए भण्डारों का पता लगाने का एक व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया हुआ है जो न्यूक्लियर ऊर्जा की दृष्टि से महत्व रखते हैं।

(ङ) यूरेनियम के समृद्धिकरण की विधियों से स्वयं को अवगत रखने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में प्रयोगशाला स्तर की सुविधा उपलब्ध है।

लघु औद्योगिक एककों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना

3864. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय अधिसूचित पिछड़े जिलों में स्थापित किए जाने वाले लघु औद्योगिक एककों के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित तकनीकी जानकारी को सुरक्षित रखने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य आदिवासी सलाहकार परिषदों का कार्यकरण

3865. **श्रीमती सुमति उर्राव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान की पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत बनाई गई राज्य आदिवासी सलाहकार परिषदें कारगर ढंग से कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या संबंधित आदिवासी सलाहकार परिषदों द्वारा पारित सभी संकल्पों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) पांचवीं अनुसूची में निहित उपबन्धों के अनुसार, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा उत्थान से सम्बन्धित ऐसे मामलों पर सलाह देने के लिए आदिवासी सलाहकार परिषदों का कार्य होगा जो उन्हें राज्यपाल द्वारा भेजे जाते हैं। राज्यपाल द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में शान्ति और अच्छी सरकार के लिए विनिमयन बनाने से पहिले परिषदों से भी सलाह ली जाती है। आदिवासी विकास के लिए नीति निर्धारण करने, कार्यक्रम बनाने और इनके क्रियान्वयन हेतु परिषदों की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे आदिवासी सलाहकार परिषद को और अधिक प्रभावी और लाभदायक बनाने के लिए इनकी नियमित बैठकों का आयोजन करें।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत के विरुद्ध अस्थिरता की गतिविधियों में सी० आई० ए० के शामिल न होने के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका का आश्वासन।

3866. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने हाल ही में अपने वाशिंगटन के दौरे के समय भारत के विरुद्ध अस्थिरता संबन्धी गतिविधियों में सी० आई० ए० के शामिल न होने के बारे में किसी विशिष्ट आश्वासन की मांग की थी; और

(ख) यदि नहीं, तो अमेरिका के उप-राष्ट्रपति ने अपनी ओर से इस प्रकार का आश्वासन किन कारणों से दिया ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नही।

(ख) अमरीका के उप-राष्ट्रपति सी० आई० ए० के क्रियाकलापों के बारे में भारत में प्रकाशित समाचार रिपोर्टों के संबंध में इस विषय पर बोले थे।

भुवनेश्वर में प्लेनेटेरियम

3867. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में एक प्लेनेटेरियम की स्थापना की योजना को मन्जूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां तो इस पर कितनी लागत आएगी और इसका निर्माण कब तक शुरू होगा और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा; और

(ग) देश में स्थापित किये जा चुके प्लेनेटेरियमों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) भारत सरकार को इस प्रकार की परियोजना के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता !

(ग) मौजूदा तारामंडल पुणे, मुजफ्फरपुर, नई दिल्ली, कलकत्ता, पोरबन्दर, विजयवाड़ा, सूरत, बड़ोदा, बम्बई, सलेम, इलाहाबाद, वारंगल, पुट्टपरती, हैदराबाद, जयपुर, बंगलौर और लुधियाना में स्थित हैं ।

भारतीयों द्वारा वैंकूवर में हुए सम्मेलन को सम्बोधित करना

3868. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमण्डल देशों के सम्मेलन के दौरान कनाडा में एक समानांतर सम्मेलन हुआ था जिसमें कुछ भारतीयों द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध अपमानजनक भाषण किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी संसद सदस्य अथवा किसी भारतीय पारपत्र धारक ने सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठन

3869. **श्री वी० श्रीमन्नारायण राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-1984 और 1985 के दौरान (1) महर्षि ध्यान विद्यापीठ (2) धर्म प्रतिष्ठान और (3) ए/214, न्यू फ्रेंड्स कालोनी नई दिल्ली स्थित महर्षि इंस्टीट्यूट आफ क्रिएटिव इन्टेलीजेंस नामक स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह अंशदान किन क्रियाकलापों के लिए प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह सत्यापित किया है कि धन का उचित उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या धन के किसी प्रकार के दुरुपयोग का पता लगा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले मे क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सूचना विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ग) से (ङ) इन संगठनों द्वारा प्रस्तुत लेखों की जांच की गयी और अधिनियम के अन्तर्गत उनमें कुछ खामियां पाई गई जिसके लिए संगठनों को नोटिस जारी किए गए । आगे कार्रवाई यदि कोई हो, विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी ।

विवरण

1983, 1984 और 1985 के दौरान कुछ संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदान की राशि और नामों की सूची

क्रम सं०	संगठन का नाम	राशि लाखों में			प्रयोजन
		1983	1984	1985	
1.	महर्षि ध्यान विद्यापीठ	89·02	171·43	228·40	आश्रम के अनुरक्षण खर्च के वहन के लिए अनुभवातीत मनन और सिद्धि पाठ्यक्रम इत्यादि, सोसायटी के निकाय के संरचना और मरम्मत कार्य।
2.	धर्म प्रतिष्ठान	75·56	174.36	914·69	
3.	महर्षि क्रियेटिव इन्टेलीजेंस संस्थान	111·64	105·17	86·39	

केरल में प्रसाधन सामग्री सम्बन्धी औद्योगिक एकक

3870. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल की राज्य सरकार से खाड़ी के देशों में कार्यरत उन केरलवासियों जो खाड़ी के देशों से वापस आ जाते हैं के धन का उपयोग कर परियोजनाओं को स्थापित करने में सहायता लेने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल राज्य में प्रसाधन सामग्री की अधिक खपत को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार को केरल राज्य में प्रसाधन सामग्री के उत्पादन से संबंधित उद्योगों की स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को, प्राइमरी और सेकेण्डरी बाजारों में निवेश करने के लिए अनावासी भारतीयों से धनराशि जुटाने के लिए एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापित करने के लिए केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से वित्त मन्त्रालय द्वारा इसकी जांच की गई और औद्योगिक जोखिम में 74 प्रतिशत तक बैंक जमा धनराशि से प्रत्यक्ष इक्विटी सहभागिता तक अनावासी भारतीयों को दिए गए प्रोत्साहन/सुविधाओं के विद्यमान पैकेज को ध्यान में रखते हुए इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।

(ग) योजना आयोग को, केरल में सातवीं योजना में केन्द्रीय या राज्य क्षेत्रक में प्रसाधन सामग्री के उत्पादन के लिए उद्योगों को स्थापित करने के किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जाली डिग्री जारी करने के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां

3871. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में एक जाली डिग्री जारी करने वाले गिरोह का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में कितने लोग गिरफ्तार किए गए;

(ग) इस गिरोह द्वारा कितनी जाली डिग्रियां जारी की गई; और

(घ) उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, जिन्होंने इन जाली डिग्रियों का नौकरी या उच्च तकनीकी शिक्षा पाने में प्रयोग किया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 6.

(ग) अभियुक्त के कब्जे से 400 जाली डिग्रियां तथा 6000 खाली डिग्रियां/प्रमाण-पत्र बरामद किए गए हैं, उन्होंने उन व्यक्तियों का कोई रिकार्ड नहीं रखा है जिन्हें जाली डिग्रियां जारी की गई थीं।

(घ) जिन व्यक्तियों को जाली डिग्रियां जारी की गई थीं उनके नामों तथा पतों को मालूम करना संभव नहीं है।

पूंजी उत्पादन अनुपात

3872. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूंजी उत्पादन के बढ़ते हुए अनुपात के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव होगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री लूल राम) : (क) और (ख) योजनावधि पर कुल निवेश के बाजार मूल्यों पर सकल विकास उत्पादन में वृद्धि से संबंधित वृद्धिकारक पूंजी उत्पादन अनुपात (आई० सी० ओ० आर०) सातवीं योजना में लगभग 5 हो जाने की प्रत्याशा है। यह छठी योजना में वास्तविक आई० सी० ओ० आर० की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक है परन्तु 5.5 के प्रवाह मूल्य (ट्रेंड वेल्यू) की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। कार्यकुशलता जो सातवीं योजना की कार्यनीति का एक निर्णायक भाग है पर बल देने के कारण कम मूल्य रिलीज होने की प्रत्याशा है।

अर्थव्यवस्था में कम उत्पादकता उच्चतर आई० सी० ओ० आर० का परिणाम है। इसको रोकने और पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि करने के वास्ते, सातवीं योजना में इन तथ्यों पर बल दिया गया है :

(1) पूंजी परिसम्पत्तियों का कुशल प्रयोग और उच्चतर क्षमता उपयोग।

(2) पुरानी परिसम्पत्तियों का परिवर्तन तथा उचित रख-रखाव।

(3) ऊर्जा और कच्ची सामग्री का अधिक कुशलपूर्वक और किफायती रूप से उपयोग।

(4) अधिक लागत से बचने के वास्ते परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन।

(5) घरेलू प्रौद्योगिकी क्षमता विशेषकर ऊर्जा, अन्तरिक्ष, संचार, परिवहन और कृषि जैसे नीतिकारक क्षेत्रकों में विकास।

बिहार को आदिवासी क्षेत्रों के लिए धनराशि

3873. **श्री राम भगत पासवान** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान बिहार के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्रीय निधि के आबंटन सम्बन्धी मानदंड क्या हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां। आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत धनराशि के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में आदिवासी क्षेत्रों के लिए 20·78 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गई है। विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन के लिए मानदण्ड, आदिवासी जनसंख्या भौगोलिक क्षेत्र और प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है।

कुडमकुलम, तमिलनाडु में परमाणु बिजली संयंत्र की स्थापना

3874. **श्री एन० डेनिस** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुडमकुलम, दक्षिण तमिलनाडु में परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु जिसका एक भाग है, के बारे में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

राजधानी में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि

3875. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि दिल्ली की निर्वाचक नामावलियां, तारीख 1-1-1987 को अर्हक मानते हुए, गहन पुनरीक्षण के पश्चात् अभी अंतिम रूप से प्रकाशित की जानी हैं। तथापि 1986 में 39,52446 के अन्तिम आंकड़ों की तुलना में, तारीख 12-10-1987 को प्रारूप नामावलियों के प्रकाशन के समय 40,92,258 निर्वाचक थे।

पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का पुनर्वास

3876. **श्री अनाथिचरण दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभाजन के समय पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों में पृथक-पृथक अनुमानतः कितने हिन्दू वहां पर गये थे,

(ख) अब तक उनमें से कितने लोग स्थायी तौर पर भारत में रहने के लिए आ चुके हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने पूर्ववर्ती पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुए ऐसे व्यक्तियों को पृथक्-पृथक् अब तक कुल कितनी पुनर्वास सहायता प्रदान की है;

(घ) पूर्ववर्ती पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से आए ऐसे व्यक्तियों को दिये गये शरणार्थी ऋण की पृथक्-पृथक् कुल कितनी राशि माफ कर दी गई है; और

(ङ) ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को पूर्ववर्ती पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से शत्रु सम्पत्ति पूल से पृथक्-पृथक् कितनी राशि का मुआवजा दिया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) ये आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) देश के विभाजन के बाद भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से लगभग 47·40 लाख विस्थापित व्यक्ति स्थायी रूप से बसने के लिए और 25-3-71 तक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 52·31 लाख व्यक्ति भारत आए।

(ग) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 31-3-1987 तक क्रमशः 406·50 करोड़ रुपये और 730·26 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

(घ) भारत सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्तियों/वापस आए व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के बीच कोई अन्तर किए बिना 31-3-1984 तक दिए गए ऋण और 1-4-1985 तक अदत्त ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया गया।

(ङ) वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा संचालित अनुग्रह योजना के अधीन भारतीय राष्ट्रिकों कंपनियों जिनकी सम्पत्तियों की भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1965 के दौरान और बाद में हानि हो गयी थी, को भारत की समेकित निधि में से 31-10-87 तक 60·98 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

छोवां भारत-अमरीका उप-आयोग

3877. **श्री एस० बी० सिदनाल**

श्री जी० एस० बसवराजू

श्री एस० एम० गुरड्डी :

डा० बी० एल० शैलेश : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-अमरीका उप-आयोग की बैठक में अमरीकी शिष्टमण्डल ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नये क्षेत्रों का प्रस्ताव किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) उपयोग की पहले हुई बैठकों में जिन क्षेत्रों के बारे में विचार-विमर्श किया गया था, उनमें कोई भी नया क्षेत्र शामिल नहीं किया गया है। बहरहाल, दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच विचार-विमर्श के

दौरान भारतीय पक्ष द्वारा रखे गये कुछ नये विचारों के अलावा अमरीकी प्रतिनिधिमंडल ने भी कतिपय नये क्षेत्रों में सम्भावित सहयोग का प्रस्ताव रखा। ये क्षेत्र हैं :—

—उत्कृष्ट अवसाद परिवहन माडल

—भूकम्पीय अध्ययन

—विज्ञान और प्रौद्योगिकी के गैर-अंग्रेजी साहित्य का अनुवाद

(ग) भारत अमरीकी उपयोग की बैठक में की गयी सिफारिशों पर दोनों पक्षों द्वारा कार्यान्वयन के लिए विचार किया जायेगा।

अन्तरिक्ष की खोज कार्यक्रम

3878. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के उत्तरार्ध में अन्तरिक्ष की खोज के कार्यक्रम को इस बीच अन्तिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान कार्यक्रम की अन्य देशों के कार्यक्रमों की तुलना में क्या स्थिति है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी हां।

सातवीं योजना के शेष वर्षों के लिए मुख्य स्वीकृत अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं :

वैज्ञानिक नीतभार सहित श्रोस-2 उपग्रह के प्रमोचन के लिए संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस० एल० वी०) की द्वितीय विकासात्मक उड़ान; ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षाओं में 900 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के सुदूर संवेदन उपग्रहों के प्रमोचन के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट का विकास; अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी मिशनों के लिए श्रोस-3 और 4 उपग्रहों के प्रमोचनों के लिए ए० एस० एल० वी० की उड़ानों को जारी रखना; निम्नतापी परियोजना से सम्बद्ध अग्रिम कार्रवाई; 1990 दशाब्द के दौरान प्रचलनात्मक द्वितीय पीढ़ी के इन्सैट-II अंतरिक्ष यानों का मार्ग प्रशस्त करने वाले इन्सैट-II जांच अन्तरिक्ष यान 1 एवं 2; भारतीय सुदूर सवेदन उपग्रह (आई० आर० एस० 1ए० और 1बी०); आई० आर० एस० उपयोग कार्यक्रम; तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली।

सातवीं योजना के दौरान स्वीकृत किये जाने वाली नयी परियोजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं : निम्नतापी इंजन और खण्ड तथा भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रमोचक राकेट का विकास; तथा माइक्रोवेव सुदूर संवेदन परियोजना।

(ग) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है तथा यह रेडियो एवं दूरदर्शन सहित संचार के क्षेत्रों में, मौसम विज्ञान, सुदूर संवेदन, अन्तरिक्ष विज्ञान संबंधी

अनुसंधान और भारत के संबद्ध अन्य उपयोग क्षेत्रों में राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा में पूर्णतया अभिविन्यस्त है। अतः इसकी अन्य देशों के अन्तरिक्ष कार्यक्रमों के साथ सही तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी, सुगठित तथा अत्यन्त लागत प्रभावी भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति तथा भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम द्वारा बहुत बड़ी संख्या में संबंधित उपयोग क्षेत्रों में किए जा रहे महत्वपूर्ण योगदानों की व्यापक मान्यता है और इसकी विश्व में सर्वत्र प्रशंसा की गयी है।

असम में जनगणना

3879. **श्री सुदर्शन दास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में जनगणना कराने के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (सरदार बूटासिंह) : (क) तथा (ख) असम में उस समय व्याप्त विक्षुब्ध परिस्थितियों के कारण वहां अन्य राज्यों के साथ 1981 की जनगणना नहीं की जा सकी। उसके बाद असम में जनगणना करने के प्रश्न पर असम सरकार के परामर्श से विचार किया गया है। वह सरकार इस समय समझौते को कार्यान्वित करने में व्यस्त है और जनगणना करने के लिए गणना करने वाली एजेंसी की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है। अतः इस स्थिति में असम में जनगणना करवाना संभव नहीं है।

गंगा बेसिन में "एक्यूफर"

3880. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा बेसिन में एक बहुत बड़ा "आर्टिसन एक्यूफर" स्थित है जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को पानी सप्लाई किया जा सकता है और जिसे भू-जल से आसानी से जोड़ा जा सकता है;

(ख) क्या इसी प्रकार जैसलमेर के निकट एक विशाल जल श्रोत उपलब्ध है जो कुछ रेगिस्तानी क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी कर सकता है;

(ग) यदि हां, तो इन दो स्थानों में उपलब्ध जल-भंडार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन स्रोतों का उपयोग करने के लिए यदि कोई योजनाएं बनाई गयी है तो उनका ब्यौरा क्या है और उनसे क्या लाभ होंगे ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में लगभग 300 मीटर गहरे आर्टिसन जलभृतों का विद्यमान होना पाया गया है। गहरे जलभृतों की विद्यमानता की पुष्टि की जानी है।

(ख) पेयजल तथा सीमित कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम उत्पादक जलभृत जैसलमेर जिला में स्थित हैं।

(ग) गंगा बेसिन में आर्टिसन जलभृतों में नलकूपों से प्रति घंटा 75 से 225 क्यूबिक मीटर

प्राप्त होता है। जेसलमेर जिला में 60 मी० से 300 मीटर तक की गहराई में लाठी निर्माण में नलकूपों से 60 से 125 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा प्राप्त होता है।

(घ) सातवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में क्रमश: 8330 900 और 1200 सार्वजनिक नलकूपों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। इससे 0·63 मिलियन हेक्टेयर कुल क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं। चालू वर्ष के दौरान जैसलमेर जिला में पेयजल आपूर्ति के लिए 49 नलकूपों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है।

आतकवाद समाप्त करने संबंधी दक्षेस सम्मेलन

3881. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**

श्री शरद दिघे :

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवाद समाप्त करने संबंधी दक्षेस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करने से अनेक कानूनी समस्यायें सामने आयेंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का इन निर्णयों में संशोधन करने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) अपने कानून में कुछ संशोधन जरूरी हो सकता है।

(ख) सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि अगर जरूरी हो तो क्या परिवर्तन करने पड़ सकते हैं।

(ग) इसका निर्णय तभी किया जा सकता है जब यह विचार पूरा हो जाए।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल

3882. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आतंकवादी गतिविधियों से ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते समय उनकी सुरक्षा के लिए एक पृथक सुरक्षा बल बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करना

3883. **श्री पैंचालैया** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के आदिवासियों पर विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा किये जा रहे अत्याचार के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले सभी राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि वे अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों के मामलों को दर्शाने वाली मासिक तथा छमाही रिपोर्टें प्रस्तुत करें। इन रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों की प्रवृत्ति से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मूल्यांकन को संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है। अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के सम्बन्ध में एहतियाती, निवारक दंडात्मक और पुनर्वासात्मक उपायों का सुझाव देते हुए राजस्थान राज्य सरकार सहित, राज्य सरकारों को समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा गठित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग (अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग) भी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से तथा इनकी पुनरावृति को रोकने हेतु उपचारी उपाय करने का सुझाव देते हुए अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध हो रहे अत्याचारों से संबंधित मामलों की जांच करता है। आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने राजस्थान सरकार सहित राज्य सरकारों को, अत्याचारों से पीड़ित लोगों को समान आधार पर वित्तीय और अन्य राहत सहायता प्रदान करने की सलाह दी है। राजस्थान सरकार ने अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जनजातियों को राहत प्रदान करने की योजना को स्वीकार कर लिया है।

नये 'सोरबेट' का विकास

3884. **श्री पी० पंचालैया** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये "सोरबेट" का विकास करने के लिए भारत में कोई प्रयोग किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार सोवियत संघ में उक्रेनियन अकादमी के भौतिक रसायन संस्थान के साथ कोई सहयोग करना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे में "जलशक्ति" नामक एक सुपर अवचूषक का विकास किया गया है। इस पदार्थ की प्रति ग्राम 500 ग्राम तक जल अवशोषण की क्षमता है। यह पदार्थ कृषि, वानिकी, बागबानी, चिकित्सा और वैयक्तिक उपचार, मुद्रण, वस्त्र उद्योग आदि के लिए उपयोगी है और इंडियन आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (आई० ओ० सी० एल०) खोपोली, महाराष्ट्र द्वारा अर्द्ध-वाणिज्यिक आधार पर इसका उत्पादन किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) लागू ही नहीं होता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए केन्द्रीय सहायता

3885. **श्री मोहनलाल झिकराम :**

श्री अरविन्द नेताम : क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं में पुरुषों की तुलना में साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिये और अधिक विद्यालयों और छात्रावासों की स्थापना करने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को मंजूरी देने का है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) मिडिल हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालयों की शिक्षा के स्तरों पर अध्ययन करने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु कल्याण मन्त्रालय पहले ही एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रहा है। इस मन्त्रालय के पास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए स्कूल स्थापित करने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य आश्रम स्कूल भी चलाते हैं तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की शिक्षा पर बहुत महत्व दिया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को वजीफे देने के मापदंड

3886 **श्री मोहनलाल झिकराम** :

श्री अरविन्द नेताम : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर वजीफा देने के क्या मापदंड हैं;

(ख) क्या सरकार का मैट्रिकोत्तर वजीफा देने के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के माता-पिता की आय सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) मान्यता प्राप्त संस्थानों में मैट्रिकोत्तर स्तर के मान्यता प्राप्त कोर्स करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को विवरण में दी गई पात्रता-शर्तों के अनुसार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

(ख) तथा (ग) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के कार्यकरण की समीक्षा के लिए उच्चपदाधिकारी समिति गठित की गई, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों के माता-पिताओं की आय सीमाएं बढ़ाने का प्रश्न भी शामिल किया है। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो विचाराधीन है।

विवरण

अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देने की पात्रता शर्तें

1. छात्र/छात्रा भारतीय नागरिक हो।

2. छात्र/छात्रा पूर्णकालिक अध्येता हो।

3. (क) जिस छात्र/छात्रा के माता-पिता/अभिभाककों की मासिक आय सभी साधनों से 750/ रुपये से अधिक नहीं हो, उसे पूरा निर्वाह भत्ता तथा फीस मिलेगी।

(ख) जिस छात्र/छात्रा के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय (सभी साधनों से) 750 रु० से अधिक हो किन्तु 1000 रु० से अधिक हो और जो निम्नलिखित कोर्स कर रहा हो :—

1. ग्रुप क के कोर्स पूर्ण निर्वाह भत्ता तथा फीस

2. ख, ग तथा घ ग्रुप के कोर्स : अर्ध निर्वाह भत्ता तथा पूरी फीस

4. एक ही माता-पिता/अभिभावकों के केवल दो बच्चे ही छात्रवृत्ति के पात्र होंगे।

5. उसे कोई और छात्रवृत्ति/वृत्ति नहीं मिलती हो। तथापि, वह मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अलावा पुस्तकें, उपकरण खरीदने या भोजन तथा आवास व्यय पूरा करने के लिए राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से निःशुल्क आवास या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता ले सकता है।

6. पूर्ण कालिक रोजगार में लगे छात्र की आय तथा उसके माता-पिता/अभिभावकों की आय मिल कर 750 रु० मासिक से अधिक नहीं हो तो वह केवल दी जाने वाली सारी अनिवार्य अप्रतिदेय फीस की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा। उसे निर्वाह-भत्ता नहीं मिलेगा।

7. अंश कालिक या पत्राचार कोर्स करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

8. कला/विज्ञान/वाणिज्य में अवस्नातक/स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाएं उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करने के बाद, कोई भी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रमाण-पत्र डिप्लोमा/उपाधि कोर्स करने वाले छात्र इसके हकदार होंगे। पश्चाद्वर्ती असफलता (चिकित्सा तथा इन्जीनियरी को छोड़कर) क्षम्य नहीं होगी और न ही कोर्स में कोई और परिवर्तन स्वीकार्य होगा।

9. भेषज में स्नातकोत्तर कोर्स करने वाले छात्र इसके हकदार होंगे, बशर्ते उन्हें अपने कोर्स के दौरान व्यवसाय की अनुमति नहीं हो।

भूमिगत जल स्तर कम होने से "ट्यूब वैल" के कार्यकरण पर प्रभाव

3887. **श्री हरीश रावत :**

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक भागों में पड़े सूखे के कारण भूमिगत जल का स्तर घट गया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों और क्षेत्रों में पानी का स्तर घट गया है और इन क्षेत्रों में लगे "ट्यूबवैलों" पर कम जल स्तर के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) मई 1987 और अगस्त, 1987 की अवधि के दौरान राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब राज्यों के बहुत से भागों, पश्चिमी उत्तर-प्रदेश तथा मध्य प्रदेश आन्ध्र प्रदेश कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा के भागों में भूजल स्तरों में गिरावट पाई गई। भूजल के अन्तःसरण में वृद्धि करने के लिए जल विभाजक प्रबन्ध, जलग्रहण और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण जैसे उपाय किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में समेकित जनजातीय कल्याण परियोजनायें

3888. **श्री हरीश रावत : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन पहाड़ी क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां समेकित जनजातीय कल्याण परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं; और

(ख) ये परियोजनाएं किस वर्ष से शुरू की गई थीं और इन परियोजनाओं पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) तथा (ख) एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के नाम, इनके प्रारम्भ होने का वर्ष तथा राज्य सरकार द्वारा 1984-85 की अवधि के लिए यथा-तैयार इन परियोजनाओं पर अब तक खर्च की गई कुल धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख रु०)

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना का नाम	पहाड़ी जिला जहां परियोजना अवस्थित है	प्रारम्भ होने का वर्ष	कुल व्यय (1984-85 के (1987-88)
1	2	3	4
बाजपुर	नैनीताल	1983	98.23
खटीमा	नैनीताल	1984-85	115.01
धरचुला	पिथौरागढ़	1984-85	41.05
जोशीमठ	चमोली	1984-85	27.06
कल्सी चकराता	देहरादून	1984-85	83.08
जोड़			364.42*

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायालय शुल्क की प्राप्ति

3889. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अब तक न्यायालय शुल्क के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई और उन्होंने स्टाम्प पेपर के रूप में कितनी धनराशि खर्च की; और

(ख) न्यायालयों की निधियों में वृद्धि करने के लिए उठाए गए अथवा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

* वर्ष 1984-85 के लिए यह स्वीकृत धनराशि से सम्बद्ध है और 1987-88 के लिये इसमें संभव्यतः व्यय शामिल है।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 229 (3) के अधीन उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिसके अन्तर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें या अन्य धन राशियां उस निधि का भाग रूप होंगी। जहां तक उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय का सम्बन्ध है, जब इस आशय के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तब अतिरिक्त निधियां आबंटित की जाती हैं।

जनवरी, 1986 और मार्च, 1987 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों को पेंशन

3890. **डा० के० ए० पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1986 और मार्च, 1987 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों की पेंशन की कुल राशि पेंशन नियमों के अन्तर्गत उस पेंशन से कम हो गई है जो उनकी सेवानिवृत्ति पर पुराने पेंशन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित करके इन्हें दी जा रही थी;

(ख) क्या ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्तियों से इस "अतिरिक्त" राशि को वापस करने के लिए कहा जा रहा है जो उन्हें पुराने नियमों के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1986 से मिल रही थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री, कार्मिक, लोक (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ग) जी, हां। ऐसे मामलों में राहत प्रदान करने के लिए जो व्यक्ति 1-1-1986 तथा 30-6-1987 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे, उनके लिए आदेशों में एक उपबन्ध बनाया गया है जिससे वे संशोधन पूर्व वेतनमान रखने और अपनी पेंशन तथा उपदान की गणना पुराने नियमों के अन्तर्गत किए जाने के लिए विकल्प दे सकें बशर्ते कि वे संशोधित वेतनमानों में आने के फलस्वरूप लिए गए अधिक वेतन तथा भत्तों को वापस कर दें।

[हिन्दी]

नई परियोजनाएं चालू करना

3891. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई परियोजनाओं के चालू किए जाने सम्बन्धी दोषपूर्ण कार्यक्रम के कारण इन पर अधिक समय और धन खर्च होता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने कौन से सुधारात्मक उपाय किए हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

इन्दिरा नहर से जल रिसने के कारण कृषि भूमि का जलमग्न होना

3892. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इन्दिरा नहर" से जल रिसने के कारण और इससे क्षेत्र में जल एकत्र होने के कारण उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, खेरी, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ जिलों में किसानों की कृषि भूमि जल-मग्न हो गई है और इसके परिणामस्वरूप किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन किसानों को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है और भूमि को जलमग्न होने से बचाने और "इंदिरा नहर" से जल रिसने को रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी, बाराबंकी, सीतापुर और लखनऊ जिलों में रिसाव/जल जमाव से प्रभावित क्षेत्र शारदा सहायक परियोजना के कमान के अन्तर्गत आते हैं और यह क्षेत्र लगभग 18000 हैक्टेयर है जहां रबी फसल की खेती नहीं की जा सकी। कुल 12,800 कि०मी० में से 9973 कि० मी० जल-निकास नालियों के निर्माण के कारण जून 1987 तक जलजमाव क्षेत्र कम होकर लगभग 5000 हेक्टेयर रह गया है जलनिकास तन्त्र के निर्माण तथा पोषक नहर को पक्का करने का कार्य प्रगति पर है।

केन्द्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता ब्लाक ऋण/अनुदान के रूप में दी जाती है और निकास अथवा परियोजना के किसी क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती है।

[अनुवाद]

सांप्रदायिक दंगे

3893. **श्रीमती बसव राजेश्वरी :**
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :
डा० चिन्ता मोहन :
श्री प्रतापराव बी० भोसले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1987 में बम्बई, दिल्ली और देश के कुछ अन्य भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण थे और ये दंगे किन-किन राज्यों में हुए;

(ग) क्या इन दंगों में भारत विरोधी गतिविधियों में लगे कुछ व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए थे; और

(घ) देश में ऐसे दंगे न होने देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयों में राज्य-मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर नवम्बर, 1987 के दौरान देश में साम्प्रदायिक हिंसा की कुछ घटनाओं को छोड़कर मुख्य सांप्रदायिक दंगों का कोई मामला नहीं हुआ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्र सरकार साम्प्रदायिक दंगों को रोकने और नियन्त्रित करने की दृष्टि से और सम्बन्धित राज्य सरकार को आवश्यक सहायता तथा सहयोग देने के लिए राज्य सरकारों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखती है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा एक अनुसंधान पोत का डिजाइन तैयार करना

3894. **डा० वी० वेंकटेश :**

श्री भद्रेश्वर तांती :

श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

श्री विमल कान्ति घोष : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की महासागर खनन परियोजना के लिए "गवाषणी" जैसे एक अनुसंधान पोत का डिजाइन तैयार करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है; और

(घ) पोत की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं, अभी नहीं।

(क) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में भूमिगत जल-निकासी व्यवस्था के लिए आबंटन

3895. **डा० वी० वेंकटेश :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में शहरों और कस्बों में भूमिगत जल-निकासी व्यवस्था के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ख) सरकार द्वारा 10,000 तक की जनसंख्या वाले अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी कस्बों में कब तक शौचालय सम्बन्धी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) देश में शहरी और कस्बों में भूमिगत जल-निकासी व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सातवीं योजना में लगभग 511 करोड़ रु० आवंटित किए गए।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति और स्वच्छता दशक (1981—91) कार्यक्रम। अप्रेल, 1981 को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ श्रेणी-I शहरों को 100 प्रतिशत मलजल और मल व्यवस्था सुविधाएं तथा अन्य कस्बों में कम लागत की स्वच्छता व्यवस्था प्रदान करके सभी शहरों और कस्बों की 80 प्रतिशत जनसंख्या को कुल मिलाकर सुविधाएं देना है।

मध्यावधि दशक समीक्षा के आधार पर अब यह निर्णय किया गया है कि दशक में निर्धारित मूल लक्ष्य को कम करके 50 प्रतिशत कर दिया जाए।

बाल विवाह

3896. **श्री घनश्यारी लाल पुरोहित :**

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक भागों में अभी भी बाल विवाह का प्रचलन विद्यमान है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य से कितने मामले केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां ।

(ख) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। सरकार ने वर्ष 1984, 1985 और जून, 1986 तक के लिए राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों के अधिनियम के अधीन रजिस्टर किए गए मामलों के संबंध में आंकड़े इकट्ठे किए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है । अन्तिम तीन वर्षों के दौरान हुए बाल विवाहों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) बाल विवाह अवरोप अधिनियम, 1929 का अन्तिम बार 1978 में यह उपबन्ध करने के लिए संशोधन किया गया था कि अधिनियम के अधीन अपराध, अन्वेषण और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट मामलों (नाम और निवास स्थान बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तार करना) से भिन्न सभी मामलों में और किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार करने के लिए, संज्ञेय होंगे । चूंकि अधिनियम के उपबन्ध पर्याप्त रूप से भयोपरक है इसलिए इस सम्बन्ध में आगे कोई कार्रवाई अनुध्यात नहीं है। बाल विवाह की प्रथा, समाज के कुछ वर्गों में जड़ जमा चुकी है और किसी भी विधान से जिसके उपबन्ध कितने ही कठोर क्यों न हों, इस प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है । इन वर्गों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति द्वारा ही यह प्रथा पूर्णतः समाप्त की जा सकती है ।

विवरण

वर्ष 1984, 1985 और जून, 1986 तक रजिस्टर किए गए बाल-विवाह के मामलों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1984	1985	जून, 1986 तक
		रजिस्टर किए गए मामलों की संख्या		
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	10	10	10
4.	बिहार	2	1	1
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	285 (वर्ष 1984-85)	205 (वर्ष 1985-1986)	68 (वर्ष 1986-87 जून, 1987 तक)
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	1

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	2	7	2
9.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	1
10.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	2
11.	केरल	शून्य	5	शून्य
12.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	1
13.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
14.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
16.	उड़ीसा	1	1	शून्य
17.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य
18.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
19.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य
20.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
21.	पश्चिमी बंगाल	2	5	2
22.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	1	शून्य
23.	चण्डीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
24.	दादरा और नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
25.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
26.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
27.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
28.	पाण्डिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य

1. उपरोक्त जानकारी अभी मध्य प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होनी है।

2. जुलाई, 1986 से नवम्बर, 1987 की अवधि के लिए जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द

3897. **श्री एच० डी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1985, 1986 और 1987 (जनवरी, से सितम्बर तक) के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा नजरबन्द व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रतिवेदन पर विचार करते हुए छोड़े गए व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) समीक्षा बोर्ड द्वारा छोड़े गए नजरबन्द व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा छोड़े गए नजरबंद व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) नजरबन्दी की पूर्ण अवधि बिताने वाले या बिता रहे व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे नजरबंद व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें पहले छोड़ दिया गया था पर कुछ समय के लिए लागू की किसी अन्य कानून के अन्तर्गत उन्हें पुनः नजरबंद कर दिया गया था ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क), ग) से (ङ) तक अपेक्षित सूचना के तीन विवरण संलग्न है ।

(ख) तथा (च) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण—I

(क) देश में रा० सु० अ० के अधीन नजरबन्द किए गए व्यक्तियों का वर्षवार और राज्यवार विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	31-12-85 को	31-12-86 को	31-12-87 को
1.	उत्तर प्रदेश	1634	1842	2039
2.	महाराष्ट्र	1502	1854	2067
3.	पंजाब	1044	1192	1414
4.	मध्य प्रदेश	735	891	974
5.	गुजरात	422	548	569
6.	असम	347	347	347
7.	आन्ध्र प्रदेश	343	360	364
8.	मणिपुर	309	349	372
9.	बिहार	285	300	301
10.	दिल्ली	168	174	178
11.	राजस्थान	77	98	172
12.	तमिलनाडु	83	103	108
13.	उड़ीसा	75	127	15
14.	कर्नाटक	34	34	34
15.	मिजोरम	26	26	26
16.	चण्डीगढ़	11	11	11
17.	हरियाणा	7	7	7
18.	मेघालय	4	4	4
19.	हिमाचल प्रदेश	2	2	2
20.	अण्डमान और निकोबार	1	1	1
21.	नागालैंड	1	1	1
22.	गोआ दमण और दीव	1	10	22
23.	सिक्किम	—	5	5
	जोड़	7111	8286	9176

टिप्पणी :—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर लागू नहीं है । शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित सूचना शून्य है ।

विवरण-II

(घ) समीक्षा और उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा रिहा किए गए नजरबंद व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	समीक्षा बोर्ड द्वारा रिहा किए गए व्यक्तियों की संख्या			उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा रिहा किए गए व्यक्तियों की संख्या		
		31-12-85 को	31-12-86 को	30-9-87 को	31-12-85 को	31-12-86 को	30-9-87 को
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तर प्रदेश	343	390	439	372	443	483
2.	महाराष्ट्र	647	716	751	221	294	417
3.	पंजाब	334	375	434	30	32	60
4.	मध्य प्रदेश	313	377	417	109	147	155
5.	गुजरात	130	199	210	149	176	187
6.	असम	125	125	125	142	142	142
7.	आंध्र प्रदेश	34	35	35	108	110	110
8.	मणिपुर	54	55	55	44	49	56
9.	बिहार	33	33	34	41	43	46
10.	दिल्ली	84	85	86	20	20	20
11.	राजस्थान	6	11	28	11	11	31
12.	तमिलनाडु	8	10	13	6	14	14
13.	उड़ीसा	9	12	15	11	12	16
14.	कर्नाटक	10	10	10	14	14	14
15.	मिजोरम	5	5	5	9	10	10
16.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	—
18.	हरियाणा	2	2	2	2	2	2
19.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
20.	अण्डमान और निकोबार		—	—	—	—	—
21.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—
22.	गोआ, दमन और दिव	—	1	11	—	1	5
23.	सिक्किम	—	—	—	—	—	5
	जोड़	2137	2444	2671	1290	1522	1769

टिप्पणी—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर लागू नहीं है। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना "शून्य" है।

विवरण-III

(ङ) उन नजरबंद व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार विवरण जिन्होंने नजरबंदी की पूर्ण अवधि बिताई या बिता रहे हैं।

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	नजरबंदी की पूर्ण अवधि बिताने वाले नजरबंद व्यक्ति			नजरबंदी की अवधि बिता रहे नजरबंद व्यक्ति
		31-12-85 को	31-12-86 को	30-6-87 को	30-9-1987 को
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	361	437	475	149
2.	महाराष्ट्र	190	293	350	302
3.	पंजाब	8	9	13	176
4.	मध्य प्रदेश	150	204	241	63
5.	गुजरात	4	5	6	11
6.	असम्	11	11	11	—
7.	आंध्र प्रदेश	26	41	42	4
8.	मणिपुर	170	183	192	28
9.	बिहार	58	62	63	4
10.	दिल्ली	25	30	34	4
11.	राजस्थान	36	41	45	32
12.	तमिलनाडु	30	44	48	10
13.	उड़ीसा	21	32	42	42
14.	कर्नाटक	1	1	1	—
15.	मिजोरम	2	8	8	—
16.	चण्डीगढ़	—	1	1	—
17.	हरियाणा	—	—	—	—
18.	मेघालय	—	—	—	—
19.	हिमालय प्रदेश	—	—	—	—
20.	अण्डमान एवं निकोबार	—	—	—	—
21.	नागालैंड	—	—	—	—
22.	गोवा, दमन और दीव	—	1	—	—
23.	सिक्किम	—	—	—	—
	जोड़	1093	1403	1572	825

टिप्पणी :—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर लागू नहीं है। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना "शून्य" है।

[हिन्दी]

वृद्धावस्था पेंशन

3898. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :**

श्री पी० कुलन्दई वेलू : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृद्धावस्था पेंशन मंजूर किए जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं, वृद्धावस्था पेंशन, सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश के लिए चम्बल नहर प्रणाली से पानी

3890. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए चम्बल नहर प्रणाली जिसमें वर्ष 1984-85 से कोटा बराज से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलने के कारण पानी की भारी कमी होती जा रही है, से पानी का आवंटित कोटा प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान कितने क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाएगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) पारस्परिक समझौते के अनुसार कोटा बराज के जल का नियमन मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की एक स्थायी समिति द्वारा किया जाता है। राज्यों में सिंचित क्षेत्रों के ब्यौरे केन्द्र में नहीं रखे जाते।

"युक्कुवा" मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना

3901. **श्री एन० डेनिस :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु और केरल के "युक्कुवा" मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) तमिलनाडु और केरल सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव के विवरण और इस पर सरकार की प्रक्रिया को जनहित में नहीं बताया जा सकता।

आदिवासी क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण

3902. **श्री आर० एम० भोये** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया है ताकि उन्हें देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों का त्वरित विकास सुनिश्चित किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उनके त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) तथा (ख) जी, हां। पांचवीं तथा छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न राज्यों के आई० टी० डी० पी० क्षेत्रों में आदिवासी पीठ स्तर का व्यापक सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया था। सर्वेक्षण के दौरान भूमि उपयोग, प्रकीर्ण वन्य उत्पाद, विभिन्न फसलों वाला क्षेत्र, पशुधन, सिंचाई, लघु उद्योग, शिक्षण संस्थान, पेय जल, चिकित्सा सुविधाएं आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर, आदिवासियों तथा आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में सामाजिक-आर्थिक आंकड़े एकत्रित किए गए। राज्य सरकारों ने सातवीं पंचवर्षीय योजावधि की आदिवासी उप-योजना, आदिवासी कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा आदिवासी विकास की कार्ययोजनाएं तैयार करने के लिए इनका उपयोग किया।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया आदिवासी उपयोजना उपागम सातवीं योजना में जारी रहा। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी विकास के क्षेत्र में प्रस्तावित प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

40 लाख आदिवासी परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता, शोषण-उन्मूलन, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य-रक्षा, अवसंरचनात्मक तथा पर्यावरणीय विकास तथा आदिवासियों के कमजोर वर्गों का विकास।

आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा-डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण

3903. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में प्रकाशन बराज के अन्तर्गत कृष्णा-डेल्टा प्रणाली के आधुनिकीकरण संबंधी कार्य की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) इस प्रस्ताव के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं और इसकी लागत सम्बन्धी नवीनतम अनुमान क्या हैं; और

(ग) आधुनिकीकरण योजना का कार्य किस तारीख से प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) परियोजना प्रस्तावों के अनुसार, 487 हजार हेक्टे० क्षेत्र में सिंचाई के स्थिरी-करण के अतिरिक्त 4·25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 18 हजार हेक्टे० क्षेत्र को सिंचाई लाभ मिलने की सम्भावना है।

मैसूर में रेयर अर्थ मैटिरियल से विकिरण

3904. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर स्थित दि इण्डियन रेयर अर्थ मैटिरियल प्लांट से विकिरण का खतरा उत्पन्न हो रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"वैल्थ आफ इंडिया", पुस्तकमाला का संशोधित खंड

3905. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने "वैल्थ आफ इंडिया" पुस्तकमाला का संशोधित खंड प्रकाशित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रलेख का कम्प्यूटर रिकार्ड रखने की कोई योजना है; और

(ग) क्या कम्पैक्ट डिस्कों का उपयोग करके संसाधनों का दृश्य रिकार्ड भी रखा जायेगा ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य महासागर विकास, मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। "वैल्थ आफ इण्डिया" (भारत की सम्पदा) श्रृंखला के कुछ खण्डों की पुस्तकमाला को संशोधित कर दिया गया है व पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है और अन्य खंडों का संशोधन जारी है।

(ख) और (ग) अभी कम्प्यूटर रिकार्ड रखने हेतु कोई योजना नहीं है और न ही "वैल्थ आफ इंडियन" श्रृंखला हेतु कम्पेक्ट डिस्क का उपयोग करने वाले संसाधनों का दृश्य रिकार्ड तैयार करने की ही कोई योजना है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के पास आवास स्थलों के आवंटन और सम्बद्ध मामलों के राजस्व सम्बन्धी मामलों का लम्बित पड़ा रहना

3906. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन में जिला कार्यालय और सचिवालय में आवास स्थलों के आवंटन भूमि आवंटन और सम्बद्ध विषयों पर राजस्व सम्बन्धी कितने मामले अलग-अलग कार्यवाही होने के बाद भी लंबित पड़े हैं और ये मामले कब से लंबित पड़े हैं; और

(ख) मामलों पर विलम्ब से निर्णय लेने के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) राजस्व के 4588 मामले अण्डमान निकोबार प्रशासन के वन विभाग तथा जिला कार्यालयों में लम्बित हैं। चूंकि ऐसे मामलों को निप्रदाने की प्रक्रिया एक सतत कार्य है इसलिए लम्बित मामलों के जिलावार और सचिवालय वार ब्यौरे देना सम्भव नहीं है क्योंकि इसकी स्थिति प्रतिदिन बदलती रहती है।

(ख) ऐसे मामलों का निर्णय करने में विलंब के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

I. ऐसे आवंटन/अतिक्रमणों के नियमन के विरोध में ग्रामीणों से शिकायतों की प्राप्ति ।

II. वन भूमि तथा राजस्व भूमि के अतिक्रमण के सम्बन्ध में विस्तृत स्थल सर्वेक्षण का न होना जिसमें काफी समय लगता है ।

III. द्वीप विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण के सम्बन्ध में वैकल्पिक राजस्व भूमि का पता लगाने में कठिनाइयां ।

वृद्धों के लिए कल्याण योजनाएं

3907. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय वृद्धों के लिए कौन-कौन सी कल्याण योजनाएं चल रही हैं;

(ख) क्या वृद्धों के लिए कल्याण की योजनाओं वाले स्वैच्छिक संगठनों को कोई वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वृद्धों के कल्याण के लिए यदि कोई अन्य योजनाएं शुरू करने का विचार है, तो वे कौन सी हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) वृद्धों के कल्याण के लिए केन्द्र की कोई विशेष योजना नहीं है । फिर भी, समाज कल्याण के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को सामान्य अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत, वृद्धों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(ग) स्वयंसेवी संगठनों को उन क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने हेतु जो अपेक्षाकृत सेवा रहित क्षेत्र हैं, और जो पिछले ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र और शहरी गन्दी बस्ती क्षेत्रों में योजनाओं के लिए वर्तमान योजनाओं के बीच आवश्यक अन्तर को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है । 1986-87 के दौरान, 20 स्वयंसेवी संगठनों को 17·96 लाख रु० का सहायक अनुदान दिया गया ।

(घ) वृद्धों के कल्याण के लिए कोई नई योजना शुरू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नदी बेसिन सिंचाई क्षमता

3908. **श्री अमल दत्ता** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार पृथक-पृथक उत्पन्न की जा सकने वाली नदी क्षेत्रवार सिंचाई क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) नदी क्षेत्र की कितनी क्षमता का उपयोग कर लिया गया है और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न नदी बेसिन सिंचाई क्षमताओं का और अधिक उपयोग करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

छठी योजना के अन्त तक सृजित क्षमता तथा सातवीं योजना के लक्ष्य दर्शाने वाला विवरण

(हजार हेक्टेयर में)

क्रमांक	राज्य का नाम	चरम सिंचाई क्षमता	छठी योजना के अन्त तक सृजित क्षमता (संचयी)	सातवीं योजना के लक्ष्य (अतिरिक्त)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	9200	5583	933
2.	असम	2670	492	260
3.	बिहार	12400	6291	1455
4.	गुजरात	4750	2768	547
5.	हरियाणा	4550	3310	369
6.	हिमाचल प्रदेश	335	123	20
7.	जम्मू व कश्मीर	800	474	67
8.	कर्नाटक	4600	2401	464
9.	केरल	2100	925	280
10.	मध्य प्रदेश	10200	3815	1080
11.	महाराष्ट्र	7300	3690	745
12.	मणिपुर	240	79	39·5
13.	मेघालय	120	35	14
14.	नागालैंड	90	51	12
15.	उड़ीसा	5900	2613	706
16.	पंजाब	6550	5637	404
17.	राजस्थान	5150	3782	570
18.	सिक्किम	42	14	8
19.	तमिलनाडु	3900	3194	133
20.	त्रिपुरा	215	58	35
21.	उत्तर प्रदेश	25700	18764	4237
22.	पश्चिमी बंगाल अन्य राज्य तथा संघ शासित प्रदेश	6110	3281	470
		410	153·12	50·0
	महा योग	113332	67533·12	12898·5

टिप्पणी :

1. इन आंकड़ों का बेसिन-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता।
2. सम्पूर्ण चरम सिंचाई क्षमता 2010 ईसवीं अथवा उसके आस-पास सृजित किए जाने का प्रस्ताव है।

सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर पर व्यय

3909. **श्री अमल दत्ता** : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर कार्यों व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना व्यय वहन किया जा रहा है;

(ख) नहर की कुल अनुमानित लागत कितनी है और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना व्यय वहन किया जायेगा और अब तक कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य किन-किन नहरों का वित्त पोषण किया जा रहा है तथा वे परियोजनाएं किन-किन राज्यों में हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा इनका कितना व्यय वहन किया जाएगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सतलुज यमुना सम्पर्क नहर की सम्पूर्ण लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जा रही है। सतलुज यमुना सम्पर्क नहर नवम्बर, 1985 में 275 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित की गई थी। परियोजना प्राधिकारियों ने नहर का एक संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया है, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की गई समीक्षा के अनुसार अद्यतन लागत 366 करोड़ रुपये है। इसे स्वीकृति हेतु योजना आयोग की सलाहकार समिति को अभी प्रस्तुत किया जाना है। केन्द्र द्वारा इस नहर के लिए अब तक 176 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गये हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी राज्य की ऐसी कोई अन्य नहर वित्त पोषित नहीं की जा रही है।

नर्मदा घाटी परियोजना का तैयार किया जाना और सरकार को प्रस्तुत परियोजनाएं

3910. **श्री अमल दत्ता :**

श्री मानिक रेड्डी : क्या **जल संसाधन राज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तैयार की गयी और सरकार को प्रस्तुत की गयी नर्मदा घाटी परियोजना के लिए कितनी धनराशि अपेक्षित है और इनके कार्य निष्पादन के स्रोत क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के किन-किन भागों को स्वीकृति प्रदान की गई है और प्रत्येक परियोजना की लागत और वित्त व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के मामले में इन परियोजनाओं के भागों से अलग-अलग कितना लाभ प्राप्त होने की आशा है;

(घ) प्रत्येक परियोजना के प्रत्येक भाग के मामले में भूमि के जलमग्न होने, वनों की कटाई और लोगों के पुनर्वास पर राशि व्यय करने से कितनी हानि हुई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरी होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) नर्मदा घाटी परियोजनाओं के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए हैं।

वर्तमान नीति के अनुसार सिंचाई सेक्टर की परियोजनाएं एवं योजनागत संसाधनों से वित्त पोषित की जाती हैं।

भूमिगत जल-सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए सातवीं योजना में प्रावधान

3911. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान भूमि गत जल-सर्वेक्षण कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) उक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों को अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान उड़ीसा को भूमिगत जल सर्वेक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

अन्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान लघु सिंचाई के लिए निर्धारित राशि जिसमें देश में भूजल सर्वेक्षण कार्यक्रम भी शामिल है, 2804·99 करोड़ रु० है। भूजल सर्वेक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए कोई अलग राशि निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को आवंटित राशि विवरण 1 में दी गयी है।

(ग) और (घ) वर्ष 1987-88 के लघु सिंचाई कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यकारी दल के विचार-विमर्श के दौरान योजना आयोग ने भूजल संसाधनों के अन्वेषण और विकास के लिए लघु सिंचाई हेतु कुल 26·25 करोड़ रुपये के प्रति उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम को अनुदान सहायता के रूप में 100 लाख रुपए की राशि की सिफारिश की है। केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, उड़ीसा राज्य को वर्ष 1987-88 के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में 25 लाख रुपये देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने उड़ीसा में वर्ष 1987-88 के दौरान भूजल सर्वेक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए 2·62 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

विवरण—I

सातवीं योजना (1985-90) लघु सिंचाई कार्यक्रमों पर राज्य-वार परिव्यय

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(करोड़ रु० में) सातवीं योजना परिव्यय
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	147·40
2.	असम	160·00
3.	बिहार	260·00
4.	गुजरात	134·55

1	2	3
5.	हरियाणा	14·17
6.	हिमाचल प्रदेश	54·00
7.	जम्मू व कश्मीर	42·00
8.	कर्नाटक	151·00
9.	केरल	50·00
10.	मध्य प्रदेश	433·60
11.	महाराष्ट्र	250·00
12.	मणिपुर	10·00
13.	मेघालय	9·70
14.	नागालैंड	15·00
15.	उड़ीसा	110·00
16.	पंजाब	46·22
17.	राजस्थान	47·88
18.	सिक्किम	10·00
19.	तमिलनाडु	85·00
20.	त्रिपुरा	15·00
21.	उत्तर प्रदेश	512·00
22.	पश्चिम बंगाल	68·00
	कुल राज्य	2615·52
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान निकोबार	2·70
*2.	अरूणाचल प्रदेश	23·00
3.	चण्डीगढ़	0·60
4.	दादरा व नागर हवेली	2·13
5.	दिल्ली	5·19
*6.	गोवा दमन व द्वीव	8·80
7.	लक्षद्वीप	—
*8.	मिजोरम	7·00
9.	पांडिचेरी	5·05
	उपयोग	54·47
	कुल राज्य और संघ शासित क्षेत्र	2669·99
	केन्द्रीय सेक्टर	135·00
	कुल जोड़	2804·99

*अब राज्य

उड़ीसा के कोरापुट जिले में आदिवासी विकास परियोजना के लिए सहायता

3912. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिल के काशीपुर खंड में आरम्भ की गई आदिवासी विकास परियोजना पर कुल कितनी लागत आएगी;

(ख) इस आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि या किसी अन्य विदेशी स्रोत से कुल कितनी धनराशि की सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का इस परियोजना के लिए कितनी सहायता देने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क), (ख) और (ग) उड़ीसा के कोरापुट जिले के काशीपुर खंड में विचाराधीन आदिवासी विकास परियोजना के लिए अनुमानित निवेश लगभग 31 करोड़ रुपये है जिसमें से लगभग 50% अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि द्वारा दिए जाने की सम्भावना है। प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

सिक्किम में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम में व्यावसायिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण

3913. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या योजना मन्त्री सिक्किम में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम में व्यावसायिक कर्मचारियों के बारे में 9 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3761 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1987 के दौरान श्रीनगर के क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज में आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सिक्किम के एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के कुल कितने व्यावसायिक कर्मचारियों ने भाग लिया; और

(ख) 1987-88 के दौरान जमशेदपुर के क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सिक्किम से कुल कितने व्यक्तियों के नाम आमंत्रित किए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) एक।

(ख) इस पाठ्यक्रम के लिए राज्य तथा जिला/ब्लाक स्तर एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम सेलों, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली राज्य नॉडल एजेंसी और राज्य योजना विभाग से अधिकारियों के नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। सिक्किम सरकार से पहले ही एक अधिकारी का नामांकन प्राप्त हो चुका है। सिक्किम सरकार से प्राप्त नामांकनों में से तीन अधिकारी ही चयनित किए जाएंगे और जिसके लिए अन्तिम तिथि 18 दिसम्बर, 1987 है।

लोकोपयोगी विज्ञान नीति

3914. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकोपयोगी विज्ञान नीति बनाए जाने के बारे में कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री० के० आर० नारायणन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण-पत्रों पर नौकरियां

3915. **श्री गंगाराम** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक व्यक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, नहीं । जब कभी कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

(ग) सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को उन अधिकारियों के विरुद्ध उन पर लागू उपयुक्त अनुशासनात्मक नियमों के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर अनुदेश दिए जाते हैं जो अप्रामाणित मामलों में सामाजिक स्थिति के प्रमाण पत्र जारी करते हैं। उनके विरुद्ध भी सम्बन्धित कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है जो तथ्यों को गलत प्रस्तुत करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते है ।

[हिन्दी]

बिहार में पुनपुन दरधा परियोजना को मंजूरी

3916. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने पुन-पुन दरधा परियोजना का प्रस्ताव सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा है;

(ख) क्या इस योजना को मंजूरी देने में देरी हो जाने से इसकी लागत में वृद्धि हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उक्त परियोजना को कब स्वीकृति देने का विचार है और स्वीकृति देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) पुनपुन दरधा सिंचाई स्कीम पर टिप्पणियां बिहार सरकार को उनकी अनुपालना हेतु भेज दी गयी हैं ।

[अनुवाद]

मुहाने बांध संबंधी प्रस्ताव

3917. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने मुहाने बांध के प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा है;

(ख) क्या इस बांध के लिए वर्ष 1975 में तैयार किया गया प्राक्कलन अब बढ़कर तीन गुणा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का मुहाने बांध के प्रस्ताव पर कब तक स्वीकृति प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (घ) मोहाना जलाशय परियोजना परियोजना पर टिप्पणियां बिहार सरकार को उनकी अनुपालना हेतु भेज दी गई हैं ।

प्रतिबन्धित क्षेत्र परमिट

3918. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट जारी करने के अधिकार दिये गये थे,

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार प्रतिबन्धित क्षेत्रों के नाम क्या हैं और राज्यों को ये अधिकार कब दिए गए थे;

(ग) क्या कुछ राज्यों से ये अधिकार वापस ले लिए गए हैं;

(घ) यदि हां तो उनके नाम क्या हैं और ये अधिकार कब वापस लिए गए थे;

(ङ) ये अधिकार किन परिस्थितियों में वापस लिए गए थे;

(च) क्या इन अधिकारों से संबंधित परिस्थितियों में अब भारी परिवर्तन आ चुका है;

(छ) यदि हां, तो क्या उन राज्यों को पुनः ये अधिकार दे दिए जायेंगे; और

(ज) प्रतिबन्धित क्षेत्र परमिट जारी करने के लिए वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क), जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 1963 से निम्नलिखित राज्यों को समय-समय पर प्रतिबन्धित क्षेत्र परमिट जारी करने की शक्तियां दी गई :—

1. असम 2. मेघालय 3. त्रिपुरा 4. पश्चिमी बंगाल । इसके अतिरिक्त, पंजाब को भी जून 1984 में अस्थाई रूप से प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किया गया था और तत्पश्चात् पंजाब सरकार को कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट जारी करने की शक्तियां दी थीं ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) जुलाई, 1980 में असम, मेघालय और त्रिपुरा को इन शक्तियों का प्रयोग न करने का

अनुरोध किया गया था। तथापि, वे जिला मजिस्ट्रेट जो पहले इन शक्तियों का प्रयोग स्वत. कर रहे थे अब वे 1987 से इन शक्तियों का प्रयोग केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत करने पर ही कर सकते हैं।

(ङ) से (ज) तक यह आवश्यक समझा गया है कि प्रतिबन्धित क्षेत्र परमिट जारी करने से पहले उचित जांच की जाए। यह कार्य केन्द्रीय स्तर पर उचित और कुशल ढंग से किया जा सकता है; जहां विभिन्न स्रोतों से सूचना इकट्ठी की जाती है और सुलभ हैं।

दिल्ली पुलिस-वाहनों की संख्या में वृद्धि

3919. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में प्रत्येक पुलिस थाने को प्रदान किए गए आपातकालीन अलार्म वाले वाहनों की विद्यमान संख्या में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) वर्तमान पुलिस स्टेशनों की वाहनों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हाल ही में 2 नए पुलिस जिलों, 8 सब-डिवीजनों और 13 और पुलिस स्टेशनों की स्थापना के लिए स्वीकृत जारी की गयी है जिसमें सामान्य रूप से निर्धारित संख्या में वाहन होंगे।

भारत-जर्मन जनवादी गणराज्य के योजना-विशेषज्ञों के कार्यकारी दल की बैठक

3920. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या भारत-जर्मन जनवादी गणराज्य के योजना विशेषज्ञों से संयुक्त कार्यकारी दल की छठी बैठक नई दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन मामलों पर चर्चा हुई; और

(ग) बैठक में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) भारत-जर्मन जनवादी गणराज्य दल की छठी बैठक में योजना विशेषज्ञों ने विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। ये मुद्दे दोनों देशों की वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं, सार्वजनिक उद्यमों के लिए वित्त व्यवस्था तथा मूल्य आयोजन, उच्च प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, ऊर्जा का तर्क संगत उपयोग तथा जन संसाधन के आयोजन से सम्बन्धित थे।

(ग) इस बैठक में, भविष्य में विशेषज्ञ स्तर पर आदान-प्रदान के लिए अनेक क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। इनमें, दोनों देशों की वार्षिक योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में जानकारी का आदान-प्रदान, वृहत्त मशीन निर्माण निगमों, निर्माण क्षेत्रक व शहरी और अन्त:—नगर यात्री परिवहन व्यवस्था की योजना व प्रबन्ध; तथा बिजली उत्पादन, संचारण और वितरण का संयुक्तिकीकरण शामिल है दोनों पक्षों द्वारा यथा सहमत विषयों पर अगली बैठक के लिए कार्यसूची में रखे जाने पर विचार किया जाएगा।

न्यायालयों में तलाक-निर्वाह भत्ता सम्बन्धी मामले

3921. **डा० फूलरेणु गुहा :**

श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान देश में विभिन्न न्यायालयों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत तलाकशुदा महिलाओं के निर्वाह भत्ते के कितने मामले दायर किये गए; और

(ख) उन तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें वक्फ बोर्डों द्वारा पर्याप्त निर्वाह भत्ता प्रदान किया गया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) ऐसे मामलों से संबंधित आंकड़े रखे नहीं जाते।

[हिन्दी]

बिहार के लिए बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

3922. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि; बाढ़ नियन्त्रण के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने उनमें से कितने सुझाव स्वीकार किये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : बिहार सरकार ने 1986 की बाढ़ के बाद गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को मूल्यांकन तथा योजना आयोग के अनुमोदन हेतु प्रायोजित करने के लिए संलग्न विवरण में दिए ब्यौरे के अनुसार 13 बाढ़ नियन्त्रण स्कीमें भेजी हैं। 4 स्कीमें गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग में परीक्षणाधीन हैं। 9 स्कीमों पर गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार द्वारा अनुपालनाधीन हैं।

विवरण

बिहार सरकार द्वारा 1986 की बाढ़ के बाद गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग को भेजी गयी स्कीमों की सूची।

क्र० सं०	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	वर्तमान स्थिति
1.	गण्डक और कोसी परियोजना के सिंचाई कमान में जल निकासी स्कीम	16354·54	परीक्षणाधीन
2.	198/ के बाढ़ से पहले कोसी तटबन्ध तथा एफलक्स बांध के लिए सुरक्षा कार्य	2296·11	बिहार सरकार को टिप्पणियां भेजी गई हैं।
3.	पिपरासी-पिपराघाट तटबन्ध तथा 87 के लिए रिटायर्ड लाइन हेतु कटाव रोधी कार्य	997·87	—वही—
4.	झावा लावा दायां महानन्दा तटबन्ध के 820-50-831 सी०एच० के बीच बुल हेडिड स्पर का निर्माण	66·53	—वही—

1	2	4	5
5.	झावा-लावा दायां महानन्दा तटबन्ध के 840-845, 867 और 880·50 सी० एच० पर स्पर को सुदृढ़ करना।	73·10	—वही—
6.	अर्जुनपुर उमरपुर सुरक्षा स्कीम	151·91	—वही—
7.	तवाकल राय का डोरा से तिलक राय का डोरा तक सुरक्षा कार्य	174 00	—वही—
8.	रिवेटमेंट तथा चांदपुरा पर रिटायर्ड लाइन का निर्माण	76·50	—वही—
9.	बेलगची झावा दायां महानंदा तटबन्ध के 989-1016 सी० एच० के बीच (गांव कुरसेला के निकट कटाव रोधी कार्य)	92·07	—वही—
10.	किशनपुर गांव के निकट गंगा नदी के बायां तट पर गोआगची लालबथानी डोबल तटबन्ध 0 से 10·50 सी० एच० तक कटाव रोधी कार्य	151·60	—वही—
11.	चाक रिंग बांध सुरक्षा स्कीम	157·00	परीक्षणाधीन
12.	चाकिया रामदीन तटबन्ध स्कीम	162·65	—वही—
13.	तिरमुहानी कुरसेला-तटबन्ध स्कीम का द्वितीय संशोधन अनुमान	645·72	—वही—

[अनुवाद]

चालू वर्ष के दौरान सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

3923. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू योजना अवधि के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में, विशेषकर उड़ीसा राज्य में, अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में भी कोई परियोजना शुरू की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) कालाहांडी जिले में कोई निर्माणाधीन आधुनिकीकरण स्कीम नहीं है।

विवरण

सातवीं योजना में बृहद् तथा मध्यम सिंचाई आधुनिकीकरण स्कीमें

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सातवीं योजना परिव्यय	(करोड़ रुपये) 1987-88 के दौरान प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	1·00	3·70
2.	असम	2·00	0·15
3.	बिहार	6·52	5·26
4.	गुजरात	142·70	33·73
5.	हरियाणा	121·58	49·75
6.	जम्मू व कश्मीर	4·17	2·74
7.	कर्नाटक	13·50	4·89
8.	केरल	2·00	—
9.	मध्यप्रदेश	1·50	2·08
10.	महाराष्ट्र	6·20	2·01
11.	मणिपुर	3·00	—
12.	उड़ीसा	4.18	1·49
13.	पंजाब	160·08	46·31
14.	राजस्थान	58·00	9·83
15.	तमिलनाडु	68·84	32·69
16.	उत्तर प्रदेश	237·58	41·06
17.	पश्चिम बंगाल	10·00	0·65
	योग		236·34
	योग संघ राज्य क्षेत्र	1·50	0·35
	महायोग	844·35	236·69

भूमिगत जल संसाधनों का दोहन

3924. **श्री बिमल कान्ति घोष** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिगत जल को व्यवस्थित ढंग से विदोहन करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) देश में कितनी मात्रा में भूमिगत जल संसाधनों के उपलब्ध होने का अनुमान है;

(ग) कितनी मात्रा में राज्यवार भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध हैं;

(घ) क्या सरकार ने भूमिगत जल संसाधनों का दोहन करने के लिए राज्यवार कार्य नीति को अन्तिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जल के पुनः चार्ज करने की सम्भावनाएं अधिक न हों और जल के खारीपन को रोकने हेतु भूमिगत जल के दोहन को विनियमित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भूजल संसाधनों का अन्वेषण तथा मूल्यांकन और भूजल स्थिति के रूप की मानीटरी जैसे उपाय किए गए हैं ।

(ख) और (ग) आपूरणीय भूजल संसाधनों के अनुमान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान 1·25 मिलियन खुदाई कुएं, 1·41 मिलियन उथले नल-कूपों तथा 25,000 सार्वजनिक नलकूपों के निर्माण के लिए राज्यवार कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

(ङ) भूजल विकास के विनियमन के लिए संतुलित विकास सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कानून लागू करने का सुझाव देते हुए राज्यों को एक माडल विधेयक परिपत्रित किया गया है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उपयोग भूजल संसाधन (मि० हैक्ट० मी०)
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	3·6580
2.	असम	1·6519
3.	अरुणाचल प्रदेश	0·1135
4.	बिहार	2·8566
5.	गुजरात	2·0323
6.	गोवा	0·1850
7.	हरियाणा	0.8824
8.	हिमाचल प्रदेश	0·0670
9.	जम्मू व कश्मीर	0·1890

1	2
10. कर्नाटक	1·3038
11. केरल	0·6919
12. मध्य प्रदेश	5·9468
13. महाराष्ट्र	3·4580
14. मणिपुर	0·0086
15. मेघालय	0·0288
16. मिजोरम	—
17. नागालैण्ड	0·0034
18. उड़ीसा	2·0655
19. पंजाब	1·3120
20. राजस्थान	1·4571
21. सिक्किम	—
21. तमिलनाडु	2·6965
23. त्रिपुरा	0·0588
24. उत्तर प्रदेश	9·2683
25. पश्चिम बंगाल	1·6446
कुल राज्य	41·5798
संघ राज्य क्षेत्र	
4. अण्डमान तथा निकोबार	—
2. चण्डीगढ़	0.0030
3. दादरा व नागर हवेली	00·030
4. दिल्ली	0·2680
5. लक्षद्वीप	—
6. पांडिचेरी	—
कुल संघ राज्य क्षेत्र	0·2740
अखिल भारत जोड़	41·8538

राज्य की मांग करने वाली समिति द्वारा बन्द का आह्वान

3925. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्बी अंगलोंग और उत्तरी कछार पड़ाड़ी स्वायत्त राज्य मांग समिति और कार्बी छात्र संघ ने 36 घंटे के बन्द का आह्वान किया था जो 26 अक्तूबर, 1987 को प्रारम्भ होगा;

(ख) क्या इस बंद आह्वान दो पहाड़ी जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की उनकी मांग के समर्थन में किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) आन्दोलन असम राज्य में एक स्वायत्तशासी राज्य के लिए है।

(ग) राज्य सरकार पर जनजातीय आंकाक्षाओं की ओर अधिक ध्यान देने और जनजातियों की शिकायतों की जांच करने तथा उनमें कल्याण और अपनेपन की भावना उत्पन्न करने के लिए जोर दिया गया है। तथापि केन्द्र सरकार असम का और पुनर्गठन करने के पक्ष में नहीं है।

[हिन्दी]

"दक्षेस" का खाद्य सामग्री का सुरक्षित भण्डार

3926. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में काठमाण्डु में सम्पन्न हुए "दक्षेस" के शिखर सम्मेलन में राष्ट्र प्रमुखों द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित दक्षिण एशियाई सुरक्षित खाद्य भण्डार की रूप रेखा क्या है और इसमें सदस्य देश अपना योगदान किस प्रकार करेंगे; और

(ख) इस सुरक्षित खाद्य भण्डार का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) "सार्क" खाद्य सुरक्षा भण्डार में 200,000 मीट्रिक टन खाद्यान सदस्य देशों द्वारा नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित किए जाएंगे :—

बंगलादेश	21,100 टन
भूटान	180 टन
भारत	153,200 टन
मालद्वीप	20 टन
नेपाल	3,600 टन
पाकिस्तान	19,100 टन
श्रीलंका	2800 टन

इस भण्डारण में गेहूं अथवा चावल अथवा ये दोनों ही वस्तुएं होंगी।

ये खाद्यान अंशदायी सदस्य देश की संपत्ति रहेंगे और ये सदस्य देश द्वारा रखे जाने वाले किसी राष्ट्रीय भंडार के अलावा होंगे। आपात स्थिति में स्थिति में कोई भी सदस्य देश अपने यहां के इस

भंडार से अनाज ले सकता है। जरूरतमन्द सदस्य देश आपात स्थिति के हालात और उसके लिए और आवश्यक खाद्यान्नों की यात्रा के बारे में अन्य सदस्य देश अथवा देशों को सीधे सूचना देगा। इसके बाद अन्य सदस्य देश अथवा देशों द्वारा आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से वस्तुओं अथवा अन्य रूप में जारी किए गए खाद्यान्नों के भाव, अदायगी की शर्त के बारे में बातचीत सम्बद्ध सदस्य देशों के बीच सीधे की जायेगी।

कोई सदस्य देश भंडार में से अपने हिस्से में से खुद भी ले सकता है।

रात की ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधायें

3927. **श्री राजकुमार राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उन कर्मचारियों को जिन्हें कार्यालय समय के पश्चात् रात्रि के कार्य के लिए रोका जाता है और उन्हें जो सरकारी कार्यालयों में रात्रि ड्यूटी करते हैं क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ख) क्या इन कार्यालयों में इन कर्मचारियों को रात्रि के समय लाने ले जाने के लिए कोई विशेष वाहन उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वीरेन सिंह ऐंगती) : (क) ऐसे कर्मचारियों के मामले में जिन्हें कार्यालय समय के बाद रोका जाता है उन्हें सामान्य शर्तों के अध्यधीन अतिरिक्त कार्य के लिए आर्थिक प्रतिपूर्ति की जाती है।

ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिन्हें अपने सामान्य कार्य के एक भाग के रूप में रात्रि ड्यूटी करनी पड़ती है उन्हें रात्रि ड्यूटी भत्ते के रूप में अथवा रात्रि के समय किए जाने वाले कार्य के घण्टों को घटाकर बराबर के कार्य के घण्टे तक कार्य किए जाने के रूप में, प्रतिपूर्ति किए जाने की व्यवस्था है।

तथापि, ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को दी जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे, केन्द्रीकृत रूप में मानीटर नहीं किए जाते हैं क्योंकि प्रसुविधाओं से सम्बन्धित कार्य अपेक्षाएं एक विभाग से दूसरे विभाग में भिन्न-भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए दूरसंचार विभाग के कार्यालय परिसरों में जहां कर्मचारियों को बार-बार रात्रि ड्यूटी करनी पड़ती है, वहां विश्राम/आराम कक्षों अथवा शयन कक्षों की व्यवस्था की जाती है।

(ख) और (ग) कर्मचारियों को लाने-ले जाने के लिए कोई विशेष प्रबन्ध अथवा वाहन क व्यवस्था नहीं की जाती है, किन्तु आपवादिक मामलों में सरकारी परिवहन की व्यवस्था की जाती है बशर्ते कि वाहन उपलब्ध हों।

सरकारी छुट्टियों में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव

3928. **श्री शान्ति धारीवली** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छुट्टियों की घोषणा करने संबंधी नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का धार्मिक त्यौहारों वाले दिनों को वैकल्पिक छुट्टियों की सूची में शामिल करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब से; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालयों के लिए प्रतिबन्धित छुट्टियों की सूची को इस विभाग द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है और किसी अतिरिक्त अवसर को शामिल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली से बाहर के कार्यालयों के सम्बन्ध में, स्थानीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों द्वारा अपने विवेक पर सूची तैयार की जाती है। यदि उनके द्वारा किन्हीं परिवर्तनों पर विचार किया जा रहा है तो उसकी सूचना इस मन्त्रालय के पास नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) छुट्टियों की विद्यमान प्रणाली नवम्बर, 1982 में लागू की गई थी। उसके बाद समय-समय पर स्थिति की पुनरीक्षा की गई है, परन्तु कोई परिवर्तन करना संभव नहीं पाया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम

3929. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या प्रधान मंत्री केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमों के पुन: तैयार करने के बारे में दिनांक 12 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2597 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम पुन: तैयार कर लिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन नियमों की मुख्य बातें क्या हैं और वे मूल नियमों से किस प्रकार भिन्न है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय विकास सम्बन्ध रिपोर्टों पर की गई कार्यवाही

3930. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान की अनुसूची पांच में राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे जन-जातीय विकास के बारे में केन्द्रीय सरकार को आवधिक रिपोर्ट भेजें; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को, वार्षिक अथवा जब कभी राष्ट्रपति चाहें वार्षिक

रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। "प्रशासन" शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है तथा रिपोर्ट में आदिवासी विकास सहित सभी पहलू शामिल होते हैं। इनकी जांच कल्याण मन्त्रालय द्वारा की जाती है जो इस विषय के सम्बन्ध में एक मुख्य मन्त्रालय है। रिपोर्टों पर मन्त्रालय की टिप्पणियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय जनमत

3931. **डा० ए० के० पटेल** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की थी कि सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में राष्ट्रीय जनमत प्राप्त करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तब से अब तक क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है और उसके परिणाम क्या हैं ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) और (ख) 23 मार्च, 1985 को अहमदाबाद में हुए प्रेस सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हमने लोगों और राज्य प्राधिकारियों से बात करनी होगी और हम देखेंगे कि उन्हें क्या कहना है। अतः गृह मंत्री ने मई, 1985 में राज्य के मुख्य मंत्रियों को सुझाव देते हुए लिखा था कि जब तक अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बारे में राष्ट्रीय सहमति तैयार नहीं हो जाती तब तक यथापूर्व स्थिति बनाई रखी जाए। सरकार का यह मत रहा है कि इस मामले पर यथापूर्व स्थिति बनाए रखी जाए जब तक कि राष्ट्रीय सहमति प्राप्त नहीं हो जाती।

[हिन्दी]

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र

*3932. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी क्षेत्र को किस आधार पर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाता है और यह आरक्षण कितने समय तक लागू रहता है;

(ख) वर्तमान आरक्षण कब तक जारी रहेगा; और

(ग) क्या सरकार के पास अगले चुनावों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव लम्बित पड़ा हुआ है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित घोषणा के मानदण्ड संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 तथा परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 8 और 9 में अन्तर्विष्ट हैं। उक्त अधिनियम के अधीन गठित परिसीमन आयोग ने, सौंपे गए कार्य को पूरा कर लिया है तथा जब कभी आवश्यक समझा जाए तब पश्चातवर्ती अधिनियमितियों द्वारा निर्वाचन आयोग को आरक्षित स्थानों अवधारण करने की शक्ति प्रदान की गई है और ऐसी अधिनियमितियों में वैसी ही मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जैसे संविधान और परिसीमन अधिनियम में हैं। सामान्यतया, जब तक अगली जनगणना के अधीन अवधारण नहीं हो जाता है तब तक आरक्षण बना रहेगा।

(ख) संविधान के विद्यमान उपबन्धों के अधीन विद्यमान आरक्षण तब तक बना रहेगा जब तक

कि वर्ष 2000 ई० के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं। तथापि यह इस शर्त के अधीन रहते हुए है कि संविधान के अधीन आरक्षण की विद्यमान अवधि को, जो जनवरी, 1990 तक है 2000 ई० से आगे बढ़ा न दिया जाए।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के विद्यमान आरक्षण के चक्रानुक्रमण का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के प्रस्तावों का भागरूप है। ऐसे प्रस्तावों पर राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श किया जाएगा और विचार विमर्श के पूरा हो जाने के पश्चात् ही कोई विनिश्चय किया जाएगा।

[अनुवाद]

"ईद मिलाद उल नबी" को सरकारी छुट्टियों की सूची में शामिल करना

3933. **श्री पी० एम० सईद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "ईद मिलाद उल नबी" को सरकारी छुट्टियों में शामिल करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) सरकार द्वारा अभ्यावेदन पर क्या निर्णय किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह ऐंगती) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है।

दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए विशेष ग्रेड के प्रावधान के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

3934. **श्री सी जंगा रेड्डी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय ने 19 दिसम्बर, 1986 को दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों को विशेष ग्रेड देने के प्रावधान, जिला न्यायिक सेवा में उच्चतर पदों के लिए भर्ती नियम तैयार कर और रुढ़ता को समाप्त करने के बारे में क्या निर्णय किया था और उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई; और

(ख) दिल्ली न्यायिक सेवा में रुढ़ता समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पाठ सभा पटल पर रख दिया गया।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5462/87]

दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्तियों को अंतिम रूप दिल्ली उच्च न्यायालय/दिल्ली प्रशासन द्वारा दिया जाता है और इस प्रकार यह विभाग उनसे प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं है। जहां तक दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम के संशोधन का सम्बन्ध है, यह कहा गया है कि ये नियम, संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन दिल्ली के उप-राज्यपाल ने बनाये हैं और संशोधनों को भी वे ही अन्तिम रूप देते हैं। दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम के संशोधन के लिए सरकार का अनुमोदन, दिल्ली प्रशासन को 26-2-87 को सूचित कर दिया गया है और वे दिल्ली प्रशासन द्वारा 17-3-87 को अधिसूचित कर दिए गए हैं।

(ख) उच्चतम न्यायालय के तारीख 18-12-86 के आदेश के अनुसार दिल्ली न्यायिक सेवा में गतिरोध दूर करने के लिए दिल्ली प्रशासन से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय समिति

3935. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति ने देश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए कोई योजनायें तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के लिए कौन-कौन सी योजनायें तैयार की गई हैं तथा उनके कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुस राम) : (क) तथा (ख) पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति ने उड़ीसा सहित देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के विषय में 11 रिपोर्ट और अनेक सिफारिशें दी हैं। ये सिफारिशें व्यापक रूप से जनजातीय क्षेत्रों में पिछड़ेपन की समस्याओं, सूखा-प्रवण क्षेत्रों आदि खारापन से प्रभावित क्षेत्रों औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों आदि से सम्बन्धित हैं। इन सिफारिशों को योजनाओं के अधीन स्कीमें तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील करने की व्यवस्था

3936. **श्री वी एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध प्रथमत: उच्च न्यायालय की खंड पीठ में अपील करने का प्रावधान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री वीरेन सिंह एंगती) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

खाड़ी के देशों से भारतीयों का निर्वासन

3937. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीयों को नकली यात्रा दस्तावेज रखने के कारण खाड़ी क्षेत्र सहयोग परिषद के देश से उनको प्रतिमास निर्वासित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987 के दौरान अब तक कितने भारतीयों को निर्वासित किया गया है; और

(ग) सरकार ने भारतीय नागरिकों को नकली यात्रा दस्तावेजों से खाड़ी के देशों में यात्रा करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल स्रोतों का पता लगाना

3938. **श्री दोलतसिंह जी जदेजा** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में जल स्रोतों का पता लगाने की योजना है;

(ख) इस दिशा में 1 अगस्त, 1987 से अब तक कितना कार्य किया गया है; और

(ग) जल स्रोतों का पता लगाने में गुजरात में 1 अगस्त, 1987 से अब तक सुदूर संवेदन एजेंसियों अथवा अन्य साधनों के माध्यम से किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) जलभूतों का पता लगाने के लिए सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य किए जा रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ, अगस्त 1987 से विभिन्न प्रकार के 74 बेधन-छिद्रों का बेधन किया गया है।

(ग) आगे पूर्वेक्षण हेतु भूजल क्षेत्रों की क्षमता दर्शाते हुए गुजरात राज्य के दूरस्थ संवेदन आधारित नक्शे तैयार किए गए हैं। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने उत्पादक जलभूतों के निरूपण हेतु अगस्त, 1987 से राज्य में 9 अन्वेषणात्मक बेधन-छिद्रों का बेधन किया गया है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में उप सचिव के रिक्त पदों की गणना करने की विधि

3939. **श्री परसराम भारद्वाज** :

श्री खेलन राम जांगड़े : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में उप सचिव के पैनल के लिए रिक्त पदों की संख्या प्रतिवर्ष कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उप सचिव के रिक्त पदों की गणना के लिए वर्ष 1983 से पहले और अब अपनाई जाने वाली विधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उपरोक्त विधियों में कोई अन्तर है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क), (ख) और (ग) : केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उप सचिवों की पैनल के लिए रिक्तियों की संख्या पर, सेवा निवृत्तियों, उच्चतर ग्रेड में सम्भावित पदोन्नतियों, प्रतिनियुक्ति की मांगों तथा ऐसी ही अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए वर्षानुवर्ष आधार पर निर्णय किया जाता है। वर्ष 1986 में यह महसूस किया गया था कि सचिवालय के बाहर सेवा करना केन्द्रीय सचिवालय सेवा की कोई शर्त नहीं है। अत: यह निर्णय किया गया था कि पैनल के आकार का निर्धारण करते समय प्रतिनियुक्ति के लिए कोई व्यवस्था न की जाए।

वर्ष 1981 से पैनल का आकार नीचे दिए अनुसार रहा है :—

1981	—	58
1982	—	56
1983	—	54
1984	=	26
1985	—	45
1986	—	37

वर्ष 1987 के पैनल के आकार पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उप सचिवों के पैनल के लिए उत्कृष्ट श्रेणी के अधिकारी

3940. **श्री परसराम भारद्वाज :**

श्री खेलन राम जांगड़े : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उप सचिव के पैनल के लिए गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 'उत्कृष्ट श्रेणी'' के कितने अधिकारी लिए गए हैं;

(ख) क्या इस "उत्कृष्ट श्रेणी" का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है;

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उप सचिव की रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने के लिए 20 प्रतिशत का प्रावधान वापस लिए जाने के कारण हैं;

(घ) क्या उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित 20 प्रतिशत का प्रावधान समाप्त करने से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) मांगी गई सूचना अनुबंध "क" पर दी गई है।

(ख) जी नहीं। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पदोन्नति पैनल कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिनांक 23-12-1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/10/74-स्था० (अनु० जा०) के अधीन जारी किए गए अनुदेशों के अध्याधीन होते हैं जिनमें यह निर्धारित है कि समूह "क" (श्रेणी—1) के भीतर के उन पदों पर, जिनके वेतनमान का अधिकतम रु 2000 अथवा कम (संशोधित वेतनमान में रु० 2250 अथवा कम) है, चयन द्वारा पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है, परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन अधिकारियों को जो पदोन्नति के लिए विचारण के क्षेत्र में इतने वरिष्ठ हैं कि जितनी रिक्तियों के लिए चयन सूची तैयार की जानी हैं, उन रिक्तियों की संख्या के भीतर आते हैं तो उन्हें उस सूची में शामिल किया जाएगा बशर्ते कि उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य नहीं माना जाता। अत: यदि कुछ अधिकारियों को "उत्कृष्ट" ग्रेड दिया भी गया हो तो भी इन अनुदेशों के अधीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का हित संरक्षित रहता है।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिए उपसचिवों की रिक्तियों की संख्या की संगणना के फार्मूले में 20 प्रतिशत का तत्व प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए रखा गया था। तथापि, जब उप सचिव प्रवर सूची, 1986 का आकार निर्धारित किया जा रहा था तब यह महसूस किया गया था कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की यह सेवा शर्त नहीं है कि उन्हें सचिवालय के बाहर कार्य करने के लिए भेजा जाए, अत: प्रतिनियुक्ति के लिए व्यवस्था किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) इस तत्व को हटाने से केवल केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिवों के पैनल का आकार ही कम होगा। इसका अर्थ यह होगा कि प्रति वर्ष उप सचिव स्तर की नियुक्तियों के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अपेक्षित या कम अधिकारियों पर ही विचार किया जाएगा और ऐसा करते समय

इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं अथवा नहीं।

(ङ) चूंकि पैनल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्गों के आनुपातिक हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए कोई उपचारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

विवरण

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिवों के पैनल में उत्कृष्ट श्रेणी से लिए गए अधिकारियों की संख्या

पैनल का वर्ष	उत्कृष्ट श्रेणी में अधिकारियों की संख्या
1982	13
1983	1
1984	3
1985	11
1986	13

भारत में पाकिस्तानी और ईरानी राष्ट्रिक

3941. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा के पश्चिमी क्षेत्र से अनेक पाकिस्तानी राष्ट्रिक भारत में प्रवेश कर चुके हैं और प्रवेश कर रहे हैं;

(ख) क्या पाकिस्तान पश्चिमी क्षेत्र की सीमाओं से ईरानी युवकों को भेज रहा है;

(ग) क्या गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश देने के कारण कुछ ईरानी युवक भारत में अभी भी रह रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) ऐतिहासिक तथा सामाजिक-आर्थिक कारणों से पाकिस्तान से भारत में कुछ घुसपैठ होती है। किन्तु, भारत-पाकिस्तान सीमा से बड़े पैमाने पर घुसपैठ का होना प्रतीत नहीं होता।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, जनवरी से सितम्बर, 1987 तक की अवधि के दौरान, गुजरात में 16 ईरानी राष्ट्रिक पकड़े गए थे जिनमें 14 ईरानी राष्ट्रिक निर्वासित किए गए। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगनादेश के परिणाम स्वरूप 2 ईरानी राष्ट्रिक अभी भी गुजरात में हैं। उन्हे निर्वासित न करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में रिट विशेष अपराध आवेदन दायर किया गया है जो अन्तिम आदेश के लिए अभी लम्बित है।

[हिन्दी]

सीमा विवाद के सम्बन्ध में भारत-चीन वार्ता

3942. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री अमर सिंह राठवा :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

चौधरी अख्तर हसन :

श्री एच० बी० सिवनाल :

डा० बी० एल० शैलेश :

श्री हरीश रावत :

श्री महेन्द्र सिंह :

डा० गौरी शंकर राजहंस :

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही :

श्री काली प्रसाद पाण्डेय :

श्री भट्टम श्री राममूर्ति : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच 13 से 18 नवम्बर, 1987 तक नई दिल्ली में वार्ता का आठवां दौर चला था;

(ख) यदि हां तो विभिन्न मुद्दों पर हुए विचार-विमर्श के परिणाम क्या रहे;

(ग) क्या वार्ताओं के दौरान उत्तर प्रदेश से तभी भारत चीन सीमा से व्यापार प्रारम्भ करने की संभावना के सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारत-चीन सीमा विवाद पर भी विचार-विमर्श किया गया था; और

(च) यदि हां, तो उस से क्या निस्कर्ष निकले ?

विदेश मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) ये बातचीत 15 से 17 नवम्बर, 1987 तक हुई थी।

(ख) से (च) इस बात पर सहमति हुई थी कि सीमा के प्रश्न को शान्तिपूर्ण और बातचीत के माध्यम से निपटाने के लिए प्रयास जारी रखे जाएं और इस बीच सम्पूर्ण सीमा पर शांति और सद्भाव बनाए रखा जाए तथा तनाव और उकसाने वाली कार्रवाइयों से बचा जाए।

हमने उन्हें सूचित किया है कि हमारी इच्छा चीन के साथ अपने संबंधों को पुनः बनाने और पुर्नजिवित करने की है और साथ ही आपसी लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए पर्याप्त क्षमता का पता लगाया जाना चाहिए। इसका चीन से रचनात्मक उत्तर प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

मान्यता प्राप्त संघों के पदाधिकारियों को सुविधायें

3943. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी भी मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त-संघों के पदाधिकारियों को उनके कार्यकाल के दौरान प्रदत्त सुविधाओं, लाभों और छूटों के बारे में मानदण्डों का उल्लंघन किया जाने की जानकारी मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंक्ती) : (क) तथा (ख) ऐसा कोई विशिष्ट मामला इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है ।

निर्माण कार्यों के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम

3944. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने सीमेंट, इस्पात, ईंटों की कमी को दूर करने और अल्प लागत वाली वैकल्पिक सामग्री तथा प्लास्टिक एवं पोलिमरस का प्रयोग करने वाले उपकरणों को विकसित करने हेतु भवन निर्माण कार्यों के लिए परम्परागत सामग्री को बदलने संबंधी प्लास्टिक क्षमता का दोहन करने के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान और विकास कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूप रेखा क्या है और कुछ "अभियान क्षेत्रों" में अब तक क्या उपलब्धि हासिल हुई है; और

(ग) प्राप्त परिणामों को किस प्रकार वास्तविक व्यवहार में लाया जा रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन : (क) जी, हां ।

(ख) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुर्ण तथा केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की (सी० एस० आइ० आर० की घटक प्रयोगशालाएं) ने प्लास्टिक का उपयोग करके कम लागत/वैकल्पिक भवन निर्माण सामग्री के विकास हेतु एक सम्मन्वित अनुसंधान व विकास कार्यक्रम तैयार किया है । कार्य के मुख्य उद्देश्य हैं :—

I. ऊष्मा रोधन सहित जल-सह्य उपचार हेतु पालिमर कंक्रीट का विकास

II. क्लैडिंग पलश डोरस, आदि के विभाजन हेतु सम्मिश्रित प्लास्टिक पैनलों का विकास

III. कम लागत के और अच्छी किस्मों वाले पालिमर आधारित जल-सह्य विलेपन आसंजकों और सीलैन्टस् (सील करने का पदार्थ) का विकास ।

क्षरणरोधी उपचार के लिये पालिमर से प्रयोगात्मक सामग्रियों को विकसित कर लिया गया है, जो खाद उद्योग में उपयोग में आने वाले आर० सी० सी० संरचना की रक्षा के लिए उपयोगी हैं । सीमेंट, स्टील और लकड़ी से बने परम्परागत उत्पादों के स्थान पर नए प्लास्टिक उत्पादों यथा प्लास्टिक पाइप, जल भन्डारण टंकियों, प्लास्टिक सम्मिश्रित पैनलों, रूफ लाइटिंग शीट इत्यादि का उनकी कम लागत की उपयुक्तता मापने के लिए सी० एस० आइ० आर० की प्रयोगशालाएं परीक्षण एवं मूल्यांकन कर रही हैं ।

(ग) इण्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स को आपरेटिव (इफको) फूलपुर आर० सी० सी० संरचनाओं की सुरक्षा के लिए क्षणरोधी उपचार-सामर्थ्य का परीक्षण कर रहा है ।

प्लास्टिक पाइप और जल भंडारण टंकियों के निर्माता अपने नए उत्पादों के लिए सी० एस० आइ० आर० प्रयोगशालाओं की परीक्षण और मूल्यांकन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं ।

अग्निकुलक्षेत्रीय (पल्ली) समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

3945. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार के अग्निकुलक्षेत्रीय (पल्ली) समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अग्निकुलक्षेत्रीय (पल्ली) समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शासिल करने में लिए किस तारीख तक कानून बनाये जाने की संभावना है ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार की सिफारिशों को जनहित में नहीं बताया जा सकता।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर, इस प्रकार के साथ अन्य प्रस्तावों के विचार किया जा रहा है और इस मामले में अन्तिम निर्णय शीघ्र ले लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342(2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए इस समय किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

भूमि सेना

3946. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू योजनावधि में 30 लाख लोगों की भूमि सेना बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या देश में व्याप्त अत्यधिक गरीबी और बेकारी का सामना करने के लिए किसी प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) इस समय केन्द्रीय योजना क्षेत्रक में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग) सातवीं योजना की विकास कार्यनीति में केन्द्रीय तत्व उत्पादक रोजगार सृजन है। क्षेत्रकीय निवेशों, जिससे रोजगार के अवसरों का विस्तार होता हो के अतिरिक्त तीन प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों पर विशेष फोकस के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार कया कम-रोजगार की समस्या से निपटने की दशा में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दो और स्कीमें हैं—शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वत: रोजगार प्रदान करने वाली स्कीम तथा शहरी गरीबों के लिए स्वत: रोगजार कार्यक्रम।

पंजाब की घरेलू आय में उद्योगों का योगदान

3947. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 में पंजाब में सकल घरेलू आय में उद्योगों का योगदान राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) तथा (ख) वर्ष 1986-87 के लिए पंजाब तथा समस्त भारत के सकल घरेलू आय के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

दूरसंचार सुविधाओं का विकास

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में दूरसंचार और स्वचालित उपकरण विनिर्माण उद्योग दक्षतापूर्वक देश की जरूरतों के अनुरूप उत्पादन करने में असफल रहा है;

(ख) गैर-सरकारी उद्यमों को इन उपकरणों का विनिर्माण करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) दूरसंचार सुविधाओं का विकास करने के लिए यदि कोई सुविधायें प्रदान की जाएगी तो वे क्या होंगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागरविकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) वर्ष 1984 में सरकार द्वारा घोषित उदारीकरण सम्बन्धी उपायों के बाद निजी क्षेत्र की यूनिटों को उपभोक्ता टर्मिनल उपस्करों के लिए लाइसेंस देने का काम आरम्भ हो गया है। टेलीफोन, दूर मुद्रक, प्रतिदर्श (फैसिमाइल) उपस्कर, पे-फोन, निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज आदि जैसे विभिन्न प्रकार के दूरसंचार उपस्करों के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों को लगभग 100 आशय-पत्र जारी किए गए हैं। इन परियोजनाओं पर विभिन्न चरणों में अमल हो रहा है और यह आशा की जाती है कि ये यूनिटें देश की जरूरत को कुशलतापूर्वक पूरा करने में अपना उचित योगदान दे सकेंगी।

जहां तक स्वचालन उपस्करों के विनिर्माण का प्रश्न है, निजी क्षेत्र की यूनिटों को कार्य कुशलता का एक उचित स्तर हासिल करने में कामयाबी मिली है। इन यूनिटों ने इस्पात, बिजली: सीमेंट, उर्वरक, परिशोधनशालाओं आदि जैसे प्रक्रिया उद्योगों में स्वचालन उपस्करों की आपूर्ति करके उन्हें प्रतिष्ठापित और चालू किया है।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार, निजी क्षेत्र की यूनिटों को केवल दूरसंचार से सम्बन्धित टर्मिनल उपस्करों और उपभोक्ता के परिसर में लगने वाले अन्य उपस्करों का विनिर्माण करने की अनुमति दी गई है। जहां तक मुख्य एवं बड़े आकार के टेलीफोन एक्सचेंज से सम्बन्धित उपस्करों और संचरण उपस्करी का संबंध है, वे शत प्रतिशत निजी क्षेत्र की यूनिटों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं।

(ग) उपभोक्ता टर्मिनल उपस्करों/सहायक उपकरणों के विनिर्माताओं को दूर संचार विभाग द्वारा उनके टाइप को अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद सीधे उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। दूर संचार विभाग को ऐसे उपस्करों की आपूर्ति करने के लिए भी विनिर्माताओं को प्रतियोगिता के आधार पर बोली लगाने की अनुमति दी जाती है।

12.00 मध्याह्न

श्री सी० माधव रेड्डी (आलिदाबाद) : महोदय, हमने लंबित परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है···(व्यवधान) आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य कई राज्यों में बहुत-सी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं और काफी समय से 4 वर्ष से अधिक समय से उन्हें मंजूरी नहीं दी गई है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब खड़े हैं, मैं आपको याद दिला दूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कहना चाहता हूं और आप अनावश्यक रूप से इस तरह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इधर देखिए, जो आप चाहते हैं वह हम आसानी से कर सकते हैं। मुझे कोई कठिनाई नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको वही बता रहा हूं यदि आप सुनना नहीं चाहते, तो मैं क्या कर सकता हूं ?

ठीक है, यदि आप सुनना नहीं चाहते, तो कार्यवाही वृतांत में कुछ शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुरोध करने का सवाल ही नहीं है। जब मैं हर बात की अनुमति दे सकता हूं और मैं·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? यदि आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुनें, तो हर प्रश्न का समाधान हो जाएगा। मैंने कहा है आपने कोई नोटिस दिया है और यहां स्थगन प्रस्तावों का ढेर लग गया है, मैं समझता हूं कि यह स्थगन प्रस्ताव नहीं माना जाएगा क्योंकि वह उस श्रेणी में नहीं आता। लेकिन हमारे पास और भी रास्ते हैं। आप कहते हैं कि कुछ घटना हुई है लेकिन आप मुझे ध्यानाकर्षण या किसी अन्य चर्चा का नोटिस दे सकते हैं और मैं उसकी अनुमति दे सकता हूं। मैं इसे बुरा नहीं मानता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कभी भी अनुमति नहीं दे सकता हूं।

[हिन्दी]

मैं बता रहा हूं कि मैं एलाऊ कर दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई नोटिस दीजिए। मुझे जब जानकारी मिलेगी तब अनुमति दे दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करना है तो आपकी मर्जी।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

मैं तो कह रहा हूं कि इसका फायदा क्या है।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नोटिस दीजिए और मुझे जब जानकारी मिलेगी।

[हिन्दी]

मैं करवा दूंगा।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह संसद आपकी है और यदि आप इसकी प्रतिष्ठा गिराना चाहें तो गिरा सकते हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुरोध करने का कोई नियम नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है।

12.05 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की गई विस्तृत कार्यवाही दर्शाने वाला ज्ञापन

कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी) : वर्ष 1979-80 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की गई विस्तृत कार्यवाही दर्शाने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5150/87]

संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5151/87]

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इलैक्ट्रॉनिक डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, औरंगाबाद, रमन अनुसंधान संस्थान बंगलौर, नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) इलैक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, औरंगाबाद के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र औरंगाबाद के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5152/87]

(2) (एक) रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 5153/87]

(3) (एक) नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिपोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5154/87]

(4) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5155/87]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5156/87]

(ख) (एक) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5157/87]

व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखा-परीक्षित लेखे।

(2) व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5158/87]

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1986-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए। संख्या एल टी० 5159/87]

12·06 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 30 नवम्बर, 1987 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 11 नवम्बर, 1987 की हुई उसकी बैठक में पारित किए गए वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 1987 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री रामरतन राम (हाजीपुर) : मैं वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग बैंकिंग प्रभाग)—यूको बैंक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को बैंक द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण सम्बन्ध समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे समिति का बत्तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) प्रस्तुत करता हूं।

———

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत दुःख है। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार कुछ कर रही है या नहीं, किंतु कम से कम आप···बाधा डाल रहे है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पूरे सदन का समय खराब कर रहे हैं···। मुझे नहीं मालूम। आपने यह किताब मुझे दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने एक भी माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इससे तो मैं सभा को स्थगित करना ही पसन्द करूंगा मैं इस प्रकार धमकी में नहीं आने वाला। मैं सभा को स्थगित कर दूंगा। मुझे इस प्रकार डराया-धमकाया नहीं जा सकता। यदि आप चाहते हैं कि इस सभा की कार्यवाही न चले यदि यह आप पर निर्भर हैं। आपकी जिम्मेदारी है···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। यह माननीय सदस्यों की ओर से अत्यन्त भद्दा व्यवहार है। अत्यन्त भद्दा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह भयावह है। मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। मुझे दुःख हो रहा है और मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी चर्चा के लिए मना नहीं कर रहा हूं···

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपका स्वर ऊंचा है, मैं यह जानता हूं। किन्तु यह उचित नहीं है। यह बहुत बुरा है।

(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। मैंने किसी को कुछ कहने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी दया पर नहीं हूं। मैं इस सभा के वेश में हूं और मैं इस सभा की परम्पराओं को बनाए रखना चाहता हूं और मैं इसे मानता हूं मैं यह कभी नहीं जानता था कि ऐसा होगा और माननीय सदस्य इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। मैंने कभी ऐसा सोचा तक नहीं था। यह अपमानजनक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। बैठ जाइए। मुझे आदेश मत दीजिए। नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किसी को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हां। यदि आप सुनें तो मैं कुछ कह सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये। मुझे अपना दुख व्यक्त करना चाहिए जो मुझे लगता है कि अकारण ही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन, आप में सुनने के लिए धैर्य नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं ? मुझ में सुनने का पूरा धैर्य है। मैंने सदन में कहा है और मैं किसी भी न्यायालय में कह सकता हूं कि मैं किसी चर्चा को नहीं रोकूंगा। मैंने ऐसा नहीं किया है।

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : यहां तानाशाह बैठा हुआ है। मैं क्या कर सकता हूं। यदि कुछ किया जाना है तो वह मेरे विचार में नियमों के अन्तर्गत ही किया जाना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, अगर आपको रस्सा-कशी करनी हो तो फिर आप बाहर चले जाइए।

[अनुवाद]

फिर आप की रस्सा-कशी वहां होगी यहां नहीं भगवान के लिए, इसे अखाड़ा मत बनाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अक्रामक हैं, मैं नहीं। मैं ठहरा असहाय जो अकेले 55 व्यक्तियों का मुकाबला कह रहा हूं। हमें इन चीजों पर चर्चा करने का पूरा-पूरा अधिकार है और हमें कोई नहीं रोक सकता है। मैं कहता हूं कि आप मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे सकते हैं और मैं आपको इसकी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका। मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। मुझे किसी के आदेश के अनुसार कार्य नहीं करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी भी निवेदन की अनुमति नहीं दी जा रही है। मैं आपको किसी भी प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहा हूं। जब मैंने कहा, तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ? आप मुझे सूचना दीजिए तब तो मैं आपको अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे पढ़िये और मेरे पास आइए। मैं बहस नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी, यदि हमें संघर्ष करना है।

[हिन्दी]

वैसे तो मैं आपसे तगड़ा हूं, अगर कुश्ती करनी हो तो। और अगर रीजन की बात करनी है तो भाई मेरे मैं तो रीजन से ही करूंगा आपकी आवाज से मैं डरता नहीं। मैं भगवान से ही डरता हूं। किसी और से नहीं डरता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आपने इस हाउस की सफाई करनी है तो कर दीजिए। अगर आप डराना चाहते हैं तो मैं डर नहीं सकता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कैसे हो सकता है ? मैं चर्चा करना चाहता हूं, आप चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं।

[हिन्दी]

सब देखेंगे कि आप कैसे कर रहे हो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं नहीं कर सकता। में पूरी तरह सुनूंगा। मैं चर्चा कराऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय। आप शोर क्यों कर रहे हैं। मेरे लिए तो सारा देश एक है। न मेरे लिए अपोजीशन की स्टेट है और न कोई रूलिंग की स्टेट है।

[अनुवाद]

यह देश मेरा है, आपका है, और उनका भी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं इतनी बात चाहता हूं। आप कोई भी चीज लाना चाहते हैं उसूल है, अपनी किताब के हिसाब से ले आइए। मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन मेरे को डंडा नहीं दिखा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, क्यों शोर कर रहे हैं। आपको क्या हो रहा है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि आप नहीं चाहते हैं कि सभा का कार्य चले तो मैं अलविदा कहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सदन का मूड भी नहीं है और माननीय सदस्य मुझे काम करने नहीं देंगे। दायित्व आप पर है। मैं सभा को स्थगित कर रहा हूं। यह एक चेतावनी है।

अध्यक्ष महोदय : अन्तिम बार—मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मैं सभा को स्थगित कर रहा हूं, क्योंकि आप मुझे काम करने नहीं देते हैं। और मैं आपको रोक नहीं रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्यों इस प्रकार अनुमति दूं।

[हिन्दी]

मैं सारा एलाउ कर रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं आपको उस हर चीज की अनुमति देता हूं जिसकी आपने मांग की, किन्तु एक उचित ढंग से—बेढंगे तरीके से नहीं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं कानून नहीं तोड़ने दूंगा। मैं रूल को नहीं तोड़ने दूंगा। मैं रूल चलाऊंगा। अगर मुझे रखना है, रूल चलेगा, रूल चलेगा, डंडा नहीं चलेगा मेरे साथ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आप मुझे कालिंग एटेंशन दे दीजिए, मैं करवा दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं होगा। 377 में कर दीजिए, मैं कर दूंगा।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) : नियम 376 के अन्तर्गत मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न किस विषय में है ?

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप शोर क्यों कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बिजनेस तो कोई है नहीं। प्वाइंट आफ आर्डर क्या हो सकता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : दो मदों के बीच के अन्तराल में आप की सहमति से—और आपको मुझे सहमति देने में कृपालु होना चाहिए—मैं प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का एक प्रश्न उठा सकता हूं। पूर्ण शांति में आप मेरी बात केवल आधे मिनट के लिए सुनिए—मैं समझूंगा कि आपने मुझे अनुमति दे दी है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आइटम कौन सा है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई मद है ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आप से कह दूं कि अन्तराल में, अर्थात् दो मदों के बीच एक मध्यावधि है और इस दौरान कोई मुद्दा नहीं है तो अध्यक्ष की अनुमति से मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठा सकता हूं·····(व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी स्वीकृति दें। बस।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है; मैं अनुमति देता हूं। व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? मुझे स्पष्ट बताइए।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं। आप की टिप्पणी के अनुसार और सभा के कार्य संचालन के अनुसार, मैं व्यवस्था का यह प्रश्न उठा रहा हूं। (व्यवधान) आप का दावा यह था कि आप नियमों के उल्लंघन की अनुमति नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल।

प्रो० मधु दण्डवते : स्थगन प्रस्ताव सभा में रखा जाना था, क्योंकि हममें से वे जो गैर-कांग्रेस राज्यों से हैं·····(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह बात बीच में मत लाइए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी सहायता मत कीजिए। मुझे निपटने दीजिए।

[हिन्दी]

मैं अपने आप देख लूंगा डोन्ट एसिस्ट मी। आप बैठ जाइए। मैं कर लूंगा। आप बैठ जाइए, श्रीमन्, मैं देख लूंगा।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : आप का आदेश था कि स्थगत प्रस्ताव के स्थान पर हमें नियम 193 के अन्तर्गत सूचना देनी चाहिए·····(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे निपट सकता हूं श्री चाल्र्स।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आपने कहा कि स्थगत प्रस्ताव के स्थान पर हमें किसी अन्य नियम के अंतर्गत सूचना देनी चाहिए, और हम चर्चा कर सकते हैं। आपने कहा, "वह तत्काल कैसे वक्तव्य दे सकते हैं ?

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम पूरी चर्चा नहीं चाहते, लेकिन हम यह कहेंगे कि अगर आप हमें यह अनुमति दें कि हम लिखित में बताएं कि कौन-कौन सी परियोजनाएं विचाराधीन हैं और फिर कभी उन्हें वक्तव्य देने दें·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह अनुमति नहीं दे सकता···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब आप ऐसा करते हैं और जब आप मुझे डराते हैं, तो मैं डरता नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख सकते हैं। उसे मैं आगे भेज दूंगा या आप सीधे मंत्री जी को लिख सकते हैं और वह आगे उस पर कार्यवाही कर लेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों शोर कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप इनको लिख सकते हैं। मुझे दें, तो मैं भी भेज सकता हूं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिस्कशन हो, तो उसके लिए देयर इज ए रूल। आप मुझे दे दीजिए, मैं डिस्कशन जरूर करा दूंगा।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सैफुद्दीन जी, अगर आप सैकड़ों हजार बार भी कहेंगे तब भी मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा मैं केवल कारणों से प्रभावित होता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है अगर आप नहीं चाहते कि मैं सदन की कार्यवाही जारी रखूं, तो मैं इसे स्थगित कर दूंगा । मैं सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

12.20 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमारे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला समाप्त हो चुका है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि हमारे स्थगन प्रस्ताव रखने पर सभा इस प्रकार स्थगित होगी तो हम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कहां करेंगे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला समाप्त हो चुका हैं ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : यह एक महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सदन को स्थगित किया गया ;

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने अपनी स्वीकृति भी नहीं दी थी ।

श्री सी० माधव रेड्डी : और हम कुछ कहना चाहते थे । हम बताना चाहते थे कि इस पर चर्चा की जरूरत क्यों है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आप अनुमति दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष ने अपनी अनुमति नहीं दी है । एक ही मामले पर दोबारा चर्चा करने की क्या बात है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह समाप्त हो गया है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह समाप्त हो चुका है । सदन स्थगित होने के बाद पुनः समवेत हुआ है । हम दूसरा विषय लेंगे ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह समाप्त हो गया है । श्री शंकरानंद ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहार) : यह बोफोर्स पर या किसी अन्य विषय पर है ?

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आप विनिर्णय लिया गया ? हमारे स्थगत प्रस्ताव का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसे स्वीकृत ही नहीं किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम चाहते हैं कि इस मामले पर चर्चा हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं । स्वीकृति नहीं दी गई है । इस मामले को दोबारा उठाने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय ने सदन को स्थगित क्यों किया ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शंकरानंद ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : हम आगे नहीं बढ़ सकते ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह समाप्त हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपको स्पष्ट उत्तर देना होगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए । हम अगला विषय ले चुके हैं ।

14.06 म० प०

इस समय श्री सी० माधव रेड्डी तथा कुछ अन्य सदस्य सभा सदन से बाहर चले गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मधुदंडवते ।

[हिन्दी]

श्री सी० अंगा रेड्डी : गोदावरी में पानी बहुत है ।

(व्यवधान)

श्री सी० अंगा रेड्डी : भारत सरकार से कई सालों से क्लियरेंस नहीं हो रहा है···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : हम लोग वाक् आउट कर रहे हैं।

14.07 म० प०

इस समय श्री सी० जंगा रेड्डी सभा सदन से बाहर चले गए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : हम उन सभी फैक्टरियों का मामला उठाना चाहते हैं जो हमारे राज्य में बंद होती जा रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो रही है। केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन जो फैक्टरियां हैं वे भी बन्द होती जा रही हैं। इसका जबाव कौन देगा ? अगर आप इसकी अनुमति नहीं देते, तो मत दें।

इस समय श्री इन्द्रजीत गुप्त सभा भवन से उठकर चले गए।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय केन्द्र सरकार मद्रास ट्रांजिट रेपिड सिस्टम की जानबूझ कर उपेक्षा कर रही है। मैं भी इसके विरोध में वाक आउट कर रहा हूं।

14.08 म० प०

इस समय श्री एन० वी० एन० सोमू सभाभवन से उठकर चले गए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बी० शंकरानंद।

समिति के लिए निर्वाचन

बोफोर्स ठेके की जांच करने सम्बन्धी संयुक्त समिति

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोड़ी) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से बोफोर्स ठेके की जांच करने सम्बन्धी संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए डा० के० जी० बद्रियोडो के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से बोफोर्स ठेके की जांच करने सम्बन्धी संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए डा० के० जी० अद्रियोडो के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14.09 म० प०

रेल से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति—समय बर्धन

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा रेल से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 1988 के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि यह सभा रेल से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 1988 के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

कार्य मंत्रालय समिति

पैंतालीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 1 दिसम्बर, 1987 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 45वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 1 दिसम्बर, 1987 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 45वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

———

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14.10 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कोटा, राजस्थान में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : तीव्र औद्योगिक विकास, अव्यवस्थित योजना और नदी के उस पार शहर में बहने वाली हवा की विपरित दिशा में तापीय संयंत्र की स्थापना से राजस्थान में कोटा शहर जल तथा वायु-प्रदूषण से ग्रस्त है।

इसके अतिरिक्त शहर के चारों ओर फैले घने जंगलों के विनाश से भी शहर के पर्यावरण पर और प्रतिकूल असर पड़ा है।

अब राजस्थान सरकार ने जल आपूर्ति प्रणाली के बहाव की विपरीत दिशा में एक सोयाबीन फैक्टरी तथा एक इंजीनियरी कालेज की स्थापना करने की अनुमति दी है। सोयाबीन संयंत्र के तेलीय तथा अवशिष्ट पदार्थ और इंजीनियरी कालेज के अवशिष्ट पदार्थों के निपटने के लिए अगर उपयुक्त

ढंग से व्यवस्था नहीं की गई और उसे नदी में डाला जाता रहा तो भविष्य में कोटा के लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक होगा।

इन तथ्यों को मद्दे नजर रखते हुए पर्यावरण मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के निदेश दें कि शहर में नई परियोजनाओं से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को और खराब, नहीं करेगा।

[अनुवाद]

(दो) डाकुओं के आतंक से ग्रस्त आगरा की बाह और फतेहाबाद तहसीलों तथा मैनपुरी जिले की शिकोहा बाद तहसील को पिछड़े क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गंगा राम (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय प्रस्तुत करना चहता हूं—

"दस्यु प्रभावित क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत आगरा जिले की तहसील बाह तथा फतेहाबाद और मैनपुरी जिले की तहसील शिकोहाबाद के यमुनावर्ती क्षेत्र के बीहड़ों के सुधार, समतलीकरण तथा भूसंरक्षण एवं आवागमन को सुविधा के लिए पक्के पुलों तथा सड़कों का निर्माण और तहसील बाह को खिचन क्षमता को बढ़ाने के लिए ई० ई०सी० द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से लगभग 70 अतिरिक्त राजकीय नलकूप निर्मित करने की योजनाएं प्रस्तावित हैं। इन विकास कार्यों से चम्बल तथा यमुना घाटी की दस्यु समस्या के निराकरण में पर्याप्त मात्रा तक मदद मिलेगी, किन्तु इस पिछड़े क्षेत्र के त्वरित तथा समग्र विकास के लिए यहां उद्योगों का जाल बिछाने, प्राकृतिक तथा धार्मिक सौंदर्य तथा सहजता से भरपूर स्थानों जैसे बटेश्वर का पर्यटन दृष्टिकोण से सुनियोजित विकास तथा आगरा से बाह तक रेलवे लाइन को पुनर्जीवित करना आदि ऐसी सार्थक योजनाएं हैं जिन्हें दस्यु प्रभावित क्षेत्र विकास योजना की परिधि में सम्मिलित कर लेना चाहिए। वास्तव में इस क्षेत्र के द्रुतगामी विकास के लिए इसे पिचड़ा क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए ताकि 25 प्रतिशत अनुदान मिलने को आर्थिक सहायता के फलस्वरूप यहां निजी क्षेत्र के उद्यमियों को भी अनेकों प्रकार के उद्योगों को लगाने के लिए प्रेरित किया जा सके। अतः इस योजना के अन्तर्गत बीहड़ सुधार के अतिरिक्त विशेष कर औद्योगीकरण को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए। भारत सरकार प्रदेशीय सरकार के परामर्श से ई० ई० सी० से विचार-विमर्श करके इस प्रस्ताव तथा सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर इसे क्रियान्वित करने की कृपा करें।"

[अनुवाद]

(तीन) बीकानेर के सूखा प्रभावित लोगों को चारा तथा अन्य सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में इस वर्ष भयंकर अकाल है। नागौर जिले में जायल तहसील में भी अकाल की छाया भयंकर है।

बीकाने जिले में और जायल में पशुओं की संख्या बहुत अधिक है। दिल्ली में लगभग पांच

लाख लिटर दूध केवल बीकानेर जिले से आता है। नागौर जिले के बैल देश भर में विख्यात हैं। बीकानेर जिले में चारे के अभाव में पशु पालकों ने पशुओं को घर से बाहर छोड़ना शुरू कर दिया है। कारण कि चारा (तुड़ी) समय पर नहीं पहुंच रहा है। इसलिए चारा पहुंचाने का इंतजाम ट्रकों से या रेल गाड़ियों से तुरन्त होना चाहिए।

इस भयंकर अकाल में मजदूरी देने के लिये सरकार का प्रत्येक घर से एक-एक मजदूर को मजदूरी पर लगाने का वादा था, लेकिन प्रत्येक घर से एक-एक मजदूर नहीं लगाया जा रहा है। जो सहायता बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर को दी जा रही हैं, वैसी ही विशेष अकाल सहायता बीकानेर जिले को दी जानी चाहिये।

[अनुवाद]

(चार) पश्चिम एशिया में शांति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता

श्री अजीत कुरेसी (सतना) : पश्चिम एशिया की विस्फोटक स्थिति ईरान-ईराक युद्ध तथा मक्का में हुई पिछली घटनाओं और फिलस्तीनी मामले के कारण विश्व शांति को निरन्तर खतरा बना हुआ है। पश्चिम एशिया में तब तक शांति नहीं हो सकती जब तक कि श्री यासर अरा फात के नेतृत्व वाले पी० एल० ओ० को उसका उचित स्थान नहीं दिया जाता और कि फिलतीनियों को उनका देश देकर और उन्हें वापस जाकर बसने की अनुमति नहीं दी जाती। इसी तरह, जब तक अरब देशों और ईरान के बीच संघर्ष को ठीक ढंग से बंद नहीं किया जाता तब तक विश्व शांति को खतरा बना ही रहेगा।

भारत ने सदा ही विश्व मंच पर पी० एल० ओ० और अरब एकता का समर्थन किया है। ईराक ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए हमने भरसक प्रयास किया है। यहां तक कि जब घनी मुस्लिम जनसंख्या वाले दूसरे देशों ने भी पी० एल० ओ० और अरब देशों का समर्थन नहीं किया था तब भारत ने ऐसी स्थिति में इनका साथ दिया और इनके लिए लडा महाशक्तियां इस क्षेत्र में अपने निहित स्वार्थ के कारण विभिन्न देशों में फूट डालने का खेल खेल रही हैं और अपने व्यापार तथा निहित स्वार्थों के कारण एक स्थायी तथा उचित समाधान नहीं चाहती।

अरबलीग ने अरब एकता के लिए पुनः प्रयास किया है और अरब राष्ट्रों के मध्य कूटनीतिक संबंध बहाल करने, ईराक-ईरान युद्ध समाप्त करने और उचित हल ढूंढने तथा फलितिनियों को होम लैण्ड देने, हज की पवित्रता बनाये रखने तथा इस अवसर का प्रबन्ध सऊदी अरब को करने का अधिकार देने की मांग की है।

विश्व शांति और पश्चिम एशिया में शांति बनाये रखने के लिए भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन करना चाहिए।

(पांच) महाराष्ट्र के कपास उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : महोदय, किसानों के हित में मेरा सरकार से आग्रह है कि कपास का बिलकुल आयात न किया जाए। इसके साथ-साथ सूखे की हालत में किसानों को राहत दी जानी चाहिए। कृपया महाराष्ट्र राज्य कपास निगम के माध्यम से कपास का निर्यात किया जाये और निर्यात की सीमा हटा दी जाए क्योंकि गत वर्ष सरकार ने निर्यात की मात्रा 6 लाख गांठों से घटाकर 4 लाख गांठें कर दी थीं।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है और सरकार व्यापार घाटे को पूरा कर सकती है। इसके

साथ-साथ किसानों को भी लाभ होगा। राज्य सरकार कपास उत्पादकों को अधिक मूल्य देना चाहती है परन्तु भारत सरकार ने एक शर्त रखी है कि वसूली मूल्य भारत सरकार द्वारा नियत मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। अत: अनुरोध है कि इस मामले में विशेष मामले के रूप में छूट दी जाए अथवा भारत सरकार द्वारा कपास उत्पादकों को राज्य सरकार द्वारा राजस्वव्यय के रूप में बोनस दिये जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

देश में कपास मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे समर्थन मूल्यों में तुरन्त संशोधन किया जाना चाहिए। निम्नलिखित के लिए 600 रुपये प्रतिक्विंटल, माध्यम के लिए 700 रुपये प्रति क्विटल और उत्तम किस्म के लिए 850 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए।

(छ) नायुडुपेट से चित्तूर तक सड़क का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 से जोड़ने की आवश्यकता

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : महोदय, मद्रास बंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (4) चित्तूर से होकर जाता है और मद्रास-कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (5) नायुडुपट से होकर जाता है जो मद्रास से 100 किलो मीटर दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 और 4 को आपस मे जोड़ा जाना चाहिए अर्थात् तीर्थस्थल तिरुपति के साथ नायुडुपेट से चित्तुर को जोड़ा जाना चाहिए। इस सड़क का खर्चा केन्द्रीय सरकार को उठाना चाहिए। जल भूतल मन्त्री को सड़क को चौड़ा करने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये मंजूर करने चाहिए।

(सात) नवम्बर, 1984 के दंगा—पीड़ितों को शीघ्र राहत प्रदान करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : उपाध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 1984 में देश के विभिन्न भागों में दंगे हुए। इन दंगों से ग्रसित लोगों ने न्याय पाने के लिए मुहार की। देरी से ही सही पर सरकार ने इसे स्वीकार किया। मिश्रा कमीशन इन दंगों की जांच के लिए गठित हुआ। किन्तु यह आयोग जांच का कार्य स्पष्ट नहीं कर पाया और उसने अनेकों भ्रम एवं आशकाएं छोड़ दी। उसके समाधान के लिए एक अन्य समिति जैन बनर्जी समिति 23 फरवरी 1987 को गठित की गई। न्याय प्राप्त होने में देरी भी एक प्रकार से अन्याय को प्रोत्साहन देना है। आज दंगों से सम्बन्धित घटनाओं को घटे 3 वर्ष होने को आए। किन्तु न्याय याचकों को न्याय मिलने के आसार तक नजर नहीं आ रहे हैं। उनमें अनिश्चितता, अविश्वास, असन्तोष घर करता जा रहा है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि न्याय के प्रति और सरकार के प्रति विश्वास एवं आस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नवम्बर, 1984 के दंगों में पीड़ित लोगों को अब और न्याय प्राप्त कराने में इन्तजार नहीं कराया जाए। अत: सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे कि समिति शीघ्र ही अब न्याय देने में समर्थ हो सके। इसके साथ ही समिति को काम करने की सब सुविधा सरकार दे जिससे समिति स्वतन्त्र रूप से काम कर सके और दंगा कराने वाले दोषियों को सजा मिल सके।

[अनुवाद]

(आठ) खांसी के शरबत की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता।

श्री राज कुमार राय (घोसी) : महोदय, लगभग खांसी के सभी प्रमुख शर्बतों के मूल्यों पर नियंत्रक है। इनको उन ब्रांडों के नाम के अन्तर्गत बेचा जाता है। जिनका कारोबार 2 करोड़ से लेकर 7 करोड़ रुपये तक है। ये ब्रांड एकाधिकार की स्थिति में हैं। कीमतों में वृद्धि और खांसी के शर्बतों के मूल्यों पर नियन्त्रण हटने से ब्रांड नामों के साथ खांसी के शर्बतों के मूल्यों में काफी वृद्धि होगी। पता नहीं खांसी के शर्बत के मूल्य से नियत्रण क्यों हटाया गया है जबकि इनका प्रयोग देश के आम आदमी द्वारा किया जाता है। और आम आदमी के हित की अनदेखी करके उत्पादकों के हित के ध्यान में क्यों रखा गया है जबकि मूल्य नियन्त्रण आदेश का उद्देश्य उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि संसद सदस्यों की एक समिति गठित करके यह पता लगाया जाए कि क्या उद्योगपतियों के साथ कोई सांठ-गांठ तो नहीं है और यदि हो तो इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

2.20 मं० प०

प्राकृतिक आपदायों, विशेष रूप से सूखा बाढ़ तथा तूफान से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा जारी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगला विषय लेंगे अर्थात कार्यसूची की मद संख्या 12 पर चर्चा की जाएगी जिसे 24 नवम्बर, 1987 को श्री दिनेश गोस्वामी ने प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से सूखा, बाढ़ तथा तूफान से उत्पन्न स्थिति के बारे में उठाया था।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, कल यह निर्णय लिया गया था कि हम मध्यान्ह भोजन छोड़ देंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं सभा को स्मरण कराना चाहता हूं कि बहुत कम समय बचा है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने पहले ही निर्णय कर लिया है कि 3·00 बजे के आसपास गृह मंत्री उत्तर देंगे।

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : पिछले सत्र के दौरान, हमने इस विषय पर 7 दिन तक चर्चा की थी। सभा में इस पर पांच दिन तक वाद-विवाद हुआ था और मैंने इसका दो दिन तक उत्तर दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अपनी बात संक्षिप्त में रखें। प्रत्येक सदस्य लगभग पांच मिनट समय ले सकता है। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के बारे में उल्लेख कर सकते हैं और ऐसा संक्षेप में कहना चाहिए। कृपया अध्यक्ष पीठ को सहयोग दें। अब श्री वी० सी० जैन बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सूखे और बाढ़ के विषय में चर्चा कर रहे हैं। देश के अधिकांश भाग में सूखा एवं बाढ़ है। 460 जिलों में से 280 जिले सूखे से प्रभावित हैं और राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित है और गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित है।

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

और राजस्थान में सबसे अधिक प्रभावित मेरा निर्वाचन क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिला है।

मैं मन्त्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि वे खुद भी हमारे जिले में दौरे पर 2 दिन तक गए और उस वक्त उन्होंने देखा कि सड़कों के काम चल रहे थे और रेता हटाने के काम चल रहे थे और स्थिति बहुत ही विषम थी। उन्होंने भी यह महसूस किया था कि हिन्दुस्तान में अगर सबसे अधिक प्रभावित कोई जगह है तो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर राजस्थान में और गुजरात में कच्छ, मेहसाना क्षेत्र है और इनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, पृथक से व्यवस्था होनी चाहिए। हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों को जो मदद दी जाती है, दूसरे राज्यों को जो मदद दी जाती है, दूसरे क्षेत्रों को जो मदद दी जाती है उससे अलग इनको मदद दी जानी चाहिए इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस सम्बन्ध में मन्त्री जी हमारे यहां पहुंचे, हमारे मुख्य मन्त्री जी भी पहुंचे, श्री जगदीश टाइटलर भी पहुंचे, सैक्रेटरी एग्रीकल्चर, फाइनेंस सैक्रेटरी और डवलपमैंट सैक्रेटरी फाइनैंस सैक्रेटरी की अध्यक्षता में मिले और उन्होंने केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी निर्णय ले और हमारे यहां जो भयंकर अकाल की स्थिति की वजह से जो पशुओं की संख्या बहुत कम हो रही है, अधिक से अधिक संख्या में पशु मर रहे हैं, कैटल कैम्प्स के लिए प्रबन्ध किया गया है, उन कैटल कैम्प्स के लिए मेरा कहना है कि 4 रुपये प्रति कैटल जो फोडर दिया जारा रहा है उसको 5 रुपये बढ़ाकर किया जाए और 75 परसैंट जो कैटल सब्सिडी है उसको बढ़ाकर 100 परसेंट सब्सिडी दी जाए और जो कैटल फीडकी सब्सिडी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और स्माल और मार्जिनल फार्मेसी को दी जा रही है यह पशु आहार के लिए मदद सब के लिए दी जाए। यह मदद ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र के पशुओं के लिए भी दी जाए।

मैटीरियल कम्पोनेण्ट के बिना कोई भी उपयोगी काम सम्पन्न नहीं हो सकते इसलिए मैटीरियल कम्पोनेण्ट के बिना जब उपयोगी कार्य नहीं हो सकेंगे तो राजस्थान सरकार की बदनामी होगी इसलिए यह बहुत जरूरी है कि मैटीरियल कम्पोनेण्ट के लिए राशि दी जाए और हमारे क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर के लिए मैंने विशेष तौर पर निवेदन किया था और अभी भी कर रहा हूं कि अभी काम खोलेंगे तो एक महीने से ज्यादा उपयोगी काम नहीं चल सकेंगे, हमारे यहां सड़कों का काम होगा तो ढाई लाख मजदूरों को बाड़मेर जिले में लगाया जायेगा फिर भी एक महीने से ज्यादा काम नहीं चल सकेगा.....

टांका का काम भी एक महीने में हो समाप्त ही जाएगा। इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहां प्रति व्यक्ति, प्रति माह 40 रुपए, जिसमें आधा सब्सी डी और आधा लोन के रूप में दिया जाए और वहां की विशेष व विषम परिस्थितियों को देखते हुए आदिवासी क्षेत्रों में 1 रुपया 55 पैसे प्रति किलो की दर पर गेहूं दिया जाये। तभी हम वहां पर इस सूखे की स्थिति का मुकाबला कर सकेंगे। राजस्थान की विषम और विशेष परिस्थिति को देखते हुए दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में अनुदान के रूप में आप राजस्थान को अधिक सहायता दें क्योंकि राजस्थान सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह आपका लोन वापिस कर सके। यदि आप दूसरे प्रान्तों के मुकाबले राजस्थान की अधिक सहायता करेंगे तब राजस्थान सरकार अपने यहां इस अकाल की विभीषिका का मुकाबला कर पायेंगी :

एक सितम्बर, 1987 को जब हमारे प्रधान मन्त्री जी वहां पर पधारे थे तो उन्होंने कहा था कि यदि 5 सदस्यों से अधिक का परिवार होगा तो उस परिवार के दो सदस्यों को एम्लामेन्ट दिया जाएगा। इस आधार पर वहां 40 लाख लोगों को एम्पलायमेन्ट देना जरूरी है और इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने 615·20 करोड़ की मांग की है। साथ ही वहां पर पशुओं के आहार, फाडर के लिए जो राजस्थान सरकार ने 310 करोड़ रुपए की मांग की है वह बहुत रियलिस्टिक है। साथ ही पीने के पानी की जो समस्या है वह भी बहुत जटिल है—10-15 किलो मीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। टैंकरों के द्वारा जो पानी पहुंचाया जाता है वह बहुत अपर्याप्त है। इस विषय में जो फार्मूला चेंज किया गया है उससे लाभ पहुंचा है। हमारे यहां उदयपुर, जयपुर, अजमेर, बयावर, जोधपुर—यह सभी स्थान जो हैं वह पीने के पानी की समस्या से ग्रस्त हैं। इन शहरों में पीने के पानी की समस्या को दूर करने में सरकार सक्षम नहीं हो सकी है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को विशेष रूप से ध्यान देकर इस समस्या का निदान करना होगा।

इसके साथ ही मुझे यह भी कहना है कि वहां पर जनता को भयंकर बीमारियों से भी पीड़ित होना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में आंत्र-शोध से लोगों की जाने गई हैं। इसलिए वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज की भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। साथ ही आई० सी० डी० एस० के ब्लाक्स प्रत्येक जिले और ब्लाक में आपको स्थापित करने होंगे तभी जाकर आप इस समस्या का निदान कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार सूखे से निपटने के लिए जो साधन इकट्ठा कर रही है, डिफेन्स में कटौती करके, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर या दूसरे मुल्कों से लोन लेकर; उससे वह इस जटिल समस्या का मुकाबला कर सकेगी। जहां तक परमानेन्ट रिलीफ का सम्बन्ध है; इन्दिरा गांधी नहर के लिए प्रति वर्ष 200 करोड़ की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि दस वर्षों में इन्दिरा गान्धी नहर का निर्माण पूर्ण किया जा सके और वहां पर फेमीन का परमानेन्ट सोल्यूशन हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, हम अपने देश में सूखा प्रदान क्षेत्रों और बाढ़ तथा तूफान के बारे में बोल रहे हैं। भारत सरकार को जानकारी होनी चाहिए कि देश में सूखा प्रवण क्षेत्र और बाढ़ वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं और तूफान भी शायद प्रत्येक वर्ष बार-बार आता है लेकिन, सरकार को इन सभी चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। न ही उसने कोई रिपोर्ट निकाली है और जब ये समस्यायें अचानक आती हैं तो यह उन्हें सुलझाने की कोशिश करती है।

महोदय, हमारे यहां कुछ क्षेत्र हैं जो सूखे से प्रभावित हैं। दस राज्यों ने सूखा और तूफान के लिए राहत देने हेतु अनुरोध किया है लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं की है। प्रत्येक व्यक्ति सूखा प्रवण राज्यों के बारे में जानता है। वे हैं, तमिलनाडु, आन्ध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। प्रत्येक वर्ष सूखे का होना और पूर्वी भाग में बाढ़ का आना शायद एक नियमित बात हो गई है। महोदय, सरकार को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इसके लिए एक योजना होनी चाहिए, इन कठिनाइयों का सामना करने, बाढ़ का और सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने के लिए, एक योजना होनी चाहिए। इन सभी मुसीबतों का सामना करने के लिए योजनाबद्ध रूप में कुछ योजनायें होनी चाहिएं और वहां राहत सामग्री तुरन्त पहुंचनी चाहिए। हमारे

[श्री पीयूष तिरकी]

पास भारत में 47 जलाशय हैं लेकिन इस वर्ष सभी जलाशयों में जल का स्तर सामान्य स्तर से 30 प्रतिशत कम है। यहां तक कि हमारे देश के संचित क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं और उत्पादन घट गया है। सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष हमारे देश को कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में कुछ योजना होनी चाहिए कि प्रत्येक वर्ष हमारे लोगों की आवश्यकतायें क्या हैं आवश्यक वस्तुयें जैसे चावल, गेहूं, अण्डे मांस, दूध और मनुष्य के जीवन-यापन की सभी वस्तुयें। इस सम्बन्ध में भी एक योजना होनी चाहिए कि हमें कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है। हमारे देश में कृषि की बिलकुल भी आयोजना नहीं की जाती है। जिसकी हमें आवश्यकता है उसे पहले पूरा करना चाहिए। जो कुछ देश की आवश्यकता है उसे पूरा किया जाना चाहिए।

किसान बिना किसी प्रोत्साहन के खेती कर रहे हैं। जब उन्हें अधिक धन मिलता है केवल तभी वे अधिक फसल उगा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप गन्ने को लें। जब अधिक पैदावार होती है तो आप इसे नहीं बेच सकते हैं। किसानों को बिलकुल भी पैसा नहीं मिलता है। इस प्रकार बेतरतीब तरीके से कृषि की जा रही है। देश की आवश्यकतायें क्या हैं, इस सम्बन्ध में स्वतन्त्रता के 40 वर्षों के बाद भी आपकी कोई योजना नहीं है कोई न कोई योजना होनी चाहिए। इसी वजह से जब सूखा या बाढ़ अथवा तूफान आता है तो लोग भोजन न मिलने की वजह से मरने लगते हैं। उड़ीसा में, यद्यपि सरकार ने इस बात से इंकार किया है, लेकिन जनजाति क्षेत्रों में भूख के कारण कई मौतें हो रही हैं। लोगों के पास पहनने को कपड़े और रहने को घर नहीं है। वे वहां जानवरों की तरह रह रहे हैं। यह सब भारत में घटितहो रहा है। भारत में इतने बड़े धनवान लोग भी हैं और सबसे निर्धन लोग भी हैं।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : मैं आपके विचार का जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं। आपको यह कैसे पता चला है ? क्या आपने कभी उस क्षेत्र का दौरा किया है ? आप यह कैसे कह रहे हैं कि लोग जानवरों की तरह रह रहे हैं ? क्या आपने कभी उस क्षेत्र का दौरा किया है ? मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। ये सब झूठ है।

श्री पीयूष तिरकी : फिर आप सच बात बोल सकते हैं। मैं आपको सच बोलने के लिए चुनौती दे रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : विवादास्पद बात न करें।

(व्यवधान)

श्री पीयूष तिरकी : आप लोगों के पास जाएं और लोगों से पूछें। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आप जायें और कालाहांडी देखें (व्यवधान)

आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा राज्य खाद्य सामग्री में आत्मनिर्भर है। आपको जानकारी होगी। शायद सरकार को जानकारी नहीं है। मैंने सरकार से उन जिलों का पता लगाने को कहा है जहां भोजन की कमी है। हमारे देश में 416 जिले हैं और प्रत्येक जिले को जिले में ही पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध की जानी चाहिए। केवल तभी आप खाद्य समस्या का समाधान कर पायेंगे। जब तक आप यह उपलब्ध नहीं करते हैं तब तक लोगों का जीवन स्तर गिर जायेगा और जब बाढ़, तूफान और सूखा जैसी आपदायें आती हैं तो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कृपया कृषि की एक योजना बनायें।

कृपया जो परियोजनायें आपने ली हैं उनके लिए धन की आवश्यकता को पूरा करें। उदाहरण के लिए उत्तरी बंगाल में 5 जिले है और तीसता बांध परियोजना लम्बित पड़ी है।

इसके लिए 250 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। लेकिन आपने इतने वर्ष लगाये हैं और केवल 5 करोड़ रुपये दिए हैं। यह केवल इसलिए कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सरकार नहीं है और वहां एक वाम पंथी सरकार है तथा आप चाहते हैं कि उस सरकार को तंग किया जाए। केवल 5 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यदि पूरी राशि देकर आवश्यकताओं को तत्काल पूरा किया जाता है तो वह परियोजना सभी जिलों में लागू की जा सकेगी और सभी पांच जिले खाद्य और प्रत्येक चीज में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। वे देश के अन्य भागों को भी खिला सकेंगे जैसे कि हरियाणा और अन्य स्थान हैं जहां हमें कृषि पहले से ही विकसित है उत्तरी बंगाल में इस परियोजना से पांच जिले विकसित किए जा सकते हैं। आपको आवश्यक धन तुरन्त देना चाहिए।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं समझता हूं कि इस देश में बाढ़ से जितनी तबाही हुई है, उसमें सबसे मेरी कांस्टीटुएन्सी में हुई है। बाढ़ के दौरान जब मैं अपने क्षेत्र में था, मुझे ग्रामवासियों ने एक जगह पर कहा कि दिल्ली ऊंचा सुनती है। और उनकी वह बात चुप गई। दुर्भाग्यवश इस देश में लोगों को पता ही नहीं है कि इस बार अगस्त से अक्तूबर तक उत्तरी बिहार में किस तरह की बाढ़ आई। इस देश के तीन-चौथाई भाग में क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है, इस लिए बाढ़ की समस्या पर किसी का ध्यान नही गया और लोग समझते हैं कि वहां जो बाढ़ आती है, उसके बारे में सोचना ही क्या है। इस साल जो बाढ़ उत्तरी बिहार में आई है ऐसी भयंकर बाढ़ डेढ़ सौ सालों में नहीं आई थी। बाढ़ की विभीषिका का वर्णन में नहीं कर सकता। 90 प्रतिशत लोगों के पास जो कुछ भी था, वह सब बाढ़ में बह गया। मकान गिर गए और शायद सूखे से इस देश में कम मरे लेकिन यह सरकारकी फीगर है कि बाढ़ से हजार से ज्यादा आदमी डूबकर मर गये, कोलरा और सांप काटे से मर गये। श्रीमन् इस बात की गंभीरता को समझिए। अपोजीशन वाले हसते है। ये उस बात को नहीं समझ सकते हैं। असम में भी भयंकर बाढ़ आई है, मैं इससे एग्री करता हू। हमारे यहां तीन महीने तक लोग पानी में खड़े रहे और ऊपर से वर्षा हो रही थी और नीचे छाती तक पानी था। जब कि आप के यहां गर्मी पड़ रही थी, उत्तरी बिहार में सैकड़ों लोग निमोनिया से मर गये क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे और दिन-रात बारिश हो रही थी। इसलिए इस समस्या को आप गंभीरता से लीजिए।

मैं यह भी कहूंगा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के नेशनल न्यूजपेपर्स ने भी अपने कोरसपोंडेंटस को भेज कर बाढ़ के क्षेत्रों में क्या लोगों की दुर्दशा हुई है, इसका पता नहीं लगाया। मैं जब से इस सदन में आया हूं, मैंने कहा है कि नेपाल के कारण हम बरबाद हो रहे हैं, उत्तरी बिहार के लोग बरबाद हो रहे हैं। वहां पर रिजर्वायर्स नहीं है और वहां से जो नदियां निकलती हैं, वे सीधे उत्तरी बिहार में गिरती हैं और तबाही मचाती हुई चली जाती हैं वहां रिजर्वायर्स नहीं बन रहे हैं और डेन नहीं बन रहे हैं। मैंने कहा कि किसी तरह उन नदियों को कन्ट्रोल कीजिए इससे इतनी बिजली पैदा होगी, जिससे नेपाल की भी काया पलट हो जाएगी। और उत्तरी हिन्दुस्तान की भी काया पलट हो जाएगी। किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। इस बार प्रलय मच गई, सारे, सारे उत्तरी बिहार में प्रलय मच गई पानी जब वापस गया तो सारे उत्तरी बिहार में बालू ही बालू रह गया, जिस पर कोई फसल नहीं होगी। मैं प्रधान मंत्री जी के ध्यान में इस बात को लाया और यह उनकी बड़ी महानता

[डा० गौरी शंकर राजहंस) 51

है कि वे उत्तरी बिहार गये। उन्होंने वहां जाकर देखा कि सचमुच में बहुत बड़ी तबाही हुई है।

प्रधानमंत्री जी ने वहां राजेश पालयट जी को भेजा। उन्होंने उस एरिय का सर्वेक्षण किया, उसे देखा। वहां रेलवे लाइन टुकड़े-टुकड़े हो गयी थी। दो-दो, तीन-तीन फुट रेलवे लाईन जमीन के नीचे चली गयी थी। हमारे रेलवे विभाग ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है कि उस रेलवे लाइन को चालू कर दिया है। वह रेलवे लाइन बिछा दी गयी है। लेकिन यह समस्या एक दिन की समस्या नहीं है। अगले साल बाढ़ फिर आएगी।

आपने पढ़ा होगा कि सार्क के सम्मेलन मे प्रधान मन्त्री जी ने नेपाल की नदियों से होने वाली विभीषिका को उठाया था और सार्क देश पर विचार कर रहे हैं कि इस तरह से नेपाल की नदियों को कंट्रोल किया जाए। उन नदियों पर डेम या रिजरवायर नहीं हैं, यह अलग बात है। लेकिन हमें पता चला है कि वहां एक बड़ी अजीब बात हो गयी है कि पिछले दो-तीन वर्षों में पाल में सारे जंगल काट दिये गये हैं। उन जंगलों के कारण पानी जो रुकता था, अब उस पानी के रोकने का कोई उपाय नहीं है। आगे का क्या होगा ? कैसे हम लोग नेपाल की नदियों से आने वाले पानी से न मारे जाएंगे। उत्तरी बिहार के एरिया में थिकेस्ट पापुलेटिड एरिया है। यहां के लोग भाग कर कहां जाएंगे? इस पर सरकार को ध्यान देना है।

मैंने ढिल्लों साहब से भी कहा था और उन्होंने बड़ी मेहरबानी की कि पटना गये। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि वे एक बार उत्तरी बिहार में जाकर देखें कि कहां क्या तबाही हुई है। उस तबाही का यहां दिल्ली में कुछ पता नहीं चलता। (व्यवधान) आपको पता नहीं है कि उनके रिलेशस को पंजाब में मार दिया गया फिर भी वे यहां बैठे हैं। इनको तो पंजाब में होना चाहिए था लेकिन वे यहां पर हैं। यह बड़ी ही काबिले तारीफ बात है। मैं इनसे यह विवेदन करूंगा कि ये उत्तरी बिहार में में भी जाएं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र ने जो सहायता दी, वह सहायता बाढ़ पीड़ित लोगों को नहीं मिली एक वार ढाई किलो गेहूं मिला। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि केन्द्र सरकार अपने गुप्तचर विभाग के द्वारा यह पता लगाये कि लोगों को राहत क्यों नहीं मिली। इसके लिए जो छोटे बड़े लोग जिम्मेदार हों उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए क्योंकि गरीबों को देने के लिए जो राहत थी वह उनको नहीं मिल पायी है।

हम इस सदन में चिल्लाते कि रबी की फसल अच्छी होनी चाहिए। लेकिन रबी की फसल के लिए अभी तक न बीज मिला, न खाद मिला। फिर रबी की फसल कैसे होगी ? इसका भी कारण पता लगाया जाना चाहिए।

मैं अन्त में एक बात और कहता हूं कि वहां पर लोगों को बाध्य किया जा रहा है कि आप खाद लीजिए तो कोआपरेटिव से लीजिए, मकान के लिए कर्जा लीजिए तो कोआपरेटिव से लीजिए। मुझे यह कहने में बड़ी तकलीफ हो रही है कि वहां कोआपरेटिव्ज में बड़े-बड़े शार्क बैठे हैं। वे कोआपरेटिव्ज को चलने नही देंगे। वे गरीबों को चूसलेंगे। अगर सरकार को ग्रांट देना है, लोन देना है तो सरकार वह सीधे दे, कोआपरेटिव्ज के द्वारा न दे।

मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। बिहार में फर्टिलाइजर और खाद कोओपरेटिव के द्वारा दिया जाता है। उस खाद का रंग नमक के रंग से मिलता-जुलता है। नमक काफी सस्ता होता

और खाद मंहगा होता है। कोआप्रेटिव्ज के लोग खाद के नाम पर लोगों को नमक देते हैं जिससे सारी जमीन बर्बाद हो रही है। (व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यहां से आप एक एक्सपर्ट्स की टीम भेजिए, चाहे आफिसर्स की टीम भेजिए जो जाकर यह पता लगाये कि वहां लोगों की क्या कठिनाई है। वहां बाढ़-पीड़ित लोग बाढ़ के दिनों में, पेड़ के पत्ते खाकर अपना गुजारा करते रहे हैं। वहां पर बाढ़ से इतनी तबाही हुई कि मैंने अपनी आंखों से औरतों को और मां-बहिनों को देखा जिनके बदन पर कपड़े नहीं थे। और पानी में पूरी तरह वे भीग रही थीं। क्या इसी देश में जहां हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं वहां ऐसा होते हुए भी देख सकते और उन अभागे लोगों को जिनकी कोई गलती नहीं है, मरने के लिए छोड़ देते हैं। मैं तो यही सोचकर कांप जाता हूं कि जाड़े दिनों में जिनकी झोंपड़ी खत्म हो गई हैं और जिनके बदन पर कपड़े नहीं हैं, वे अपने दिन कैसे बिताएंगे और वे कल क्या खाएंगे।

श्रीमन् वहां की दशा, वहां का दृश्य बड़ा ही दर्दनाक है। मैं तो कहूंगा कि आप इस हाउस के आठ-दस एम० पी० जी० की एक टीम वहां भेजिए जो बिहार के बाढ़ से पीड़ित लोगों की दर्दनाक स्थिति देखें और यहां आकर सरकार को बताए कि इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाए।

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी हमारे बारे में विस्तृत ढंग से इस सदन को बताया। मैं उनकी बात में अपनी बात को मिलाते हुए यह कहना चाहूंगा कि आज हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और एक तरफ हम सूखे से जल रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बाढ़ से हम पूर्णरूप से तबाह हो गए हैं। जहां सूखा पड़ा है वहां पानी का अभाव है और जहां बाढ़ आई है वहां विपत्तियां ही आयी हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसे गोपालगंज संसदीय क्षेत्र कहा जाता है। राजहंस जी ने ठीक कहा कि बिहार में यह पहला अवसर है कि इतनी भयंकर बाढ़ सौ साल में नहीं आई और न किसी को देखने को मिली हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र के अन्दर, जो सरकार के पास रिपोर्ट जिला प्राधिकारी ने की है, उसके सिर्फ एक जिले का आकलन ही कम से कम 12 करोड़ रुपये से ऊपर की क्षति का बैठता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में ही यदि अन्य जिलों का आकलन लगाया जाए तो करोड़ों रुपये का ही नहीं, बल्कि अरबों की क्षति होने की बात पता लगेगी।

अभी रबी का मौसम है। मैंने अपने क्षेत्र में घूमने के तत्पश्चात् उम्मीद की थी कि इस बाढ़ से जिस प्रकार हम प्रभावित हुए हैं उसी प्रकार से सरकार भी हमारी कृषि की तरफ ध्यान देगी, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वैसा कुछ भी नहीं हो पाया है। आज आपने कोआपरेटिव के माध्यम से लोन की व्यवस्था की है, मैं आपसे कहता हूं कि आप कहीं भी घूम कर देखें, मैं कृषि मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप यहां से अपना सर्वेक्षण दल भेजें, तो आप पायेंगे कि आज रबी की आखिरी मौसम है, लेकिन अभी तक किसान को कहीं भी बीज नहीं, खाद नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक तरफ तो घोषणाएं करते हैं कि हम बाढ़ और सूखे से प्रभावित इलाके के लोगों के जीवनस्तर को ऊंचा करेंगे और खेतवालों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध करायेंगे, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। यदि मेरा यह आरोप गलत हो, तो जो भी पनिश्चमेंट आप मुझे इस सदन के माध्यम से देना चाहें उसे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। आपने और भारत सरकार ने अनेकों राहत कार्यक्रम उनके लिए चलाए, लेकिन किसानों तक खाद और बीच नहीं पहुंचा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किन्तु यह अवश्य कहना चाहता हूं कि बिहार

[श्री काली प्रसाद पांडेय]

प्रदेश में ऐसे-ऐसे महानुभाव कोआपरेटिव पर हावी हैं जिनका अगर नाम लिया जाए, तो लोग उन्हें हिन्दुस्तान के बादशाह के रूप में जानते हैं और उनके खिलाफ बिहार प्रदेश के किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि सदन में आवाज उठाए। बिहार सरकार के एक मन्त्री ने लिखा संचिका में कि यह "बिस्कोमान" जो कोआपरेटिव है, बिहार प्रदेश में है, यह समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। इसलिए इस पूरे प्रकरण को सी० बी० आई० के पास भेज दिया जाए, लेकिन यह संचिका में ही लिखा रह गया और कुछ हुआ नहीं। आप फिर राहत कार्य उसी बिस्कोमान के माध्यम से करते हैं।

मैं आपको फिर अपने गोपालगंज संदीय चुनाव क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहता हूं। मेरे अपने क्षेत्र में बाढ़ से मरने वालों की संख्या दुर्भाग्य से 15 तक पहुंच गई है।

घोषणाएं हुई, उम्मीदें थीं, कि सरकार कम से कम इस पर निश्चित रूप से अमल करेगी, लेकिन सिर्फ कागज के पन्नों पर और देश के सर्वोच्च सदन पार्लियामेंट में अगर आप घोषणाओं पर घोषणायें आप करते जायें तो जब तक हिन्दुस्तान के किसी किसान को लाभ नहीं होगा तब तक इन घोषणाओं से किसान आशान्वित नहीं हो सकता है।

जब इस सदन में चर्चा चल रही थी तो सभी माननीय सदस्यों ने कहा था कि बाढ़ की विपदाओं और सूखे की स्थिति को देखते हुए कम-से-कम सरकारी कर्जे माफ किये जायें। इस समय आपने इस सदन में कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे। विचार के बाद भी आज सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है।

आज मैं देखता हूं कि हर व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है, किसी के पास 500 का कर्जा है तो उस पर वारन्ट आ जाता है, किसी पर सैक्टर का लोन है तो उसका वारन्ट आ जाता है, लेकिन बिहार प्रदेश में ऐसे-ऐसे लोग हैं जो लाख नहीं करोड़ों रुपये भारत सरकार और बिहार सरकार से किसी संस्था के माध्यम से लूटकर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जवाहरलाल नेहरू जी के समय में एक योजना चली थी कि गंडक सिंचाई योजना जिससे उत्तर प्रदेश से बिहार प्रदेश को जोड़ा जा सकता था, लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। आज वहां पर लोग सिंचाई करना चाहते हैं तो जितना भी नहर का डिप है वह बालु से भर गया है। जब तक नहर में से पानी गुजरता है तो नहर का डिप इतना ऊंचा हो चुका है कि वह पानी खेतों में ओवर-फ्लो करता है, इससे हजारों एकड़ भूमि जो नहर के बगल में है, वहां जल के जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि अनेकों बीमारियां इस बाढ़ के बाद फैल रही हैं।

आज गांव के जो भी कृषि प्रधान देश हैं, उनकी व्यवस्था अगर सरकार तुरन्त नहीं करेगी तो आने वाले भविष्य में कृषि उत्पादन की क्षमता, चाहे रबी की हो या अन्य चीज की हो, वह निश्चत रूप से घट जायेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि बिहार सरकार द्वारा जो केन्द्रीय अनुदान मांगा गया है उसको सरकार द्वारा मुहैय्या कराकर जो विपदाओं में फंसे लोग हैं, उनको दिया जाये।

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली के देहात के सूखे के बारे में आपने मुझे समय दिया है। दिल्ली के गांवों में इतना सूखा है कि वहां बहुत

से गांव में पानी भी नहीं है और कहीं पानी है भी तो वह नमक से ज्यादा खारा पानी है। उन गांवों में हमारे मंत्री श्री दलबीर सिंह जी, दिल्ली के प्रमुख कार्यकारी पार्षद श्री जग प्रवेश चन्द्र और वालेश्वर जी वगैरह हम सब इकट्ठे हो गए थे और हमने वहां के हालात देखे तो वहां पहली फसल खरीफ की भी नहीं हुई है, पशुओं के लिए चारा भी नहीं हो रहा है। हम वायदा करके आये थे कि हम सरकार की तरफ से आपके चारे का बन्दोबस्त करेंगे, 60 रुपये क्विंटल आपने देना है, बाकी सरकार ध्यान देगी, लेकिन अभी तक उस चारे का इन्तजाम दिल्ली के देहात में नहीं हुआ है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां सूखा पड़ा है, लेकिन हमारी सरकार ने काफी इंतजाम किया है। आज से 50 साल पहले जो सूखा था आज अपोजिशन के लोग कहते हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन भूख से आज भारत में कोई नहीं मर रहा है। यह बात जरूर है कि आपके पास अनाज के भण्डार भरे हुए हैं लेकिन ऐसे सूखे में वह कहां तक भरा रहेगा? हमें सिंचाई का इन्तजाम करना चाहिये, जहां हमारी बारानी जमीन है, वहां हमें सिंचाई का साधन करना है।

मैं आपको बताऊंगा कि केशोपुर में गन्दे नाले का पानी जमुना में गिरता है। उस नाले के पानी को अगर ड्रेन से उतार दें और 20, 25 गांव में वह पानी चला जाये तो हम सूखे का मुकाबला अच्छी तरह से कर सकते हैं। सिंचाई से ही आजकल अनाज पैदा होता है, बारिश तो होती नहीं है। जहां-जहां परती जमीन है इसमें सरकार को ट्यूबवैल लगाने चाहिए। इसके अलावा हमारा फर्ज है कि जहां-जहां बारानी जमीन है वहां एम० आई० डी० की तरफ से और दिल्ली प्रशासन की तरफ से ट्यूबवैल लगाने चाहिए। नये ट्यूबवैल खरीदने के लिए किसानों को लोन देना चाहिए। खेतों में सिंचाई करने के लिए जितना अधिक पानी उपलब्ध होगा उतनी ही अधिक पैदावार होगी। आपने देखा होगा कि हर गांव में भूमिहीन गरीब हरिजन होते हैं। इसके लिए मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए उन्हें लोन दिया जाए जिससे कि वह अपना और अपने बच्चों का गुजारा चला सके। इससे एक लाभ यह होगा कि दूध दिल्ली वासियों को अधिक मात्रा में मिल सकेगा।

दिल्ली के देहातों में पीने के लिए पानी भी अधिक मात्रा में पहुंचाया जाए। हमने अपने यहां देहातों में यह देखा है कि उन्हें पीने के लिए गंदा पानी मिलता है। अतः उनके पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाये।

दिल्ली में जगह-जगह फेयर-प्राइस शाप्स खुली हुई हैं। इन शाप्स में गरीब लोगों को सस्ती दर पर गेहूं, चावल और चीनी मिलती है। आपने बहुत सी चलती-फिरती दुकानें भी खोल रखी हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सूखे के कारण अपनी खरीफ की फसल को गवा चुके हैं। अतः अब रबी की अच्छी फसल पैदा करने के लिए हमें सब सुविधायें किसानों को देनी चाहिएं। आप एक इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें खेती के किसी साधन की कमी न होने पाये। फसल की बुवाई और कटाई के समय किसानों को सस्ती दरों पर लोन दिया जाए। जिन ट्यूबवैलों के पानी की सतह नीचे चली गई है, उनको बोर करने के लिए ग्रान्ट दी जाए। हमारे यहां बजफनढ़ ड्रेन में काफी पानी भरा हुआ है। उसको मशीनें से छावला ढांसा तक पहुंचाया जाए और इसको दचाऊकलां के बदरी में डाल दिया जाये जिससे पानी की सतह नीचे न जा सके। इसके साथ ही हर ड्रेन में 4-4 फुट के बांध बना दिए जायें जिससे कि पानी वहां रुका रहे।

हमारे यहां के किसान अपने खेतों में रात-दिन मेहनत करते हैं। अगर इस बीच में उन्हें बिजली

[श्री भरत सिंह]

न मिलें या बिजली चली जाए तो किसान की सारी मेहनत बेकार चली जाती है और किसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है। अत: उन्हें बिजली समय पर सस्ते दामों पर उपलब्ध करायी जाए। कई बार बिजली के ट्रांसफार्मर भी स्टाक में नहीं मिलते हैं। हर गांव में 4-4 नये ट्रासफार्मर लगाये जायें। मैं तो यह चाहूंगा कि आप बिजली के सामान, ट्रांसफार्मर, बिजली की तारें और पोल डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर में उपलब्ध करा दें और वहां एक हैड आफिस किसानों की शिकायतें सुनने के लिए खोल दिया जाए। अगर कोई भी किसान ट्यूबवैल लगाने के लिए बिजली का नया कनेक्शन लेना चाहे तो उसे 15 दिन के अन्दर नया कनेक्शन मिल जाना चाहिए।

आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जो किसान अपने खेतों में रात-दिन कड़ी मेहनत करते हैं, उनको उसके बदले में फसल के अच्छे दाम मिल सकें। आप उनको जिस हिसाब से फसल के पैसे देते हैं उससे उनका पूरा खर्चा भी निकल नहीं पाता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि जब आप उसकी फसल के दाम तय करें उस समय यह हिसाब लगा लें कि पानी, बीज, खाद और दूसरी अन्य मदों पर इतना खर्चा हुआ है। यह सब खर्चा लगा कर किसान की मजदूरी के अच्छे पैसे लगा कर ही किसान की फसल के उचित दाम तय करें।

इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सूखे के ऊपर बोलने का मौका दिया। इसके साथ ही अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा दिल्ली का 16 करोड़ रुपया अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। अभी तक हमारे यहां चारा नहीं गया है। जो गरीब हरिजन हैं, भूमिहीन हैं, और बैकवर्ड क्लास के हैं, उनके पशुओं के लिए चारा जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाये।

[अनुवाद]

3.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : पहले ही तीन बज चुके हैं।

(व्यवधान)

राजस्थान से कई सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। (व्यवधान) ठीक है। हम देखेंगे और आधा घण्टा और देंगे।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : डिप्टी स्पीकर साहब, सूखे और बाढ़ की स्थिति पर विचार करते हुए बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत दुख प्रकट किया है, अपने-अपने स्टेट की तरफ से माननीय सदस्यों ने मुश्किलात का यहां वर्णन किया है। मैं पंजाब के सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सूखे ने देश के किसानों को चेलैन्ज किया है, अभी गुजरात से हमारे दोस्त पटेल साहब ने हमें फोटो दिखाये हैं, लाखों कैटल हैड्स मर गए कितना नुकसान गुजरात में और दूसरी जगहों पर हुआ लेकिन सभी जगह किसानों ने सूखे का मुकाबला किया।...(व्यवधान)...जब गुजरात में हो गया तो पड़ौस में तो हो ही जाता है। तो देश के कुछ हिस्सों में किसानों ने सूखे को चेलेंज किया और सूखे की चुनौती को स्वीकार किया।

3.01 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

इस सम्बन्ध में पंजाब के कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अपने ट्यूबवैल्स के बोर और ड्रंगे में ले जाने के लिए 37.5 करोड़ रुपये और खर्च किये और जमीन से पानी निकालकर सूखे का मुकाबला किया। इसी तरह 18 लाख हैक्टेयर में पैडी बोई जानी थी उसके बजाय 14 लाख हैक्टेयर में ही बोई गई क्योंकि उसको और पानी चाहिए। अगर पानी नहीं हो तो फर्टिलाईजर उसमें इफैक्टिवली काम नहीं करता और व्हीडीसाइड खत्म नहीं होते, किसानों को जड़ी बूटियों को मारने के लिए और पानी चाहिए था उसके लिए पानी का प्रबन्ध किया और 37.5 करोड़ रुपये इसी वर्ष में ट्यूबवैल बोर और डूंगे करने के लिए खर्च किए। इसी तरह पहले 2.92 लाख टन फर्टिलाइजर प्रयोग होता था लेकिन इस दफा पंजाब के किसानों ने 3 लाख 2 हजार टन फर्टिलाइजर का प्रयोग किया इसी तरह पंजाब के किसान को और मैन्युअल लेबर लगानी पड़ी सो कुल मिलाकर इसका असर यह हुआ कि 100 रुपया प्रति क्विंटल पैडी और जो दूसरी फसल थी उसपर कास्ट ऑफक्शन बढ़ गया लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके बारे में केन्द्रीय खजाने से बहुत कम मदद दी गई और बहुत से हिस्सों में तो केन्द्रीय मदद ना के बराबर थी इसलिए इस सम्बन्ध में तीन बातें केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं कि पंजाब के किसान की मदद कीजिए इसलिए कि उसने सूखे के चेलेंज का मुकाबला करने के बाद 100 रुपया प्रति क्विंटल ज्यादा कास्ट आफ प्रोडक्शन के बावजूद पैडी की यील्ड पिछले साल से ज्यादा की। सूखे के बावजूद पिछले साल से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। यह क्यों हुआ ? इसलिए कि किसान ने सूखे का चेलेंज किया और उसमें खर्चा किया, मेहनत ज्यादा की और खाद डाला तो मेरी तीन चीजों के बारे में, आपके जरिए, मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना बोनस पंजाब सरकार ने दिया है, उतना ही मैचिंग बोनस का फार्मूला अपनाकर केन्द्रीय खजाने से पंजाब के किसानों को दिया जाना चाहिए, उन्हें केन्द्रीय खजाने से कोई बोनस नहीं मिला है।

दूसरी चीज, जो ट्यूबवैल्स डूंगे कराने के लिए और खर्चा करना पड़ा उसके लिए मैं सारा नहीं कहता कि सारा दे दो मगर 50 परसेण्ट खर्चा ट्यूबवैल्स बोर और नीचे ले जाने के लिए जो करना पड़ा वह केन्द्रीय सरकार दे।

तीसरी चीज यह है कि एग्रीकल्चरल लोन्स री-पे करने की क्षमता किसानों में नहीं रह गई है। मेरा सुझाव है कि अगर ज्यादा नहीं तो दस हजार रुपए तक जिनके ऊपर एग्रीकल्चरल लोन्स हैं वह इस सूखे को देखते हुए माफ कर दिए जाने चाहिए। यह मेरी आपसे मांग है। इन तीनों मांगों के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश में यह जो सूखा पड़ा है उससे निपटने में हमें एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। जैसे कि पशुओं का चारा हमारे पंजाब में है, उसको वहां से दूसरी स्टेट्स में पहुंचाया जा सकता है। पैडी स्ट्रा भी बहुत मात्रा में पंजाब में पड़ा है। मैंने पढ़ा है उसको भी दूसरी जगहों पर मांगा जा रहा है। तो इस तरह से जो भी सहयोग हो सकता है वह होना चाहिए।

इन तीन बातों के साथ ही मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री उत्तम सिंह राठौड़ (हिंगोली) : महोदय आजादी के बाद इन सभी वर्षों में सरकार ने

[श्री उत्तम सिंह राठौड़]

किसानों की सहायता के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए हैं। हमने जमींदारी का उन्मूलन करके भूमि कृषक को दे दी, उसके लिए कम ब्याज-दर पर सहकारी बैंक ऋण उपलब्ध कराया और उसके लिए उर्वरक तथा अधिक पैदावार देने वाले बीजों की किस्में उपलब्ध कीं। परन्तु इसके बावजूद किसान आज उसी स्थिति में हैं जहां पर वह पहले था।

महोदय, इस देश में कुछ सूखा प्रवण क्षेत्र है परन्तु इस वर्ष पहली बार अन्य क्षेत्रों में भारी सूखा पड़ा है। हमें पता लगा है कि उन क्षेत्रों के किसान पगु हो गए हैं। इसका क्या कारण है हमें इसके बारे में सोचना है। हम उन्हें राजसहायता दे रहे हैं, हम उन्हें यथासंभव सहायता दे रहे हैं। हमने उन्हें बिजली, पानी और गहरे कुंए खोदने के लिए ऋण दिया है। इसके बावजूद भी यदि किसान यह महसूस करता है कि वह सूखे के एक वर्ष में भी अपना गुजारा नहीं कर सकता तो इसका क्या कारण है। मेरे अनुसार इसका वास्तविक कारण यह है कि हम उसे लाभप्रद मूल्य नहीं देते। जब एक आदमी 40 वर्षों से कुछ कार्य करता है तो वह एक बुरे वर्ष का सामना भी क्यों नहीं कर सकता ? क्या आप इस बारे में, सोच सकते हैं ? सूखे के प्रथम वर्ष में ही अब आप उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सभी प्रकार की सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं। हम उसे क्या दे रहे हैं ? समर्थन मूल्य हमने कृषि के पुनर्निमाण के बारे में सोचा था। परन्तु क्या आप सोचते हैं कि वह समर्थन मूल्य से अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा ? समर्थन मूल्य से वह कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा।

हमारे सभी गोदामों से अनाज को वर्तमान मूल्यों पर नहीं अपितु समर्थन मूल्यों पर हमसे ले लिया गया है। यही इसका कारण है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए और हमें वास्तविक लाभकारी मूल्य देना चाहिए जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने 'लेटस' में कहा है मुझे आशा है कि कृषि विभाग इस बारे में जांच करेगा।

फिर फसल बीमा के बारे में यदि यह फसल बीमा है तो इस फसल बीमा में वे लोग शामिल क्यों नहीं जिन्होंने ऋण लिया है ? क्या अब भी आप इसे फसल बीमा कहते हैं। फसल बीमा के लिए किसान को ऋण क्यों लेना पड़ता है ? यह फसल ऋण बीमा के सिवाय कुछ नहीं है। आप उस ऋण का संरक्षण कर रहे हैं जो कृषक को दिया गया है और कई बार तो उसका दावा भी स्वीकार नहीं किया जाता। मेरा ताल्लुक भी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में से एक है ? वहां राजनीति सर्वोपरि है वहां कुलवंर खुले आम चलता है। मेरे चुनाव-क्षेत्र में जब सम्पूर्ण चुनाव क्षेत्र का बीमा किया गया तो मुझे माननीय मंत्री का एक पत्र प्राप्त हुआ कि ज्वार की फसल न होने के बारे में कोई दावा नहीं था। यह कैसे हो सकता था ?

महोदय, बीमाकर्ता भारत सरकार है। वहां जी० आई० सी० एजेन्ट है। जिला सहकारी बैंक जी० आई० सी० का एजेन्ट हैं। यदि ये एजेंट विफल होते हैं तो क्या आप हमें किसी अन्य व्यक्ति की दया पर छोड़ देंगे ? यदि आप हमारा उत्तरदायित्व नहीं लेंगे तो और कौन लेगा ? आखिर आप सरकार हैं एक व्यक्ति या विभाग नहीं ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले बीमाकर्ता है और इसीलिए आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकते किनवाट जिला नंदेड़ जहा आदिवासी लोग रहते हैं, की ही ऐसी स्थिति नहीं है अपितु अहमदाबाद जिले में पटरी जैसे कई मामले है जहां हमने यह सुना है कि चूंकि वर्तमान विधायक ने जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष को हरा दिया है इसलिए जिला सहकारी बैंक ने उस ताल्लुक

के बीमा दोष को स्वीकार नहीं किया । मुझे आशंका है कि मेरे ताल्लुक किनवाट में भी ऐसा ही कुछ हुआ है । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस मामले की जांच करें और मुझे ऐसे पत्र न है । आप कहते हैं कि आपने विशेषज्ञों का एक दल भेजा है । मैं अपने किसानों को आपके पास लाकर आपको यह बताऊंगा कि अब तक क्या हुआ है। गत वर्ष से पहले साल ई० जी० एस० में केवल 3000 व्यक्ति कार्य कर रहे थे। गत वर्ष 10,000 रु० भी अधिक व्यक्ति इन कार्यों को कर रहे थे जहां पेयजल समस्या और कई अन्य समस्याएं थीं। आप इस प्रकार की फसल ऋण बीमा से सहायता करने जा रहे हैं ? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप हमारी सहायता कर रहे हैं ? यह सहानुभूति केवल कहने के लिए है। आपके प्रयास पूरी इच्छा से नहीं किए गए हैं। यही कारण है कि जहां कहीं भी कृषकों के दावों को स्वीकार नहीं किया गया है मैं आपसे इस बारे में जांच करने के लिए कहूंगा। आपको विधायकों, संसद सदस्यों और स्थानीय लोगों को बुलाना चाहिए और यदि आपको यह पता लगे कि जी० आई० सी० और जिला सहकारी बैंकों ने शरारत की है तो आपको उन्हें सजा देनी चाहिए।

आपको इन बैंकों को हमारे जीवन से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

तीसरे मैं यह कहूँगा कि महाराष्ट्र के कुछ भागों में लगातार चार वर्षों से सूखा पड़ रहा है मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमें समय पर सहायता दी जाए। वास्तव में वे सहायता दे रहे हैं। वे कुछ सहायता दे रहे हैं। हमें यह सहायता जल्दी चाहिए क्योंकि आपने कहा है कि योजना आबंटन में $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत कटौती की जाएगी। हमारे पास भविष्य निधि उपलब्ध नहीं है और इन परिस्थितियों मैं यह अनुरोध करता हूं कि इन तीनों पहलुओं की जांच करके हमें सहायता प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनु) : जनाबे मोहतरिम चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। सबसे पहले मैं और राजस्थान के लोग मोहतरिम प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत आभार प्रकट करते हैं, उनके बहुत ही आभारी हैं, जो उन्होंने राजस्थान की इस अकाल की स्थिति में सबसे पहले राजस्थान का दौरा किया। राजस्थान में ऐसी भयंकर हालत के बावजूद राजस्थान सरकार ने वायदा किया है कि वह किसी भी आदमी को मरने नहीं देगी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर और भी बहुत सी समस्यायें हैं। मैं मंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं, जिन्होंने राजस्थान का दौरा किया और वहां की अकाल की स्थिति से वाकिफ हुए।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं, राजस्थान की भयंकर स्थिति को देखते हुए उसको दी जाने वाली सहायता में तरमीम करनी चाहिए। जो आपने सहायता दी है, उसका पचास प्रतिशत सहायता के तौर पर और पचास प्रतिशत राजस्थान की सरकार पर थोपा है। मेरा आपसे निवेदन है, यह न हो कर पूरी सहायता के नाम पर पूरी रकम दी जाए ! अब तक जो आपने सहायता दी है, उसमें मैटिरियल कम्पोनेंट का कोई भी पैसा नहीं दिया है, जो शामिल किया जाए नहीं तो वह सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा।

अभी राजस्थान की सरकार पशुओं के चारे के लिए तीन सौ ट्रक बाहर से मंगा रही है। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कन्सैशन भी आपने 75 परसेंट दिया है, इसको भी बढ़ा कर 100 परसेंट करना

[श्री मोहम्मद अयूब खां]

चाहिए ताकि लोग आसानी से चारा ला सकें जितनी भी हमारी गौशालायें हैं, उनके लिए आपने 3 रु० प्रति जानवर मुकर्रिर किया है। मेरी राय में इससे कुछ भी नहीं हो सकता है। इसको बढ़ा कर आपको 6 रुपए प्रति जानवर करना चाहिए। वहां के जानवरों के लिए चारे की सबसे बड़ी भयंकर समस्या है। झुन्झुनु क्षेत्र के लिए मैं आपसे खास तौर पर निवेदन करता हूं कि मंत्री महोदय झुन्झुनु के अन्दर चारे के दो प्रोजैक्ट लगायें, ताकि झुन्झुनु और सोकर, इन दोनों इलाके के लोगों की पशुओं के लिए चारे की समस्या दूर हो सके।

दूसरी बात यह है कि हरियाणा हमारे यहां से बिल्कुल सटा हुआ है और हरियाणा के आखरी छोर तक केनाल का पानी पहुंचता है और वहां से जो झुन्झुनू स्टार्ट होता है, तो वहां नहर का पानी नहीं जाता है और वहां के लोग पानी पीने के लिए भी तरसते हैं। झुन्झुनू के लिए स्कीम भी है, वहां पर गंगा और यमुना केनाल की स्कीम भी है और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर वह स्कीम है। मेरा कहना यह है कि पानी को झुन्झुनू तक पहुंचाया जाए, जिससे पेयजल की समस्या भी हल हो सके और लोगों को राहत मिल सके। राजस्थान की जो सरकार है, उस के सीमित साधन हैं लेकिन फिर भी वह इस समस्या से जूझ रही है। इन हालात में राज्य सरकार ने सिर्फ 13 लाख लोग लगाए हैं लेकिन यह नाम मात्र है। रिलीफ वर्क के लिए 40, 50 लाख आदमियों को लगाया जाए। तब जाकर राजस्थान के लोगों को कुछ सहायता मिल सकेगी और जो भी आप सहायता दें, वह हम लोगों को जल्दी दीजिए ताकि वहां के लोग यह महसूस कर सकें कि जिस तरह से आप ने स्पीडी काम शुरू किए हैं, उनको और बल मिल सके और खास तौर पर बिजली की समस्या हल हो सके और वहां के किसान और आम आदमियों को राहत मिल सके इस अकाल की स्थिति में। राजस्थान में चार साल से लगातार अकाल पड़ रहा है और उन लोगों के जो भी कर्ज हैं उनके बारे में आपको गौर करना चाहिए। आज उनकी ऐसी हालत है कि वे न चारा खरीद सकते हैं और न अनाज खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। जिन किसानों को आपने लोन दे रखा है, उन्होंने अगर मूल रकम दे दी है, तो उन पर से ब्याज माफ करना चाहिए और उन किसानों के लिए अगली फसल के लिए खाद और बीज का बन्दोबस्त करना चाहिए। लोगों को यह महसूस हो कि हम इतनी मदद कर रहे हैं और उसका क्रेडिट सरकार को जाए।

मैं मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्हें झुन्झुनू के लिए एक चारे का प्लान्ट लगाने की अनुमति देंगे और वहां पर चारे का बन्दोबस्त करेंगे। एक चीज मैं यह और कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को जो आप एड दे रहे हैं, उसमें से 50 परसेन्ट लोन दे रहे हैं और 50 परसेन्ट सहायता के तौर पर दे रहे हैं। यह न कर के आप पूरी मदद रिलीफ के तौर पर दीजिए क्योंकि राजस्थान का इलाका चार साल से भीषण अकाल की लपेट में है। वहां के लोग इससे पूरी तरह चरमरा गए हैं लेकिन राजस्थान के वीर लोग हैं और वे हर स्थिति का मुकाबला हिम्मत से करते हैं। देशभक्ति उनके कण-कण में बसी हुई है और वे यह समझते हैं कि यह आपदा ऊपर से है और इसको फेस करना चाहिए लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जरूर दरख्वास्त करूंगा कि जो भी मदद राजस्थान को देनी है, वह जल्दी दी जाए।

आखरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि झुन्झुनू में जो पहाड़ी इलाका है उदयपुर वाटी और खेतड़ी का, वहां पर कुओं में पानी की सतह बहुत नीचे चली गई है। इसलिए कुओं को गहरा खुदवाने का और नहर का आप बन्दोबस्त कीजिए।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : सभापति महोदय, मुझे अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम जिस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं वह बाढ़ सूखा और तूफान जैसी प्राकृतिक विपत्तियों से उत्पन्न स्थिति के बारे में है। हमारे ऐसे स्थलाकृति तथा भूगोलीय परिस्थितियों वाले देश में प्राकृतिक विपत्तियां और प्राकृतिक खतरों के साथ जीना सीखना होगा।

जैसे कि मैंने पहले कहा, चूंकि इन्हें बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें इनके साथ-साथ रहना सीखना होगा। हमारे विशाल देश का एक भाग सूखे से प्रभावित होता है तो साथ ही दूसरा भाग बाढ़ से प्रभावित होता है और कई बार समुद्री तूफान से प्रभावित होता है। हमें इन प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के मार्गोपाय खोजने होंगे ताकि भविष्य में हमें इस देश में इनसे कम से कम कष्ट हो।

यदि वर्षा नहीं होती तो सूखा पड़ता है और यदि अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है। इसीलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण वर्षा है। हमें वर्षा के जल को नियंत्रित करना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर फालतू पानी को सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में ले जाया जा सके और यदि वर्षा नहीं होती तो हम कृत्रिम वर्षा भी कर सकें। यह एक अत्यन्त जटिल प्रक्रिया है और मैं यह मानता हूं, प्रकृति से जूझना कोई सरल कार्य नहीं है। चूंकि हम बीसवीं शताब्दी से अन्त के निकट पहुंच रहे हैं इसलिए हमें भारत में सभी आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी तैयार करनी चाहिए। विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले लोग अत्यन्त कुशल है और मैं समझता हूं कि अब वह समय आ पहुंचा है जब हम एक केन्द्रीय निकाय बनाने के बारे में सोचें जो साल भर दिन रात निगरानी कर सके। हम जानते हैं कि देश का कौन सा भाग सूखा प्रवण है और कौन सा भाग बाढ़ प्रवण है। इसी प्रकार हम यह भी जानते हैं कि देश का कौन सा तटीय भाग समुद्री तूफान प्रवण है। जिन लोगों को इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह यह भी जानते हैं कि यह कब होती हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हमें यह सभी प्राकृतिक विपदाएं अर्थात बाढ़ और सूखे को एक केन्द्रीय निकाय के अन्तर्गत लाना होगा जो वर्ष भर निगरानी रखे। यही एक तरीका है जिससे हम इन प्राकृतिक विपत्तियों पर काबू पा सकते हैं।

हम ग्रामीण भारत की उपेक्षा कर सकते हैं। हमें भारत के गांवों में रहने वाले लोगों अर्थात् किसानों आदि के बारे में सोचना होगा। उन्हें वास्तव में लान मिलना चाहिए और वे हमारे समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। यदि भारत के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि यहां तक कि यदि एक नया पैसा भी खर्च किया जाना है तो वह ग्रामीण लोगों के विकास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। उन्हें हमारे देश का वास्तविक लाभार्थी माना जाना चाहिए।

महोदय ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे पशु कल्याण, चारा उत्पादन, खाद्य उत्पादन, पोषण, जल, सिंचाई प्रबन्ध आदि, जिनकी ओर हमें अपना ध्यान देना है। यह सभी क्षेत्र कृषि विभाग, सिंचाई और जल प्रबन्ध आदि, जिनकी ओर हमें अपना ध्यान देना है। यह सभी क्षेत्र कृषि विभाग, सिंचाई और जल प्रबन्ध, खाद्य विभाग आदि जैसे विभिन्न विभागों से सम्बद्ध है जो विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के माध्य से काम करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन सभी विभागों में आपस में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की जरूरतों को जल्दी तथा आसानी से पूरा कर

सकें ताकि लोगों को चेतावनी दे सकें और समस्या को हल करने के लिए सकारात्मक कदम उठा सकें। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : समय की कमी होने के कारण मैं सभी मुद्दों को नहीं लूंगा और न ही मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र पर केन्द्रित रहूंगा। महोदय, मैं अपना ध्यान दो मुद्दों पर केन्द्रित रखूंगा। एक मुद्दे के बारे में तो श्री राठौड़ पहले ही बोल चुके हैं अर्थात फसल बीमा योजना के बारे में। मंत्री महोदय को यह बात मालूम होनी चाहिए कि फसल बीमा योजना का पालन से अधिक उल्लंघन होता है महोदय, वास्तविकता में यह एक धोखाधड़ी है इस योजना के कुछ हास्यास्पद पहलुओं का श्री राठौड़ पहले ही जिक्र कर चुके हैं। सर्वप्रथम जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है कि यह योजना केवल ऋण लेने वालों के लिए खुली है, प्रत्येक किसान के लिए नहीं। यह एक कड़ी शर्त है। कोई भी व्यक्ति जो किसी सहकारी संस्था या बैंक से ऋण लेना चाहता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसे निश्चित रूप से बीमे की राशि देनी ही होगी। मुझे नहीं मालूम कि इसे अनिवार्य क्यों बनाया गया है जबकि कार्यान्वयन तंत्र ठीक प्रकार से तैयार नहीं किया गया।

महोदय, जब भी किसी प्राकृतिक विपदा से फसल नष्ट होती है तो किसान को यूनिट नहीं माना जाता बल्कि सम्पूर्ण तहसील को और आन्ध्र प्रदेश के मामले में मण्डल को यूनिट माना जाता है। मुझे नहीं मालूम कि बीमे की राशि विभिन्न किसानों से पृथक-पृथक क्यों वसूल की जाती है। जिन तथ्यों का मैं जिक्र कर रहा हूं, प्रो० रंगा जी भी उसकी तसदीक करेंगे।

महोदय, बाढ़ के मामले में, बाढ़ पूरे ताल्लुक में नहीं आती। कई बार बाढ़ मुश्किल से ताल्लुक के एक ही भाग में आती है। जब ताल्लुक के एक ही भाग में बाढ़ आती है। तो बीमा सहायता इस आधार पर देने से इंकार कर दिया जाता है कि पूरे ताल्लुक में बाढ़ नहीं आई। यह एक असंगत बात है जो बीमा प्राधिकारियों द्वारा अपनायी जा रही है।

प्रो मधु दंडवते (राजापुर) : वे गांवों को समाप्त करने के बारे में विचार करेंगे।

प्रो एन० जी रंगा (गुंटूर) : गांवों को एक यूनिट माना जाना चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जैसा कि प्रो० रंगा जी ने उल्लेख किया है कम से कम गांव को यूनिट माना जाना चाहिए। वास्तव में तो किसान को ही बीमा योजना का अन्तिम यूनिट माने जाने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।

मैं, बीमे की राशि का भुगतान करने के मापदण्डों का भी जिक्र करूंगा। मापदण्डों को भी अत्यन्त क्षीण कर दिया जाता है। राहत के रूप में ही रहने वाली राशि इतनी कम होती है कि वह छलावा मात्र लगती है।

महोदय, अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं अर्थात नेबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी ऋण संस्थाओं को ऋण देने के बारे में लगाए जाने वाले मापदण्डों के बारे में है। अर्हता मापदण्डों को को चार वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग ऐसे बैंकों का है जिनका वसूली कार्य-निष्पादन 75 प्रतिशत से अधिक है। उन बैंकों या सहकारी संस्थाओं को असीमित ऋण मिल सकता है। किन्तु अन्य तीन वर्गों के मामले में सीमित ऋण दिया जाता है और यह वसूली कार्य निष्पादन के साथ जुड़ा रहता है। ऐसे बैंकों के मामले में जिनकी वसूली के कार्य-निष्पादन 50 प्रतिशत से कम है, उनका वित्त पोषण बिल्कुल

बन्द कर दिया जाता है। महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कोई क्षेत्र भीषण सूखे या बाढ़ से प्रभावित होता है तो उसमें वसूली के कार्य-निष्पादन कैसे अधिक हो सकता है और यदि आप प्राकृतिक विपत्तियां चाहे वह सूखा हो या बाढ़, से घिरे किसानों की सहायता करना चाहते है तो इसे आप वसूली के कार्य-निष्पादन से कैसे जोड़ सकते हैं। इसलिए, कम से कम उन क्षेत्रों के मामले में अर्दता मापदण्ड समाप्त किए जाने की आवश्यकता है जो सूखे या बाढ़ से प्रभावित हों।

अर्दता मापदण्डों से क्षेत्रीय असंतुलन और बढ़ रहा है। आन्ध्र प्रदेश का ही उदाहरण लें। राज्य सरकार ने यह निर्धारित किया है कि आन्ध्र प्रदेश के लिए 'नेबार्ड' से मिलने वाली राशि का 40 प्रतिशत तेलंगाना को मिलना चाहिए। किन्तु तेलंगाना क्षेत्र के जिला बैंक अर्दता मापदण्डों के कारण यह सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते। महोदय, वसूली कार्यनिष्पादन की गणना करते समय 'नेबार्ड' राज्य सरकारों द्वारा किसानों की वृद्धि नीति के भाग के रूप में ब्याज माफ किये जाने और ब्याज में छूट दिए जाने को हिसाब में लेने को तैयार नहीं है। आन्ध्र प्रदेश में राज्य सरकार सभी किसानों को यह सहायता देने को तैयार थी किन्तु राज्य सरकार द्वारा सहकारी संदनों के सम्बन्ध में किसानों को दी जाने वाली सहायता को वसूली की गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जाता।

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निदेश दिए हैं कि सूखा पीड़ित क्षेत्रों में ऋण की वापस अदायगी के कार्यक्रम को पुन: निर्धारित किया जाए, विशेष कर उन क्षेत्रों में जो तीन वर्षों से अधिक समय से सूखे से प्रभावित है। किन्तु यह पुन:निर्धारण केवल तीन बार हो सकता है, तीन से अधिक बार नहीं हो सकता। हमारा राज्य देश में अन्य बहुत से राज्यों के साथ लगातार चौथी बार सूखे से से प्रभावित हुआ है। इसलिए, मेरा यह अनुरोध है कि पुन:निर्धारण सुविधा केवल तीन बार तक के लिए सीमित नहीं की जानी चाहिए बल्कि इसे और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

अन्त में मुझे केवल एक अनुरोध करना है। फसल ऋण वाणिज्यिक बैंकों या सहकारी संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं। आप यह मानते हैं कि या तो बाढ़ द्वारा या सूखे द्वारा फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए, मेरा यह अनुरोध है कि इस प्रकार के मामलों में फसल ऋणों को माफ करने या बट्टे खाते में डालने के लिए भारत सरकार को निर्भीकता पूर्वक आगे आना चाहिए। मेरा यह अनुरोध है कि अल्पावधिक ऋणों को माफ करने के इस प्रस्ताव पर बाढ़ या सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के मामले में गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा ठक्कर (कच्छ) : माननीय सभापति महोदय, भारत के बहुत सारे हिस्सों में इस साल सूखा पड़ा है। बाढ़ और सूखे के लिए हमारे विद्वान मित्रों ने यहां पर बहुत सारी बातें की हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी और सदन का टाइम भी ज्यादा नहीं लूंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार और सेवा-भावी संस्थाएं साथ मिलकर जो सामना कर रहे हैं, उनके लिए हमें गौरव होता है और इसलिए मैं इनको धन्यवाद देती हूं। अभी हमारे विद्वान मित्रों ने बहुत सारी पालिसी की बातें की हैं। अभी डा० हंसराज ने कहा कि उनका एरिया बहुत अफैक्टेड है और बाढ़ से पीड़ित है। वैसे ही मेरा क्षेत्र कच्छ भी सूखे से एफैक्टेड है। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करना चाहूंगी। प्रधान मन्त्री जी, उनकी पत्नी सोनिया जी, आ० कृषि मन्त्री, श्री योगेन्द्र मक्वाना जी, भजन लाल जी व सरोज खापर्डे जी वहां आए थे। मैं इनका धन्यवाद करती हूं। गुजरात में और मेरे क्षेत्र कच्छ में ड्रिंकिंग वाटर की बहुत बड़ी समस्या है। सूखे की वजह से वहां पानी नहीं मिलता है। विश्व बैंक की सहायता से

[श्रीमती ऊषा ठक्कर]

नर्मदा पाइप लाइन द्वारा आपको यह काम जल्दी शुरू करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र कच्छ में पेयजल की समस्या है और केन्द्रीय कमेटी वहां आई थी। उन्होंने भी माना है कि सारे भारत में कच्छ सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है और पानी की हमेशा वहां प्रॉब्लम रहती है। चालीस साल में से बत्तीस साल वहां सूखा रहा है। नर्मदा पाइप लाइन से ड्रिंकिंग वाटर के लिए ही नहीं बल्कि वहां नहर भी बनाइए जिससे किसानों को पानी मिल सके। कच्छ और सौराष्ट्र का लम्बा सागर तट है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि मीठा पानी बनाने के लिए प्लान्ट बनाइए और कच्छ तथा सौराष्ट्र को सागर तट में पानी मिलना चाहिए। माननीय कृषि मंत्री जी ने वहां माना था और मेरे सुझावों को मंजूरी दी थी। मुझे पक्का विश्वास है चूंकि मैं सदन में कह रही हूं जरूर वहां के लोगों के लिए कुछ करेंगे। मैंने एक मैमोरेन्डम दिया है। दूसरी नदियों में से पानी देने के लिए दरख्वास्त की है। अब मैं दोहराती नहीं हूं और लास्ट सैशन में भी मैंने कहा था कि जब तक नर्मदा और सागर तट का मीठा पानी न हो तब तक दूसरी नदियों में से आपको कुछ करना चाहिए।

प्रधान मंत्री जी को मैंने मैमोरेण्डस दिया है। मैं केटल प्रॉब्लम के बारे में भी थोड़ा कहना चाहती हूं। इस बारे में भारत सरकार ने साढ़े तीन रुपया सबसिडी देने का जो निर्णय दिया है, वह माकूल नहीं है। यह बहुत कम है। भारत सरकार ने माना हैं कि कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां ज्यादा देना पड़ेगा। जब सरकार ने माना है, तो ज्यादा देना चाहिए। वैसे मुझे मालूम पड़ा है कि आप पांच रुपया सबसिडी देने जा रहे हैं। आपने निर्णय ले लिया है। यदि ऐसा है, तो यह बहुत अच्छा है। अभी वृद्धिचन्द्र जी अपने क्षेत्र के लिए कह रहे थे कि वहां पर ज्यादा देना चाहिए। मेरा भी अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में भी बनासकांठा, मेहसाणा और जामनगर आदि एरियाज में बहुत तकलीफ है। इसलिए आप वहां के लिए पांच रुपया जल्दी से जल्दी करिए।

महोदय, दूसरी बात मैं सेवाभावी संस्थाओं के बारे में कहूंगी। कुछ सेवाभावी संस्थाएं इस मौके पर आ गई हैं और अपना पैसा खर्च कर रही है और मदद भी कर रही हैं। इसलिए मैं संस्था के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनसे इस सदन के माध्यम से अपील करूंगी कि जो व्यक्ति इस डैजर्ट एरिया में आकर इतनी तकलीफ उठा रहे हैं और भारतीय संस्कृति के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, वह लोग ठीक से उनके ऊपर निगरानी रखें भारत सरकार प्रति पशु जो 5 रुपये सबसिडी के रूप में वहां पर व्यय करे उसकी देख रेख और निगरानी करने के लिए कि पशुओं को चारा ठीक से व पूरा मिलता है या नहीं और अन्य बातों की देख रेख करने के लिए पचास या सौ कैटल के ऊपर सरकार अपना एक आदमी रखे और उस व्यक्ति के ऊपर जो खर्च हो, उसे केन्द्र सरकार स्वयं ही वहन करे।

हमारे यहां किसानों को बिजली देने के लिए सरकार ने बहुत खर्च उठाया है, लेकिन हमारा कच्छ का बहुत लम्बा क्षेत्र है और एक कोने में पड़ा हुआ है। वहां पर दो सौ किलो मीटर दूर तक लाइनें गई हैं जिनमें फाल्ट हो जाना स्वाभाविक बात है। इससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि लिगनाइट आधारित वहां पर एक थर्मल स्टेशन शीघ्र बनवाना चाहिए। विण्ड फार्म भी वहां पर बनाने चाहिए। सोलर ऊर्जा का उपयोग करके वहां पर यह कार्य बड़ी आसानी से हो सकता है। वहां के इस कार्य के लिए मैंने मन्त्री जी से

कहा भी है। कच्छ में 20 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमेशा वायु चलती रहती है। चाहे सर्दी हो या गरमी। इसलिए आप वहां 8-10 किसानों के फार्म के बीच में एक विन्ड फार्म की स्थापना करें। इसमें तीन-चार लाख रुपया खर्च होता है इसलिए वहां के किसानों को 25-30 परसेंट सबसिडी दी जानी चाहिए। वहां के किसानों के लिए इस प्रकार से छोटे-छोटे विन्ड फार्म अगर आप बनायेंगे, तो हमारे कच्छ जैसे एरिया के लिए यह बहुत लाभकर होगा। इससे सरकार को भी फायदा रहेगा और फाल्ट जब लाइन में आ जाता है, तो उससे होने वाली किसानों को परेशानी से भी यह चीज बचाएगी। इस प्रकार से किसान और सरकार दोनों का फायदा विन्ड फार्म बनाने में होगा।

कच्छ में लगभग 97 हजार लोग आपके कार्यक्रमों के अन्तर्गत मजदूरी का काम कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे अपील करूंगी कि उनको आप रु० 1·55 की दर से जैसे पहले गेहूं देते थे, वैसे ही अब भी दें। मेरे क्षेत्र में जो लोग पाकिस्तान के बार्डर से 32 किलोमीटर दूर है वहां लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी यही मांग है कि आप राहत कार्यों में कार्य करने वाले लोगों को गेहू दें। इसलिए मैं अपील करती हूं कि आप गेहूं दीजिए।

[हिन्दी]

कच्छ की विशिष्ट परिस्थिति की नजर से मैं एक बात आपके सामने और रखूंगी कि संविधान की धारा 371 (2) के अन्तर्गत कच्छ को विकास बोर्ड दिया गया था। आप स्थाई उपाय के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपने गवर्नर को भी भेजा वह भी 3,4 दिन वहां रहे। उन्होंने माना कि कच्छ श्रामित एरिया हो गया है। जब से सिन्धु नदी का पानी आना रुक गया तब से हमारा कच्छ श्रामित एरिया हो गया। यह माननीय जवाहर लाल नेहरू जी ने माना, सरकार जी ने माना, हमारे प्रधान मन्त्री मान रहे हैं। उन्होंने साल में दो बार में कच्छ का दौरा भी किया। मैं यह कहती हूं कि हमको जो अधिकार दिए गये थे, माननीय इन्दिरा जी ने इस सदन में घोषित किये थे कि कच्छ में विकास बोर्ड देंगे, लेकिन 1977 में जनता सरकार आ गई और आपको मालूम है कि जनता सरकार ने इसको रद्द कर दिया। जो कुछ इन्दिरा जी ने किया, जनता सरकार ने उसको रद्द कर दिया। जनता सरकार इसीलिए आई थी कि जो काम अच्छे इन्दिरा जी ने किए हैं, उनको रद्द कर देंगे। इससे हमारे कच्छ को बहुत नुकसान हुआ। हमारे लिए जो प्रावधान किया गया था, जो अधिकार हमको दिए गये थे, वह छीन लिए गये।

मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि जो हमारी क्रांतिकारी इन्दिरा जी ने इस सदन में घोषणा की थी, उन कामों को हमारे युवा प्रधान मंत्री जी फिर से हमको पूरा करके देंगे।

मैं महिलाओं के लिए भी थोड़ा बोलना चाहती हूं। महिलाओं के हस्तकला के काम के लिए बोलना चाहती हूं।

[अनुवाद]

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : सभापति महोदय, यहां पर हम एक बहुत गंभीर स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। यदि बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है तो हम कहते हैं कि हम क्या करें, अगर भारी वर्षा हो जाती है तो भी हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। यह सिर्फ उसी हद तक सही है। परन्तु यदि सूखा और बाढ़ द्वारा पैदा की गयी स्थिति का सामना करने के लिए की जा रही

[श्री डी० पी० पाटिल]

कार्यवाही पर हम विचार करें तो हम पायेंगे कि आज तक अरबों करोड़ रुपये खर्च कर दिये गये हैं और फिर भी हम उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

जहां तक राज्यों की मांगों का सम्बन्ध है, एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि केन्द्रीय सहायता बहुत ही कम है, जब कि दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि राहत उपायों पर खर्च किये गये धन का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये सभी बातें सही हैं। जहां तक राज्यों की आवश्यकता का सम्बन्ध है, यह बहुत जरूरी है और केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी सहायता अल्पमात्र है।

मैं अपने राज्य महाराष्ट्र सरकार के प्रलेखों से उद्धरण देता हूं—महाराष्ट्र में यह चौथी बार लगातार सूखा पड़ा है। (अक्तूबर, 1986 से जून 1987)। जहां तक महाराष्ट्र में सूखे का सम्बन्ध है, वहां के कुछ जिलों में अक्तूबर 1986 से जून 1987 तक (वर्ष 1987 अभी पूरा नहीं हुआ है) महाराष्ट्र सरकार ने अपने स्रोतों से पीने के पानी की पूर्ति करने के लिए 86 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं और केन्द्रीय सरकार ने सिर्फ 9·70 करोड़ रुपये की सहायता दी है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि राज्य की योजना पर भारी बोझ पड़ता है; और भारी बोझ पड़ने से राज्य की दूसरी योजनाओं को नुकसान होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सूखा राहत के लिए केन्द्रीय सहायता अग्रिम योजना सहायता के रूप में न दी जाये बल्कि योजना से बाहर तत्काल अनुदान दिया जाना चाहिए ताकि राज्य की वार्षिक योजनाओं में बिगाड़ने आये और योजना खर्च में कटौती किये जाने पर विकासात्मक प्रयासों में रूकावट न हो। जहां तक सूखे के लिए सहायता का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा वही प्रणाली अपनायी गयी है अर्थात् कुछ सीमान्त (मार्जिन) धन के लिए सीमा तय कर रखी है, और यदि सीमा को लांघा जाता है तो सरकार ऋण के रूप में सहायता देती है और ऋण के रूप में दी गयी इस सहायता को राज्य योजना निधि में से काट लिया जाता है। इससे योजना निधियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए।

इसके अलावा जहां तक मजदूरी को राहत दिये जाने का सम्बन्ध है मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सूखा राहत कार्यों पर लगे होने पर मजदूरों को वास्तव में कितनी मजदूरी दी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार उनको प्रतिदिन मुश्किल से 3 अथवा 4 रुपये मिल पाते हैं। ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं जहां इनको प्रतिदिन मुश्किल से 4 अथवा 5 रुपये मिलते हैं। कुछ मामलों में यह प्रतिदिन के कार्य के आधार पर दी जाती है और यह मजदूरी के आधार पर नहीं दी जाती। अगर व्यक्ति काफी बलवान है तो वह अधिक कमा सकता है।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या उन्हें 2 रुपये के अतिरिक्त दिन में दो बार अथवा एक भोजन नहीं दिया जाता ?

श्री डी० बी० पाटिल : कुछ लोगों को मिल रहा है। अधिकांश राज्यों में नहीं मिल रहा।

प्रो एन० जी० रंगा : दो समय के भोजन के अतिरिक्त क्या उनको और कुछ नहीं मिल रहा ?

श्री डी० बी० पाटिल : जी हां, उनको नहीं मिल रहा है। मैं यह सुझाव देता हूं कि राहत कार्यों में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि की जानी चाहिए।

इसके पश्चात मवेशियों को लिया जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में जहां पर हजारों मवेशी मर रहे हैं। सिर्फ मवेशी ही नहीं मर रहे हैं, बल्कि आदमी भी मर रहे हैं। उड़ीसा में भूखमरी से मौतें हुई हैं। जब यह मामला उठाया गया था तब उड़ीसा से सदस्यों ने इसका विरोध किया था मैं इस बात को चुनौती देता हूं कि अध्यक्ष की अध्यक्षता में क्या विधान मंडल की एक समिति नियुक्त की गयी थी या नहीं ? इसकी नियुक्ति की गयी थी। समिति ने उड़ीसा सरकार पर स्पष्ट मायनों में आरोप लगाया है कि भूख से मौतें हुई हैं। विधान समाजी समिति ने उड़ीसा सरकार को इसके लिए अभ्यारोपित किया है। उड़ीसा सरकार के कुछ सदस्य इसका खंडन करने का प्रयास कर रहे हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने उड़ीसा सरकार के बारे में शिकायत की है कि 1980-85 तक के लिए बाढ़ राहत कार्यों के लिए आबंटित धनराशि को 1980 में भुनेश्वर को सुन्दर बनाने और कटक केरिंग रोड को बनाने के लिए तथा एक अन्य स्थान पर हाथी अभयारण्य बनाने के लिए खर्च कर दिया। मैं यह नहीं कह रहा हूं। नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने यह उल्लेख किया है कि बाढ़ राहत के लिए निर्धारित धन को इस तरह से दूसरे कार्यों में लगा दिया गया। अगर ऐसे कार्य हो रहे हैं तो इस मामले की जांच कौन करेगा ? केन्द्रीय सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए क्योंकि वही इसके लिए जिम्मेवार है। नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने यह टिप्पणी की है और जहां तक मेरी जानकारी है इस पर अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

(व्यवधान)

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि वह किस रिपोर्ट से उद्धरण दे रहे हैं। ..... (व्यवधान)

सभापति महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनने दीजिए।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं जानना चाहता हूं.....(व्यवधान)। इन्होंने राज्य सरकारों अथवा एक व्यक्ति विशेष अथवा मंत्रालय के खिलाफ ऐसे आरोप लगाने से पहले आपके सामने प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए थे। इनका कोई भी आधार नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है वह प्रैस रिपोर्ट पर आधारित अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। क्या वह यह कहना चाहते हैं कि जो कुछ समाचार पत्रों में आ रहा है वह बिल्कुल ठीक है ?

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। यदि यह व्यक्तिगत आरोप है तो कहना ठीक है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी आरोप मत लगायें।

श्री डी० बी० पाटिल : मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह तो सरकार के विरुद्ध है।

सभापति महोदय : आगे कहिए।

श्री डी० बी० पाटिल : इसके बाद फसल बीमा को लेते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि जिन फसलों को दो बार बोया जाता है उनके लिए इसको जल्दी से लागू किया जाना चाहिए। आजकल फसल बीमा सिर्फ उन्हीं किसानों तक सीमित है जो ऋण लेते हैं। जहां तक फसल

[श्री डी० वी० पाटिल]

ऋणों का सम्बन्ध है, सभी प्रकार के फसल ऋणों को सही समय पर दिया जाता है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि उनके अल्पकालीन ऋणों और फसलों ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलने से कैसे सहायता मिलेगी। किसान के लिए ऋण लौटाना कैसे सम्भव है और कौनसी फसल से वह ऋण लौटाएगा ? उसकी फसल पूर्णतया नष्ट हो गयी है। उस विशेष वर्ष के लिए उसके पास रोजी-रोटी का कोई साधन नहीं है। आप कह रहे हैं कि आजीविका के साधन समाप्त होने के बाद भी ऋण लौटाना होगा। वह इस प्रकार कैसे ऋण लौटाएगा ? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि फसल ऋणों को पूर्णतया मुल्तवी कर देना चाहिए क्योंकि सरकार की तरफ से यह कहना गलत बात है कि किसानों को वह ऋण लौटाना चाहिए जिससे उनको बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि विशेष वर्ष में उसकी सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गयी है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सर, हमारा आरोप है कि जो विपक्ष द्वारा शासित राज्य हैं वहां सरकारें सूखा राहत के नाम पर दिए जा रहे पैसे का ठीक से उपयोग नहीं कर रही हैं और जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, वह आक्षेप लगाते हैं कि केन्द्र सरकार उनके राज्यों को प्रोपर मदद नहीं कर रही लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि वह ठीक खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कितनी मदद दी जा रही है, सवाल इस बात का है कि जो मदद दी जा रही है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं। जिस उद्देश्य से मदद दी जा रही है उस उद्देश्य की कुछ अंश तक भी पूर्ति हो रही है या नहीं। इस समय किसान का खेत बोने का समय है, किसान को किस समय बीज की आवश्यकता है उस समय किसान को बीज नहीं मिल पा रहा है, अच्छा बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बीज उपलब्ध कराने वाली जो एजेंसी हैं, चाहे हमारी सेंट्रल एजेंसी हो या स्टेट की एजेंसी हो उनके द्वारा बीज समय पर उपलब्ध नहीं करवा पाने के कारण किसान को रबी की फसल की बुआई में दिक्कत हो रही है, इसको माननीय मन्त्री जी को ध्यान में रखना चाहिए।

सिंचाई के जो साधन नहरें इत्यादि हैं, नहरें यदि टूटी पड़ी हैं तो उन नहरों की मरम्मत के लिए अभी तक पैसा उपलब्ध नहीं होने के कारण मरम्मत नहीं हो पा रही है, जो सीजनल रिपेयर भी होनी चाहिए थी, जो अभी तक पूरी हो जानी चाहिए थी उसके लिए विभागों के पास पैसा नहीं है, इस मामले को कौन देखेगा ? यदि उनकी मरम्मत इस समय नहीं हुई, किसान को इस समय साधन नहीं मिल पाया तो उसका असर रबी की फसल पर भी पड़ेगा। हमारे आधे से ज्यादा पम्प खराब पड़े हैं, आधे से ज्यादा ऐसे है जिनको हम ऊर्जीकृत नहीं कर पा रहे, जिनको बिजली उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। वह मरे पड़े हैं, खराब पड़े हैं, खराब स्थिति में हैं, उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही और इस पक्ष को देखने के लिए ब्यूरोक्रेसी आगे नहीं आ रही है।

पीने के पानी के संकट का जिक्र हमारे कई साथियों ने किया, सौराष्ट्र की बात कल बड़े जोर-शोर से यहां पर उठी, आज भी हमारी एक बहन ने कहा, जिस प्रकार की स्थिति सौराष्ट्र में है, राजस्थान में है उसी प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में भी कुछ भागों में पैदा हो गई है। अब हमारे जैसे भाग जहां पर बहुत कम सूखा पड़ता था, इस बार सूखे के कारण नये स्रोत तो फूटे नहीं और नये स्रोत नहीं फूटने के कारण सारी योजनाएं, जो पेयजल की बनी हुई थीं, उनसे नलों में पानी नहीं आ पा रहा है और लोगों को पानी के अभाव में 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाना

पड़ रहा हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि गर्मियों के दिन हम लोगों के लिए बड़े भीषण होंगे और उस स्थिति का सामना करने के लिए अभी से योजनाएं बननी चाहिए थीं लेकिन वह योजनाएं नहीं बन पा रही हैं। जब हम राज्य सरकार से कहते हैं तो राज्य सरकार का एक ही जवाब होता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पेयजल का संकट दूर करने के लिए केन्द्र को अलग से पैसा देना चाहिए और यदि जरूरत पड़े तो इस पंचवर्षीय योजना के अगले वर्ष के लिए जो धन-राशि राज्य सरकारों को दी जाने वाली है उसमें से कुछ राशि अग्रिम रूप से राज्य सरकारों को अभी दे देनी चाहिए ताकि वे उसका उपयोग उन नई योजनाओं को बनाने में कर सकें और हम आसन्न पेयजल संकट, जो गर्मियों के दिनों में आने वाला है, उसका सामना कर सकें।

जो पैसा इस समय दिया गया है, उस पैसे में आपने एक कण्डीशन डाल दी है कि आप इससे केवल लेबर ओरिएण्टेड वर्क ही करेंगे, केवल मिट्टी इत्यादि का काम होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक खप सकें। यह उद्देश्य तो ठीक है मगर इसकी आड़ में उन सड़कों की मरम्मत हो रही है जिनको पहले ही एन० आर० ई० पी० में या आर० एल० ई० जी० पी० के द्वारा बना चुके हैं उन पर मिट्टी डाली जा रही है और उसकी पूरी नाप हो रही है। अगर बारिश होगी कभी तो वह सारी मिट्टी बह जाएगी और सड़कें फिर अपनी जगह पर होंगी। तो जितना पैसा दिया है, बारिश के साथ वह पैसा भी बह जायगा। मैटीरियल कांपोनेन्ट के लिए यदि आप कोई गुंजाइश रखते तो कुछ ठोस काम हो सकता था। अगर योजना व्यय में कमी होने की सम्भावना रहे, या अपर्याप्त पैसा मिलने की बात हो तो मैटीरियल कांपोनेन्ट के लिए जरूर कुछ न कुछ प्राविजन होना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि वनीकरण के लिए पैसा दिया जाता है, आइ० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी० के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको पूल करके उसके लिए आपको एक एजेंसी बनानी चाहिए। अभी बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए तो एक एजेंसी बनी हुई है लेकिन वह एजेंसी केवल एक सलाहकार समिति का काम करती है। उस एजेंसी से ऊपर ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं। उसमें जो पैसा दिया जा रहा है उसको वे मनमाने ढंग से पास कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है।

प्रधान मन्त्री जी ने लाल किले की प्राचीर से वायदा किया था कि सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार हर प्रकार की मदद करेगी। केन्द्रीय सरकार के स्तर पर सहायता देने का काम बुद्ध स्तर पर किया भी जा रहा है लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है? आप तो पोस्ट आफिस की भांति पैसा बांट रहे हैं लेकिन नीचे जाकर जिस एजेंसी की योजना कार्यान्वित करनी है उसमें वहां पर जो ब्यूरोक्रेसी है वह उस पैसे को मनमाने ढंग से खर्च कर रही है और जनता हमारी तरफ देख रही है कि ये जो एक चीज है, एम० एल० एज० हैं वे कुछ काम करेंगे लेकिन हमारी उसमें वहां पर भागीदारी है—वह हम नहीं समझ पाते। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि मन्त्री जी राज्य सरकारों के साथ, मुख्य मन्त्रियों के साथ इस बात को उठावें और ब्यूरोक्रेसी को कसा जाना चाहिए तथा हमारी वास्तविक भागीदारी निश्चित की जानी चाहिए तभी हस भी अपने कर्त्तव्य की पूर्ति कर पायेंगे और जनता को अहसास भी करा पायेंगे कि सूखे की स्थिति में जनप्रतिनिधियों को जिस प्रकार से साथ में खड़ा होना चाहिए उसी रूप में हम खड़े हैं।

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, मैं केवल दो मिनट बोलूंगा और कोई बात भी रिपीट नहीं करूंगा जो कि हमारे पूर्ववक्ता कह चुके हैं। राजस्थान, जहां से मैं आता हूं, वहां 27 जिले हैं और सभी जिलों में भीषण सूखा है। मैं नहीं कहता कि दूसरे राज्यों को आप इतना मत दो या

[श्री शांति धारीवाल]

हमारे राज्य को इतना दो लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां पर हमारे एक बड़े अच्छे अनुभवी लीडर हैं जोकि इस मन्त्रालय को सम्हाले हुए हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि समय पर सही मदद और उचित मदद राजस्थान को भी दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस प्रदेश के 6-7 जिले ही सूखे से अफैक्टेड हों उनको भी उतनी ही मदद दे दी गई और राजस्थान, जिसके सारे 27 जिले सूखे से अफेक्टेड हैं, उसको भी उतनी ही मदद दी गई। मेरी यही प्रार्थना है कि समय पर उचित मदद राजस्थाद को जल्दी से जली देने का प्रयत्न होना चाहिए।

इस सूखे ने कई प्रकार की समस्यायें खड़ी की हैं। उदाहरण के लिए जो मेरा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है उसमें आधी तहसीलें तो ऐसी हैं जो कि सूखे से ग्रसित हैं और आधा क्लाण्ड एरिया क्षेत्र है जहां पर कि गन्ने की पैदावार होती है। राजस्थान में आज चारे का अभाव होने की वजह से चारे का वहां भाव 45 से 65 रुपये हो गया है जबकि गन्ने का समर्थन मूल्य 22 और 23 रुपये प्रति क्विंटल का है नतीजा यह है कि वहां पर जितना भी गन्ना है वह चीनी मिलों में न जाकर चारे के लिए कटता जा रहा है। आगे चलकर मैं समझता हूं, सरकार के सामने एक भयंकर संकट खड़ा होगा जब चीनी मिलों को गन्ना उपलब्ध नहीं होगा। तब चीनी के दाम बहुत तेजी से बढ़ जायेंगे। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस स्थिति से आगे बचने के लिए वह जल्दी-से-जल्दी गन्ने की सपोर्ट प्राइस बढ़ावे ताकि कहीं ऐसा न हो कि गन्ना चारे के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाये और चीनी मिलें वैसे ही रह जायें।

दूसरी बात यह है कि आठवें फाइनेन्स कमीशन ने यह हिदायत दी है कि जितनी भी असिस्टेंस सेन्ट्रल गवर्नमेंट देती है उसको ग्रान्ट माना जाना चाहिए और यह गवर्नमेंट पर वाइंडिंग है। इस पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जिस तरह से ब्यूरोक्रैट्स इस बात का गलत तर्जुमा करते हैं उसको आपको जरूर देखना चाहिए।

4·00 म० प०

जिन राज्यों में भीषण सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर भी यही प्रोशीजन सालों साल से चला आ रहा है। यदि आप इसको ही फॉलो करना चाहते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। चार-चार, पांच-पांच सालों से सूखे से ग्रसित प्रदेश हैं, उनको आप उसी तरह से मदद देना चाहते हैं। वही सेंट्रल टीम जाएगी, तीन-चार रोज साइट-सीइंग करेगी, इधर-उधर घूमेंगे और यह करेंगे वह करेंगे और राज्य सरकार ने अच्छा भोजन खिला दिया, तो ज्यादा लिख देंगे, यदि आवभगत कम करेंगे तो कम लिख देंगे। यह प्रोसीजर आप अपने पास रखिए, और राजस्थान सरकार को पूरा पैसा दो। बाकी कार्य के लिए पैसा दो। मैटिरियल कम्पोनेन्ट के लिए आप नहीं देते हैं, कच्चे कामों के लिए पैसा देते हैं। उसका नतीजा यह हो रहा है कि जितनी मिट्टी पड़ रही है, जितने सड़क के काम हो रहे हैं। वे सब बेकार जा रहे हैं। सरकार का सारा पैसा बेकार जा रहा है।

आपकी मारफत मेरा सरकार से यही निवेदन है कि मन्त्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे और वेज कम्पोनेन्ट के साथ मैटीरियल कम्पोनेन्ट का पैसा राजस्थान सरकार को दिलवायेंगे। अभी आपने 37 करोड़ रुपया दिया है, जोकि बहुत ही कम है, ऊंट के मुंह में जीरे के माफिक है। राजस्थान सरकार ने 434 करोड़ रुपये की मांग की है, अगर आपने यह सहायता नहीं की तो राजस्थान सरकार के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार भी बदनाम हो जाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अविलम्ब राजस्थान सरकार को सहायता प्रदान करें और खास कर मैटीरियल कम्पोनेन्ट का शेयर दिलवायेंगे।

श्री मोहम्मद अली खां (एटा) : सभापति महोदय, सूखे का मसला देश का बहुत बड़ा मसला है। इस पर काफी बहस हो चुकी है और बार-बार इस बात को कहने से कोई फायदा नहीं है लेकिन मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं।

जैसा कि माननीय सदस्य, श्री हरीश रावत ने कहा है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आपने सूबों को मदद दी और पैसा भेजा, लेकिन यह दूसरी बात है कि आपकी सेन्ट्रल टीम ने क्या सर्वे किया और आपको क्या रिपोर्ट दी। लेकिन मैं यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश जो कि हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसको जितनी मदद मिलनी चाहिए थी, सूखे के लिए, उतनी मदद नहीं मिली है। सेलाब के लिए जो सहायता दी गई है, उसका जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, वह बहुत ही गलत है। रावत जी ने इस बारे में बिल्कुल सही कहा है। मिट्टी पड़ी हुई है उन सड़कों पर, जो सड़कें पहले बन चुकी है और इसमें भी जो वहां के प्रधान है, प्रमुख हैं, उनकी डिक्टेटरशिप है। उनकी जो इच्छा है, वही कर रहे हैं और उसमें भी इनका परसेंटेज मुकर्रिर है आपने जो रुपया दिया है, उसका कतई फायदा नहीं हो रहा है, पानी की तरह से पैसा बहाया जा रहा है। रावत जी की इस बात की मैं ताईद करता हूं। छोटी-छोटी सड़कें जो बनवाई जानी थीं, उनको न बनवा कर दूसरी जगह पोलिटिकल नजरिये से प्रधान ने बनवाई हैं। जो सड़क नहीं बनी हैं, उन पर तवज्जह नहीं दी जा रही है और यह मसला बराबर चला आ रहा है। 40 साल की आजादी के बाद भी आज देश की यह स्थिति है। लेकिन कहा जाता है कि मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है, नए-नए पुल और नए,नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मेरा आप से निवेदन है कि सब कामों को बन्द करें और

4.05 म० प०

[श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए]

यदि सेलाब का ही मसला तय कर लें तो यह हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जायेगी। बरसात के शुरू होते ही अपसरान के टेलीग्राम जाने शुरू हो जाते हैं कि गंगा में बाढ़ आ रही है, इसका इन्तजाम कीजिए। सैकड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकित परमानेन्ट सोल्यूशन नहीं निकलता है। जब तक आप परमानेन्ट सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। बिलावजह आप रुपया इस प्रकार बर्बाद करते हैं। देश गड्ढे में जा रहा है। इन्सान परेशान हैं। 80 फीसदी जनता जो देहात में रहती है, उन्हीं पर इस सूखे का असर है लेकिन नई दिल्ली मे कनाट प्लेस में जाकर देखिए, यहां सूखे का कोई असर नहीं है। यहां जबरदस्त खरीद फरोक्त हो रही है, लेकिन देहात में जाकर देखें तो गरीब के पास ओढ़ने लिए रजाई तक नहीं है। चावल की जो भूसी निकलती है, उस पर लेटता है। उसमें लेट रहे हैं। आज उनकी यह हालत है। शहर में किसी चीज का कोई असर नहीं है। बड़ी-बड़ी तनख्वाह वाले और कैपीटैलिस्ट्स पड़े हुए हैं और खूब कपड़ा खरीद रहे हैं, खूब कोट खरीद रहे हैं और खूब जलसे मना रहे हैं। 80 फीसदी जनता जो देहातों में रहती है, उसकी तरफ आप देखिए। गवर्नमेंट को बनाना और गिराना इन्हीं लोगों के हाथ में रहता है। सर्दियों में ये लोग क्या करते हैं। लकड़ी जला कर अपने हाथ गरीब लोग तापते हैं और गवर्नमेंट को क्रिटीसाइज करते हैं। आप ने पैसा दिया। बिल्कुल ठीक है लकिन जैसा कि हरीश रावत साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के लिए और दरवाजा इनकम का खुल जाता है। ये बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि कोई न कोई मुसीबत आई और

[श्री मोहम्मद महफूल अली खां]

इनका इन्कम का दरवाजा खुल गया। गरीब को पैसा नहीं मिलता है। मैं गुजारिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है और हमारे जराअत के मंत्री साहब बैठे हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि उसके नुकसान के लिहाज से उसको रुपया दिया जाए और स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाए कि उस रुपए का सही इस्तेमाल हो। जायज लोगों को वह रुपया मिलना चाहिए। आज तो दूसरे लोग पैसा खा रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। इसके लिए गरीब चीख रहा है चिल्ला रहा है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि उसके लिए आप को कुछ करना चाहिए।

यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि मैंने जो इस सिलसिले में कहा है, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए।

श्री विष्णु मोदी (अजमेर) : सभापति महोदय, ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता ही गया। भाग्य की विडम्बना है कि 40 साल हमें आजाद हुए हो गए और अब भी हमारा देश शताब्दी के भीषण अकाल ही नहीं, महा अकाल से जूझ रहा है और देश एक तरफ बाढ़ की चपेट में है और दूसरी तरफ भीषण अकाल की चपेट में है। दुर्भाग्य इस बात का है कि आज भी हमारे देश में 70 फीसदी जो खेत हैं, वे मानसून पर आधारित हैं। अगर मानसून न आए, तो देश की उत्पादन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। आज ये जो 70 फीसदी खेत हैं, यह 50 फीसदी जो खाद्यान्न का उत्पादन है, उसमें कन्ट्रीब्यूट करते हैं। देश की आजादी के बाद में उन्नत किस्म के बीजों के बारे में और कई तरह की प्रगति हुई है लेकिन जो वारानी जमीन है, उसको सिंचित क्षेत्र में लाने के लिए कुछ नहीं हुआ। एक तरफ बाढ़ से विनाश हो रहा है और दूसरी तरफ खेत वगैर वारिश के सूखे पड़े हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने पर्यावरणों ने छेड़-छाड़ की है और जंगलों की कटाई की है और इस तरह की जितनी बातें की हैं, कहीं न कहीं हमारी योजना में मूलभूत कोई कमी रही है जिसके कारण हमारा देश इन विपदाओं की चपेट में आ रहा है। मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का दो-तिहाई भाग रेगिस्तानी भाग है और बाकी का बचा हुआ हिस्सा से एरियार्ड जोन में है। राजस्थान के अन्दर अरावली पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान के डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया को विभाजित करती है। मैं ने इस सदन के माध्यम से और प्रधान मन्त्री को भी लिख कर निवेदन किया है कि उस अरावली पर्वत श्रृंखला में तीन गेप्स हैं, जिन में दो गेप्स अजमेर के पास हैं, जिससे डेजर्ट सेमी एरिड जोन मार्च कर रहा है और वहां का डेजर्ट राजस्थान में ही नहीं बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में वह बढ़ता जा रहा है। अगर हम अरावली पर्वत श्रृंखला के उन गेप्स को बन्द नहीं करेंगे, तो बाकी का जो राजस्थान का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा का जो हिस्सा है, वह रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगा।

सभापति महोदय, आज राजस्थान में 38 लाख परिवार अकाल की चपेट में हैं और राज्य सरकार सिर्फ 13 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। मेरा कहना यह है कि अकाल से जो पीड़ित परिवार हैं, उन के कम से कम एक नहीं बल्कि दो लोगों को जब तक आप रोजगार उपलब्ध नहीं करायेंगे, तब तक हम उन लोगों को सही माइने में मदद नहीं कर पायेंगे। मैं आपसे बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप वेज कम्पोनेन्ट दे रहे हैं, उसके नाम पर जो सोच रहे हैं कि राजस्थान में अकाल पीड़ित लोगों के लिए सहायता होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। उसमें ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि मिट्टी की खुदाई का काम करवाने के बजाए आप उन परिवारों को नकद पैसा दे दें तो कम से कम आपका पैसा सरकारी मशीनरी, इंजीनियर आदि में जो पेरीफीरियल में लगता है वह बच जाएगा। यह काम तो बिल्कुल बेकार है। इस काम पर पैसा बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस लिए इस पैसे को वहां खर्च करने के बजाए आप ग्रांट दे दीजिए, नकद दे दीजिए। इससे लोगों को लाभ होने वाला है। आप इस काम पर करोड़ों रुपए खर्च करेंगे लेकिन इस अकाल की स्थिति से निपटने के लिए आप कुछ काम नहीं कर पायेंगे।

इसके साथ हो, अजमेर, जिस संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूं, में पीने का पानी चार दिन में एक बार मिलता है। कुछ पानी हैंड पम्पस से मिलता है लेकिन वे हैंड पम्प भी फरवरी और मार्च आते-आते तक सूख जाएंगे और फिर आप कहीं से भी पानी उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। क्योंकि वहां से पांच सौ किलो मीटर दूर राजस्थान कैनाल है जहां से पानी उपलब्ध हो सकता है या फिर जमुना से पानी उपलब्ध हो सकता है। जब तक गर्मियां आएं तो उसके पहले आप ट्रेन के माध्यम से अजमेर में पानी पहुंचाइये अन्यथा इन गर्मियों के अन्दर पीने के पानी का अजमेर में बिलकुल अभाव हो जाएगा।

मैं आपका ध्यान ट्रांसपोर्ट सब्सीडी की तरफ दिलाना चाहता हूं। आप इस सब्सीडी को शत-प्रतिशत कीजिए जिससे कि राजस्थान में कैटल को बचाया जा सके। पहले ही 50 प्रतिशत कैटल-पापुलेशन खत्म हो चुकी है। बहुत कम मवेशी रहे हैं। जो हाई ब्रीड मवेशी है उनको भी लोग बहुत मुश्किल से बचा पा रहे हैं। जब तक आप ट्रांसपोर्ट की सब्सीडी हण्ड्रेड परसेन्ट नहीं करेंगे तब तक राजस्थान के लोगों के लिए कैटल को बचाना बड़ा मुश्किल होगा।

इसके साथ ही गर्मियों के अन्दर जो महामारी फैलने वाली है, अभी तो सर्दी है, इसके लिए भी आप समुचित रूप से ध्यान दें कि वहां महामारी न फैले। इसी तरह से मैंने पीने के पानी के लिए भी कहा उसके लिए आप ध्यान दीजिए कि वहां पीने का पानी उपलब्ध हो सके। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : हमें भी दो मिनट बोलने के लिए दे दीजिए। जम्मू कश्मीर स्टेट से कोई नहीं बोला है। वहां के भी कुछ मसले हैं। बड़ी मेहरबानी होगी, अगर दो मिनट दे देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : : मैं यह माननीय मंत्री पर छोड़ता हूं। क्या मैं उन्हें अवसर दे दूं ?

कृषि मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : हां, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : यह समय का सवाल है। ठीक है आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल : मैं मंत्री जी का मशकूर हूं कि आपने जम्मू-कश्मीर के लिए 12 करोड़ रुपए रिलीफ रिलीज किए हैं और कोई 31 करोड़ रुपए रिलीफ के लिए आपके पास डिमाण्ड बाकी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वह रुपया भी आप जल्दी से जल्दी रिलीज कर दें। क्योंकि वहां पर ड्राउट ही नहीं, बल्कि फलड् से भी नुकसान हुआ है। रीसेंटली कोई डेढ़ महीने पहले, मेरी कांस्टीच्यूंसी में जो लद्दाख रीजन है और कश्मीर वैली के भी कुछ पहाड़ी एरियाज में स्नो फाल हुआ, बेवक्त की वहां बर्फ पड़ी। उसके पड़ने की वजह से बहुत सारे गांव अभी भी कट आफ हैं। 11-12 अक्टूबर को बर्फ गिरी थी। दो महीने होने को आए लेकिन कई गांव अभी तक कम्युनिकेशन से कटे हुए हैं। मैंने इस बात को नियम 377 में सम्बमीशन में भी कहा था और प्राईज राइज पर जो थोड़ा-सा चर्चा हुआ था, उसमें भी कहा था। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वहां पर एरियल सर्वे करा कर, हेलीकोप्टर के जरिए से या डिफेंस मिनिस्ट्री को अप्रोच कर के यह जानने की कोशिश की जाए कि ये जो 20-22 गांव हैं जिनका तकरीबन दो महीने से कम्युनिकेशन कटा हुआ है ये लोग जिन्दा हैं या मरे हुए हैं। साथ ही साथ मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि ऐसे जो एरियाज हैं उनमें एयर ड्रोपिंग्ज कराने का बन्दोबस्त करें। वहां पर फोडर भी नहीं मिल रहा है और कैटल मर रहे हैं। आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इसलिए मैं आपसे कदम उठाने की गुजारिश करता हूं।

मेरा सुझाव है कि जिस तरह से सूखाग्रस्त और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जम्मू और कश्मीर में 10 किलो राशन प्रति व्यक्ति माह राज्य-सरकार द्वारा फ्री आफ कास्ट दिया जा रहा है, उसी तरह से मेरी गुजारिश है कि वे लद्दाख के इलाके जो बर्फ से कटे हुए हैं, वहां भी इसी नियम को अपनाया जाए। मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

شری پی نام گیال (لداخ) : ہمیں بھی دو منٹ بولنے کے لئے دے دیجئے، جموں کشمیر اسٹیٹ سے کوئی نہیں بولا ہے، وہاں کے بھی کچھ مسئلے ہیں، بڑی مہربانی ہوگی اگر دو منٹ دے دیں گے

Mr. Chairman : I leave it to the hon. Minister. Shall I give him a chance ?

The Minister of Agriculture (Dr. G. S. Dhillon) : Yes, I don't mind.

Mr. Chairman : It is a question of time. All right, you can speak.

شری پی نام گیال : میں منتری جی کا مشکور ہوں کہ آپ نے جموں کشمیر کے لئے بارہ کروڑ روپے ریلیف کے لئے ریلیز کئے ہیں، اور کوئی ۱۲ کروڑ روپے ریلیف کے لئے آپ کے پاس ڈمانڈ باقی ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ روپیہ بھی آپ جلدی سے جلدی ریلیز کر دیں، کیوں کہ وہاں پر ڈراوٹ ہی نہیں بلکہ فلڈ سے بھی نقصان ہوا ہے، ریسنٹلی کوئی ڈیڑھ مہینے پہلے میری کانسٹی چیونسی میں جو لداخ ریجن ہے اور کشمیر ویلی کے بھی کچھ پہاڑی ایریاز میں سنو فال ہوا ہے یعنی وہاں برف پڑی ہے، اس کے پڑنے کی وجہ سے بہت سارے گاؤں آپس میں کٹ آف ہو گئے ہیں، ۱۱ اور ۱۲ اکتوبر کو برف گری تھی، دو مہینے ہونے کو آئے لیکن کئی گاؤں ابھی تک کمیونیکیشن سے کٹے ہوئے ہیں، میں نے اس بات کو نیم ۷۷، ۳ میں سب میشن میں بھی کہا تھا اور پرائس رائز پر جو تھوڑا سا چرچا ہوا تھا اس میں بھی کہا تھا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہاں پر ایریل سروے کرا کر ایلی کاپٹر کے ذریعے سے یا ڈیفنس منسٹری کو اپروچ کر کے یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو ۲۰-۲۲ گاؤں ہیں جن کا تقریباً دو مہینے سے کمیونیکیشن کٹا ہوا ہے یہ لوگ زندہ ہیں یا مرے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا کہ ایسے جو ایریاز ہیں ان میں ایئر ڈراپنگ کرانے کا بندوبست کریں، وہاں پر فوڈز بھی نہیں مل رہا ہے اور کیٹل مر رہے ہیں آپ ایگریکلچر منسٹر ہیں اس لئے میں آپ سے قدم اٹھانے کی گزارش کرتا ہوں۔

میرا سجھاؤ ہے کہ جس طرح سے سوکھا گرست اور باڑھ گرست کشیتروں میں جموں و کشمیر میں دس کلو پرتی ویکتی پرتی ماہ راجیہ سرکار دوارا فری آف کاسٹ دیا جا رہا ہے اس طرح سے میری گزارش ہے کہ وہ لداخ کے علاقے جو برف سے کٹے ہوئے ہیں وہاں بھی اس نیم کو اپنایا جائے، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو دھنیہ واد دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا سمے دیا۔

[अनुवाद]

श्री कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : सभापति महोदय, सबसे पहले, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आखिर आपने मुझे वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए कहा है। पूरे एक सप्ताह मैंने राज्य सभा में इसी वाद-विवाद में भाग लिया। उसके अगले ही सप्ताह आपने वह वाद-विवाद यहां रखा और मुझ से कहा गया कि यह केवल दो घण्टे के लिए था। मेरे विचार में चौथा या पांचवां दिन चल रहा है। मैं विशेषकर इस लिए आभारी हूं कि मेरे उत्तर देने का शुभ समय आया है।

बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। मैं अपने पुराने मित्र श्री दिनेश गोस्वामी को धन्यवाद देता हूं जो एक समय मेरे साथ बैठते थे विपक्ष में हैं। उन्होंने विशेष कर पूर्वी क्षेत्र के बारे में वाद-विवाद आरम्भ किया। इसके अलावा विपक्ष से श्री रगुमा रेड्डी ने दूसरी ओर सूखा-पीड़ित राज्यों की ओर से वाद-विवाद आरम्भ किया। महोदय, हमने इस पर मानसून से पूर्वा महीने में भी चर्चा की। फिर मानसून सत्र में पृष्ठभूमि बदल गई थी। जिस पर हमने पहले चर्चा की थी बाद में सारी पृष्ठभूमि बदल गई— मानसून के पश्चात् वर्षा के सम्बन्ध में हमारी सारी आकांक्षाएं गलत हुई। इस सत्र में अब, चूंकि मोनसून ससाप्त हुआ है, हमें अधिक चिन्ता है पेयजल की, निचले स्तर के भूमिगत जल की, खाली जलाशयों की और बांधों की। किन्तु वर्षा हुई और हमारी आशाएं पुन: जगीं विशेषकर कुछ राज्यों में। गोस्वामी जी का मुख्य मुद्दा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों के अतिरिक्त, असम के सम्बन्ध में था। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी जल नियंत्रण के सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेख किया जिससे वहां बार-बार बाढ़ आती है हर बार बाढ़ आने पर मैं असम जाता रहा हूं; गत वर्ष भी गया था। इस वर्ष मैं दो बार नहीं बल्कि तीन बार गया। हर बार मैंने सोचा कि यह अन्तिम बाढ़ होगी। फिर बाद में एक और बाढ़ आ गई। यह पांच चरणों में आई। हमें पहले ही तीन ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। उनमें से कुछ पर तो हमने गत वर्ष ही कार्यवाही की। मैं उसी समय वहां गया मैंने स्वयं निर्णय लिया और यह राशि 11 करोड़ या 12 करोड़ रुपये तक आयी जिसे बाद में दे दिया गया। इस वर्ष भी प्रधान मंत्री ने सीधे इस पर कार्यवाही की। ऐसा नहीं है जैसे कि प्रचलित है कि मन्त्री हर समय हर बात का विरोध करे, किन्तु मैं पूरी तरह समझता हूं कि उस क्षेत्र में वास्तविक संकट है। इसके प्रति मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूं। जब मैं ब्रह्मपुत्र के ऊपर से विमान में जा रहा था तो सड़कें बन्द थीं। प्रधान मंत्री भी वहां जाना चाहते थे परन्तु सड़कें बन्द थीं। वह सड़क से जाकर उस क्षेत्र को देखना चाहते थे। किन्तु मैंने वह क्षेत्र विमान से और सड़क से भी देखा। जैसे कि श्री दिनेश गोस्वामी ने कहा, मेरा विचार यह था कि यदि हमने यह बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम थोड़ा पहले आरम्भ किया होता, तो अभी तक हमने स्थिति में सुधार और नियंत्रण किया होता। सारी तबाही इन सहायक नदियों के कारण होती है। मैंने देखा कि सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही थीं। इन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी। मुझे सब से पहले यह विचार आया कि यदि हमने प्रयत्न किया होता और व्यवस्था की होती तो बाढ़ का नियंत्रण हो सकता था। हमारे यहां ब्रह्मपुत्र नियंत्रण बोर्ड है। उन्होंने पहले ही बाढ़ नियन्त्रण के लिए जल योजना तैयार की है। मुझे कहना चाहिए कि माननीयसदस्य द्वारा उठाए गए बहुत से मुद्दे या तो जल संसाधन मंत्रालय से अथवा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय अथवा पर्यावरण और वन मंत्रालय और कुछ मेरे मंत्रालय से सम्बद्ध हैं। इस सदन के अध्यक्ष के रूप में मुझ से मुद्दों की संबद्धता को समझने की बुरी आदत पड़ गई— मेरे पुराने मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी दूसरी ओर बैठे हैं। मैंने इसे भुलाने का प्रयास किया है। परन्तु बारह वर्ष के

पश्चात भी यह आदत बनी हुई है। मैं देखता हूं कि बहुत से मुद्दे मेरे मंत्रालय से नहीं पर अन्य दूसरे मंत्रालयों से सम्बद्ध थे।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस चर्चा से संबद्ध सभी मंत्री उपस्थित होने चाहिएं। मेरी चर्चा कृषि मंत्रालय पर आधारित नहीं थी। अत: वह सभी मंत्री जो इस समस्या से सम्बद्ध हैं उपस्थित होने चाहिएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : प्रधान मंत्री उपस्थित होने चाहिएं।

श्री दिनेश गोस्वामी : प्रधान मन्त्री उपस्थित होने चाहिएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा। इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : इस तर्क का कोई महत्व नहीं है।

डा० जी० एस० ढिल्लों : जो आप अब कह रहे हैं वह मेरे साथ भी हुआ है। मेरी अपनी राय यह है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप वह मुद्दा कब उठाना चाहते हैं जो अन्य मंत्रालय से सम्बद्ध है, आपको इसकी एक प्रति दूसरे मंत्रालय को भी भेजनी चाहिए। आप केवल कृषि मंत्री को सम्बोधित करते हैं, अत: कृषि मंत्री यहां उपस्थित हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : मेरी सूचना कृषि मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री दोनों के लिए थी।

श्री जी० एस० ढिल्लो : खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के अतिरिक्त आपको पर्यावरण और वन मंत्री को भी सम्बोधित करना चाहिए था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक गम्भीर प्रश्न है। माननीय सदस्य हमारे अध्यक्ष थे। संयुक्त (मिली-जुली) मंत्रिमण्डल की जिम्मेदारी भी तो है। अत: माननीय मंत्री को सभी मंत्रियों के विचार बताने की स्थिति में होना चाहिए क्योंकि वह मंत्रिमण्डल की जिम्मेदारी होगी। अत: हम डा० ढिल्लों की कठिनाई समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे वाद-विवाद के दौरान बैठने की कृपा की है। किन्तु आप के साथियों के बारे में आपका क्या विचार है? क्या उनकी आप के प्रति अथवा मंत्री मण्डल अथवा इस सदन के प्रति कोई जिम्मेदारी है? उन्हें बचाने का प्रयत्न मत कीजिए। आप उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री जी० एस० ढिल्लो : समस्त मन्त्रिमण्डल यहां उपस्थित नहीं हो सकता।

परन्तु केबिनेट मन्त्री जिनके साथ आप सम्पर्क में हैं, उन्हें आप अपना नोटिस भेज सकते हैं। वह यहां होंगे।

(व्यवधान)

श्री चटर्जी, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और फिर भी आप इस पर जोर दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें से वकील का हिस्सा निकाल देना चाहिए। यह एक व्यावहारिक बात है। कितने मंत्री यहां बैठ सकते हैं? आप कहते है कि वह पूरी तरह से मंत्रिमण्डल की जिम्मेदारी है।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : अब हमें उन्हें सुनना चाहिए।

डा० जी० एस० ढिल्लों : यह पहले ही भेजा जा चुका है। यह परियोजना और रिपोर्ट विचाराधीन इसके अतिरिक्त अल्पावधि उपाय जैसे तटबंध का निर्माण, निकास नालियों, और संरक्षण निर्माण कार्य हाथ में लिए गए हैं। आपने दो परियोजनाओं के बारे में उल्लेख किया है—एक रिहन्द परियोजना के बारे में है और दूसरी तीस्ता के बारे में है। आपने यह भी उल्लेख किया है कि एक 40 प्रतिशत तक और दूसरी 7 प्रतिशत तक पूरी की जा सकती है। यह विचार हम मंत्रालय को जांच के लिए भेज सकते हैं। परन्तु इस पर जोर देने का एक मात्र उद्देश्य यह था कि उन्हें शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए; इनके क्रियान्वयन में कोई विलम्ब न हो। हम अपने मंत्रालय की ओर से इस मामले को जल संसाधन मंत्रालय के नोटिस में ला सकते हैं।

श्री पीयूष तिरकी : तीस्ता बांध के बारे में क्या किया है ?

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं इसकी बात बाद में करूंगा। मेरे पास तीस्ता पर एक नोट है। मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कई मुद्दों को बहुत धीरज से सुना है और उन्हें मुझे भी सुनना चाहिए···(**व्यवधान**) आपने कहा था कि असम को कोई चिकित्सा सहायक नहीं दी गई। 11.27 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है और उसमें से 50 लाख रुपये चिकित्सा सम्बन्धी देखभाल के लिए रखे गए हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : यह बहुत थोड़ी राशि है।

डा० जी० एस० ढिल्लों : समेकित जल संसाधन प्रबन्ध के बारे में कुछ सुझाव हैं। मैंने इस इस पर ध्यान दिया है। हम इसे सम्बन्धित मंत्रालय को भेज देंगे और बाद में इसे जारी रखेंगे क्योंकि यह हमारे मंत्रालय से भी बहुत सम्बद्ध है।

फिर एक माननीय सदस्य ने जोकि आंध्र प्रदेश से हैं तापीय परमाणु आदि से प्राप्त विद्युत की कमी के बारे में प्रश्न उठाया है। मैं समझता हूं कि यह बात सूखे पर वाद-विवाद से नहीं जुड़ी है। खैर हम इसे ऊर्जा मंत्रालय के पास भेज देंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा नोटिस जल संसाधन मंत्री के लिए था। चर्चा के लिए मेरा विषय था "प्राकृतिक आपदायें विशेष रूप से सूखा, बाढ़, और तूफान से उत्पन्न स्थिति···"। यदि वास्तव में माननीय मन्त्री को इस विषय पर बात नहीं करनी थी तो उन्हें यहां नहीं आना चाहिए था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इससे सम्बद्ध कौन सा ठीक मन्त्री है ?

श्री दिनेश गोस्वामी : आखिर इस विषय पर पहली बार चर्चा नहीं हो रही है। जैसे कि माननीय मंत्री ने शुरूआत की है हमने इस विषय पर पिछले सत्र में चर्चा की थी। बार-बार ये मुद्दे उठाये गये। आपको तैयारी करके आना चाहिए था। यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि इसे उस मंत्रालय के पास भेज दिया जायेगा और किसी अन्य मंत्रालय के पास भेज दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि जल संसाधन मंत्रालय के पास इस कार्य का प्रभार है।

(व्यवधान)

डा० जी० एस० ढिल्लों : जहां तक ऊर्जा के प्रश्न की बात है—परमाणु विद्युत आदि—यह मेरा विषय नहीं है, नहीं यह यहां इस वाद-विवाद का हिस्सा हो सकता है।

(व्यवधान)

दिनेश गोस्वामी : आखिर इस वाद-विवाद का क्या फायदा है ?

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : यह केवल विद्युत की कमी से ही सम्बन्धित नहीं है। परन्तु मैंने राज्य सरकारों की समस्याओं के अनुसार आपके मन्त्रालय और अन्य मंत्रालयों से सम्बन्धित मुद्दों का उल्लेख किया है।

(व्यवधान)

डा० जी० एस० ढिल्लों : जहां तक बिजली की कमी का प्रश्न है आप सम्बद्ध मंत्रालय से कहें कि सूखे के समय में बिजली की कमी नही होनी चाहिए। उन्होने हमें आश्वासन किया है कि विद्युत के इतने घंटे नियत किए जाएंगे। परन्तु वे परमाणु विद्युत और अन्य मामलों के बारे में क्या कहते हैं कम से कम मेरी अपने मन्त्रालय में कोई जान-पहचान नहीं है। मैं केवल उन्हें आगे भेज सकता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस तरह यह सरकार कार्य कर रही है। **(व्यवधान)**

डा० जी० एस० ढिल्लों : दूसरा मुद्दा यह उठाया गया था कि यदि राज्य लगातार सूखे और बाढ़ से प्रभावित होते हैं तो वित्त आयोग ने उन्हें शत-प्रतिशत अनुदान देने की सिफारिश की थी। आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के पैरा 11·10 में कुछ राज्य सरकारों के विचार व्यक्त किए गए हैं कि केन्द्रीय सहायता केवल गैर-योजना अनुदान के रूप में शत-प्रतिशत दी जानी चाहिए। अपनी अन्तिम रिपोर्ट में आयोग ने बाढ़, तूफान और अन्य इसी तरह की आपदाओं में गैर योजना अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता देने की सिफारिश की है जो कि राज्य की योजना में और राज्य योजना के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त सीमांत धन के कुल व्यय के 75 प्रतिशत राशि में से समायोजित नहीं की जाएगी।

पहले मैंने उन मुद्दों को लिया है जो अन्य स्रोतों से सम्बद्ध हैं तथा जहां से मुझे जानकारी लेनी है। अब मैं अन्य मुद्दों की बात करता हूं।

कोई मुद्दा मवेशियों के बारे में उठाया गया था—यह मुद्दा दूसरे सदन में भी उठाया गया था—कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जान और माल तथा पशुओं का नुकसान हुआ था। गुजरात और राजस्थान के मामले में मैंने व्यक्तिगत रूप से दौरा किया है मेरी यह जानकारी, कि कोई मवेशी नहीं मरा है राज्य द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित थी। हमारा इसके अलावा अन्य कोई स्रोत नहीं है। जब यह बात फिर उठायी गई तो मुख्य मन्त्री ने यह बात दोहराई कि मवेशियों के मरने की कोई भी रिपोर्ट नहीं है परन्तु फिर भी दूसरे सदन में कुछ सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि कुछ मवेशी मरे हैं और इस सम्बन्ध में पोस्टर भी प्रचारित किया गया था मैं इस संगठन में गया था जिसने यह जारी किया था—साबरमती के निकट कच्छ में सत्सेवा संघ। मैंने उनसे पूछा था "क्या किसी मवेशी की मृत्यु हुई है ?" और उन्होंने इससे इन्कार कर किया। मैंने उस संगठन और कई अन्य स्वैच्छिक/स्वयंसेवी संगठनों के कार्य की भी खुलेआम प्रशसा की है। मैं आपको पुनः आश्वासन दे सकता हूँ कि यदि राज्य सही आंकड़े नहीं दे रहा है या उनकी सूचना विश्वस्त नहीं है तो मैं इसे अपने स्रोतों से पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। इस संगठन और कुछ मारवाड़ी तथा कई अन्य संगठनों ने अच्छा कार्य किया है। मेरी सूचना ताजी जानकारी पर आधारित है। मेरे मित्र श्री भज्जनलाल और हम कुछ लोग भुज में थे। हम वहां गये और कहा, "यदि कोई मवेशी मरा है तो हमें दिखाइए।" उन्होंने कहा था कि कोई भी मवेशी नहीं मरा है। वस्तुतः उनके अच्छे कार्य के लिए मैं उनकी किसी अच्छे सेवा

पुरस्कार को देने के लिए सिफारिश करने हेतु सोच रहा था। अब मैंने उसी स्रोत से जिसने इसे छापा था जानकारी हासिल करने की कोशिश की : "आपने हमें उस समय नहीं बताया; हम कुछ अधिकारियों को भेज रहे हैं और हम कुछ गैर अधिकारियों को भी भेज सकते हैं; कृपया हमें बतायें कहां से इसकी पुष्टि की जाये।" परन्तु उन्होंने अब तक हमें नहीं बताया है। मेरे सहयोगी श्री मकवाना उसी राज्य से हैं और मैंने उनसे अपने स्रोतों से यह पता लगाने के लिए पूछा है कि क्या यह सच है।

जैसे कि आपको पता है कई सदस्यों ने कहा था कि उनके राज्यों को आबंटित धनराशियां पर्याप्त नहीं है। इस प्रक्रिया को हम बार-बार अप्रैल सत्र में और पुन: मानसून सत्र में दोहरा रहे हैं। प्रक्रिया बहुत अधिक नियोजित है यह किसी मंत्री के विवेक पर या एक अकेले व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है। एक अन्तर मन्त्रालय दल भेजा गया था। अब हमने वह समय निर्धारित कर लिया है। जितनी जल्दी राज्य ज्ञापन पत्र भेजते हैं उनके लिए हमने एक समय सीमा निर्धारित की है कि 30 दिनों के अन्दर वहां दल को दौरा करना चाहिए। यदि किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो यह उस राज्य से मंजूरी में विलंब के कारण है। हमने उन्हें बताया, "हमने दल नियुक्त कर दिया है; क्या आप इसकी अगुवाई करने के लिए तैयार हैं ?" उन्होंने हमें बताया, हम अमुक तारीख को उनकी अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। दल के रिपोर्ट देने की अवधि में हमने यह बात निर्धारित की है कि एक महीने में सभी कुछ स्वीकृत कर दिया जाना चाहिए अधिकांश माननीय सदस्यों ने कहा था कि दल ने इतनी अधिक सिफारिश की है। आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट से पहले केन्द्र की राज्य के संसाधनों को बढ़ाने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। यह पूरी तरह से राज्य की जिम्मेदारी थी और यह अभी तक उनसे संबंधित है। यह केवल आयोग की इच्छाओं के विपरीत बात थी कि हमने यह पता लगाने की प्रक्रिया की शुरूआत की कि उनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए केन्द्र से कितनी उपयुक्त सहायता दी जानी चाहिए। अब यह दल जाता है; वे तैयार होकर आते हैं; वे अपने अधिकारियों और लोगों से परामर्श करते हैं; और फिर वे आते हैं और रिपोर्ट पेश करते हैं। रिपोर्ट राहत पर उच्च स्तरीय समिति जिसे एच० एल० सी० आर० कहते हैं के पास जाती है। वहां योजना आयोग के और वित्त मन्त्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। वे उस कुल आबंटित राशि को अन्तिम रूप देते हैं जो अन्तत: वित्त मन्त्रालय द्वारा मंजूर की जानी है। यही प्रक्रिया है।

मुझे अहाते में जाने में कठिनाई होती है। वे कहते हैं। "आपने क्या कार्य किया है ?" जब मैं उन्हें बताता हूं कि मैं एक असहाय व्यक्ति हूं और मध्यस्थ तो दल है और अन्तिम रूप से निर्णय वित्त मन्त्रालय करता है तो शायद वे इसे स्वीकार करने के अनिच्छुक लगते हैं। यही एकमात्र समस्या है। जब आप संसद सदस्य या एक मन्त्री होते हैं तो लोग सोचते हैं कि आपके पास सभी शक्तियां हैं। और हमें यद्यपि हमेशा नहीं अपितु कभी-कभी झूठ बोलना पड़ता है।

महोदय, गुजरात और राजस्थान के लिए पीने के पानी के संबंध में हम पहले ही एक राज्य को 14 करोड़ रुपये और दूसरे को 12 करोड़ रुपये आबंटित कर चुके हैं। पीने के पानी के लिए अपने प्रौद्योगिकी मिशन के जरिए हमने पहले ही लगभग दो लाख गांवों को शामिल कर लिया है। आपने देखा होगा यह मिशन, उप-मिशन और फिर लघु-मिशनों के जरिए काम करते हैं। यह काफी फैला है। जो सफलता हमें मिली वह काफी शानदार है। यदि कोई सूखा नहीं पड़ता तो हमने कार्यक्रम पूरी तरह से नियंत्रित कर लिए होते; हमने अधिकांश गांव अगले छह महीनों से एक वर्ष में शामिल

[डा० जी० एस० ढिल्लों]

कर लिए होते। अब मैं समझता हूं पूरे कार्यक्रम लगभग दो या तीन वर्ष अधिक लेंगे। यह मेरे विचार से एक दूरदर्शी विचार है।

जहां तक चार संबंधी राज सहायता की बात है हमारी चारे की बहुत गम्भीर समस्या है। जब मैंने दूसरी बार जोधपुर का दौरा किया और पुनः बाड़मेर गया तो श्री वृद्धिचन्द्र जैन और महोदया जो कच्छ से तथा बोले थे; मेरे साथ थे, उस समय बहुत-सी स्वैच्छिक संगठन कार्यरत थे और मैंने स्वयं पाया कि 3 रुपए प्रति मवेशी की दर से जो धन दिया जाता था वह पर्याप्त नहीं था। निःसंदेह गुजरात सरकार इसे और कारगर करने के वास्ते 50 पैसे और दे रही थी।

जब मैंने जोधपुर मवेशी शिविर में एक शिविर का दौरा किया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें 2 रुपये का भुगतान किया जाता है। उस विधान सभा के एक माननीय सदस्य, बहस करने लगे और कहा कि आप केवल 2 रुपये का भुगतान कर रहे हैं और मैंने कहा कि शायद मैंने गलत किया परंतु गुजरात में मैंने जब 3 रुपये कहा था तो मैं ठीक था। मैं जोधपुर में गलत कैसे हो सकता था? फिर तत्काल मैंने पाया कि हम उन्हें 3 रुपये का भुगतान कर रहे थे। फिर मैंने सिफारिश की कि 3 रुपये काफी कम हैं।

(व्यवधान)

क्या आप इन्तजार कर सकते हैं? आपने काफी बोल लिया है; आप अध्यक्ष पीठ द्वारा भी नियंत्रित नहीं हो सकते हैं। मैं आपको एक अच्छी खबर दे रहा हूं, कृपया मुझे सुनें। मैं, जबकि एक महिला बोल रही हों नीचे नहीं बैठ सकता हूं, मैं जब गोस्वामी जी बोल रहे हों तो बैठ सकता हूं।

हमने जैसलमेर, कच्छ, बाड़मेर जिलों के लिए शायद 5 रुपये निर्धारित किये हैं। हमने इस राशि में वृद्धि कर दी है। क्या अब आप खुश हैं?

हम राजस्थान के चार जिलों को गंभीर रूप से प्रभावित जिले घोषित करने के लिए भी और उनसे एक अलग तरह से निपटने के लिए सोच रहे हैं। हमें पता चला है कि जब हम किसी राज्य को कुछ धन आबंटित करते हैं तो इसे हम राज्य स्तर पर देते हैं। मुझे यह वास्तव में पता चला था। मुझे खेद है यदि कुछ माननीय सदस्य इसे गलत समझें कि कुछ जिले जोकि प्रभावित नहीं हुए थे, उन्हें इसकी प्राप्ति हुई; वास्तविक जिले जिन्हें काफी नुकसान हुआ उन्हें यह नहीं मिला; उनका हिस्सा घट गय था और जिन जिलों को यह नहीं चाहिए था। उन्हें अधिक मिला।

यह बहुत असंगत बात थी।

अब हम एक निर्णय पर पहुंचे हैं। हमारे यहां एक श्रेणी सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित जिलों की है। चार गुजरात में हैं—कच्छ, बनासकंठा, मेहसाना का एक भाग। जामनगर और एक अन्य जिले का एक भाग। राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, नागौड़ का एक हिस्सा, जालोर का एक भाग और जोधपुर का एक भाग; शायद समस्त जोधपुर। परन्तु मुझे याद था कि हमने केवल गंभीर रूप से प्रभावित जिलों की सिफारिश की। और यदि हमारे पास थोड़ी अधिक आबंटित राशि होती तो इसमें कम प्रभावित क्षेत्र भी आ जाते। इसके बारे में हम पहले ही फैसला कर चुके हैं।

परन्तु जब मैं उड़ीसा में गया—यद्यपि मैं हर जगह न जा सका, क्योंकि यह असम्भव

था—मेरा विचार यह है कि कालाहांडी, कोरापुट, गंजम और फुलबनी सबसे गम्भीर रूप से प्रभावित क्षेत्र है यद्यपि उस तरह नहीं जैसे कि राजस्थान या गुजरात है। मेरी राय में उनकी स्थिति बहुत दयनीय है।

हमने इन जिलों की अपने सहयोगियों से भी चर्चा की है और मैं उनके पक्ष में कुछ अधिक संतोषजनक फैसला लेकर आऊंगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने नदी जल-प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में कुछ चर्चा की थी—कोसी के बारे में, महानदी के बारे में आदि। इसके बारे में एकमात्र समस्या यह है कि हमारा काफी समय से विचार-विमर्श चल रहे हैं परन्तु कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा है।

परिणाम यह हुआ है कि इन नदियों कोसी और अन्य नदियों में अधिक पानी आने से गाद जम रहा है। उनका जल स्तर अधिक होने से पानी बढ़ रहा है। हम दिल से चाहते हैं कि नेपाली लोग हमारी समस्याओं को समझें। वे हमारे पड़ोसी हैं। हम उनसे भी मानवीय रवैये की आशा करते हैं। वे हमारे भाई समान हैं। जो हमारा दुःख है वह उनका दुःख भी होना चाहिए।

हम इसे बहुत गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं। मेरे ख्याल से आगामी नई परियोजनाओं—हो सकता है वे हमारी हों—से परेशानियों में काफी कमी आए।

श्री अमर राय प्रधान ने एक प्रश्न उठाया था कि गंगा और कावेरी को जोड़ दिया जाए।

श्री अमरराय प्रधान (कूच बिहार) : मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल इन तीन राज्यों की तीन नदियों के लिए एक आयोग बनाया जाना चाहिए।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं इस बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। महोदय, जब डा० राव ने इस बारे में कहा था तो उस समय मैं पीठासीन था। वह केबिनेट मंत्री थे और मैं अध्यक्ष था। वह बहुत गम्भीर तथा योग्य व्यक्ति थे। इन दो नदियों को जोड़ने और उससे राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ावा देने का विचार जब उन्होंने व्यक्त किया तो हम बहुत उत्तेजित हो गए थे और सदन ने इस विचार पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की थी। बाद में उनके जीवन काल के दौरान ही और मेरे विचार से जब वह सिंचाई मंत्री थे तो हमें बताया गया था कि प्राक्कलन में इतनी अधिक लिफ्ट स्कीम और इतने अधिक चट्टानी क्षेत्र आदि हैं कि इसका खर्च अनेक बिलियन रुपए में आएगा और सालों साल लगेंगे।

महोदय, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों की तीसरी पीढ़ी 'चैनेल टनेल' के अन्तर्गत इसका निर्माण कर रही है। वे प्राय: एक शताब्दी से अधिक समय से इस पर चर्चा कर रहे थे और अब जाकर इसे कार्य रूप दिया गया है। इसलिए अगर हमें संसाधन मिल भी गए तो भी अपने जीवन काल के दौरान हम केवल इसका उद्घाटन समारोह ही देख पायेंगे और हमारी अगली पीढ़ी इसके निर्माण का एक अंश देख पाएगी। संभवत: तीसरी और चौथी पीढ़ी इसे पूरा होते देखे। यह इतनी जानकारी बड़ी परियोजना है। यह बहुत प्रशंसनीय परियोजना है। बशर्ते कि भावी पीढ़ी इसके लिए संसाधन जुटा सके। इसे निष्ठापूर्वक पूरा करने की इच्छा रखें। कम से कम मेरी पीढ़ी तो मात्र कुछ साल और ही जी पाएगी। प्रो० दंडवते यह मैं आप पर लागू नहीं कर रहा। आप मेरे बाद कुछ साल और जीएंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : 'शून्य काल' जिस दर से होता है उससे तो हम समय से पहले ही गुजर जाएंगे।

डा० जी० एस० ढिल्लों : महोदय, इस "शून्य काल" के बारे में एक बढ़िया चर्चा हुई थी कि इस 12 बजे को 'म० पू०' कहा जाए या 'म० प०'। आपने इस बारे में अखबारों में भी पढ़ा होगा। मेरे ख्याल से अगर आप इस 'शून्य काल' को मध्य रात्रि 'शून्य काल' में परिवर्तन कर दें जैसा कि ब्रिटेन में है तो हम बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे ख्याल से मन्त्रिगणों पर 'शून्य काल' की प्रतिक्रिया यह होगी कि वे सोयेंगे अधिक।

डा० जी० एस० ढिल्लों : जी नहीं। उनका सत्र आमतौर पर रात में होता है। यह तो हमारा ही देश है जहां हम दिन में बैठते हैं। वह अपना काम करते हैं और उसके बाद 4 बजे संसद में आते हैं। उनके पास अपने बिस्तरे तथा कमरे भी होते हैं।

श्री विनेश गोस्वामी : उनके पास और भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास इस सदन में नहीं है।

श्री जी० एस० ढिल्लों : अन्य चीजें सदस्य पर निर्भर करती हैं। हमारी संसद में भी कुछ सदस्यों के पास कुछ चीजें होंगी पर सदन के अन्दर वे वांछनीय नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हो सकता है।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मुझे याद है कि प्रो० दंडवते वहां बैठा करते थे। वह 11 बजे तक बैठे रहते थे। मैं अध्यक्ष की हैसियत से उनसे पूछता था : क्या आप हेकड़ी दिखा रहे है ? वह कहते थे, "जी हां, महोदय। मेरी बारी है।" मेरे ख्याल हैं भगवान माफ करें, हमें इस सीमा तक नहीं बढ़ना चाहिए।

महोदय, सामग्री मजूरी आदि के बारे में मुद्दा उठाया गया था। पहले हम केवल 75% मजूरी देते थे और 25 प्रतिशत सामग्री की जिम्मेदारी राज्य सरकार वहन करती थी। सदस्यों का कहना है कि 25 प्रतिशत सामग्री का वहन भी हमें करना चाहिए। हम वैसा भी शत-प्रतिशत कर चुके हैं। 75 प्रतिशत के बजाय अब हम शत प्रतिशत मजूरी दे रहे हैं। अगर राज्यों पर दबाव है तो इसका कितना अंश सामग्री के रूप में होना चाहिए। क्या आप हमसे यह आशा करते हैं कि हम 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दें। और सामग्री की सीमा केन्द्र सरकार के संसाधनों से अधिक कर दें। वैसे भी राज्य सरकारें किस लिए हैं ? उनकी जिम्मेवारी का निवाह हम कर रहे हैं। उन्हें भी आगे आना चाहिए। चारे के मामले में भी हम बाहर से आने वाले चारे पर 75 प्रतिशत राज सहायता और उसके आन्तरिक आवागमन पर 30 प्रतिशत राज सहायता देते हैं। कुछ महीने हमने शत-प्रतिशत देने की कोशिश की। इस बारे में हमें हाल ही में घोटाला शुरू हो गया। और उस पर आप कहते हैं है कि राज्यों की कुछ जिम्मेवारी निर्धारित की जाए। उन्हें कम से कम इतना सतर्क तो होना चाहिए कि लेखाओं पर निगरानी रखी जाए। अन्यथा शत-प्रतिशत सही है क्योंकि उन्हें स्वयं तो कुछ देना नहीं।

अगर उन्हें अपनी जेब से कुछ देना पड़े तो वह उसके लिए जिम्मेवार होंगे। अभी हम 75 प्रतिशत देते हैं तो वे शत-प्रतिशत के लिए कहते हैं। हम ऐसा कर सकते थे अगर उचित निगरानी आदि की कुछ गारन्टी होती। मैंने जो कुछ बताया वह मुझ तक या मेरे मन्त्रालय तक सीमित रहना चाहिए था पर मैंने सन्तुष्टि कराने के लिए बताया कि ये हमारी आशंकाएं थीं। इसीलिए हमने ऐसा

किया । सूखे से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए इस सामग्री योजना को लागू किया है। राजस्थान के राज्यपाल कार्यकारी राज्यपाल है लेकिन वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा था। मैंने उन्हें कहा कि शत-प्रतिशत और 75 प्रतिशत के फार्मूले का निर्णय एक पक्षीय नहीं है बल्कि पारस्परिक सहमति से लिया गया निर्णय है।

श्री रायप्रधान ने पश्चिम बंगाल के बारे में बहुत नाजुक बात कही है। मैं इस मामले पर चर्चा नहीं करना चाहता। आपके मुख्यमन्त्री जब कांग्रेस में थे तो अच्छे मित्र हुआ करते थे। लेकिन अब एक सज्जन की, जो कभी मित्र हुआ करते थे आलोचना करना बहुत दुखःदायी बात है। बहरहाल आपने यह मुद्दा उठाया है। इसलिए मैं आपको यह तथ्य बता रहा हूं। जब हमने 67 27 करोड़ रुपये गिने तो वह 23 करोड़ की सीमांत धनराशि के आधार पर गिने थे। हर गणना के समय उसका हमेशा हिसाब रखा जाता है। इसके बाद 75 प्रतिशत गैर-योजना अनुदान के बारे में वित्त मन्त्रालय ने मुझे बताया है कि यह 33 करोड़ रुपये बनते हैं। इसमें से 24 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं और शेष धनराशि को अभी जारी किया जाना है। यह अन्तिम नहीं है।

श्री अमर रायप्रधान : प्रधानमन्त्री जी ने फरक्का में कहा था कि उन्होंने 70 करोड़ रुपये जारी किए हैं। लेकिन सरकार ने उस पैसे का दुरुपयोग किया है।

डा० जी० एस० ढिल्लों : राय प्रधान जी आप जिस तरह चाहे मुझसे लड़ सकते हैं पर महिला के साथ तो मत लड़िए।

श्री अमर राय प्रधान : महिला को भी तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह 23 करोड़ रुपये तो सीमान्त धनराशि है। इसमें से राज्य सरकार को 50 प्रतिशत मिला है। आप जानते हैं कि···

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं आपको पूरा विवरण और हिसाब-किताब दूंगा। अब प्रधान मंत्री जी ने 16 तारीख को पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और वास्तव में लेखे का विवरण 20 का था। हम सारा समय पश्चिम बंगाल सरकार से लेखाओं की मांग करते रहे। मैंने पूछा था "अगर 20 तक की नहीं है तो अब तक की क्या स्थिति है।" हमें जवाब अभी तक नहीं मिला है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, सड़कों की मरम्मत नहीं हो जाती, इमारतें नहीं बन जाती तब तक लेखे कैसे दिए जा सकते हैं?

(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : समस्त लेखाओं को प्राप्त करने का सवाल नहीं है। आप व्यय का विवरण दे सकते है और धनराशि जारी हो जाएगी। स्थिति यह है।

डा० जी एस० ढिल्लों : हम इस बारे में संवेदनशील नहीं हैं। हम केवल यह तसल्ली करना चाहते हैं कि धनराशि को खर्च किया गया है। हमारा बहुत बुरा अनुभव है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या राज्य को खैरात दी गई है। क्या पश्चिम बंगाल की जनता भारत की जनता नहीं है?

डा० जी० एस० ढिल्लों : हम सभी राज्यों के लिए हैं···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधान मन्त्री जी लालीपाप देते हैं। फिर भी लोग लेने से इन्कार कर देते हैं। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जाधवपुर) : वे केन्द्रीय सरकार को व्यय का लेखा नहीं दे रहे हैं। केन्द्रीय सरकार लेखाओं की मांग कर रही है। उन्हें देना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मन्त्री नहीं हैं। आप सदस्य हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मुझे अभी-अभी जानकारी प्राप्त हुई है। जानकारी 31 अक्तूबर, 1987 तक की है। उनका व्यय 19·85 करोड़ रुपए है। ऐसा पश्चिम बंगाल में ही नहीं है बल्कि दूसरे राज्यों के साथ भी यही समस्या है। चाहे वहां कांग्रेस की सरकार हो या गैर-कांग्रेसी। इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने प्रश्न पूछा था इसलिए मैंने बड़ी अनिच्छा पूर्वक इसका उल्लेख किया है। (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैंने कटाव का प्रश्न उठाया था जिसका इस मंत्रालय से सीधा संबंध है। मैंने कहा था कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में बहने वाले पानी के कारण भूमि के बड़े-बड़े टुकड़े बह रहे हैं। कृषि भूमि बह गई है। अगर आप इसका जवाब नहीं दे सकते तो कृपया कम से कम इसे जल संसाधन मंत्री तक पहुंचा दीजिए? डा० जी० एस० ढिल्लों मैं आगे पहुंचा दूंगा ताकि मैं सुरक्षित जगह पर खड़ा रह सकूं। केरल से माननीय सदस्य श्री विजय राघवन ने कहा था कि केरल को अधिक धनराशि मिलनी चाहिए। हम केरल के लिए धन दे रहे हैं। श्री नयनार यहां आए थे बहुत साल पहले इस संसद में वह मेरे मित्र थे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि हमने उन्हें श्री करुणाकरन से अधिक धनराशि दी है। मगर यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है हमने यह देखा है कि अगर मकान बनाने के लिए जमीन ली गई है तो उसे स्कूल जैसे अन्य कार्यों पर खर्च किया गया है। चाहे पिछली सरकार हो या वर्तमान हमने उनका ध्यान इस ओर दिलाया। आपको पैसा मिला है लेकिन निर्धारित लक्ष्यों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर सूखा-पीड़ित क्षेत्रों के लिए निर्धारित धनराशि अस्पतालों पर खर्च की जाती है तो हम इस बात को मंजूर नहीं करेंगे।

5.00 म० प०

लगभग एक महीने पहले मैं हैदराबाद में था और कृषि विश्वविद्यालय में मैंने सामान्य तौर पर जिक्र किया था जहां वे सब एक सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनके कार्य निष्पादन से यह अनुभव करता हूं कि धन का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया गया है। एक टीका-टिप्पणी में मैंने यह भी कहा था कि अन्य राज्यों की भांति आन्ध्र प्रदेश भी इसका अपवाद नहीं है। अगले दिन प्रैस वालों ने मुझसे यह पूछा कि क्या केवल आन्ध्र प्रदेश में ऐसा है। मैंने कहा नहीं अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) परन्तु प्रैस में यह उल्लेख किया गया कि इसका सम्बन्ध केवल आन्ध्र-प्रदेश से है।

डा० जी० एस० ढिल्लों : पहले दिन भी ऐसा ही हुआ था। अब मैं समझता हूं कि आप प्रैस वालों को मेरे पीछे भेजते हैं।

अब मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए बहुत से मुद्दों का उत्तर देने का प्रयास किया है ?

(व्यवधान)

श्री पीयूष तिरकी : तीस्ता परियोजना के बारे में क्या किया गया है ?

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैंने अभी अपना भाषण समाप्त नहीं किया है।

श्री आर० जीवा रथिनम (आर्कोनम) : तमिलनाडु के बारे में क्या किया गया है। कितनी सहायता के लिए कहा गया था, और आपने कितनी सहायता प्रदान की है ?

डा० जी० एस० ढिल्लों : अब आपका प्रत्याशित प्रश्न तीस्ता के बारे में है राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की योजना बनाई जाती है उनके लिए धन की व्यवस्था की जाती है और उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। फिर भी अलग-अलग स्थितियों के आधार पर भारत सरकार कभी-कभी अतिरिक्त सहायता देने के बारे में विचार करती है। तीस्ता नदी जो बंगला देश में नीचे की ओर बहती है। पर तीस्ता सिंचाई परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1983-84 के लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया था और 5 करोड़ रुपए की सहायता की स्वीकृति, 28 करोड़ रुपये के अतिरिक्त की गई जिन्हें राज्य सरकार द्वारा यह समझौते हुए खर्च करना था कि वर्ष के दौरान कुल खर्च 33 करोड़ रुपये होगा परन्तु वास्तविक व्यय केवल 25·52 करोड़ रुपये हुआ, जिसका अर्थ है कि राज्य सरकार योजना में अपने संसाधनों से निर्धारित राशि से भी कम धनराशि व्यय की। वर्ष 1985-86 में राज्य सरकार ने आरम्भ में 18 करोड़ रुपये की सहायता के लिए अनुरोध किया था परन्तु बाद में इसे घटाकर 9 करोड़ रुपये कर दिया गया। भारत सरकार ने यह अनुभव किया कि जब राज्य सरकार परियोजना के लिए नियत राशि से कम राशि व्यय कर रही है तो प्रथम वर्ष में ही ऐसी विशेष सहायता की व्यवस्था करना भारत सरकार के लिए कठिन होगा। राज्य सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने पर 1986-87 के दौरान 15 करोड़ रुपये की एक अग्रिम योजना सहायता दी गई थी परन्तु बाद में केवल 10 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

मैंने सोचा कि मुझे यह सूचना सदन को देनी चाहिए।

श्री पीयूष तिरकी : राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से कितनी राशि खर्च की है ?

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैंने प्रत्येक बात को स्पष्ट कर दिया है और आपकी जांच के लिए बाकी कुछ नहीं है बस मुझे यही कहना है।

किसानों के लिए ऋणों को उपलब्ध कराने के उपयुक्त होने के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। इस उद्देश्य के लिए मार्गदर्शन के बारे में भी एक प्रश्न था और वे सूखे से पहले की स्थिति से सम्बन्धित थे।

अब बाढ़ और सूखे से उत्पन्न इन स्थितियों का सामना करते हुए हमने सोचा था कि हम श्री देवीलाल के तरीके से अलग कोई तरीका निकालें परन्तु निश्चित रूप से यह अस्वीकार्य है क्योंकि चौधरी देवी लाल स्वयं इस बारे में चिन्तित हैं। इस निर्णय का परिणाम यह है कि आप शीघ्र ही निष्कर्ष निकालिए और हम इस बारे में बहुत चिन्तित हैं। कृषि और ग्रामीण विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) और अन्य संस्थाएं यह आशा कर रही हैं कि हमें इन शर्तों को पुनः निर्धारित करना

चाहिए छोटी अवधि के मध्यम अवधि तथा मध्यम को दीर्घकालीन बनाना चाहिए और एक बार इन शर्तों के पुनः निर्धारित किए जाने पर बैंकों से आगे ऋण लेने में कोई बाधा नहीं है। हमने ऐसा ही किया है।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपर गांव) : सूखे के कारण प्रत्येक व्यक्ति ऋण का भुगतान नहीं कर सकता। उनके पास सुविधाएं नहीं हैं। जो ऋण के लिए अपील करने के योग्य हैं अथवा जिन्हें अनुमति है वे ऐसा कर सकते हैं परन्तु भुगतान करें ही न उनके बारे में क्या किया जायेगा ?

डा० जी० एस० ढिल्लों : हम उस बात से पीछे कैसे हट सकते हैं जिसका निर्णय हमने स्वयं लिया है ? जब मैं श्री देवीलाल के बारे में बात करता हूं तो मैं उनकी आलोचना करता हूं।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : परन्तु मैं सूखे के कारण हाल के चूक कर्ताओं के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : यदि कृषक तीन वर्षों तक कष्ट उठाते हैं केवल तभी उन्हें कुछ लाभ दिया जाता है। यदि पिछड़े क्षेत्रों और गरीबी वाले क्षेत्रों में यदि कृषक लगातार 3 वर्षों तक कष्ट भोगते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि वे बहुत अधिक कष्ट भोगते हैं।

5.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

डा० जी० एस० ढिल्लों : यद्यपि मैंने इसका उल्लेख किया है परन्तु यह अन्तिम उत्तर नहीं है। यह सुझाव न तो किसानों के हित में है और न ही किसानों के संगठन सहकारी संस्थाओं के हित में है। सहकारी बैंकों द्वारा ऋण उनके पास जमा की गई राशि में से अथवा अन्य उच्च वित्तीय संस्थाओं जैसे राज्य सहकारी बैंकों अथवा 'नाबार्ड' से धन उधार लेकर दिए जाते हैं। जिला सहकारी बैंकों के पास उधार दी जाने वाली राशि का प्रमुख भाग उनके अपने जमाकर्ताओं से अथवा राज्य सहकारी बैंकों में जमा राशि से आता है। यदि ऋणों को माफ कर दिया जाए तो सहकारी बैंक जमाकर्ताओं के साथ अपने वायदे नहीं निभा सकेंगे। इसलिए राज्य सरकारों अथवा भारत सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि बजट में से जो कि समिति है व्यवस्था करके ऋणों को माफ कर दे। एक ओर हमें इनके लिए एक बजट बनाना चाहिए और दूसरी ओर बिना और कर लगाए ऐसा नहीं किया जा सकता। यह एक कुचक्र है। मैं भी उसी समुदाय से हूं जिस समुदाय से श्री देवीलाल सम्बन्ध रखते हैं और जो हिसाब-किताब के मामले में बहुत कमजोर है। ऐसा कदम उठाने से ऋणों की वसूली और भी कम हो जाएगी क्योंकि जो लोग ऋण लौटाने की स्थिति में हैं वे भी ऋण नहीं लौटायेंगे। सूखे के वर्ष में और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में भी ऐसे ऋण प्राप्तकर्ता होंगे जिनके पास अपनी सिंचाई सुविधाएं जैसे ट्यूबवैल हैं और वे भी ऋण नहीं लौटायेंगे। इसके अलावा बीमाकृत फसलों के बारे में, सूखे के वर्ष में हुई हानि की अदायगी की एक निर्धारित सीमा में की जाती है जो कि उस ऋण से सम्बन्धित है जो कि वित्तीय संस्थाओं से लिया गया है। उपरोक्त कारणों से यह स्वीकार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार और 'नाबार्ड' ऋणों को माफ करने के विरुद्ध हैं। प्राकृतिक विपदाओं के मामले में ऋणों में परिवर्तन करने और पुनः निर्धारित करने का भी प्रावधान है।

प्रो० एन० जी० रंगा : दंड के रूप में क्या ब्याज लिया जा रहा है ?

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं समझता हूं कि इसकी अनुमति नहीं है।

अब ऋण संरचना को पुनः गठित करने के लिए क्या किया जा रहा है। इस वर्ष सूखे की स्थिति को देखते हुए 'नाबार्ड' ने सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों में कई रिकायतों की घोषणा की है ताकि किसानों को ऋण मिलता रहे। इसमें दूसरी बुआई के लिए नया ऋण भी शामिल है।

यदि पहली फसली नहीं होती है तो हमने दूसरी फसल अपना एक वैकल्पिक फसल उगाने के लिए नये ऋण देने की व्यवस्था की है। पंजाब में तीसरी फसल के लिए भी इस सुविधा को बढ़ाया गया है। चारा उगाने के लिए भी धन की व्यवस्था है। हमने 2·25 लाख हैक्टेयर भूमि के लिए यह व्यवस्था की है और छोटे किसानों के लिए 300 रुपए तथा सीमांत किसानों के लिए 400 रुपये की व्यवस्था की है। इसमें अतिरिक्त अल्पावधि ऋण सीमा की व्यवस्था है। हमने अधिक उदार स्थाईकरण प्रबन्ध भी किए हैं। दीर्घकालीन ऋणों को पुनः निर्धारित करने की भी घोषणा की गई है। यह आशा की जाती है कि यदि बैंक उपरोक्त सभी रियायतों का लाभ उठायें तो ऋण प्रवाह की कमी नहीं होगी और मुझे आशा है कि जहां तक ऋण प्रवाह का सम्बन्ध है इसके बारे में अच्छा रुख रहेगा।

एक माननीय सदस्य: फसल बीमा के बारे में क्या किया गया है ?

डा० जी० एस० ढिल्लों : फसल बीमा के बारे में मैं आपकी बात का विरोध नहीं कर सकता, ये बीमा योजनाएं छोटे और सीमान्त किसानों से तथा ऋण प्राप्तकर्ताओं से सम्बन्धित हैं। सूखे और बाढ़ के बुरे वर्षों में यदि हम किसानों की ऋण साख को बनाये न रखें तो कोई बैंक उनका विश्वास नहीं करेगा और उन्हें आगे कोई ऋण नहीं देगा। हम ऋण प्राप्तकर्ताओं की बीमा की ओर नहीं अपितु उनकी साख की ओर ध्यान दे रहे हैं। हमने हाल ही में, अपने हानि और लाभ के क्षेत्रों की पुनः जांच करने के लिए और भविष्य की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्षेत्रवार आपका क्या रवैया है ? क्या आप इस बारे में पुनः विचार कर रहे हैं।

डा० जी० एस० ढिल्लों : पहले ब्लाक होते थे। आंध्र प्रदेश में इससे छोटी इकाई मण्डल है। परन्तु आप गांव के स्तर पर ऐसा करना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। यह राज्य के साधनों से परे की बात है। अब हमने खंडों में न्यूनतम उत्पादन सीमा निर्धारित कर दी है।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : तहसील के बजाय राजस्व क्षेत्रों के बारे में क्या विचार है ?

डा० जी० एस० ढिल्लों : यदि यह एक बड़ा क्षेत्र है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु वे इससे नीचे, गांव के स्तर तक ऐसा करना चाहते हैं ! वह अस्वीकार्य है। ऐसा करना बहुत कठिन है। न्यूनतम उपज सीमा के बारे में भी हमने एक ब्लाक में 76 क्षेत्र निर्धारित किए हैं हमें इसकी की जांच करनी है·····

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय केरल को अधिक धन देने के बारे में क्या किया गया है ? सभी दलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली आकर आपसे और प्रधानमंत्री महोदय से मुलाकात की है··· (व्यवधान)

5.17 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

डा० जी० एस० ढिल्लों : योजना आयोग अन्य मंत्रालयों तथा उच्च स्तरीय समिति द्वारा इसकी जांच की गई है·····

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया और अधिक व्यक्तिगत प्रश्न मत कीजिए। वे प्रत्येक सदस्य की बात का उत्तर नहीं दे सकते। आप उन्हें लिख सकते हैं और वे आपको स्थिति बतायेंगे।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मुझे इस बारे में कुछ और कहना है। हमें हाल ही में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई और फिर हमने स्वयं तथा प्रधानमंत्री महोदय ने मामले की जांच की। संबंधित मंत्रालयों के सभी सचिवों, कृषि मंत्रालय, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय को इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए कहा गया। अब राज्यों को इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा उनकी रिपोर्ट यह है कि निश्चित रूप से राज्यों के इन ज्ञापन पत्रों में बढ़ा-चढ़ा कर उल्लेख किया गया है। अधिकतर राज्य इसे सामान्य बजट स्थिति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हम इसे स्वीकार नहीं करते। योजना आयोग के विश्लेषण से भी यही पता लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए, इतना समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

5.18 म० प०

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचित करता हूं कि अध्यक्ष महोदय को नागालैंड के नागालैंड निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री चिंगवांग कोनयक से 2 दिसम्बर, 1987 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है। अध्यक्ष महोदय ने 2 दिसम्बर, 1987 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, वे किस दल से सम्बन्ध रखते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कांग्रेस (आई) से।

डा० दत्ता सामन्त : उन्होंने त्याग पत्र क्यों दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता।

5.19 म० प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1987-88

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 1987-88 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान करेगी जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया गया है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

मांग संख्याएं : 1, 4, 5, 6, 10, 18, 22, 27, 37, 44, 48, 54, 58, 59, 64, 67, 69, 76, 83, तथा 93"

लोक सभा

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली 1987-88 की अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि	
	कृषि मंत्रालय	**राजस्व रुपए**	**पूंजी रुपए**
1.	कृषि	4,66,00,000	11,26,00,000
4.	ग्रामीण विकास विभाग	249,90,00,000	—
5.	उर्वरक विभाग	303,25,00,000	156,50 00,000
	वाणिज्य मन्त्रालय		
6.	वाणिज्य विभाग	80,00,00,000	—
	संचार मंत्रालय		
10.	दूरसंचार सेवाएं	—	1,00,000
	ऊर्जा मंत्रालय		
18.	विद्युत विभाग	—	100,01,00,000
	वित्त मन्त्रालय		
22.	आर्थिक कार्य विभाग	1,00,000	
27.	राज्य सरकारों को अन्तरण	250,00,00,000	—
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय		
37.	स्वास्थ्य विभाग	1,00,000	—
	मानव संसाधन विकास मन्त्रालय		
44.	शिक्षा विभाग	3,00,000	—
	उद्योग मन्त्रालय		
48.	औद्योगिक विकास विभाग	50,00,00,000	—
	श्रम मन्त्रालय		
54.	श्रम मंत्रालय	1,00,000	—
	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय		
58.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		2,39,00,000
	योजना मन्त्रालय		
59.	आयोजन	1,00,000	—
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
64.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	2,00,00,000	10,00,000

1	2	3	4
	वस्त्रोद्योग मंत्रालय		
67.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	71,00,000	39,00,00,000
	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय		
69.	जल-भूतल परिवहन	—	10,00,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय		
76.	जल संसाधन मंत्रालय	9,52,00,000	—
	गृह मन्त्रालय (खण्ड II)		
88.	दिल्ली	1,00,000	—
93.	दमन और दीव	12,73,00,000	10,00,00,000

उपाध्यक्ष महोदय : डा० दत्ता सामन्त ने अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं। क्या वह अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : जी, हां। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विकास विभाग सम्बन्धी 50,00,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[उन उद्योगपतियों को राज सहायता देना बन्द करने की आवश्यकता जो पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित करने के लिए महानगरों में अपने उद्योग बन्द करने जा रहे हैं।] (1)

"कि वस्त्र मंत्रालय सम्बन्धी 39,71,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[बन्द होने जा रहीं विभिन्न कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किए जाने की आवश्यकता।] (2)

"कि वस्त्र मंत्रालय संबंधी 39,71,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय वस्त्र निगम में कुप्रबन्ध।] (3)

श्री भट्टम श्री राममूर्ति (विशाखापत्तनम) : अभी-अभी हमने प्राकृतिक विपदाओं पर चर्चा की थी। सूखे तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों की समस्याएं बराबर बनी हुई हैं। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह भी अपूर्ण है। यहां तक कि सूखा तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों की समस्याएं कोई कम नहीं हैं ऐसे में सरकार को अतिरिक्त संसाधन जुटाने चाहियें तथा प्रभावित लोगों को कुछ राहत दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। सूखा प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए कतिपय कार्यक्रमों पर अत्यधिक और किसी न किसी प्रकार से चर्चा करते रहे हैं। यदि हम देखें कि सरकार द्वारा बजट किस प्रकार से बनाया जा रहा है तो हम कह सकते है कि कृषि, कृषकों तथा खेतिहर किसानों को क्या महत्व दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए पहली योजना में कुल सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय में कृषि, जिसमें सिंचाई भी शामिल है का क्षेत्र 37 प्रतिशत है जो

कि गिरकर सातवीं योजना में कम होकर 24 प्रतिशत हो गया है। कृषकों को यह महत्व दिया जा रहा है। स्वाभावत: कृषक समाज के सबसे दयनीय वर्ग के व्यक्ति हैं और जब कभी भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे बुरी तरह प्रभावित यही लोग होते हैं।

वर्ष 1986-87 में कुल परिव्यय 22, 300 करोड़ रुपये था। कृषि के लिए 917 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि कृषि के लिए तो 917 करोड़ रुपये का प्रावधान था जबकि दूरसंचार के लिए 915 करोड़ रुपये का परिव्यय था। इसलिए इन आंकड़ों को देख कर स्पष्ट हो जाता है कि कृषि क्षेत्र को क्या महत्व दिया गया है। बाद में 1987-88 में क्या हुआ है? पहले यह 917 करोड़ रुपए था, इस वर्ष यह 912 करोड़ रुपये हैं अर्थात् 5 करोड़ रुपये कम। दूरसंचार के लिए 915 करोड़ रुपयों को बढ़ाकर 959 करोड़ रुपये कर दिया। अत: कृषकों तथा कृषि विभाग को सरकार यह महत्व दे रही है।

इसी प्रकार से, मैं दूरदर्शन नागर विमानन तथा विभिन्न अन्य विभागों के बारे में आंकड़ों को उद्धृत कर सकता हूं और बता सकता हूं कि किस प्रकार से किसानों और कृषकों के साथ रुखा व्यवहार किया जा रहा है।

इस समय मैं यह बात भी बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा की नीतियों और उनके क्रियान्वयन की वजह से मूल्य वृद्धि हो रही है और आम आदमी इसका बुरी तरह शिकार है। उसके लिए भविष्य और वर्तमान में जीना अत्यन्त कठिन है। उदाहरण के लिए 1985 अक्तूबर में मूंगफली के तेल का भाव 20 रुपया प्रति किलो ग्राम था; और अब यह 32 रुपया है। 1985 में नारियल के तेल का मूल्य 29 रुपए प्रति किलो रखा गया था और अब यह 43 रुपया है। सरसों का तेल 13 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा था अब यह 29 रुपये है बनस्पति का भाव 17 रुपये था, अब इसका मूल्य 23.45 रुपये है। 1985 में प्याज 2 रुपया किलो बेचा जा रहा था और अब 4 रुपया है उस समय आलू 1.50 रुपया प्रति किलो था और अब 5 रुपया है। इसी प्रकार से कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं जो कि बताते हैं कि आय व्यक्ति के लिए जीवित रहना कितना कठिन और नामुमकिन हो गया है। मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और बढ़ती हुई कीमतों ने आम व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ा है।

मैं यहां इस बात के लिए सावधान कर देना चाहूंगा कि यदि कीमतें नहीं गिरेंगी तो सरकार भी अवश्य ही गिरेगी। मूल्य वृद्धि का सातवीं योजना पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या इस बारे में कोई मध्यावधि मूल्यांकन कराया गया है? क्या ऐसा कराया गया है? यदि हां तो क्या उसे सभा पटल पर रखा जाएगा? क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्य किया गया था? हमें किसी ऐसे कार्य की जानकारी नहीं है। क्यों इस तरह के मध्यावधि सर्वेक्षण अथवा मूल्यांकन कार्य को बीच में ही छोड़ दिया गया? इस बारे में बताना ही होगा।

मेरे विचार से सातवीं योजना लगभग मृत प्राय: है। निर्धारित किए गए किसी भी लक्ष्य को सरकार पूरा नहीं कर पाएगी। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से रेलवे और अन्य विभाग और मंत्रिमण्डल योजना आयोग के पीछे दौड़ रहे थे कि उनके लिए किए गए प्रावधानों में अनुपातिक वृद्धि की जाए। मूल्यों में वृद्धि के कारण वे कभी भी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और सातवीं योजना को पुन: चालू करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। इस समय सरकारी परिव्यय की उच्च-स्तर पर समीक्षा किया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं जरूरी है।

हम रुपये की कीमत को भी देखें जो कि इस समय गिर रही है। इस समय यह लगभग 13 पैसा है। व्यक्तियों की खरीद क्षमता वास्तव में समाप्त हो गई है। रुपये की कीमत गिरती जा रही है। मूल्य

वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी की समस्या है और जो व्यक्ति दयनीय दशा में गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं वे भी अनगिनत हैं। इन परिस्थितियों में इस बजट का क्या प्रभाव है? हमें यह देखना है।

एक और बात मैं बताना चाहूंगा वह है बजट के पूर्व वृद्धि। बजट-पूर्व वृद्धि के कारण, बजट मात्र तमाशा और असंबत हो गया है। हाल ही के वर्षों में बजट पूर्व वृद्धि सम्भवत: समाप्त हो गई है।

वर्ष 1984-85 में, बजट आकलन में अतिरिक्त कराधान के लिए मात्र 431 करोड़ रुपये की ही वृद्धि किए जाने का प्रावधान किया गया था लेकिन यदि आप पूर्व-बजट कर को देखें तो आप पायेंगे कि यह रकम 1125 करोड़ रुपये थी; वर्ष 1985-86 में, बजट आकलन में यह राशि सिर्फ 480 करोड़ रुपये थी लेकिन बाद में बजट आकलन के दौरान यह 1800 करोड़ हो गयी। वर्ष 1986-87 में यह राशि 2,268 करोड़ रुपये है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाल ही में सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों को मदद दिलाने के लिए लगभग 550 करोड़ के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। यह सरकार के लिये आम बात है जो कि अत्यन्त निन्दनीय है और स्वीकृत संसदीय प्रक्रिया के अनुसार उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती।

मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। भुगतान संतुलन की स्थिति खराब होने की संभावना है। कच्चे तेल के आयात बिल के लिए इस पर भी विचार किया जाना है जोकि इस वर्ष बढ़कर 1500 करोड़ रुपये होने की संभावना है इसका कारण हैं तेल के औसत विश्व मूल्य में वृद्धि होना तथा तेल का ज्यादा आयात करना इसका अर्थ है 2030 करोड़ रुपये में यह 3450 करोड़ रुपये हो सकता है। इसी प्रकार से आवश्यक वस्तुओं जैसे कि खाद्य तेल तथा खाद्यान्नों के आयात से 400 करोड़ रु०का अतिरिक्त भार होगा। यहां तक कि प्रधान मन्त्री ने भी कहा है कि जहां तक मुमकिन होगा वर्तमान में जो घाटे की दर है वही बनी रहेगी, इसे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है किसी भी हालात में, वर्तमान हालात को देखते हुए इसमें करोड़ों रुपये की वृद्धि होगी।

जब कभी भी चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा भण्डार में 760 करोड़ रुपये या 10 प्रतिशत की कमी आई तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के विकास पर अत्यधिक बढ़ते हुए आन्तरिक कर्ज से पड़ने वाले गम्भीर परिणामों के प्रति सरकार को सचेत किया। इस स्थिति से सरकार को निपटना है।

घाटे की वित्त व्यवस्था बन्द कर दी गई है लेकिन अनिश्चित रूप से लगातार सरकार यद्यपि राज्य सरकारों के ऊपर नियंत्रण और समय से काम लेने के लिए दबाव डाल रही है तथापि सरकार निरन्तर घाटे की वित्त व्यवस्था का ही आश्रय ले रही है और यह बार-बार हो रहा है। घाटे ने मुद्रा-स्फिति की गति को बढ़ा दिया है। वास्तविक घाटा प्रारम्भिक बजट अनुमानों से कहीं अधिक निकलता है। संशोधित आकलन प्रारम्भ में बनाये आकलन से बढ़े हुए हैं जैसाकि हम देख सकते हैं। वर्ष 1986-87 में बजट आकलन के मुताबिक घाटा 3650 करोड़ रुपये का था परन्तु अन्तत: यह 8253 करोड़ रुपये हो गया, वर्ष 1985-86 में प्रारम्भ में यह अनुमान लगाया गया था कि घाटा 3349 करोड़ रुपये का होगा परन्तु वास्तविक आंकड़े 4937 करोड़ रुपये थे, वर्ष 1987-88 में यह राशि 5688 करोड़ रुपये थी। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इसमें निश्चित ही करोड़ों रुपये की वृद्धि होगी। यही खास मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं क्योंकि अब सदन में आधे-घंटे की चर्चा को लिया जाएगा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

5.30 म० प०

आधे घन्टे की चर्चा

कोटा परमाणु विद्युत केन्द्र का कार्यकरण

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अणु बिजली घर कोटा की प्रथम इकाई सन् 1973 में कमीशन की गई थी और उस इकाई की परफोरमेंस शुरू से लेकर अब तक बहुत ही पुअर रही है, पहले भी परफोरमेंस पुअर रही और अभी भी परफोरमेंस पुअर है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बिजली घर कोटा की इकाई जिस समय कनाडा के सहयोग से बनी थी उस समय ही क्या उसकी स्थिति ठीक नहीं थी ! पहले भी हमने 1981 के अन्दर प्रश्न उठाया था, मैंने ही आधे घण्टे की चर्चा उठाई थी और उसकी चर्चा उठाने पर सितम्बर, 1984 में यह आश्वासन दिया गया था कि हम इस अणु बिजली घर की इकाई की मरम्मत करके इसको ठीक कर देंगे। 1982 में इसको ठीक करके शुरू किया गया परन्तु उसने एक दिन भी 2 घण्टे भी कार्य नहीं किया और मार्च, 1982 में फिर कार्य बन्द हो गया और उसके बाद फरवरी, 1985 में फिर यह इकाई शुरू हुई, तीन महीने के बाद फिर इसमें लीकेज और नये केक हो गये और उसकी एण्ड सील्ड मरम्मत करके इसको 9 अगस्त को फिर शुरू किया गया। 9 अगस्त से अभी यह 100 मेगावाट बिजली दे रही है, इसकी उत्पादन क्षमता 220 मेगावाट है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो 100 मेगावाट बिजली दे रही है क्या इसके अन्दर कुछ प्रगति होगी और इसकी क्षमता बढ़ेगी ? 100 से 150 या 180 मेगावाट तक इसकी क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि अगर यह 100 मेगावाट पर ही फंक्शन करेगी तो कामर्शियल टर्म्स के अन्दर किसी भी तरीके से कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती है इसलिए इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करें कि क्या यह किसी प्रकार 150 या 180 मेगावाट तक आ सकती है या नहीं आ सकती है ? अगर 150 या 180 मेगावाट तक नहीं आ सकती है तो ऐसे अणु बिजली घर की, जिसकी बार-बार मरम्मत करनी पड़ती है और बार-बार उसमें कोई न कोई लीकेज हो जाता है, प्रथम इकाई के क्यों नहीं बन्द करके कोई कदम आप उठाते हैं ? यह लाभदायक नहीं है फिर भी अगर आप इसको बन्द नहीं करते हैं तो हम चाहते हैं कि जब प्रथम इकाई काम नहीं करती है और 100 मेगावाट बिजली ही देती है और उसके कारण राजस्थान विद्युत की दृष्टि से प्रभावित होता है और राजस्थान में बिजली का उत्पादन कम होने से औद्योगिक उत्पादन पर भी असर पड़ता है, कृषि के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है इसलिए हम चाहते हैं कि अगर अणु बिजलीघर की प्रथम इकाई बन्द हो जाती है, अगर कम उत्पादन करती है तो उसको कम्पेंसेट करने के लिए क्यों नहीं सिंगरौली की रिजर्व बिजली में से राजस्थान को बिजली देते हैं ?

दूसरा जो अणु बिजलीघर है जोकि आधुनिक तरीके से बनाया गया है वह अच्छी तरह से से फंक्शन कर रहा है। उसकी जो प्रतिष्ठापित क्षमता है उसका 70 से 75 प्रतिशत बिजली वह दे रहा है। अब स्थिति यह पैदा हुई है कि अगस्त में वह फिर बन्द हो गया और 70 दिन तक बन्द रहा तो

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

उसके क्या कारण है ? मेंटिनेन्स में यह जो 70 दिन तक लग जाते हैं इसके बारे में भी आप स्पष्टीकरण करें।

यह भी जानकारी मिली है कि इसके टरबाइन जेनरेटर में जो मेंन कुलिंग सिस्टम है उसमें डेफेक्ट हो गया है तो क्या यह टेम्पोरेरी डिफेक्ट है यह प्रथम इकाई के डिफेक्ट की तरह से ही है जोकि ठीक नहीं हो सकता है ? इसके बारे में भी आप जानकारी देने की कृपा करें।

आज हम अणु युग में चल रहे हैं। हमने योजना बनाई है कि सन् 2000 तक 10 हजार मेगा-वाट बिजली पैदा करने की और इस के अन्तर्गत हमने चार अणु बिजली घर बनाने की योजना बनाई है ? जिसमें दो राणा प्रताप सागर और कोटा में बनाना चाहते हैं। इस बारे में यह भी जानकारी मिली है कि इन दोनों अणु बिजली घरों को सैंक्शन मिल चुकी है तो हम जानना चाहेंगे, सैंक्शन मिलने के बाद अब क्या प्रोग्रेस है, कब तक ये अणु बिजली घर बन जायेंगे ? कब तक तीसरी और चौथी इकाई बन कर तैयार हो जाएगी, जिससे कि राजस्थान को लाभ पहुंच सके ? क्या ये अणु बिलली घर इंडिजिनस सिस्टम से तैयार किए जा रहे हैं या रूस या किसी दूसरे देश के साथ कोलाबोरेशन से काम किया जा रहा है ? यदि तीसरी और चौथी इकाई जल्दी से जल्दी तैयार हो जाती है, तो हम निश्चिन्त हो सकते हैं कि राजस्थान में बिजली की स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा। इसमें एक बात यह भी है कि अणु विजली घर बनाने में दस-दस वर्ष लग जाते हैं, जिससे वे वायबल नहीं हो पाते हैं, तो जो आप नम्बर तीन और नम्बर चार बिजली घर बनाने जा रहे हैं, उनको आप कब तक कम्पलीट कर देंगे, ताकि वे वायबल हो सकें। क्योंकि जितनी भी अणु बिजली घर की इकाइयां हैं और उनकी जो बिजली है, उनकी कास्ट 38 नए पैसे आती है, जो सबसे चीपेस्ट होती है। दस हजार बिजली पैदा करने का टार्गेट जो आपने सन् 2000 तक रखा है, क्या इसको आप समय के अन्दर पूरा कर लेंगे— यह मैं जानना चाहूंगा ?

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : मुझे इस बात की खुशी है माननीय सदस्य ने फिर यह प्रश्न उठाया है और मुझे आशा है कि उनके दिमाग में जो संशय है उसको दूर करने का पूरा प्रयत्न करूंगा।

सर्वप्रथम में यह स्पष्ट करूंगा कि आर० ए० पी० पी० की परिकल्पना एक वाणिज्यिक यूनिट के रूप में नहीं की गई थी बल्कि एक प्रोटोटाइप संयंत्र के रूप में की गई थी। यदि आप श्री एन० बी० प्रसाद की रिपोर्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि इसकी परिकल्पना प्रोटोटाइप के रूप में की गई थी और इसे वाणिज्यिक यूनिट नहीं माना जाना चाहिए। क्यों ? क्योंकि यह विश्व में इस प्रकार की प्रौद्योगिकी से स्थापित प्रथम संयंत्रों में से एक था। एक संयंत्र कनाडा में स्थापित किया गया था। उसके बाद उसी प्रकार का संयंत्र राजस्थान में स्थापित किया गया। इस संयंत्र में जो कुछ समस्यायें उठीं वह इस कारण से थी कि सामग्री, निरीक्षण का तरीका, परीक्षण और संरचना सहित प्रौद्योगिकी का स्तर जो उस समय उपलब्ध था वह इतना उन्नत नहीं था। वास्तव में आर० ए० पी० पी० में आरम्भ से ही 'एंड शील्ड' में डायमेन्शनल सहनशीलता की समस्या थी। इसे एक प्रकार के ताप ट्रीटमेंट से ठीक किया गया। वास्तव में इसी स्थान पर बाद में रिसाव हुआ। जैसा कि आप जानते हैं

कि इस रिसाव को पहले रसायनिक प्रक्रिया द्वारा बन्द किया गया और बाद में यांत्रिकी तौर पर बन्द किया गया। बाद में उसी स्थान पर फिर एक दरार आयी। मेरे विचार से इसका श्रेय हमारे परमाणु इंजीनियरों को जाता है जिन्होंने दूर नियंत्रण द्वारा इसकी मरम्मत की यह एक ऐसी तकनीक है जो विश्व के अन्य कहीं भी नहीं अपनायी गयी। हालांकि, दुर्भाग्य से इस संयंत्र ने अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं किया और इसे मरम्मत के लिए बन्द करना पड़ा, उन्होंने इस प्रकार की समस्याओं के हल के लिए तकनीक विकसित कर ली है।

संयंत्र का दर्जा घटा कर 100 मेगावाट कर दिया गया। इसी स्थान पर बार-बार दरार की समस्या उत्पन्न होने के कारण उन्होंने उस स्थान से ईंधन के 9 बन्डल हटा लिए ताकि उस स्थान पर उसका प्रभाव न पड़े। इसी तकनीकी कारण से इसकी क्षमता को 220 मेगावाट से घटा कर 100 मेगावाट कर दिया गया। यह आशा की गई थी कि यह संयंत्र इस क्षमता से सफलतापूर्वक और सुचारू रूप से कार्य करेगा। किन्तु हमें, कार्य निष्पादन पर निगरानी रखनी होगी। और हमें यह देखना होगा कि इस प्रकार की दरारें इस स्थान, जहां संयंत्र की स्थापना के समय ताप ट्रीटमेंट या सुधार किया गया है, के अलावा कहीं अन्य स्थानों पर भी उत्पन्न तो नहीं होती हैं ?

माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसी प्रौद्योगिकी के साथ क्षमता को बढ़ाकर 140 मैगावाट करना संभव है। किन्तु वे कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहते। वे इसे इसी क्षमता पर चलाएंगे और देखेंगे कि क्या कोई समस्या या दरार उत्पन्न होती है। चूंकि यह एक परमाणु संयंत्र है इसलिए हमें अत्याधिक सतर्क रहना होगा।

जहां तक, इस संयन्त्र में हुई हानि का सम्बन्ध है, यदि यह संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से चलता तो इसमें मुनाफा होता। इस संयंत्र के कार्यकाल में 73 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया और इसने विद्युत की बिक्री से 100 करोड़ रुपए अर्जित किए गए। इसलिए उस हिसाब से इसमें कोई घाटा नहीं हुआ। यदि हमने इस राशि को बैंक में जमा किया होता या अन्य कहीं लगाया होता तो ब्याज के रुपमें निश्चित रूप से घाटा हुआ है। सबसे आखिरी बार मरम्मत करने के बाद इसने पिछले चार मास में 7 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं। इसके अतिरिक्त हमें एक नए प्रकार का अत्यन्त मूल्यवान प्रौद्योगिकीय अनुभव हुआ है जिससे भविष्य में लगाए जाने वाली परमाणु भट्टियों की मरम्मत की जा सकती है और वास्तव हमें इस अनुभव से इसी प्रकार की अन्य परमाणु भट्टियों के निर्माण में सहायता मिली है क्योंकि हमारी अधिकांश परमाणु भट्टियां इसी प्रौद्योगिकी भी हैं। इसके अतिरिक्त यह राजस्थान ग्रिड को कुछ बिजली दे रहा है। राजस्थान-II संयंत्र राजस्थान को 15 प्रतिशत बिजली देता है। जो संयंत्र पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहा वह है आर० ए० पो० पी० एस०-I और यह आज भी राजस्थान को 7 प्रतिशत बिजली दे रहा है। इसलिए, हम इसे बन्द नहीं करना चाहते, इसे तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि यह कुछ न कुछ मूल्यवान योगदान दे रहा है। यदि आपके पास पैसा भी है तो भी आप बिजली नहीं खरीद पाते और इसलिए राजस्थान को 7 प्रतिशत बिजली देना एक उपलब्धि है। यह प्रश्न भविष्य का है कि यह संयंत्र हमेशा ही इसी प्रकार चलता रहेगा या इसकी पूरी तरह से मरम्मत करके इसे पूरी क्षमता से चलाया जा सकेगा। दो समितियों ने इसकी जांच की है। आखिरी समिति ने इस समस्या के दीर्घावधिक दल के रूप में इसके 'एण्ड शील्डस' को बदलने की सिफारिश की है। शुरू-शुरू में जब यह संयंत्र स्थापित किया गया था तब से लेकर अब तक एण्ड शील्ड बनाने की प्रौद्योगिकी में काफी सुधार हो चुका है। उसी प्रौद्योगिकी में सुधार करके तथा त्रुटियों को दूर करके और नए माल

[श्री के० आर० नारायण]

का इस्तेमाल करके हमने आर० ए० पी० एस० II, एम० ए० पी० एस० II और अब नरौरा के लिए 'एण्ड शील्डस' का निर्माण किया है। इसलिए यदि आप एण्ड शील्ड्स बदल देते हैं तो संयंत्र को पूरी तरह से चलाना संभव होगा किन्तु कुछ समय तक पहले की गई मरम्मत के स्थायित्व को देखने के पश्चात् यह करेंगे। यदि यह सफल रहता है और यदि हम विद्युत भार को धीरे-धीरे बढ़ाने में सफल हुए तो शायद हम 50 करोड़ रुपये बचा सकेंगे। वास्तव में आखिरी दल इस संयंत्र में नए एण्ड शील्ड लगाना ही है। यह एक स्थायी दल है। इसलिए यदि वर्त्तमान मरम्मत असफल रहती है, तो हमारे पास एण्ड शील्ड का निर्माण करके उसे संयंत्र में लगाने का विकल्प है जोकि वास्तव में इस की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट के अनुसार दीर्घावधि समाधान संभव है।

माननीय सदस्य ने राजस्थान II के बारे में पूछा है कि इसे 70 दिन के लिए बन्द क्यों किया गया। हम इसे सामान्य सर्विसिंग और सामान्य जांच के लिए बन्द करने वाले थे। इस कार्य में सामान्य तौर पर 6 से 8 सप्ताह का समय लग जाता है। न केवल परमाणु संयंत्रों के लिए बल्कि ताप संयंत्रों के लिए भी इस प्रकार बन्द किया जाना आवश्यक है। इसके पम्प में भी कुछ खराबी हो गयी थी और इसकी मरम्मत के लिए 10-12 दिन लगे। इसलिए इस अवधि का उपयोग पम्प की मरम्मत तथा वार्षिक सर्विसिंग के लिए किया गया इसलिए, इसमें 12 दिन और लग गये। इसीलिए, शायद, जहां 50 से 58 दिन लगने थे, 70 दिन लगे यह किसी बड़ी खराबी के कारण नहीं था। यह एक बहुत छोटी सी खराबी थी जिसे दुरुस्त किया गया और तत्पश्चात् इस अवधि का उपयोग वार्षिक सर्विसिंग के लिए किया गया। इसलिए, राजस्थान-II संयंत्र में मूल रूप से कोई खराबी नहीं है। वास्तव में यह 80 प्रतिशत क्षमता से कार्य कर रहा है, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं बताया है। यह ठीक हालत में है और इस समय राजस्थान-II संयंत्र में कोई खराबी नहीं है।

माननीय सदस्य ने नया संयंत्र रावत भाटा में बनाए जाने का उल्लेख किया है। राजस्थान में दो और संयंत्रों की परिकल्पना की गई है और प्रारम्भिक कार्य चालू है, भूमि का अधिग्रहण आधारभूत उपस्करों आदि की खरीद का काम किया जा रहा है। जहां तक प्रयोग की गई प्रौद्योगिक का संबंध है, इस प्रौद्योगिकी में किसी का सहयोग नहीं है।

इन संयंत्रों के निर्माण में हम किसी अन्य देश का सहयोग नहीं ले रहे हैं। हम यह संयंत्र लगाने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी और अपने धन का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां तक इस संयंत्र को पूरा होने में लगने वाले समय का सम्बन्ध है, क्योंकि विशेषकर नरोरा के पश्चात् आधारभूत उपस्करों का मानकीकरण होने के पश्चात, हमारे वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों ने इस अवधि के दौरान अधिक विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है, हम समझते हैं कि नए परमाणु संयंत्र का निर्माण 8 या साढ़े आठ वर्ष के भीतर करना संभव होगा। अद्यतम स्थिति यही है। मेरा विचार है कि माननी सदस्य ने यही मुख्य प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने विद्युत उत्पादन के 10,000 मेगावाट के लक्ष्य के बारे में भी पूछा है जिसकी हमने इस शताब्दी के अन्त तक हमारे परमाणु संयंत्रों द्वारा प्राप्त किये जाने की परिकल्पना की है। हम इसी कार्यक्रम का पालन करेंगे और हम आशा करते हैं कि हाल ही में स्थापित किए गए परमाणु विद्युत निगम, जिसकी स्थापना विशेषरूप से 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए की गई थी, के परिणामस्वरूप नए संयंत्रों की शृंखला पूरी होने से यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा बशर्ते कि हम इस कार्य पर पर्याप्त धन लगा सकें।

मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आर० ए० पी० पी० एस०-1 को बन्द करना गलत होगा। बेहतर यही होगा कि इससे कुछ समय तक बिजली पैदा की जाए ताकि राजस्थान

को एक संयंत्र से 7% बिजली मिलती रहे और यदि यह संयंत्र बंद हो जाता है फिर हम इसका दीर्घावधि समाधान करेंगे, जिसे पहले ही तैयार किया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत वे नहीं हैं। डा० राजहंस।

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : महोदय, मैं अपनी बात बड़े संक्षेप में कहूंगा। वास्तव में, मुझे थोड़ी सी बात पूछनी है। मन्त्री महोदय ने कनाडा का जिक्र करते हुए कहा कि कनाडा और भारत में साथ-साथ एक जैसे उपकरणों का प्रयोग किया गया। मैं समझता हूं कि सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कनाडा में 50% से अधिक बिजली परमाणु ऊर्जा केन्द्रों में पैदा की जाती है। हमारे हमारे देश में, हम ऐसा नहीं कर सकते ? और यदि हमारे देश में पर्याप्त ऊर्जा है, तो इस देश की औद्योगिक गति में परिवर्तन होगा। इसके अतिरिक्त उत्तर में यह कहा गया है कि राजस्थान में विद्युत संयंत्र 162 दिन काम करता है और सरकार कहती है कि यह संतोषजनक है। मुझे यह समझ नहीं आता कि यह स्थिति संतोषजनक कैसे हो सकती है। दूसरी बात यह है कि कनाडा में बिजली बहुत सस्ती है। हम भारत में बिजली 38 पैसे प्रति यूनिट के बजाय सस्ती दर पर क्यों नहीं दे सकते। अन्त में मुझे एक अनुरोध करना है। पिछले कई वर्षों से केन्द्र सरकार हमें कह रही है कि बिहार में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। महोदय, बिहार में यूरेनियम के काफी भंडार हैं और यूरेनियम परमाणु ऊर्जा उत्पादन के काम आने वाला कच्चा माल है। क्या मन्त्री महोदय इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार में कब स्थापित किया जाएगा।

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : महोदय, देश में परमाणु ऊर्जा बढ़ाने के लिए जो विभिन्न कदम उठाए हैं उसके लिए मैं मन्त्री महोदय को उन्हें बधाई देता हूं। मैं अधिक विस्तार में जाना नहीं चाहता, उनके पास जो भी जानकारी उपलब्ध है, उन्होंने वह जानकारी हमें दे दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में कितने परमाणु ऊर्जा केन्द्र हैं, हम कितनी परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। इस पर कितना व्यय हुआ है, विभिन्न ग्रिडों को परमाणु ऊर्जा के वितरण का आधार क्या है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड को परमाणु ऊर्जा दिए जाने की कोई संभावना है ? मैं एक बात और जानना चाहता हूं। पहले तिरुपति या धर्मपुरी या नागार्जुन सागर में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था। क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है ?

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : महोदय, प्रश्न राजस्थान के बारे में है। वह आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : फिर मैं उन्हें मद्रास के बारे में भी पूछने के लिए कहूंगा।

श्री मुरली देवरा : शुक्र है भगवान का कि इस समय आप पीठासीन हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसलिए संतोष नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बम्बई का जिक्र नहीं किया है।

डा चिन्ता मोहन : यदि आप धर्मपुरी या तिरुपति अथवा नागार्जुन सागर में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकें तो हमें खुशी होगी। मैं मन्त्री महोदय से इस बारे में कुछ जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के महत्व और आवश्यकता पर बल देने की जरूरत नहीं है, सारा विकास ही बिजली पर आधारित है और भारत सरकार ने विभिन्न स्रोतों से बिजली पैदा करके और पैदा करने के जो तरीके अपनाए हैं, वे भी संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा उठाया गया है राजस्थान परमाणु बिजली घर के बारे में मैं कुछ सवाल माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि आज दुनिया में कम पैसे में बिजली पैदा करने के लिए परमाणु बिजली घर बनाने की विधि विकसित हो चुकी है, जिससे प्रदूषण भी कम होता है जिसको फ्यूशन प्रोसेस कहते हैं। कम पैसों में बिजली जनरेट की जाती है और एन्वायरनमेंट में प्रदूषण भी कम होता है, जिससे सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई की जा सकती है। क्या माननीय मंत्री जी इस दिशा में राजस्थान परमाणु बिजली घर या कलपक्कम या नरोरा परमाणु बिजलीघर का माडर्नाइजेशन कर रहे हैं, ताकि कम से कम इन्वेस्टमेंट पर मेक्सिमम प्रोडक्शन बिजली का हो सके। क्या जो प्लांट्स चल रहे हैं, उनमें इस तरह का माडर्नाइजेशन किया जाएगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली यूनिट पहले स्थापित की गई थी और दूसरी बाद में, लेकिन दूसरी यूनिट तो ठीक से काम कर रही है, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 75 फीसदी कैपेसिटी का यूटीलाइजेशन हो रहा है, लेकिन पहली यूनिट का 20 परसेंट भी यूटीलाइजेशन प्रोडक्टिविटी का नहीं हो पा रहा है, इस बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पहली यूनिट की स्थापना के बाद कितने दिन बाद इसकी एण्ड शील्ड की मरम्मत की आवश्यकता पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि पुरानी और घटिया मशीनें लगा दी गई हों, पहला यूनिट को बिलो स्टेंडर्ड बनाया गया हो, इसमें जो मेटीरियल या इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए गए वे बिलो स्टेंडर्ड हों, अगर ऐसा नहीं था तो फिर इसका क्या कारण है कि दो यूनिट्स बनाए गए, एक संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है, ठीक उत्पादन कर रहा है और पहली यूनिट ठीक से काम नहीं कर रही है। दूसरी यूनिट 4·5 लाख मिलियन यूनिट प्रतिदिन उत्पादन करता है और पहली यूनिट कितना उत्पादन कर रही है, इसके बारे में माननीय मन्त्री जी ने अपने जवाब में नहीं बताया है, इस बारे में मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि पहली यूनिट कितना उत्पादन कर रही है और कितनी लागत इस पर आ रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि दूसरे यूनिट से जो बिजली 3३ पैसे प्रति यूनिट की दर से तैयार हो रही है, वह उपभोक्ताओं को किस दर से सप्लाई की जा रही है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किस दर पर आगे बिजली सप्लाई करता है।

पहली यूनिट जो ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, इसके कारण भी जानना चाहता हूं और इसमें जो इतना इन्वेस्टमेंट किया गया है, उनकी क्या स्थिति है। अगर यह एटामिक रिएक्टर जबरदस्त घाटे में चलेगा तो आप इसको ठीक करने के लिए टैक्स बढ़ाएंगे। इन सब बातों की जानकारी मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

6·00 म० प०

श्री के० आर० नारायणन : सर्वप्रथम, यदि मैं अन्य राज्यों में विद्युत संयंत्रों सम्बन्धी असम्बद्ध

मामलों के बारे में कहूं तो मैं समझता हूं, जैसा कि आप जानते हैं, वे इस चर्चा के अन्तर्गत नहीं आते परन्तु में भविष्य में स्थापित किए जाने वाले परमाणु विद्युत संयंत्रों के बारे में केवल इतना ही कह सकता हूं कि इसके लिए एक स्थल चयन समिति नियुक्त की गयी थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी हैं और वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और भविष्य में इन संयंत्रों को कहां स्थापित किया जाएगा--बिहार, आन्ध्र प्रदेश या अन्य राज्यों में, इसका निर्धारण सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर किया जाएगा और सरकार ने निर्णय अभी नहीं लिया है।

जहां तक कनाडा द्वारा कि 50 प्रतिशत बिजली का उत्पादन परमाणु संयंत्रों से करने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं यह प्रशंसनीय बात है और हम सन् 2000 तक भारत में परमाणु संयंत्रों से 10% बिजली का उत्पादन कर पाएंगे। हमारी महत्वाकांक्षी योजना से पता चलता है कि सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट बिजली परमाणु संसाधनों से पैदा की जाएगी। वह इस देश में बिजली के कुल उत्पादन का 10% होगा। यदि हमारे पास संसाधन हुए तो इस प्रौद्योगिक दृष्टि से इसकी प्राप्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी बशर्ते कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध हुए।

माननीय सदस्य ने यह जिक्र किया है कि राजस्थान-2 संयंत्र ने केवल 162 दिन तक काम क्यों किया। 162 दिन तक बिना किसी रुकावट के काम करना किसी परमाणु संयंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है, चाहे वह संयन्त्र परमाणु हो या फिर तापीय संयंत्र, अतः यह उपलब्धि प्रशंसनीय है।

मूल्य का प्रश्न भी उठाया गया था। आज परमाणु ऊर्जा निश्चित रूप से कई मामलों में तापीय ऊर्जा से सस्ती है। माननीय सदस्य श्री बुद्धि चन्द्र जैन ने यह उल्लेख किया हैं कि राजस्थान को····· अधिक मूल्य देना पड़ता है।

डा० चिन्ता मोहन : उन्होंने मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने पूछा कि इस पर कितना व्यय हुआ, बिजली का वितरण किस आधार पर किया जाता है। आप इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। वितरण का तरीका क्या है। क्या आन्ध्र प्रदेश को परमाणु ऊर्जा की सप्लाई करने की कोई सम्भावना है?

श्री के० आर० नारायणन : मैं आपको उत्तर दे सकता हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ छिपाना चाहता हूं। लेकिन यह इस चर्चा से सम्बद्ध नहीं है। मेरे पास आंकड़े हैं और वह आंकड़े मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन मैं नही समझता कि यह इस प्रश्न से सम्बद्ध हैं कि भविष्य में परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किए जाएंगे, बिजली का वितरण कैसे किया जातगा, क्या आंध्र प्रदेश को बिजली मिलेगी आदि। यह सचमुच अलग प्रश्न है। आप कृपया इसे अलग से पूछिए।

परमाणु ऊर्जा सचमुच सस्ती है। 38 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती है। वास्तव में यदि नया परमाणु ऊर्जा निगम लाभ उठाना चाहता है, तो सम्भवतः यह प्रति यूनिट मूल्य बढ़ाएंगे, यद्यपि इस का मूल्य ऊर्जा त अन्य स्रोतों के बराबर नहीं होगा। यद्यपि आज बिजली सस्ती है, भविष्य में प्रौद्योगिकी के और विकास से इसे और भी सस्ता किया जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के काम आने वाली अन्य चीजें जैसे इस्पात और अन्य वस्तुएं भी सस्ती हों। अतः हम भविष्य के मूल्यों में बारे में इस समय कुछ नहीं कह सकते। लेकिन प्रौद्योगिकी की दृष्टि से, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी और मानकीकरण में सुधार करके हम सस्ती दर पर परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी ने भी इसी प्रश्न का उल्लेख किया है कि क्या परमाणु प्रौद्योगिकी को सस्ता बनाया जा सकेगा। मैं सकझता हूं कि इसका यही उत्तर होगा।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : मैंने विशेष रूप से इस बात का जिक्र किया है कि विदेश में एक प्रणाली विकसित की गई है, जिसका नाम--'फ्यूसन प्रोसेस तकनीक' है। उस प्रणाली से कम लागत पर अधिक बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। मेरा प्रश्न यह था।

श्री के० आर० नारायणन : मैं जानता हूं कि यूरोप में, परमाणु बिजली को अन्य स्रोतों से अधिक सस्ता बनाया गया है। मैं इस समय यह नहीं कह सकता कि हम इस विशेष प्रणाली को अपना सकते हैं या नहीं। यह हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों पर निर्भर है। लेकिन इस संयन्त्र में प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम जो भी संयंत्र स्थापित कर रहे हैं वह प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अधिक विकसित संयंत्र है। वास्तव में, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हर वर्ष प्रौद्योगिकी में और सुधार किया है। हम किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते। कोई भी हमें यह प्रौद्योगिकी देने को तैयार नहीं है। हमारे देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने सब कुछ विकसित किया है और अब जो नए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं वे पहले लगाए गए संयंत्रों से अधिक आधुनिक हैं।

आप संयोजन/विलयन (फ्यूजन) के बारे में पूछ रहे हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, संयोजन (फ्यूजन) प्रौद्योगिकी का अभी तक कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। पूरा विश्व संयोजन (फ्यूजन) प्रक्रिया के बारे में अनुसंधान कर रहा है। हमारे देश में भी इन्दौर में अत्याधुनिक प्रयोगशाला है जो इस बारे में अनुसंधान कर रही है और यदि हमें, विश्व के अन्य देशों को संयोजन के द्वारा बिजली पैदा करने में सफलता मिल गयी तो निश्चित रूप से बिजली की कीमत घट जाएगी। अभी तक विश्व में किसी को सफलता नहीं मिली है। लेकिन हम इस पर अनुसंधान कर रहे हैं और संभवतः इस विशेष क्षेत्र में अनुसंधान के मामले में हम अन्य देशों के बराबर हैं।

यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या आर० ए० पी० पी० ने घटिया किस्म के माल का प्रयोग किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, कि इस संयंत्र में माल की किस्म और प्रौद्योगिकी और निरीक्षण एवं निर्माण का उस समय विश्व में, विशेषकर कनाडा में प्रचलित तकनीक की दृष्टि से घटिया किस्म का नहीं था क्योंकि यह संयंत्र कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि डगलस प्वाइंट प्लांट, जो उस समय कनाडा ने बनाया था, भी बन्द हो गया है। लेकिन हमने आर०ए०पी०पी०-1 को बन्द नहीं किया है आर० ए० पी० पी० अभी भी काफी मात्रा में बिजली का उत्पादन कर रहा है, यद्यपि यह पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर रहा है। ऐसा हमारे इंजीनियरों की प्रवीणता के कारण ही हुआ जो इसकी खराबियों को ठीक कर सके और इससे चालू रखा। कनाडा में, उन्होंने यह संयंत्र बंद कर दिया है और उन्होंने उसी तकनीक में सुधार करके उसके समीप और संयंत्र लगाये हैं। अतः घटिया किस्म के माल के प्रयोग या अन्य इस प्रकार की किसी बात का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे मैंने बताया, इस संयंत्र में कुछ खराबी थी, जिसे ठीक कर दिया गया था। इसका एक दीर्घावधि समाधान भी है जो यदि जरूरत पड़ी तो हम करेंगे।

मैं समझता हूं कि यही सब प्रश्न पूछे गए थे और मैं अब सभा का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने बहुत बहुमूल्य बातें कही हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिएक्टर बहुत दिक्कत पैदा कर रहा है क्योंकि यह प्रोटोटाइप के के रूप में बनाया गया था न कि वाणिज्यिक इकाई की दृष्टि से किन्तु मूल्यवान बात यह है कि इससे हमें नई तकनीकों के बारे में पता चला और हमने राजस्थान-2, एम० ए० पी० पी०-I एम० ए० पी० पी०—2 और नरौरा की स्थापना की है और सुधार की गई प्रौद्योगिकी से हम कायगा, कगराफुर और राजस्थान 3 और 4 की स्थापना करने जा रहे हैं। राजस्थान-1 एक तरह से इस विकास के लिए प्रौद्योगिकी का स्कूल था। लेकिन आज यह स्कूल से बढ़कर है क्योंकि यहां बिजली भी पैदा की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6·10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 3 दिसम्बर, 1987/12 अग्रहायण, 1909 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

सन लाइट; प्रिंटर्स, 2265, डा० सैन मार्ग, दिल्ली-6